

वार्षिक रिपोर्ट 2003-2004




रक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट

2003—04



रक्षा मंत्रालय
भारत सरकार



मुख पृष्ठ :

भारतीय वायुसेना की मांग को पूरा करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा डिजाइन किए गए विश्व के सबसे छोटे हल्के वजन के बहु-भूमिका वाले विमान 'तेजस' ने 200 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं।

पृष्ठ आवरण :

जुलाई 2003 में भारतीय नौसेना में शामिल 'भारतीय नौसेना पोत तलवार' स्टील्थ फ्रिगेट, से नौसेना की प्रहार शक्ति में वृद्धि।


विषय सूची

1.	सुरक्षा परिवेश	5
2.	रक्षा मंत्रालय का गठन तथा कार्य	15
3.	भारतीय सेना	25
4.	भारतीय नौसेना	39
5.	भारतीय वायुसेना	49
6.	तटरक्षक	59
7.	रक्षा उत्पादन	71
8.	रक्षा अनुसंधान तथा विकास	97
9.	अन्तर-सेवा संगठन	115
10.	भर्ती और प्रशिक्षण	127
11.	भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास एवं कल्याण	147
12.	सशस्त्र सेनाओं तथा सिविल प्राधिकारियों के बीच सहयोग	165
13.	राष्ट्रीय कैडेट कोर	173
14.	विदेशों के साथ रक्षा संबंध	183
15.	समारोह, अकादमिक और साहसिक क्रियाकलाप	201
16.	सतर्कता यूनिटों के कार्यकलाप	211
17.	महिलाओं का सशक्तिकरण एवं कल्याण	213

परिशिष्ट

I.	रक्षा मंत्रालय के विभागों के कार्यों की सूची	219
II.	1 अप्रैल, 2003 से रक्षा मंत्रालय में मंत्री, सेनाध्यक्ष और सचिव	223
III.	रक्षा मंत्रालय के कार्यकरण पर नियंत्रक - महालेखापरीक्षक की नवीनतम रिपोर्ट का सारांश	224

सुरक्षा परिवेश



भारत के चारों ओर का सामरिक परिवेश उच्च-स्तरीय सतर्कता और रक्षा तैयारी की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

कुछ ही देश हैं, जिन्हें भारत की तरह अपने आस-पड़ोस में आतंकवाद तथा कम तीव्रता के संघर्ष से लेकर परमाणु शस्त्रों और प्रक्षेपास्त्रों तक की चुनौतियों, चिन्ताओं व खतरों का सामना करना पड़ता है।

1.1 भारत की सुरक्षा चिन्ताएं अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सामरिक सुरक्षा परिवेश की सक्रियता से तय होती हैं। शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय हालात और अमरीका पर 11 सितंबर को हुए आतंकवादी हमले से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों और चुनौतियों पर विश्व का ध्यान अधिक केन्द्रित हुआ है हालांकि अवधारणा और कार्रवाई जैसे विशिष्ट मुद्दों पर महत्वपूर्ण मतभेद बरकरार हैं। भारत की अवस्थिति उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी पूर्व एशिया के बीच जेहादी आतंकवाद की जड़ में होने, परमाणु प्रसार के महत्वपूर्ण स्रोत से इसकी सन्निकटता ऐसी ताकतों के अधिकेन्द्र में होने और भारत के पश्चिम सीमा के पार से आतंकवाद जारी रहने के कारण भारत को उच्च स्तरीय सतर्कता और रक्षा तैयारी बनाए रखना जरूरी है। नए-नए खतरों के स्वरूप को देखते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत को पुनः बल मिला है ताकि आतंकवाद से लड़ा जा सके और व्यापक विनाश के हथियारों का प्रसार रोका जा सके और उस भूमिका को रेखांकित किया जा सके जिसे भारत ऐसी ताकतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई में निभा सकता है।

1.2 हाल ही के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं

का भारत के सामरिक परिवेश पर गहरा प्रभाव पड़ा था। पूर्व सोवियत संघ के विघटन से अमरीका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। अमरीका ने अपने नेतृत्व में कोसोवो, अफगानिस्तान और इराक से युद्ध करके अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है और इससे उसकी इस इच्छा का भी पता चला है कि वह एकपक्षीय या मित्र राष्ट्रों अथवा गठबंधन देशों के साथ सेना का इस्तेमाल कर सकता है तथा उनसे सहायता मांग सकता है तथा उसने नई प्रौद्योगिकियों, विशेषतया सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों, संवेदकों तथा उपग्रहों और परिशुद्धता निर्देशित गोलाबारूद का इस्तेमाल करके सैनिक मामलों में विश्वव्यापी क्रांति का सूत्रपात कर दिया है।

1.3 पिछली चुनौतियों से नए समीकरण और रूपरेखाएं बनी हैं। यूरोपीय संघ पूर्व मध्य-पूर्व यूरोप को अधिकाधिक शामिल करने के लिए समेकन और विस्तार कर रहा है। नाटो का भी विस्तार हो रहा है और उसके इसके बावजूद अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं तैनात की हैं जबकि यूरोप अपनी सामान्य विदेश और सुरक्षा नीति बनाने की कोशिश में है। बड़ी शक्तियों के

बीच संबंध कमोवेश स्थिर और तनावमुक्त हैं। इराक पर ट्रांसएटलांटिक संबंधों में कुछ तनाव प्रतीत होता है किन्तु वे समान विचारधारा के क्षेत्रों, जैसे कि अफगानिस्तान और अमरीकी नेतृत्व में सुरक्षा बढ़ाने की शुरूआत में सहयोग में हस्तक्षेप नहीं करते। अमरीका, यूरोप, चीन और मध्य एशिया के साथ अपने संरचनात्मक सुधारों और संधियों को गहरा करके रूस अपने सुरक्षा और आर्थिक पुनरुद्धार कर रहा है। अमरीका और चीन के बीच पहले से चली आ रही कटुताओं में सुधार हुआ है। चीन अपनी 'व्यापक राष्ट्रीय शक्ति' को समुन्नत करते हुए तीव्रगति से आगे बढ़ रहा है और आधुनिक हो रहा है। ऊर्जा संसाधनों के लिए मध्य एशिया पर अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता बनी हुई है और क्षेत्र तक पहुंच बनाने और उस पर नियंत्रण करने और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के लिए, विशेषतया मध्य एशिया में, शत्रुता और प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है। आतंकवाद और आतंकवाद के लिए व्यापक विनाश के हथियारों के इस्तेमाल की संभावना से ऐसे नए और अति तात्कालिक मुद्दे उभरे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है।

1.4 इन और अन्य अनुकूल चुनौतियों से अमरीका अपना रुख, सेनाओं, रक्षा और सक्रियात्मक दर्शन को विश्व में पुनः स्थापित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव डालने वाली विश्व की जानी-मानी शक्ति और उसे प्रदर्शित करने की योग्यता वाली ताकत के रूप में अमरीका की नीतियां और कार्रवाईयां प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश में विभिन्न रूपों में आकार ले रही हैं। खाड़ी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में अमरीका की उपस्थिति भिन्न-भिन्न श्रेणियों में बढ़ी है और अन्य स्थानों पर कमी भी हुई है। अमरीका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भागीदारी के रूप में पाकिस्तान

को प्रमुख नॉन-नाटो-एली (एम एन एन ए) घोषित किया है।

1.5 भारत आज जिन सुरक्षा चुनौतियों, चिंताओं और खतरों का सामना कर रहा है और विश्व के कुछ देशों को कुछ हद तक ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिनके बारे में अक्सर सोचा भी न गया हो। इस परिवेश में एक तरफ भारत ने छद्म युद्ध जैसे छिटपुट संघर्षों की श्रृंखला का सामना किया है जिन्हें अतिवादी जेहादी गुटों द्वारा हवा दी जाती है और राज्य संस्थाओं, विद्रोहियों द्वारा समर्थन दिया जाता है, कई मामलों में भारत से बाहर के स्रोतों द्वारा उदारता दिखाई, सहायता दी जाती है या उकसाया जाता है और पड़ोसी राज्यों में संघर्षों का विस्तार होता है। दूसरी तरफ, इससे ऐसा परिवेश बनता है जिसमें इसके दो पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार और प्रक्षेपास्त्र हैं और इसका निकटवर्ती पड़ोसी परमाणु प्रसार का स्रोत रहा है। इन ध्रुवों के मध्य कारगिल के अघोषित युद्ध के अलावा स्वतंत्रता बाद के इतिहास के 50 से अधिक वर्षों में हमने बाहरी आक्रमण के कारण कम से कम चार बड़े पारंपरिक सीमाई युद्धों का सामना किया है।

1.6 आतंकवाद भारत की सुरक्षा के लिए प्राथमिक और सबसे तात्कालिक खतरा है। भारत की अवस्थिति उग्रवादी गतिविधियों की धुरी और जेहादी आतंकवाद के केन्द्र में है तथा आतंकवादी का अगला अधिकेन्द्र पाकिस्तान में है। पाकिस्तान भारत के विरुद्ध छुट-पुट परोक्ष युद्ध करता आ रहा है। आतंकवादियों की पहुंच भीषण विनाश के हथियारों तक है और आतंकवादियों का अपने तथा अन्य व्यक्तियों के जीवन के प्रति अत्यधिक असम्मान ऐसी बातें हैं जिनके खिलाफ विशेष रूप से चौकसी करने की भारत को जरूरत है। भारत में और भारत के खिलाफ आतंकवाद विश्वव्यापी आतंकवाद की पूर्व संकल्पना और प्रतिबिम्ब है। अमरीका में



नियन्त्रण रेखा और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ बाड़ लगाने से घुसपैठ को रोकने में मदद मिलती है।

11 सितंबर को हुए हमले के समान ही 1992 में मुंबई में आतंकवाद का विपुल व समतुल्य कार्य किया गया। इस वर्ष के दौरान आतंकवादी समूहों द्वारा इराक, सऊदी अरब तुर्की और स्पेन में किए गए आतंकवादी हमलों से प्रेरणा लेकर भारत में भी उसी विचारधारा की नकल करते हुए आतंकवादी हमले किए गए हैं। इसमें अगस्त 2003 में मुंबई में हुआ बम विस्फोट और जम्मू व कश्मीर में लगातार हो रही आतंकवादी कार्रवाई विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

1.7 यद्यपि यह उसी जेहादी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का एक हिस्सा है तथापि भारत जिस आतंकवाद का सामना कर रहा है उसकी अपनी विशेषताएं हैं। अधिकांश घरेलू और स्थानीय आतंकवाद और अलकायदा अथवा जेम्मा इस्लामिया के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का स्वरूप गैर-सरकारी होने के बावजूद भारत जिस

आतंकवाद का सामना कर रहा है वह विशेष रूप से सीमा-पार से आया है और सरकार द्वारा प्रायोजित है। आतंकवाद समाज के आमूल परिवर्तनवाद को भी प्रभावित करता है। भारत अपने विविध और मिश्रित धार्मिक समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की परंपराओं के संरक्षण में प्रमुख दावेदार देश के रूप में भारत एशिया के कुछ हिस्सों में सरकारी जैसे ही संस्थाओं की सहायता और समर्थन से रुढ़िवादी, विदेशी एवं अतिवादी धार्मिक परंपराओं के प्रति अत्यधिक चिन्तित है। भारत अपने आकार, आबादी, अंतर्निहित विशेषताओं, संघटन और राष्ट्रीय शक्ति से इस क्षेत्र में अतिवादी ताकतों के खिलाफ बचाव की कार्रवाई करता है।

1.8 इन बहुविध खतरों और चुनौतियों के प्रति भारत का जवाब हमेशा शांतिप्रिय देश के रूप में अपने शांत दृष्टिकोण और प्रतिष्ठा के साथ नियंत्रित, नपातुला और संतुलित, संगत रहा

है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कूटनीति भारत का चयनित साधन है परंतु प्रभावी कूटनीति के पीछे विश्वसनीय सैन्य शक्ति होनी चाहिए। भारत के सामरिक और सुरक्षा हितों के लिए भू-आधारित, समुद्री और हवाई क्षमताओं का मिश्रण होने के साथ-साथ हमारे विरुद्ध परमाणु हथियारों के प्रयोग के खतरे को निष्फल करने के लिए एक न्यूनतम विश्वसनीय निवारक होना अपेक्षित है।

1.9 हमारी भूसीमा पश्चिम, मध्य महाद्वीप और दक्षिण-पूर्व एशिया और समुद्री सीमा हिन्द महासागर के तटीय राज्य पूर्व अफ्रीका से इंडोनेशियाई द्वीप समूहों तक जुड़ी होने के कारण भारत सामरिक रूप से एशिया महाद्वीप और हिन्द महासागर क्षेत्र दोनों के आमने-सामने अवस्थित है। इसका भूभाग 33 लाख वर्ग कि.मी. का है और इस पर भिन्न-भिन्न जातियों, धर्मों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के करोड़ों लोग रह रहे हैं।

1.10 भारत की स्थलाकृति रेगिस्तानों से 28,000 फुट से अधिक ऊंची हिमालय की बर्फीली चोटियों, घने जंगलों और विशाल मैदानों वाली विविध छटाओं से युक्त है। इसके उत्तर में स्थित सियाचीन ग्लेशियर 21,000 फुट से ऊपर अवस्थित चौकियों वाला विश्व का उच्चतम युद्धक्षेत्र है। भारत की पश्चिमी सीमा रेगिस्तानों, उपजाऊ मैदानों और घने जंगलों वाले पहाड़ों से

होकर गुजरती है। इसकी उत्तर-पूर्वी सीमाओं में भी खड़ी, ऊँची पर्वतमालाएं और घने उष्णकटिबंधीय जंगल हैं। दक्षिण दिशा में समुद्र के निकट पर्वत शृंखलाएं हैं, नदी घाटियों वाले अंतःविकीर्ण पठारी क्षेत्र, समुद्रवर्ती मैदानी-क्षेत्र और दूर-दूर तक विस्तीर्ण द्वीपीय प्रदेश हैं। गुजरात से पश्चिम बंगाल

तक इसकी सीमाएं तीनों ओर से अरब सागर, हिन्द महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरी हुई हैं। यह भौगोलिक और स्थलाकृतिक विविधता, विशेष रूप से इसकी सीमाओं पर हमारी सशस्त्र सेनाओं के समक्ष अद्भुत चुनौतियां प्रस्तुत करती है।

1.11 भारत की जमीनी सरहदें 15,500 किमी से अधिक क्षेत्र में फैली हुई हैं और ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यांमार, चीन, भूटान और नेपाल सहित सात पड़ोसी देशों से लगती हैं। इनमें से कुछ देशों की सीमाएं आपस में भी मिलती हैं जिससे वे अपने समान बड़े पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करते हैं।

1.12 भारत का प्रायद्वीपीय आकार होने के कारण इसका समुद्र तट लगभग 7600 किमी लंबा है तथा इसका अनन्य आर्थिक क्षेत्र 2 मिलियन वर्ग किमी से भी अधिक है। पूर्व में द्वीपीय भू-भाग मुख्य भूमि से 1,300 किमी दूर है जो प्रत्यक्षतः दक्षिण-पूर्व एशिया के सन्निकट है। प्रायद्वीप भारत स्वेज नहर तथा फारस की खाड़ी से मलक्का जलडमरूमध्य तक फैले एक अति महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से लगा हुआ है जिसके माध्यम से तेल का अधिकांश भाग खाड़ी क्षेत्र में आता-जाता है। भारत समुद्रों से घिरा हुआ है जो विगत में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र रहा है और आज भी यह विश्व सुरक्षा चिन्ताओं के कारण निरंतर बाहरी नौसेनाओं की बढ़ी हुई गतिविधियों का क्षेत्र बना हुआ है।

1.13 ऐतिहासिक रूप से भारत का परत दर परत, सुगठित इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है जो सभ्यता के प्रमुख स्रोतों में से एक है जिसे पश्चिम और मध्य एशिया, चीन, मंगोलिया और पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, खाड़ी और पूर्वी अफ्रीका ने स्वीकार किया है, इसका प्रचार व प्रसार किया है तथा इससे वे प्रभावित भी हुए हैं। आज दक्षिण एशिया में राजतंत्र तथा

भारत के शान्तिपूर्ण दृष्टिकोण और एक शांति-प्रिय देश के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही बहुत से खतरों और चुनौतियों के प्रति उसका प्रत्युत्तर संयंत्र, संतुलित तथा उदार रहा है



भारतीय नौसेना द्वारा गहन समुद्र में निगरानी

सैनिक तानाशाही से लेकर उदीयमान एवं स्थापित लोकतंत्रों के क्षेत्र में विविध प्रकार के अनुभव व प्रयोग किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में उन्मादी आतंकवाद और शस्त्रास्त्रों तथा मादक द्रव्यों की अवैध तस्करी एवं बड़ी मात्रा में उनके प्रसार का भी सामना किया जा रहा है। इन सबके बीच भारत इस क्षेत्र में आर्थिक घनत्व के

केन्द्र, मानवीय विविधता और आर्थिक विषमता की चुनौतियों के बावजूद लोकतंत्र का दीप स्तंभ, स्थिरता की वाहक-शक्ति और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा अहिंसा के प्रतीक चिह्न के रूप में खड़ा हुआ है। इस प्रकार, भारत की सुरक्षा चिन्ताओं और उसकी सुरक्षा को समझा जाना क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता एवं सुरक्षा

के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

1.14 भारत का आकार, सामरिक अवस्थिति, व्यापार संपर्क और अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा सुरक्षा परिवेश भारत की सुरक्षा चिन्ताओं को सीधे ही इसके विस्तारित पड़ोस, विशेषरूप से निकटवर्ती देशों और मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों, खाड़ी और हिन्द महासागर से जोड़ता है। हिन्द महासागर के ऊपर भारत की अवस्थिति हिन्द महासागर में सभी देशों के वास्ते जहाजरानी की सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने में इसे लाभ की स्थिति में पहुंचाती है।

प्रादेशिक सुरक्षा परिवेश

1.15 यद्यपि, अफगानिस्तान और भूटान तथा चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों में सकारात्मक सुधार हुआ है तथापि, अपने पड़ोस तथा चारों ओर के क्षेत्र पर गहरी नजर डालने पर चिन्ताजनक तस्वीर सामने आती है। आंतरिक अस्थिरता, सत्तावाद और/अथवा सैनिक शासन, उग्रवादी, राजनीतिक या धार्मिक

अफगानिस्तान और भूटान में तथा चीन व पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। अपने आस-पड़ोस और विस्तृत क्षेत्र को बारीकी से देखने पर एक परेशान करने वाली तस्वीर उभरती है।

कट्टरपंथी सक्रियतावाद और आतंकवाद भारत की मुख्य सुरक्षा चुनौतियां हैं, जिनका पाकिस्तान अधिकेन्द्र है।

भारत अपने पड़ोसियों के परमाणु प्रसार द्वारा पेश की गई चुनौती के बारे में चिन्तित है।

गतिविधियां, कमजोर शासन व्यवस्था और विद्रोहिता या जातीय संघर्ष इस क्षेत्र के बहुत से देशों की विशेषताएं हैं। पाकिस्तान और अफगान सीमा पर अलकायदा और तालिबान तत्वों को समाप्त करने के प्रयासों के बावजूद इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए मुख्य खतरा मदरसों और प्रशिक्षण शिविरों में पल रहे रुढ़िवाद और आतंकवाद के संगम और भारत के प्रति अत्यधिक आवेश और

अनिवार्य शत्रुता से प्रेरित पाकिस्तानी सेना के एक-एक हिस्से के दुस्साहिक अभियानों के इतिहास से बना हुआ है। कई देशों में उत्तरोत्तर बढ़ते परमाणु और प्रक्षेपास्त्र व्यवसाय के व्यापक नेटवर्क में पाकिस्तान के चोटी के वैज्ञानिकों की

भारतीय वायु सेना के विमानों द्वारा आकाश में पुनर्ईंधनभरण

संलिप्तता के रहस्योद्घाटन से यह प्रमाणित हो गया है कि डब्ल्यू एम डी की प्रचुरता में पाकिस्तान की संलिप्तता गहरी है और इसे हल्के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

1.16 दूसरी ओर, पाकिस्तान घुसपैठ, सीमा पार आतंकवाद, प्रतिशोधपूर्ण भावनाओं तथा सैन्य दुस्साहस और परमाणु तथा प्रक्षेपास्त्र रुख एवं खतरों का स्रोत रहा है। अब पाकिस्तान में साम्प्रदायिक संघर्ष और रूढ़िवादी ताकतों को बढ़ावा दिए जाने के कारण आंतरिक स्थिरता से संबद्ध चिन्ताएं भी हैं। उनको दूर करने के लिए आंशिक और चुनिंदा प्रयास किए गए हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि पाकिस्तान में आतंकवाद के प्रयोजकों ने यह महसूस किया है कि पश्चिम और पूर्व के आतंकवाद को अलग-अलग श्रेणियों में नहीं रखा जा सकता। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जम्मू-कश्मीर और अलकायदा से संबंधित कट्टरपंथी गुटों ने ही जनरल मुशर्रफ की हत्या के प्रयास किए हैं।



अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में अस्थिरता तरह-तरह की सुरक्षा चुनौतियां पेश करती हैं।

चीन के साथ संबंध सुधर रहे हैं।

1.17 अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सुदृढ़ समर्थन से अफगानिस्तान दिसंबर 2001 के बॉन सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। यद्यपि, अफगानिस्तान में संगठनात्मक लोया जिर्गाह द्वारा नवीन संविधान पर सहमति दी गई है तथा राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों की घोषणा कर दी गई है और

संस्थानों में पुनर्निर्माण तथा पुनः संरचना का कार्य चल रहा है तथापि, अल-कायदा, तालिबान तथा अन्य आतंकवादी गुटों की गतिविधियों के कारण अफगानिस्तान में तथा पाक-अफगान सीमा पर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति कुछ हद तक खराब हुई है। तालिबान का समर्थन नहीं करने की सार्वजनिक उदघोषणाओं के बावजूद, अफगानिस्तान में खासतौर से पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व में अस्थिरता बढ़ाने के इरादे से छोटे गुटों के लड़ाकू घुसपैठ कर रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान की शांति और स्थिरता के हित में उसके लगभग सभी प्रांतों में आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए प्रमुख योगदान दिया है।

1.18 उपमहाद्वीप के भीतर, अपने अन्य सन्निकट पड़ोसी देशों के साथ करीबी और अच्छे संबंध होने के बावजूद कुछ सुरक्षा समस्याएं संबंधों को जटिल बना रही हैं। बंगलादेश में रहते हुए उत्तर-पूर्व से भारतीय विद्रोही गुट और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस) अपनी गतिविधियां चलाकर बड़े पैमाने पर अवैध प्रवास तथा सीमा पर अपराध करा रहे हैं, इनके प्रति भारत की जो चिंताएं हैं उनके लिए बंगलादेश उत्तरदायी नहीं रहा है। हाल ही में चटगांव में उत्तर-पूर्व के लिए ले जाए जा रहे हथियारों और गोलाबारूद के एक विशाल भण्डार का पता चला था। बांग्लादेशी समाज और सरकार में कट्टरपंथियों

और उग्र इस्लामिकोन्मुखता वाले राजनीतिक दलों और संगठनों के बढ़ते प्रभाव पर नजर रखने की जरूरत है।

1.19 नेपाल में, समूचे नेपाल और खासतौर से भारत की सीमा से लगे हुए तराई क्षेत्र में माओवादियों का बढ़ता प्रभाव तथा उनकी शक्ति संगठन और भारत के भागों में वाम अतिवादी संगठनों का संपर्क होना गंभीर चिंता का विषय है। भारत ने अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नेपाल को सहयोग दिया है। भूटान ने, आपसी सुरक्षा हित को देखते हुए अपनी सीमा के भीतर मौजूद भारत के विद्रोही गुटों के मिलिटरी कैंपों और ऑपरेशन बेसों के विरुद्ध कार्रवाई करके साहसी और अच्छे पड़ोसी होने का परिचय दिया है। श्रीलंका में, राजनीतिक गतिरोध और लिट्टे तथा सरकार के बीच वार्ता भंग हो जाना चिंता का कारण है जबकि लड़ाई बंद होने और श्रीलंका के राजनीतिक दलों द्वारा शांति प्रक्रिया की वचनबद्धता एक सकारात्मक पहलू रहा है। लिट्टे एक गैर-सरकारी शक्तिशाली सैन्य बल है जो स्वयं को हथियारों से लैस रखता है तथा इससे राजनीतिक प्रक्रिया में व्यवधान आने का डर रहता है। समय-समय पर किए गए समन्वित प्रयासों के बावजूद भारत के उत्तर-पूर्व भाग के भारतीय विद्रोही गुट म्यांमार स्थित अपने कैंपों से गतिविधियां जारी रखे हुए हैं।

1.20 चीन अमरीकी नेतृत्व में चल रहे वर्तमान युद्धों से सीख लेकर तीव्र सैन्य आधुनिकीकरण की नीति बना रहा है तथा अपने आपको राजनैतिक, आर्थिक तथा आंतरिक रूप से सुदृढ़ करने और अपनी 'समग्र राष्ट्रीय शक्ति' निर्मित करने के लिए अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की तलाश में है। भारत और चीन ने अपनी-अपनी सशस्त्र सेनाओं सहित पारस्परिक विश्वास के निर्माण हेतु प्रयास तेज कर दिए हैं। रक्षा मंत्री, श्री जार्ज फर्नांडिस ने अप्रैल, 2003 में चीन का दौरा किया। चीनी

पश्चिम, मध्य और दक्षिण-पूर्व एशिया के कट्टरपंथी सक्रियतावाद पर नजर रखे जाने की आवश्यकता है।

फारस की खाड़ी और पूर्वी एशिया के बीच पड़ने वाले समुद्री मार्गों, जिनका दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ साझा इस्तेमाल किया जाता है, की सुरक्षा के प्रति चिन्ता।

मंत्री, जनरल काओ गंगचुआन ने भी मार्च, 2004 में भारत की यात्रा की। दोनों पक्ष सीमा मतभेद संबंधी प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं तथा इस बात के लिए सहमत हैं कि अंतिम सीमा समाधान होने तक दोनों देश अपने-अपने सीमा क्षेत्रों में शांति और अमन बनाए रखने के लिए मिलकर कार्य करेंगे तथा इस उद्देश्यार्थ हस्ताक्षर किए गए करार को जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री वाजपेयी की जून 2003 में चीन यात्रा के दौरान समग्र द्विपक्षीय संबंधों के राजनैतिक दृष्टिकोण से सीमा समाधान ढांचे की तलाश हेतु एक विशेष प्रतिनिधित्व

नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था। इसके साथ-साथ निर्णायक चरणों पर परमाणु तथा मिसाइल कार्यक्रमों में सहायता सहित चीन के पाकिस्तान से निकट रक्षा संबंध तथा उसको नियमित सैन्य सहायता, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ाने, सैन्य आधुनिकीकरण, इसके परमाणु तथा मिसाइल शस्त्रागार और इसकी महा-द्विपक्षीय तथा समुद्री महत्वाकांक्षाओं पर निगरानी रखने की जरूरत है।

1.21 इसके अलावा, पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी एशिया की स्थिति तथा अमरीका के नेतृत्व में इराक के विरुद्ध युद्ध की स्थिति से धर्म पर आधारित इस्लामी उग्रवाद को सतत् रूप से बढ़ावा मिला है तथा खाड़ी राज्यों में रहने वाले बड़े भारतीय समुदाय के 3.5 मिलियन लोगों की सुरक्षा तथा तेल और ऊर्जा आपूर्तियों के संबंध में चिन्ता व्याप्त है। इससे पाकिस्तान का अपने पड़ोसियों, विशेषकर भारत और अफगानिस्तान के प्रति

व्यवहार से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान हटा है। सुन्नी प्रतिरोध, कट्टर शिया विरोध तथा अमरीकी नेतृत्व में कार्रवाई और इराक में उसकी उपस्थिति से कट्टरपंथी इस्लामियों और जेहादी आतंकवादियों को मौका मिला है जिससे इराक में अस्थिरता पैदा हो गई है तथा इराक तथा अन्य स्थानों पर पश्चिमी हितों के विरुद्ध प्रतिरोध तथा आतंकवाद की घटनाएं रोजाना हो रही हैं। इराक, सऊदी अरब, तुर्की और स्पेन के नए स्थान आतंकवादियों के निशाने पर आ गए थे। मध्य एशिया में अस्थिरता पैदा करने के लिए धार्मिक कट्टरपंथियों के प्रयास जारी हैं। इसकी अवस्थिति तथा ऊर्जा परिसंपत्तियों के कारण भी मध्य एशिया की ओर सामरिक ध्यान आकर्षित हुआ है।

1.22 दक्षिण-पूर्व एशिया, विशेष रूप से इंडोनेशिया में, कट्टरपंथियों की धार्मिक सक्रियता तथा समय-समय पर आतंकवादी घटनाओं और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़े अलग-अलग आतंकवादी गुटों के प्रकट होने से इस्लामी उग्रवाद के नए केंद्र के रूप में इस क्षेत्र की ओर स्थानीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय चिन्ता भी केन्द्रित हुई है। भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया का कट्टरपंथ और अलगाववादी प्रवृत्तियों की घुसपैठ के विरुद्ध अपने विभिन्न धार्मिक समुदायों के मध्य शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की परिपाटियों को बनाए रखने में व्यापक हित है। एशिया-पैसिफिक के साथ भारत की तीव्र आर्थिक अखंडता से पश्चिमी हिन्द महासागर से एशिया-पैसिफिक के लिए जहाजरानी तथा ऊर्जा प्रवाह की सुरक्षा हेतु दक्षिण-पूर्व तथा पूर्वी एशिया के साथ साझा हित को भी बल मिलता है। डीपीआरके तथा पाकिस्तान की साठ-गांठ से विस्तृत परमाणु तथा मिसाइल व्यापार के प्रमाण भारत के लिए गंभीर चिन्ता का विषय है।

निष्कर्ष

1.23 उपर्युक्त सुरक्षा परिवेश से भारत की सुरक्षा योजना हेतु चार आधारभूत तत्व सामने आते हैं। ये निम्न प्रकार से हैं:-

भारतीय सशस्त्र सेनाएं आतंकवाद और कम तीव्रता के संघर्ष से लेकर परम्परागत युद्ध तक की सुरक्षा चुनौतियों और परमाणु शस्त्रों एवं प्रक्षेपास्त्रों के इस्तेमाल की संभावनाओं के पूर्ण परिदृश्य के लिए तैयार।

भारतीय बल स्तर रक्षोन्मुखी है जबकि इसकी परमाणु शस्त्र नीति की विशेषताएं, पहले प्रयोग न करने की वचनबद्धता, परमाणु-शस्त्र परीक्षण का स्थगन और न्यूनतम विश्वसनीय परमाणु निवारक शक्ति है।

(क) भारतीय सशस्त्र सेनाओं को आतंकवाद तथा कम तीव्रता लड़ाई से परम्परागत युद्ध तथा नाभिकीय हथियारों और मिसाइलों के इस्तेमाल की संभावना संबंधी सभी प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार करना होगा।

(ख) भारत किसी सैन्य गठबंधन अथवा सामरिक गुट का सदस्य नहीं है, न ही यह बात हमारी नीतियों के अनुकूल है। अतः

भारत को कतिपय स्वतंत्र निवारक क्षमता की जरूरत है।

(ग) बाहर से प्रेरित कम तीव्रता के परोक्ष युद्ध के कारण भारत की सशस्त्र सेनाएं आंतरिक सुरक्षा कार्यों में व्यस्त हैं- अधिकांश अन्य सशस्त्र सेनाओं से अधिक-इसके सादृश्य बल संरचना तथा अभिविन्यास की अपेक्षा है।

(घ) अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा द्वीप क्षेत्रों और इस क्षेत्र में जहाजरानी की सुरक्षा सहित उत्तरी हिंद महासागर में भारत के हित और जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए अपने दायित्वों के अनुरूप नौसेना को गहरे समुद्र क्षमता की जरूरत है।

1.24 इस पृष्ठभूमि में भारत रक्षा तैयारियों तथा एकपक्षीय संयम, विश्वासोत्पादक उपायों तथा बातचीत और द्विपक्षीय तालमेल बढ़ाने के माध्यम से पड़ोसियों के साथ शांति बनाए रखने तथा इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए पूर्णतया वचनबद्ध है रक्षा तैयारी के क्षेत्र में, भारत ने उच्च रक्षा प्रबन्धन में सुधार किया है तथा अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाया है। हमारे बल सिद्धांत का रुख रक्षात्मक है, जबकि हमारी परमाणु नीति की विशेषता 'पहले वार नहीं' के प्रति वचनबद्धता, परमाणु परीक्षण अधिस्थगन, न्यूनतम विश्वसनीय परमाणु निवारण तथा शीतयुद्ध काल से हथियार की होड़ अथवा संकल्पना तथा रुख को अस्वीकार करना है।

भारत, इस क्षेत्र में एकतरफा संयम, भरोसा बनाने और संवाद तथा द्विपक्षीय विचार-विमर्श के विस्तारण के जरिए इस क्षेत्र में अपने पड़ोसियों के साथ शान्ति और स्थिरता बनाए रखने के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध है।



रक्षा मंत्रालय का गठन तथा कार्य



जगमगाता साउथ ब्लॉक जहाँ रक्षा मंत्रालय का कार्यालय है

इस मंत्रालय का मुख्य कार्य रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों में सरकार से नीति-निर्देशन प्राप्त करना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए तीनों सेना मुख्यालयों, अन्तर सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं और अनुसंधान तथा विकास संगठनों को भेजना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

2.1 1776 में, ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट के तहत कलकत्ता में एक मिलिट्री डिपार्टमेंट का सृजन किया गया था। इसका मुख्य कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए गए सेना से संबंधित आदेशों की जांच करके उनको रिकार्ड करना था। प्रारंभ में, मिलिट्री डिपार्टमेंट, पब्लिक डिपार्टमेंट की एक शाखा के रूप में कार्य करता था और सेना कार्मिकों की एक सूची तैयार करके रखता था।

2.2 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के सचिवालय का सैन्य विभाग सहित चार विभागों में पुनर्गठन किया गया और प्रत्येक विभाग का प्रमुख, सरकार के एक सचिव को बनाया गया। अप्रैल, 1895 में एकीकृत भारतीय सेना के रूप में गठन किए जाने तक बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रेसीडेंसियों की सेना संबंधित प्रेसीडेंसी आर्मी के ही रूप में कार्य करती रही। प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे चार कमानों अर्थात् पंजाब (पश्चिमोत्तर सीमावर्ती क्षेत्र

सहित), बंगाल, मद्रास (बर्मा सहित) और मुंबई (सिंध, क्वेटा और अदन सहित) में विभाजित किया गया था।

2.3 भारतीय सेना का सर्वोच्च प्राधिकार इंग्लैंड के राजा के नियंत्रण के अधीन गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल में निहित होता था, जिसका इस्तेमाल भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा किया जाता था। काउंसिल में सैन्य कार्यों के लिए दो सदस्य उत्तरदायी होते थे। जिनमें से एक सैन्य सदस्य होता था जो सभी प्रशासनिक और वित्तीय मामलों का पर्यवेक्षण करता था। दूसरा सदस्य कमांडर-इन-चीफ होता था जो सभी सक्रियात्मक मामलों के लिए उत्तरदायी होता था। मिलिट्री डिपार्टमेंट को मार्च, 1906 में समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर दो विभाग, आर्मी डिपार्टमेंट और मिलिट्री सप्लाइ डिपार्टमेंट बना दिए गए। अप्रैल, 1909 में मिलिट्री सप्लाइ डिपार्टमेंट को समाप्त कर दिया गया था और उसके कार्यों को आर्मी डिपार्टमेंट द्वारा ले लिया गया था। आर्मी डिपार्टमेंट का जनवरी, 1938 डिफेंस डिपार्टमेंट के रूप में पुनः

नामकरण किया गया। 1947 में डिफेंस डिपार्टमेंट एक कैबिनेट मंत्री के अधीन रक्षा मंत्रालय बन गया।

स्वातंत्र्योत्तर संगठनात्मक गठन और कार्य

2.4 15 अगस्त, 1947 को, प्रत्येक सेना को उसके अपने कमांडर-इन-चीफ के अधीन रखा गया। संविधान के अंतर्गत, सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित है। 1955 में कमांडर-इन-चीफ को उपाधि समाप्त कर दी गई थी और तीनों सेनाध्यक्षों के पदनाम सेनाध्यक्ष,



रक्षा प्रदर्शन : गणतन्त्र दिवस परेड का एक विहंगम दृश्य

नौसेनाध्यक्ष तथा वायुसेनाध्यक्ष रखे गए थे। नवंबर, 1962 में रक्षा उपस्करों के अनुसंधान, विकास तथा उत्पादन संबंधी कार्य के लिए रक्षा उत्पादन विभाग का गठन किया गया था। नवंबर, 1965 में रक्षा प्रयोजनों के लिए आयात आवश्यकताओं के प्रतिस्थापन के लिए योजनाएं बनाने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए रक्षा पूर्ति विभाग बनाया गया था। बाद में इन दोनों विभागों को मिलाकर रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग बना दिया गया। वर्ष 2004 में रक्षा

उत्पादन एवं पूर्ति विभाग का नाम बदलकर रक्षा उत्पादन विभाग कर दिया गया है। रक्षा सेनाओं द्वारा प्रयुक्त सैन्य उपस्करों, अनुसंधान तथा उपस्करों के डिजाइन से संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं के संबंध में मंत्री को सलाह देने के लिए एक वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 1980 में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग बनाया गया।

2.5 सशस्त्र सेनाओं का मुख्य दायित्व राष्ट्र की प्रादेशिक अखंडता को सुनिश्चित करना है। रक्षा मंत्रालय देश की रक्षा के संदर्भ में नीतिगत ढांचा तैयार करता है और सशस्त्र सेनाओं के लिए साधन जुटाता है ताकि वे अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें।

विभाग, सेना मुख्यालय तथा समितियां

2.6 इस मंत्रालय का मुख्य काम रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों में सरकार से नीति-निर्देशन प्राप्त करना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए तीनों सेना मुख्यालयों अंतर-सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं और अनुसंधान तथा विकास संगठनों को भेजना है। मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सरकार के नीति-निर्देशों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए और अनुमोदित कार्यक्रमों का निष्पादन आबंटित संसाधनों के अंतर्गत किया जाए।

2.7 रक्षा मंत्रालय में तीन विभाग अर्थात् रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग हैं। रक्षा सचिव, रक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और इसके अलावा, मंत्रालय के तीनों विभागों के कार्यों में समन्वय बनाए रखते हैं। इन विभागों के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :-

(i) रक्षा विभाग एकीकृत रक्षा स्टाफ और तीनों सेनाओं और विभिन्न अंतर सेवा संगठनों से संबंधित कार्य करता है। यह विभाग रक्षा बजट, स्थापना मामलों, रक्षा नीति, संसदीय मामलों, अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग और इन सभी कार्यक्रमों के समन्वय संबंधी कार्य के लिए उत्तरदायी है।

(ii) रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं और यह विभाग रक्षा उत्पादन कार्यों, आयात किए जाने वाले सामान, उपस्करों और कलपुर्जों के देशीकरण, आयुध निर्माणी बोर्ड और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की विभागीय उत्पादन इकाइयों के बारे में योजना तैयार करने तथा उन पर नियंत्रण रखने से संबंधित कार्य करता है।

(iii) रक्षा अनुसंधान तथा विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं जो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। इनका कार्य सैन्य उपस्करों और संभारतंत्र से संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं पर सरकार को सलाह देना और तीनों सेनाओं के इस्तेमाल में आने वाले साज-सामान के अनुसंधान, डिजाइन और विकास कार्यों के लिए योजनाएं तैयार करना है।

2.8 रक्षा मंत्रालय के वित्त विभाग के प्रमुख सचिव, रक्षा (वित्त) हैं। उनका कार्य रक्षा बजट से किए जाने वाले खर्च से संबंधित प्रस्तावों पर वित्तीय नियंत्रण रखना होता है और आंतरिक लेखा परीक्षा और रक्षा व्यय का हिसाब-किताब रखना भी उनका दायित्व है। बाद वाले काम के लिए रक्षा लेखा महानियंत्रक उनकी सहायता करते हैं। रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों की मदों की विस्तृत टिप्पणी इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-1 में दी गई है।

2.9 तीनों सेना मुख्यालय अर्थात् सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय और वायुसेना

मुख्यालय क्रमशः सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष और वायुसेनाध्यक्ष के अधीन कार्य करते हैं। संबंधित सेना मुख्यालयों में प्रधान स्टाफ अफसर उनकी सहायता करते हैं। रक्षा विभाग के अधीनस्थ अंतर सेवा संगठन, तीनों सेनाओं की सामान्य जरूरतों जैसे चिकित्सा सुविधा, जनसंपर्क, सेना मुख्यालयों में रक्षा सिविलियनों का कार्मिक प्रबंध, आदि को पूरा करने के लिए उत्तरदायी हैं।

2.10 रक्षा संबंधी क्रियाकलापों से जुड़ी कई समितियां रक्षा मंत्री की सहायता करती हैं। सेनाध्यक्षों की समिति वह मंच है, जिसमें सेनाध्यक्ष सेनाओं के क्रियाकलापों से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करके सरकार को सलाह देते हैं। सेनाध्यक्षों की समिति के अध्यक्ष का पद सर्वाधिक सेवावधि वाले सेनाध्यक्ष को मिलता है और परिणामतः बारी-बारी से तीनों सेनाओं को प्राप्त होता है। सेनाध्यक्षों की समिति के कार्य को सुसाध्य बनाने के लिए कई उपसमितियां गठित की गई हैं।

2.11 पहली अप्रैल, 2003 से रक्षा मंत्रालय के मंत्रियों, सेनाध्यक्षों और मंत्रालयों के तीनों विभागों के सचिवों और सचिव, रक्षा(वित्त) के पदों पर कार्यरत अधिकारियों से संबंधित सूचना इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-II में दी गई है।

रक्षा प्रबंधन में सुधार

2.12 तेजी से बदल रहे भू-सामरिक सुरक्षा परिवेश में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अनेक प्रकार की मौजूदा और संभावित दोनों ही चुनौतियां हमारी सुरक्षा प्रक्रियाओं की समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन की मांग करती हैं ताकि उनका मुकाबला किया जा सके। सरकार ने इसे दृष्टिगत रखते हुए स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली

बार समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की व्यापक समीक्षा करवाई थी। यह समीक्षा 17 अप्रैल, 2000 को गठित एक मंत्री-समूह द्वारा की गई थी। मंत्री-समूह में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री शामिल थे। मंत्री समूह ने (i) आंतरिक सुरक्षा (ii) सीमा प्रबंधन (iii) आसूचना उपकरण और (iv) रक्षा प्रबंधन के क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक-एक अर्थात् कुल चार कार्य-दल गठित किए गए थे, जो प्रकृतितः बहु-विषयक थे और उनमें जाने-माने विशेषज्ञ शामिल थे ताकि इनके कार्य को सुचारू बनाया जा सके। मंत्री-समूह की सिफारिशें, जिनका उद्देश्य सिविल और सैन्य संघटकों का एकीकरण करना और सशस्त्र सेनाओं में 'एकजुटता' एवं सहक्रिया' सुनिश्चित करना है, सरकार द्वारा 11 मई, 2001 को अनुमोदित की गई।

2.13 मंत्री-समूह की रिपोर्ट में, जहां तक 'रक्षा प्रबंधन' का संबंध है, अन्य उपायों के साथ-साथ एक रक्षा स्टाफ प्रमुख का सृजन करना, एक रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड, एक रक्षा उत्पादन बोर्ड, एक रक्षा अनुसंधान एवं विकास बोर्ड का सृजन करना, 15-20 वर्षों के लिए एक संपूर्ण एवं एकीकृत रक्षा परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना, एक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना करना, प्रभावी मीडिया प्रबंधन करना, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह कमान एवं सामरिक बल कमान की स्थापना करना, सेना मुख्यालयों का रक्षा मंत्रालय के साथ एकीकरण करना और सेनाओं को ओर अधिक प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित करना शामिल थे। सेना मुख्यालयों, जो पहले रक्षा मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय हुआ करते थे, को अब रक्षा मंत्रालय के साथ एकीकृत कर दिया गया है और

अब ये रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालयों के रूप में जाने जाते हैं। कुछ बड़े सुधारों का ब्यौरा आगामी पैराओं में दिया गया है।

2.14 **एकीकृत रक्षा स्टाफ :** सरकार ने सेनाओं में अधिक एकजुटता सुनिश्चित करने और अंतरसेना एवं अंतः सेना प्राथमिकता तय करने के लिए सेनाध्यक्षों की समिति के अधीन कार्यरत एकीकृत स्टाफ प्रमुख की अध्यक्षता में एक एकीकृत रक्षा स्टाफ का गठन किया है। सेनाध्यक्षों की समिति की भूमिका, एकीकृत रक्षा स्टाफ का पर्यवेक्षण करना और सभी बहुसेना निकायों और रक्षा संकट प्रबंधन समूह की अध्यक्षता करना है। सेनाध्यक्षों की समिति एकीकृत सेना मुख्यालय के साथ परामर्श और समन्वय करके तीनों सेनाओं के लिए दीर्घावधि योजनाओं, पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक बजटीय प्रस्तावों के समन्वय कार्य के लिए भी उत्तरदायी है। सेनाध्यक्षों की समिति के अध्यक्ष के एकीकृत स्टाफ प्रमुख पुनर्रचना प्रस्तावों के माध्यम से बल स्तरों के विकास के प्राथमिकीकरण पर सरकार को सलाह देते हैं, समग्र राष्ट्रीय क्षमता का विशुद्ध आकलन करते हैं, संयुक्त सिद्धांत बनाते हैं, रक्षा सेवाओं के कार्मिकों के लिए संयुक्त योजना तथा सैन्य शिक्षा संबंधी नीति और कार्यक्रमों की संकल्पना करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति गैर-परंपरागत और परंपरागत खतरों की बाबत प्रत्युत्तर का विकास करने के लिए सलाह देते हैं। सशस्त्र सेनाओं की कार्यकुशलता और प्रभावकारिता को बढ़ाने की दृष्टि से वे उनमें एकजुटता के उपायों का भी प्रस्ताव करते हैं। यह संगठन अपनी स्थापना के थोड़े समय के भीतर ही पूर्णतः कार्य करने लगा है और इसके सकारात्मक परिणाम निकल रहे हैं।

2.15 **रक्षा आसूचना एजेंसी:** सरकार ने सेनाओं के आसूचना स्कंधों में समन्वय एवं सहक्रिया के लिए महानिदेशक, रक्षा आसूचना एजेंसी के तहत आसूचना एजेंसी की भी स्थापना की है। रक्षा आसूचना एजेंसी की रक्षा प्रबंधन के उच्च पदाधिकारियों को एकीकृत आसूचना जानकारी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी है।

2.16 **रक्षा अधिप्राप्ति परिषद :** सरकार ने समग्र नई योजना प्रक्रिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य योजना की पूंजीगत अधिप्राप्तियों के लिए सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन देना और प्रत्येक पूंजीगत अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन देना शामिल है, के संबंध में निर्णय लेने के लिए रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक रक्षा अधिप्राप्ति परिषद का गठन किया है। रक्षा अधिप्राप्ति परिषद के निर्णय निम्नलिखित तीन बोर्डों द्वारा कार्यान्वित किए जाने हैं:-

- (i) रक्षा सचिव की अध्यक्षता में **रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड;**
- (ii) सचिव (रक्षा उत्पादन) की अध्यक्षता में **रक्षा उत्पादन बोर्ड;** और
- (iii) सचिव (रक्षा अनुसंधान तथा विकास) की अध्यक्षता में **रक्षा अनुसंधान तथा विकास बोर्ड।**

इन बोर्डों को विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं। विशेष सचिव (अधिप्राप्ति) की अध्यक्षता में एक रक्षा अधिप्राप्ति स्कंध का भी रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड के कार्य में सहायता देने के लिए सृजन किया गया है।

2.17 इस परिषद के लिए सिफारिशें तैयार किए जाने के लिए मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ, तीनों सेना मुख्यालयों, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और रक्षा उत्पादन विभाग

के प्रतिनिधि लेकर, दो समितियां गठित की गई हैं। ये वार्षिक अधिप्राप्ति योजना श्रेणीकरण समिति और वार्षिक अधिप्राप्ति योजना श्रेणीकरण उच्चतर समिति हैं। योजनाओं, हथियारों और उपस्करों का एकीकृत दृष्टिकोण उपलब्ध कराने और अधिप्राप्ति प्रक्रिया के लिए बजटीय समर्थन मुहैया करने के लिए एक क्रॉस बजटिंग दल भी बनाया गया है। इस एकीकृत दृष्टिकोण ने शीघ्रता से निर्णय लेने के कार्य को सुकर बनाया है और उपस्करों, शस्त्रों और शस्त्र प्रणालियों की अधिप्राप्ति-प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता एवं लागत-प्रभावकारिता आई है। इससे देश में स्वदेशी विकास और उत्पादन कार्यक्रमों को बढ़ावा मिला है

2.18 **रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद:** सरकार द्वारा प्रौद्योगिकियों से संबंधित अनुसंधान, विकास और उत्पादन को बढ़ावा देने और उसके विकास के लिए मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण उपलब्ध कराने के प्रयोजन से रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया है। रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य योजनाओं और पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित विशिष्ट रक्षा परियोजनाओं के बारे में संपूर्ण निर्णय लेने में रक्षा अधिप्राप्ति परिषद की सहायता करेगी।

2.19 **अंडमान तथा निकोबार कमान :** अंडमान तथा निकोबार के लिए त्रिसेना कमान अक्टूबर, 2001 में स्थापित की गई थी और 2 वर्ष से भी अधिक समय से प्रभावी रूप से कार्य कर रही है। इस कमान का नेतृत्व तीनों सेनाओं के अफसर बारी-बारी कर रहे हैं। अंडमान तथा निकोबार कमान के वर्तमान कमांडर-इन-चीफ भारतीय सेना से हैं। कमांडर-इन-चीफ अंडमान तथा निकोबार में स्थित तीनों सेनाओं और तटरक्षक के सभी बल संघटकों का

नियंत्रण करता है। अंडमान तथा निकोबार कमान का कमांडर-इन-चीफ सेनाध्यक्षों की समिति के अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है।

2.20 सामरिक परिसंपत्तियों का प्रबंधन : हमारी सामरिक परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए सृजित सामरिक बल कमान ने एक प्रभावी कमान और नियंत्रण संरचना की स्थापना के लिए कार्य किया है। यह कमान, नाभिकीय कमान प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार

पर देश की सामरिक परिसंपत्तियों के प्रचालनीकरण की दिशा में कार्य कर रही है।

2.21 हॉराइजन कोर टेक्नॉलॉजी ग्रुप: रक्षा शस्त्र प्रणालियों और युद्ध पद्धति में क्रांतिकारी प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए, एक त्रिसेना दल, हॉराइजन कोर टेक्नॉलॉजी (एच सी टी) ग्रुप का गठन किया गया है। एच सी टी ग्रुप में मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के अंतर्गत कार्यरत तीनों सेनाओं के सदस्य और तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि

भी शामिल किए जाते हैं। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के एक संगठन जी-फास्ट (प्रणालियों के विश्लेषण के लिए दल) को शामिल करके रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को भी सहयोजित किया गया है।

2.22 एच सी टी ग्रुप रक्षा सेनाओं की क्षमता संबंधी दीर्घकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हॉराइजन कोर प्रौद्योगिकियों की पहचान करने हेतु रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के

साथ विचार-विनिमय करता है। यह ग्रुप सेनाओं की क्षमता संबंधी भावी आवश्यकताओं और संबद्ध प्रौद्योगिकियों की पूर्ति करने के लिए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन/जी फास्ट की आयोजना और प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान प्रक्रिया तथा उद्योग की क्षमता के बारे में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराने के प्रयोजन से सेनाओं, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और उद्योग के बीच मैकेनिज्म की स्थापना हेतु प्रयास करता है।

2.23 राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय : राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में डॉ. के सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में गठित समिति ने एक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सृजन पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की कि यह विश्वविद्यालय ऐसे सभी यथावश्यक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करेगा, जो सरकार और इसकी विभिन्न एजेंसियों से सरोकार रखने वाले सभी सामरिक मुद्दों पर इसे एक 'थिंक-टैंक' के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाएंगे तथा यह सम्बद्ध विषयों पर शैक्षिक और जागरूकता कार्यक्रम उपलब्ध कराएगा ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय के लिए अच्छी संभावना वाले भावी नेता प्रस्तुत किए जा सकें। समिति की रिपोर्ट सरकार के जांचाधीन है।

2.24 संयुक्त प्रशिक्षण संबंधी त्रिसेना समिति : मंत्री-समूह की सिफारिशों के आधार पर सेनाध्यक्षों की समिति के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त प्रशिक्षण पर एक त्रिसेना समिति का गठन किया गया था ताकि सेनाओं के मध्य प्रशिक्षण संसाधनों के इष्टतम उपयोग और एकीकरण के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार किए जा सकें। संयुक्त प्रशिक्षण संबंध त्रिसेना समिति ने दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य और अंतर सेना आवश्यकताओं का

सेना मुख्यालय जो रक्षा मंत्रालय के सम्बद्ध कार्यालय होते थे, अब रक्षा मंत्रालय के साथ एकीकृत हैं और ये रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय के रूप में जाने जाते हैं।

एकीकृत सेना मुख्यालयों को उनके कार्य में और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

अनुसरण करते हुए और संयुक्त प्रशिक्षण के लिए संसाधनों के इष्टतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अधिकांश मुद्दों को लागू कर दिया गया है, जबकि उनमें से कुछ संबंधित सेना मुख्यालयों द्वारा विभिन्न अफसर बोर्डों/ विशेषज्ञ समितियों के जरिए कार्यान्वित किए जाने की प्रक्रिया में हैं।

2.25 प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन : एकीकृत सेना मुख्यालयों को उनके कार्य में और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रशासनिक एवं वित्तीय

शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। निर्णय लेने की शक्तियों के विकेन्द्रीयकरण से सेनाओं का निर्णय लेने वाला तंत्र सुदृढ़ हुआ है और उसका स्तरोन्नयन हुआ है। उच्चतर वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन, अधिक दक्षता और जवाबदेही सहित लागत-प्रभावकारिता से रक्षा संबंधी व्यय प्रणाली में वांछित पारदर्शिता आई है।

रक्षा व्यय


2.26 इस अध्याय के दो चार्टों में वर्ष 2001-02, 2002-03 2003-04 के लिए (संशोधित आकलन) और 2004-05 के लिए बजट आकलन और रक्षा व्यय के सेना/ विभागवार ब्यौरे कुल रक्षा व्यय के प्रतिशत के रूप में सेना/विभागवार दिए गए हैं :-

रक्षा व्यय का सेना /विभाग-वार ब्यौरा


(करोड़ रुपए में)

सेना/विभाग	2001-002	2002-2003	संशोधित आकलन 2003-2004	बजट आकलन 2004-2005
सेना	31096.88	32127.78	32287.52	36277.50
नौसना	8368.45	8155.32	10413.75	13149.97
वायुसेना	11783.76	12385.26	13957.96	23270.53
रक्षा उत्पादन विभाग				
आयुध निर्माणी महानिदेशालय	(-471.61)	(-388.89)	(-210.99)	(-139.58)
गुणता आश्वासन महानिदेशालय	368.45	374.25	393.52	440.64
योग	(-103.16)	(-14.64)	182.53	301.06
रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग	3119.80	3008.11	3458.24	4000.94
योग	54265.73	55661.83	60300.00	77000.00

रक्षा व्यय का सेवा/विभाग-वार ब्यौरा



कुल रक्षा व्यय 2004-05 बजट आकलन की प्रतिशतता के रूप में
सेना/विभाग-वार व्यय



2.27 रक्षा मंत्रालय के कार्यकरण पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां :
रक्षा मंत्रालय के कार्यकरण पर नियंत्रक-

महालेखापरीक्षक की नवीनतम रिपोर्ट का सारांश
इस रिपोर्ट के परिशिष्ट -III में दिया गया है।

भारतीय सेना



सूरतगढ़, राजस्थान में दिव्य अस्त्र अभ्यास में भाग लेता हुआ एक इन्फेन्ट्री युद्धक वाहन (बी एम पी II)

इ

स वर्ष के दौरान, आधुनिक युद्ध-पद्धति की आवश्यकताओं को पूरा करने और उसकी संघर्ष दक्षता को बढ़ाने के लिए सेना की शस्त्र और शस्त्र-प्रणाली के उन्नयन और आधुनिकीकरण के नियमित प्रयास किए गए थे।

3.1 भारत की सशस्त्र सेनाएं देश को बाहरी आक्रमण से बचाने और राष्ट्र की प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं। विभिन्न भौगोलिक और जलवायु दशाओं वाले इस देश की सीमाओं पर होने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय सेना को सदा अत्यन्त सतर्क रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, सेना आंतरिक गड़बड़ियों के दौरान सिविल प्रशासन की मदद करती है और कानून और व्यवस्था बनाए रखने में भी सहायक होती है और बाढ़/भूकंप/ तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने में भी सिविल प्रशासन की मदद करती



सतत् प्रशिक्षण से सेना के जवान तंदुरुस्त

है। हमले की आशंकाओं, प्रौद्योगिकी और भू-राजनीतिक वातावरण में प्रगति को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना को अपना कार्य बखूबी निभाने के लिए उपयुक्त रूप से गठित, हथियारों से लैस और प्रशिक्षित किया गया है।

शस्त्र प्रणाली का आधुनिकीकरण

3.2 इस वर्ष के दौरान, आधुनिक युद्ध-पद्धति की आवश्यकताओं को पूरा करने और उसकी संघर्ष दक्षता को बढ़ाने के लिए सेना की शस्त्र और शस्त्र-प्रणाली के उन्नयन और आधुनिकीकरण के नियमित प्रयास किए गए थे। कुछ उल्लेखनीय प्रयास निम्नलिखित हैं;

(i) **आर्मर्ड कोर** :- आर्मर्ड कोर को रात्रि संघर्ष क्षमताओं से सक्षम बनाने के प्रयास के रूप में टी-72 टैंकों के लिए थर्मल अमेजर आधारित स्टैंड एलोन साइट और थर्मल इमेजर फायर नियंत्रण प्रणाली को प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। टी-72 टैंकों के ड्राइवरों के लिए इमेज इंटेंसिफिकेशन आधारित साइट और टी-55 टैंकों के कमांडरों, गनरों और ड्राइवरों के लिए इमेज इंटेंसिफिकेशन आधारित साइट

की प्राप्ति प्रक्रिया के रूप में परीक्षण और मूल्यांकन हो रहा है। आर्मर्ड रिकवरी वाहनों को भी प्राप्त करने के ठेके दिए गए हैं।

(ii) **मेकेनाइज्ड इन्फेंट्री** : सेनाओं की संघर्ष क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण के साथ कॉकर्स-एम-एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्राप्त किए गए हैं। रात में लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए इन्फेंट्री कम्बैट वाहन बी एम पी - II के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लांचर को थर्मल इमेजिंग साइट से सुसज्जित किया जा रहा है। बी एम पी के ड्राइवरों के लिए इमेज इंटेन्सिफिकेशन आधारित रात्रि दृष्टा यंत्रों को भी प्राप्त किया जा रहा है।

(iii) **तोपखाना** : सेना की गोला दागने की क्षमता बढ़ाने और विभिन्न प्रकार के प्रदेशों में उन्हें लगाने के लिए सेना को 155 मि.मी. तोपखाना गन से सुसज्जित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा मल्टी-बैरल रॉकेट लांचरों के लिए परीक्षण भी सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। सेना में शामिल करने के लिए टर्मिनली गाइडेड म्यूनिसंस, ट्रेजेक्टरी गाइडेड म्यूनिसंस, वेलोसिटी एनहांसड लांग रेंज आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स और एंटी रेडिएशन एम्यूनिसंस आदि जैसे नवीनतम आर्टिलरी एम्यूनिसंस प्रणाली का परीक्षण मूल्यांकन भी चल रहा है। साथ ही सेना की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए लांग रेंज टोह और आब्जर्वेशन प्रणाली, वीपन लोकेटिंग रेडार और अनमैन्ड एरियन वाहन को प्राप्त करने की दिशा में भी प्रगति हुई है।

(iv) **एयर डिफेंस आर्टिलरी** : स्ट्राइक मेकेनाइज्ड फार्मेशनों की एयर डिफेंस आर्टिलरी में तुंगस्का एम 1 वीपन प्रणाली के उन्नत रूप को सेना में शामिल करने की

बातचीत चल रही है। डी आर डी ओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट (ए डी ई) द्वारा विकसित एयर टारगेट प्रणाली 'लक्ष्य' का भी सेना द्वारा हाल ही में मूल्यांकन किया गया है और इसका प्रयोग एयर डिफेंस वीपन प्रणाली की प्रैक्टिस फायरिंग के लिए किया जाएगा। भारतीय वायु सेना के साथ मिलकर, एयर डिफेंस आर्टिलरी के वर्तमान नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली का पुनरुत्थान किया जा रहा है। इसमें विभिन्न चेतावनी और नियंत्रण प्रणालियों और प्रक्रियाओं के स्वचालन पर जोर दिया जा रहा है। आधुनिक एयर डिफेंस वीपन प्रणाली की आवश्यकता की समीक्षा की गई है ताकि अप्रचलित उपस्करों को चरणबद्ध रूप से हटाया जा सके और संभावित हवाई हमलों से निपटा जा सके।

(1) **इन्फेंट्री**: निम्नलिखित उपस्करों और शस्त्र प्रणालियों की प्राप्ति द्वारा इन्फेंट्री की संघर्ष क्षमता, निगरानी और प्रतिविद्रोह क्षमता को काफी अधिक बढ़ाया जा रहा है:-

- (क) **फायर शक्ति**: 20 मिमी. कैलीबर और 14.5 मिमी. कैलीबर एंटी मैटिरियल राइफल, ऑटोमैटिक ग्रेनेड लांचर-30, मल्टीपल ग्रेनेड लांचर, 84 मि. मी. एम एम रॉकेट लांचर मेक-II और कोर्नेट-ई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी प्राप्त किया जा रहा है।
- (ख) **निगरानी यंत्र**: पारंपरिक और प्रति विद्रोही कार्यों में निगरानी और नियंत्रण रेखा/वास्तविक भू-स्थिति रेखा के पार से घुसपैठ पर नजर रखने के लिए बैटल फील्ड सर्वेलेंस रेडार्स (बी एफ एस आर), हैंड हेल्ड, थर्मल इमेजर्स (एच एच टी आई) और विभिन्न प्रकार के अन्ट्रैडेड ग्राउन्ड सेंसर (यू जी एस) प्राप्त किए रहे हैं।
- (ग) **गतिशीलता** : इन्फेंट्री की गतिशीलता बढ़ाने के लिए उच्च गतिशीलता वाले वाहन

समूह, उच्च बुलेट प्रूफ वाहनों और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वाहनों को प्राप्त किया जा रहा है।

(vi) **सिगनल** : अत्याधुनिक संचार उपस्कर और प्रणालियों की प्राप्ति से सेना की संचार क्षमता में महत्वपूर्ण गुणात्मक सुधार आए हैं। कुछ बड़े प्राप्ति हैं - आर एस एच एक्स लांग रेंज फ्रिक्वेंसी होपिंग हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सेट्स, हैंड हेल्ड वाकि-टाकी रेडियो सेट्स, इंटरसेप्शन रिसीवर ए आर 5000, रेडियो सेट 5 वाट/20 वाट की एच एफ, और आर्मर्ड फाइटिंग वाहनों के लिए रेडियो सेट 5 वाट/ 50 वाट वी एच एफ/ देशव्यापी सिनक्रोर्ड वैल्यू एडिड बैकबोन डाटा नेटवर्क भी स्थापित किया जा रहा है जो सेना के महत्वपूर्ण विरचना मुख्यालयों को आपस में जोड़ेगा।

(vii) **इंजीनियर** : सीमा से सेना को वापस बुलाने के बाद हताहतों की संख्या को कम करने के लिए बारूदी सुरंग हटाने के आपरेशनों में सहायता प्रदान करने वाले उपस्कर को प्राप्त किया गया। विभिन्न उपस्करों की जांच और प्राप्ति भी की जा रही है जो परमाणु, रसायनिक और जैविक युद्ध के दौरान विपदा प्रबंधन की क्षमता में सुधार करेगा। विद्रोह/आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए सेना की क्षमता को उन्हें और अधिक उपस्कर से सुसज्जित करके बहुत अधिक बढ़ाया गया है।

आर्डनेंस डिपुओं का आधुनिकीकरण

3.3 सेना आर्डनेंस डिपुओं का आयुध, उपस्कर, सामान्य सामग्री और हिस्से-पुरजों के भंडारण और प्रबंधन के लिए प्रयोग करती है। सात आर्डनेंस डिपो है जो दिल्ली छावनी, देहू रोड, छिवकी, कानपुर, आगरा, मुम्बई और

जबलपुर में स्थित हैं। इन डिपुओं में स्थायी / अर्ध-स्थायी ढाँचे स्थित हैं जो अब जीर्ण -शीर्ण हो गए हैं और जिनमें आधुनिक सामग्री को हैंडल और भंडारण करने की सुविधाओं की कमी है, इन्हें स्वतंत्रता पूर्व की अवधि में स्थापित किया गया था।

3.4 क्योंकि फेहरिस्त विभिन्न किस्म, आकार और परिमाण की होती है इसलिए मौजूदा मैनुअल आपरेशनों में बहुत अधिक श्रम और समय लगता है और इनमें क्षति होने की संभावना होती है। भंडारण भवनों का वर्तमान विन्यास उपयुक्त सामग्री हैंडलिंग उपस्कर में किसी सुधार और तैनाती के लिए स्कोप मुहैया नहीं कराता जिसके परिणामस्वरूप निरंतर मैनुअल आपरेशन करने पड़ते हैं। स्टोर केयरहाउस और अन्य भवनों के विस्तृत क्षेत्र में फैले होने के कारण मौजूदा सुरक्षा और संरक्षा प्रणाली पर भी दबाव है।

3.5 उपर्युक्त बातों के मद्देनजर सभी सातों आर्डनेंस डिपुओं का चरण बद्ध तरीके से आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया गया है। केन्द्रीय आर्डनेंस डिपो, कानपुर का आधुनिकीकरण आरंभ करने के लिए रुपये 187 करोड़ की अनुमानित लागत लगायी गई है। केन्द्रीय आर्डनेंस डिपुओं के आधुनिकीकरण में बहुत ऊंचाई तक स्थान का उपयोग करने की सुविधाओं वाले वेयरहाउसिंग, स्वचालित सामग्री हैंडलिंग उपस्कर, फोर्कलिफ्ट ट्रक मोबाइल बेल्ट कानवेयर्स, सामग्री को लादने/उतारने और सामग्री की पुनः प्राप्ति /ढेर लगाने के लिए हाइड्रोलिक एलिवेटिंग केबल इत्यादि, कम्प्यूटरीकृत फेहरिस्त प्रबंधन, अत्याधुनिक अग्नि रोकथाम एवं अग्निशमन और सुरक्षा प्रणालियों को अधिष्ठापन शामिल है। परियोजना की वर्ष 2004 के अंत

तक पूरा होने की संभावना है।

3.6 सी ओ डी आगरा और सी ओ डी जबलपुर के लिए रूपये 300 करोड़ प्रत्येक की अनुमानित लागत पर आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को सिद्धान्ततः अनुमोदित कर दिया गया है और इनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू हो चुका है।

बारुदी सुरंग हटाने का कार्य

3.7 ऑपरेशन पराक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद सेना के लिए पश्चिमी सीमा और जम्मू व कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास के इलाके से बारुदी सुरंग को हटाने का कार्य एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। बारुदी सुरंग हटाने का कार्य एक कठिन कार्य था क्योंकि कुछ बारुदी सुरंगें बाढ़ के कारण अपनी जगह से हट गई थीं या उनमें आग लग चुकी थी जिसके कारण हटाने से पहले ही वह फटने लगी। बिछायी गई 10.5 लाख बारुदी सुरंगों में से 8.91 लाख को साफ किया जा चुका है। राजस्थान में बारुदी

सुरंगों को पूरी तरह हटाया जा चुका है, पंजाब में 95.8 % सुरंगें हटाई जा चुकी हैं और जम्मू व कश्मीर में 53.5% सुरंगें हटाई जा चुकी हैं। बारुदी सुरंगें हटाने के लिए कई प्रकार के उपस्कर जैसे ट्राल, टैक्टर, हाईड्रम्स, पंच आटो माइन (पी ए एम) और रोलन एंटी माइन (आर ए एम) का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि भूमि, भूमि मालिकों को सौंपने की पूर्व खेत पूरी तरह बारुदी सुरंगों से मुक्त हों।

विद्रोह के विरुद्ध ऑपरेशन

जम्मू और कश्मीर

3.8 अत्यंत ठंड के बावजूद जनवरी 2002 की तुलना में जनवरी 2003 के महीने में अधिक घुसपैठ हुई। घुसपैठ में पुनः जुलाई और सितम्बर 2003 के बीच में बढ़ोत्तरी हुई और गत वर्ष की संगत अवधि की तुलना में अधिक घुसपैठ हुई। आतंकवादी दलों के उच्च नेतृत्व के भारी संघर्षण के साथ आतंकवादी रणनीति में



सेना के आतंकवादियों से लड़ने के लिए विशेष 'घातक' यूनिटों का गठन किया है। प्रशिक्षण लेते हुए 'घातक'।

भारी संघर्षण के कारण आतंकवादियों का मनोबल गिरा है जिसके फलस्वरूप मुख्य संगठनों के सर्वोच्च नेतृत्व में अनिश्चितता और उलझन पैदा हुई है। 26 नवम्बर 2003 से युद्ध विराम के बाद घुसपैठ में थोड़ी कमी देखी गई है।

बदलाव आया है। सनसनी फैलाने, मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए और अपने कैडर के टूटते मनोबल को बढ़ाने के लिए आतंकवादी संगठनों ने जम्मू क्षेत्र में सेना कैम्प पर दो आत्मघाती हमलों का सहारा लिया। सुरक्षा बलों के अत्यधिक दबाव के परिणाम-स्वरूप आतंकवादियों ने अपनी हिंसा को आसान लक्ष्यों की ओर मोड़ दिया है।

3.9 सुरक्षा बलों द्वारा अपनायी गयी बहु आयामी रणनीति, राज्य सरकार को अपने कामकाज

दक्षता के साथ करने के लिए लगभग सामान्य स्थिति पैदा करने में सक्षम हुई है। सुरक्षा बलों के आपरेशनों में आतंकवादी समूहों पर भारी दबाव डाला है। भारी संघर्षण के कारण आतंकवादियों का मनोबल गिरा है जिसके फलस्वरूप मुख्य संगठनों के सर्वोच्च नेतृत्व में अनिश्चितता और उलझन पैदा हुई है। 26 नवम्बर 2003 से युद्ध विराम के बाद घुसपैठ में थोड़ी कमी देखी गई है।

उत्तर पूर्व

3.10 सुरक्षा बल उत्तर-पूर्व में उग्रवादी समूहों पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। परिणामस्वरूप उत्तर-पूर्व में विद्रोह उतार पर हैं। सुरक्षा बलों के कठोर दबाव ने उग्रवादियों को देश के बाहर, विशेषकर भूटान और बंगलादेश में, छिपने के ठिकानों में बचकर भागने को मजबूर कर दिया। भूटान में रॉयल भूटान सेना द्वारा संचालित आक्रामक ऑपरेशनों और इंडों-भूटान सीमा पर

भारतीय सेना द्वारा मुहैया कराई गई परिभारिकी सहायता ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ आसाम, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और कामतापुर लिबरेशन आर्गेनाइजेशन की क्षमता को भारी धक्का पहुंचाया है। नेशनलिस्ट सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इस्साक मुविआह) और बोडोलैंड टेरिटरियल काउंसिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट स्थापना के साथ शांति वार्ता में काफी प्रगति हुई है। त्रिपुरा में चुनावों का शांतिपूर्ण आयोजन और गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोहों में जनता की जोरदार सहभागिता सुरक्षा बलों के लगातार प्रयासों का ही परिणाम है।

3.11 असम : विद्रोह के विरुद्ध ऑपरेशन करते रहने के लिए द्वि-आयामी रणनीति और इसके साथ-साथ जनता का दिल और दिमाग जीतने से बहुत लाभ पहुंचा है। वर्ष 2003-04 में 312 आतंकवादी मार गिराए गए। 930 पकड़े गए और 1356 हथियार बरामद किए गए। इससे महत्वपूर्ण यह है कि 3457 उग्रवादियों ने यह महसूस करते हुए कि उनका सशस्त्र संघर्ष व्यर्थ है, आत्मसमर्पण भी किया। बोडोलैंड टेरिटरियल काउंसिल समझौता का कार्यान्वयन राज्य में आतंकवाद से छुटकारा पाने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसके फलस्वरूप 6 दिसम्बर 2003 को 2640 बोडोलैंड टाइगर्स ने आत्मसमर्पण किया था। इसके परिणामस्वरूप नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम दोनों को काफी हाशिये पर ला दिया गया है। बोडोलैंड टेरिटरियल काउंसिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनने पर बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर संगठनों के सामने आने की संभावना है जबकि नेशनल डेमोक्रेटिक

फ्रंट ऑफ बोडोलैंड संगठन भी मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं।

3.12 **मणिपुर** : राज्य में स्थिति सामान्यतया नियंत्रित में है। सुरक्षा बलों ने काफी सफलता के साथ भूमिगत तत्वों पर निरन्तर दबाव बनाया है। मौजूदा शान्ति तथा नागाओं और मैटीज के बीच में जातीय ध्रुवीकरण अभी भी कायम है। जनवरी 2003 के बाद से संक्रियाओं के दौरान 136 आतंकवादी मारे गए हैं और 701 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं तथा 139 हथियार बरामद किए गए हैं।

3.13 **त्रिपुरा** : आतंकवादियों द्वारा सीमा के गैर-चौकसी क्षेत्रों का दुरुपयोग बंगलादेश में सुरक्षित शरण स्थलों से अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पार वारदात करने के लिए किया जा रहा है। जिम्मेदारी- क्षेत्र निर्धारित करने और टूप्स की सक्रिय तैनाती के फलस्वरूप आतंकवादी पलायन कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की हमलावर कार्रवाई के दौरान 26 आतंकवादियों को मार गिराया और 143 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा 134 हथियार बरामद किए।

3.14 **अरुणाचल प्रदेश**: यह राज्य तिराप और चांगलैंग जिलों को छोड़कर शान्त हैं जिन्हें अशान्त घोषित किया गया है। सुरक्षा बल कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहायता कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना अभियान

3.15 भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ के शान्ति स्थापना मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान जारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 38 शान्ति स्थापना मिशनों में 68,000 से अधिक टूप्स का योगदान देते हुए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के शान्ति स्थापना मिशनों में सबसे बड़े टूप्स सहयोगियों में से एक है।

ऐसे मिशनों में तैनात भारतीय यूनिटों और सैनिकों ने व्यावसायिकता, ड्यूटी के प्रति समर्पण, गुणवत्ता और कार्य-निष्पादन की गुणवत्ता की मिसाल कायम की है। वर्ष 2003-04 के दौरान भारतीय सेना लेबनान, इथियोपिया-इरिट्रिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगों, इराक, कुवैत, आइवरी कोस्ट एवं बुरुन्डी में संयुक्त राष्ट्र संघ के शान्ति स्थापना मिशनों में सक्रिय रूप से शामिल थी। लगभग 2350 टूप्स विदेश में शान्ति स्थापना संबंधी ड्यूटी पर तैनात है।

3.16 **लेबनान में यूनाइटेड नेशन्स इनटेरिम फोर्स (यू एन आई एफ आई एल)** - भारत इन्फैन्ट्री बटालियन ग्रुप में सहयोग देता रहा है और 1948 के बाद से अनेक-स्टाफ अफसरों को लेबनान में यूनाइटेड नेशन्स इनटेरिम फोर्स में तैनात किया गया है। दक्षिण लेबनान से इजराइली सेना के हटने और लेबनान की सत्ता की वापसी का पर्यवेक्षण करने के लिए 1978 में स्थापित यूनाइटेड नेशन्स इनटेरिम फोर्स इन लेबनान निरन्तर अस्थिर क्षेत्र में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण शान्ति स्थापना मिशन है। भारतीय शान्ति सैनिकों द्वारा दर्शाई गई व्यावसायिकता और कार्य-कौशल ने यह सुनिश्चित किया है कि इस क्षेत्र में शान्ति भंग नहीं की जाती है और संयुक्त राष्ट्र संघ मिशन के अधिदेश का प्रभावशाली ढंग से पालन किया जाता है। भारतीय शान्ति सैनिकों द्वारा आरंभ की गई अनेक मानवीय परियोजनाओं के फलस्वरूप वे स्थानीय जनसंख्या के प्रिय बन गए हैं और अपने देश का नाम रोशन किया है।

3.17 **इथियोपिया - इरिट्रिया में संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशन (यू एन एम ई ई)** :- भारत इन्फैन्ट्री बटालियन ग्रुप में सहयोग देता रहा है और 2001 के बाद से एक फोर्स रिजर्व कम्पनी,

एक इंजीनियर कम्पनी और अनेक सैनिक प्रेक्षण स्टाफ अफसर संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशनों में तैनात किए गए हैं। वर्ष 2000 में स्थापित, इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच तीन वर्षों तक चले कटु युद्ध की समाप्ति पर, संयुक्त राष्ट्र संघ मिशन ने उक्त दोनों शक्तियों के बीच बफर जोन बनाकर इन्हें अलग-अलग करने का कार्य किया तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करने तक इस क्षेत्र में शान्ति सुनिश्चित की। भारत इस मिशन का सबसे बड़ा सहयोगी है। भारतीय शान्ति सैनिकों द्वारा आरंभ की गई अनेक राहत और पुनर्वास परियोजनाओं ने वर्षों से युद्ध - पीड़ित एवं बर्बाद इथियोपिया और इरिट्रिया के हजारों नागरिकों में पुनः आशा की किरण जगाई।

3.18 कांगों में संयुक्त राष्ट्र मिशन (एम ओ एन यू सी):- कांगों में 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ मिशन स्थापित किया गया और तब से ही भारत सैनिक प्रेक्षक प्रदान कर रहा है। जुलाई 2003 में कांगों में एक विमानन यूनिट और गाई

कम्पनी तैनात की गई। कांगों में संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशन का कार्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगों में युद्ध विराम करार के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना और विभिन्न सशस्त्र ग्रुपों में निरस्त्रीकरण, सैन्य विघटन, देश-प्रत्यावर्तन, पुनर्वास और पुनः एकीकरण में सहायता प्रदान करके समस्या का बातचीत से राजनैतिक समाधान करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना है।

3.19 इराक-कुवैत में संयुक्त राष्ट्र संघ प्रेक्षक मिशन (यू एन आई के ओ एम): पहले खाड़ी

सेना की आंतरिक सुरक्षा की वचनबद्धता को कम करने के लिए सरकार ने 30 अतिरिक्त राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन स्थापित करने का सिद्धान्ततः अनुमोदन किया है।



भारतीय गश्ती दल इथोपिया और इरिट्रिया को अलग करने वाले मध्यवर्ती क्षेत्र में चौकसी रखता है।

युद्ध के बाद 1991 में इसके गठन के बाद से भारत में इराक-कुवैत में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षक मिशन में कुल आठ सैनिक प्रेक्षकों का योगदान दिया है। मित्र देशों की सेनाओं द्वारा इराक में प्रवेश करने के बाद मार्च 2003 में मिशन को बंद कर दिया गया।

राष्ट्रीय राइफल्स

3.20 निकट भविष्य में जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा वातावरण के अशांत रहने की संभावना है। सेना की आंतरिक सुरक्षा संबंधी वचनबद्धता को कम करने के लिए सरकार ने 30 अतिरिक्त राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन स्थापित करने का सिद्धान्ततः अनुमोदन किया है। राष्ट्रीय राइफल्स की विभिन्न फार्मेशनों और यूनिटों में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने, सिविल प्राधिकारियों की सहायता करने और सार्थक सिविल क्रिया-कलापों के आयोजन में महत्वपूर्ण सेवा की है। विभिन्न राष्ट्रीय राइफल्स फार्मेशनों और यूनिटों के कमांडरों की दूरदृष्टि, संचालन क्षमता और दृढ़ निश्चय के परिणामस्वरूप फोर्स के अत्यन्त प्रेरित देशभक्त टूप्स विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करना जारी रखेंगे। आतंकवादियों की धमकियों के बावजूद राष्ट्रीय राइफल्स ने अमरनाथ यात्रा का सफल एवं सुरक्षित संचालन भी सुनिश्चित किया है।

प्रादेशिक सेना

3.21 प्रादेशिक सेना का राष्ट्र के प्रति समर्पित सेवा का महत्वपूर्ण इतिहास रहा है और इसमें राष्ट्रीय एकता, अनुशासन, सामंजस्य और नागरिकों में स्वाभिमान को बढ़ावा देने और देश की रक्षा करने में योगदान की पर्याप्त क्षमता है। प्रादेशिक सेना जो सन् 1949 में अस्तित्व में आई, इसकी 50 प्रादेशिक सेना यूनिटों में लगभग 32,800 कार्मिक हैं, जिसमें 31 पैदल बटालियनों (प्रादेशिक सेना) और 19 विभागीय यूनिटें हैं।

3.22 सभी 31 गैर विभागीय प्रादेशिक सेना यूनिटें पूरे वर्ष ऑपरेशन पराक्रम में शामिल रहीं। इनमें से छः इन्फेन्ट्री बटालियनों (प्रादेशिक सेना) जिनमें 30 कम्पनियां शामिल हैं, को उत्तर कमान में तैनात किया गया था। प्रादेशिक सेना निदेशालय आजकल भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में कमीशन प्राप्ति के बाद बारह सप्ताह की अवधि का कोर्स आयोजित कर रहा है और इसे वर्ष में दो बार आयोजित किया जाना है।

साहसिक और खेल-कूल गतिविधियाँ

3.23 पर्वतारोहण अभियान :

(क) **संयुक्त इंडो-नेपाल एवरेस्ट गिरि अभियान 2003:-** भारतीय सेना ने अपनी बहादुरी की परंपरा बनाए रखते हुए एक बार फिर बिना किसी संदेह के अपने उस इतिहास को दोहराया जब संयुक्त इंडो-नेपाल सेना अभियान दल ने 13 मई, 2003 को ल्हॉत्स (8510 मीटर) और 22 व 26 मई 2003 को एवरेस्ट (8850 मीटर) की चढ़ाई की। इस दल ने पर्वतारोहण के इतिहास में बहुत से नए रिकार्ड बनाए। इस दल ने निम्नलिखित रिकार्ड बनाए :-

(i) **प्रथम भारतीय पर्वतारोही :** यह ऐसा

प्रथम दल है जिसने विश्व की चौथी सर्वोच्च चोटी ल्हॉत्स पर फतेह हासिल की।

(ii) **एवरेस्ट पर विश्व रिकार्ड :-** 31 सदस्यों के दल ने जिसमें भारतीय सेना के 9 कार्मिक, रॉयल नेपाली सेना के 10 कार्मिक और 12 शेरपा शामिल थे, 22 और 26 मई 2003 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की ओर किसी एक दल द्वारा अधिकतम पर्वतारोहियों के साथ चढ़ाई करने का एक नया विश्व रिकार्ड स्थापित किया।

(iii) **ल्हॉत्स में विश्व रिकार्ड :-** 12 पर्वतारोहियों जिनमें 5 भारतीय सेना के कार्मिक, 3 रॉयल नेपाली सेना के कार्मिक और 4 शेरपा शामिल थे, ल्हॉत्स पर चढ़ाई की और एक नया विश्व रिकार्ड बनाया क्योंकि यह ऐसा पहला दल था जिसके इतने अधिक सदस्यों ने एक साथ ल्हॉत्स पर चढ़ाई की।

(ख) **गंगोत्री (6672 मीटर) के लिए राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (आर आई एम सी) का पर्वतारोहण अभियान :-** गंगोत्री-1 (6672 मीटर) के लिए राष्ट्रीय इन्डियन मिलिट्री कॉलेज का पर्वतारोहण अभियान 27 मई, 2003 को शुरू किया गया था। 12 जून, 2003 को इस कॉलेज का एक अफसर और 16 कैडेट सफलतापूर्वक इस चोटी पर पहुंचे।

(ग) **माउंट गया (6794मीटर) के लिए पर्वतारोहण अभियान :** 4 जुलाई 2003 को 7/11 ग्रेनेडियर्स (जी आर) के अभियान दल को माउंट गया पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। कैप्टन एन एस नेगी और 9 अन्य रैंक 4 जुलाई, 2003 को 1200 बजे चोटी पर पहुंचे।

(घ) **श्री कैलाश (6932 मीटर) के लिए पर्वतारोही अभियान :** श्री कैलाश चोटी के लिए 14 इन्फेन्ट्री डिवीजन का पर्वतारोहण अभियान 31 जुलाई, 2003 को शुरू हुआ।

इसका पहला दल जिसमें एक अफसर और 5 अन्य रैंक थे, 24 अगस्त 2003 को और इसका दूसरा दल जिसमें 1 जे सी ओ और 4 अन्य रैंक ने 25 अगस्त, 2003 को चोटी पर पहुंचा।

(च) **पंचाचुली - II (6932 मीटर) के लिए पर्वतारोहण अभियान :** कुमाँयू स्काउट्स पर्वतारोहण अभियान को 30 सितम्बर, 2003 और 3 अक्टूबर, 2003 को इस चोटी पर चढ़ने में फतेह हासिल हुई। इस अभियान दल में एक अफसर, 2 जे सी ओ और 8 अन्य रैंक शामिल थे।

(छ) **4 डोगरा पर्वतारोहण अभियान :** लियो पर्जियल -1 (22351 फुट) के लिए 4 डोगरा पर्वतारोहण अभियान दल को 4 सितम्बर, 2003 को चोटी पर चढ़ने में सफलता हासिल हुई। यूनिट के एक अफसर, एक जे सी ओ और छः अन्य रैंको ने चोटी पर चढ़ाई की।

(ज) **विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर कोर (ई एम ई) का पर्वतारोहण अभियान :** सतोपंथ (23347 फुट) के लिए ई एम ई कोर का पर्वतारोहण अभियान 2 सितम्बर, 2003 को शुरू हुआ। इस कोर के 2 अफसरों और 4 अन्य रैंकों ने 2 सितम्बर, 2003 को इस चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की।

(झ) **श्री कैलाश (6932 मीटर) के लिए पर्वतारोहण अभियान :** वायु रक्षा (ए डी) आर्टिलरी पर्वतारोहण अभियान को 23 व 24 अगस्त, 2003 को श्री कैलाश पर चढ़ने में सफलता हासिल हुई। 3 अफसरों और 12 अन्य रैंको ने इस चोटी पर चढ़ाई की।

(ट) **सेना महिला एवरेस्ट अभियान (8850 मीटर) :** 2005 को एक सेना महिला अभियान दल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करेगा। भारतीय महिला सेना

एवरेस्ट अभियान के लिए लगभग 34 महिलाओं ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी में प्रारंभिक पर्वतारोहण कोर्स में हिस्सा लिया है।

3.24 वाटर रैफिटिंग अभियान :

(क) **मुख्यालय 58 कवचित ब्रिगेड द्वारा व्हाइट वाटर रैफिटिंग अभियान :** मुख्यालय 58 कवचित ब्रिगेड द्वारा व्हाइट वाटर रैफिटिंग अभियान रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश तक 10 से 14 अक्टूबर 2003 तक चलाया गया। दल में चार अफसर, चार जे सी ओ और 15 अन्य रैंक शामिल थे।

(ख) **14 आर्टिलरी ब्रिगेड द्वारा व्हाइट वाटर रैफिटिंग अभियान :** मुख्यालय 14 आर्टिलरी ब्रिगेड ने व्हाइट रैफिटिंग अभियान 17 से 21 नवम्बर 2003 तक रुद्रप्रयाग से वीर भद्र बैराज तक चलाया। दल में 2 अफसर, 2 जे सी ओ और 7 अन्य रैंक शामिल थे।

(ग) **14 हॉर्स द्वारा व्हाइट वाटर रैफिटिंग अभियान :** 14 हॉर्स व्हाइट वाटर रैफिटिंग अभियान 15 से 25 नवम्बर, 2003 तक कर्ण प्रयाग से हरिद्वार तक चलाया गया। दल में 1 अफसर 3 जे सी ओ और 15 अन्य रैंक शामिल थे।

(घ) **गढ़वाल राइफल रेजिमेंट केन्द्र द्वारा व्हाइट वाटर रैफिटिंग अभियान:** गढ़वाल राइफल रेजिमेंट केन्द्र द्वारा व्हाइट वाटर रैफिटिंग अभियान 15 से 21 नवम्बर, 2003 तक कर्ण प्रयाग से हरिद्वार तक चलाया गया। दल में 2 अफसर 3 जे सी ओ और 38 अन्य रैंक शामिल थे।

(च) **46 कवचित रेजिमेंट द्वारा व्हाइट वाटर रैफिटिंग अभियान :** 46 कवचित रेजिमेंट द्वारा व्हाइट वाटर रैफिटिंग अभियान 16 से 20 नवम्बर तक लीगेग से सीवाँक तक चलाया गया। इस दल में 4 अफसर, 4 जे सी

ओ और 15 अन्य रैंक शामिल थे।

(छ) **मुख्यालय 74 इंफैंट्री ब्रिगेड द्वारा**

कायाकिंग अभियान : मुख्यालय 74 इंफैंट्री ब्रिगेड ने 3 से 6 नवम्बर, 2003 तक कोटा से गुहाटा तक कायाकिंग अभियान चलाया। इस दल में 1 अफसर, 1 जे सी ओ और 14 अन्य रैंक शामिल थे।

(ज) **3 यांत्रिक इंफैंट्री द्वारा व्हाइट वॉटर रैफिंग अभियान :** 3 यांत्रिक इंफैंट्री ने 19 से 23 मार्च, 2004 तक तीस्ता से सीवॉक रोड (टाइगर ब्रिगेड) तक व्हाइट वॉटर रैफिंग

अभियान चलाया। इस दल ने 2 अफसर, 3 जे सी ओ और 17 अन्य रैंक शामिल थे।

3.25 **विविध गतिविधियाँ :**

(क) **सेना एडवेंचर चैलेंज कप 2003 :** माउंटेन साइकिलिंग, हिल रनिंग और रिवर रैफिंग के एक ट्राइथलॉन चैलेंज कप का आयोजन 1 से 5 नवम्बर, 2003 तक राइवाला में किया गया। 21 टीमों में एक टीम भारतीय वायुसेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस से भी थी जिसने इसमें भाग लिया। चैलेंज कप 2003 के दौरान वायु एवं जल संबंधी साहसिक गतिविधियों का प्रदर्शन

किया जिसमें पैरा मीटर फ्लाइंग, पैरा ग्लाइडिंग, पैरा रोलिंग, स्क्यूबा डाइविंग, कायाकिंग और कैनोइंग शामिल थे।

(ख) **इंडो-यू के स्क्यूबा डाइविंग**

अभियान: इंडो-यू के स्क्यूबा डाइविंग अभियान 6 से 13 जनवरी, 2004 तक अंडमान एवं निकोबार द्वीप-समूह में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस टीम में 29 कार्मिक थे, इसमें दोनों देशों से 10

गोताखोर तथा भारतीय सेना से नौ सहायक सदस्य लिए गए।

(ग) **एयर रेस 2003:** एयरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने मानवयुक्त उड़ान (मैन्ड फ्लाइट) के 100 वर्ष पूरा होने को यादगार बनाने के लिए 20 से 23 नवम्बर, 2003 तक एयर रेस 2003 का आयोजन किया। इस रेस में 50 से ज्यादा वायुयानों ने भाग लिया जिसमें से चार वायुयान आर्मी एडवेंचर विंग के थे। इस तरह की रेस में आर्मी एडवेंचर विंग ने पहली बार भाग लिया।

कल्याण

3.26 **पुनर्वास तथा कल्याणकारी कार्य :** सरकार द्वारा चलाए गए कल्याणकारी कार्यों के अन्तर्गत उन सैनिकों के निकटतम संबंधियों को राष्ट्रीय रक्षा फंड/आर्मी सेन्ट्रल वेलफेयर फंड से एक लाख रुपये दिए जा रहे हैं, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से 30 अप्रैल 1999 के दौरान युद्ध में हताहत तथा अपंग होने के कारण सेना से निकाल दिया गया था।

3.27 ये अपंग सैनिक (युद्ध में हताहत) आर्मी सेन्ट्रल वेलफेयर फंड से एकमुश्त एक लाख रुपये का अनुदान प्राप्त करने के हकदार हैं, जिन्हें 1 मई 1999 (ऑप विजय को छोड़कर) से युद्ध में अपंगता/ अशक्तता के कारण सेना से निकाल/अमान्य ठहरा दिया गया था। 1 मई 1999 से युद्ध में हताहतों के निकटतम संबंधियों को अनुग्रह अनुदान के रूप में 7.5 लाख रुपये दिए जाएंगे तथा आर्मी सेन्ट्रल वेलफेयर फंड से 30,000 रुपये दिए जाएंगे।

3.28 जो सैनिक (युद्ध में हताहत) 1 मई 1999 के बाद की विभिन्न सैन्य संक्रियाओं में घायल होने के कारण अपंग हो गए थे उन्हें

उन सैनिकों के निकटतम संबंधियों को राष्ट्रीय रक्षा फंड/आर्मी सेन्ट्रल वेलफेयर फंड से एक लाख रुपये दिए जा रहे हैं, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से 30 अप्रैल 1999 के दौरान युद्ध में हताहत तथा अपंग होने के कारण सेना से निकाल दिया गया था।

सेवा में वापिस ले लिया गया तथा उनकी अपंगता के प्रतिशत के आधार पर आर्मी सेन्ट्रल वेलफेयर फंड (एसीडब्ल्यूएफ) से उन्हें अनुदान दिया जाएगा। 30 अप्रैल, 2001 के बाद सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी सैनिकों के निकटतम संबंधियों को एसीडब्ल्यूएफ से 30,000 रुपये का अनुदान एक बार दिया जाएगा।

3.29 दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 'विजय वीर आवास योजना' नामक, एक आवासीय योजना की शुरुआत की है। दि.वि.प्रा. ने इस योजना के अंतर्गत अफसर से नीचे के रैंक के कार्मिकों (पी वी ओ आर) के लिए 312 फ्लैटों तथा अफसरों के लिए 102 फ्लैटों का निर्माण किया है। यह योजना 1 मई 1999 के बाद लड़ी गई सभी लड़ाइयों में हताहत और अपंगता के कारण सेना से निकाले गए सैनिकों के निकटतम संबंधियों के लिए शुरू की गई। इसे 30 सितम्बर, 2003 तक चालू रखा गया। अफसरों के लिए फ्लैटों की निर्धारित लागत 5.93 लाख रुपये है तथा जे सी ओ/ ओ आर के लिए फ्लैटों की लागत 3.98 लाख रुपये है। डी डी ए ने इसमें भूमि की लागत तथा विकास पर होने वाला खर्च शामिल नहीं किया।

3.30 कार्रवाई के दौरान मारे गए/लापता/स्थायी रूप से अपंग, सशस्त्र सेना कार्मिकों के बच्चों को शैक्षिक छात्रवृत्ति देना : वर्ष 1962, 1965, 1971 की लड़ाइयों, ऑप पवन, ऑप मेघदूत में मारे गए/लापता/स्थायी रूप से अपंग सशस्त्र सेना के कार्मिकों के बच्चों को दी जाने वाली शैक्षिक रियायतें मेघदूत के बाद, भारत और विदेशों में लड़ी गई सभी लड़ाइयों और विद्रोह के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाइयों में प्रभावित सैनिक को भी अब दी जाएगी। इन रियायतों में फीस में छूट, मुफ्त पुस्तकें तथा वर्दी इत्यादि भी शामिल हैं।

3.31 **विमुक्ति - पूर्व (प्री-रिजीज)पुनर्वास प्रशिक्षण :** नवम्बर 2003 तक अफसर रैंक से नीचे के 5267 सेना कार्मिकों को आई टी आई, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी संस्थानों में विभिन्न विधाओं में विमुक्ति-पूर्व पुनर्वास प्रशिक्षण दिया गया।

3.32 **पैराप्लैजिक पुनर्वास केन्द्र:** सशस्त्र सेना के 100 प्रतिशत अपंग भूतपूर्व सैनिकों के लिए पैराप्लैजिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किरकी तथा मोहाली में दो पैराप्लैजिक पुनर्वास केन्द्रों का प्रयोजन किया जा रहा है।

3.33 **चिकित्सा कल्याण टीमें :-** इस वर्ष 15 चिकित्सा दलों ने नेपाल का दौरा किया और वहां की नागरिकता प्राप्त भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों का इलाज किया।

3.34 **विकलांग, गूंगे, बहरे तथा अंधे बच्चों को सहायता :** इस दौरान भूतपूर्व सैनिकों के 20 बच्चों के आवेदन प्राप्त हुए थे तथा सभी को वित्तीय सहायता दी गई।

3.35 **विद्यालयों को वित्तीय सहायता :** इस दौरान 24 विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। नेपाल में अब तक इस योजना के अधीन 548 स्कूलों को सहायता प्रदान की गई।

3.36 **रोजगार संबंधी प्रशिक्षण:** कुल 3508 भूतपूर्व सैनिक/भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं / पत्नियों/ बच्चों को अब तक प्रशिक्षित किया जा चुका है। बारह व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों (बी टी सी) में विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए रहे हैं जिससे भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों की तकनीकी कुशलता बढ़े और उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा सके।

3.37 **सेना कल्याण सोसायटी :** सेना कल्याण सोसायटी की स्थापना और पंजीकरण

जम्मू एवं कश्मीर से 4 कश्मीरी अध्यापकों सहित 11 से 15 वर्ष की आयु के 101 बच्चों को आर्मी पब्लिक स्कूल (ए पी एस) ब्यास में शिक्षा ग्रहण के लिए लाकर सेना कल्याण सोसायटी ने एक अनूठा मिशन शुरू किया है।

जून 1998 में किया गया। इसका उद्देश्य था खास तौर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं के संबंध में कार्रवाई को आगे बढ़ाना। मंत्रालय ने शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए निर्दिष्ट कल्याणकारी परियोजनाओं हेतु निधि प्रदान करने की सहमति दी थी। सेना कई छावनियों में अपंग बच्चों के लिए 28 व्यावसायिक-सह-पुनर्वास प्रशिक्षण स्कूलों का संचालन कर रही है। मंत्रालय इन स्कूलों को

चलाने के लिए निधि प्रदान कर रहा है।

3.38 आर्मी पब्लिक स्कूल, ब्यास में जम्मू एवं कश्मीर के बच्चों का दाखिला : जम्मू एवं कश्मीर से 4 कश्मीरी अध्यापकों सहित 11 से 15 वर्ष की आयु के 101 बच्चों को आर्मी पब्लिक स्कूल (ए पी एस) ब्यास में शिक्षा ग्रहण के लिए लाकर सेना कल्याण सोसायटी ने एक अनूठा मिशन शुरू किया है। ये समाज के शोषित तबके के वे बच्चे हैं जो आतंकवादियों से प्रभावित हुए हैं। इन बच्चों को मुफ्त शिक्षा, भोजन और छात्रावास की सुविधा, वर्दी और लेह, श्रीनगर तथा जम्मू से ब्यास तक परिवहन व्यवस्था प्रदान की जा रही हैं। यह परियोजना हिंसा के शिकार हुए कश्मीरी नागरिकों के घावों पर मरहम की नीति के अनुसरण में शुरू की गई है।

3.39 सैनिकों, उनके परिवारों और विधवाओं को कानूनी सलाह : फार्मेशन मुख्यालयों, में विभिन्न पदों पर तैनात जज

एडवोकेट विभागीय अफसरों को सैनिकों, भूतपूर्व- सैनिकों और उनके आश्रितों से संबंधित संपत्ति के दावों, वैवाहिक झगड़ों और इससे जुड़े मामलों में कानूनी सलाह देने के निदेश दिए गए हैं। सेवारत /सेवानिवृत्त/ मृत सेना कार्मिक के परिवारों /आश्रितों द्वारा अशक्तता की स्थिति में मिलने वाले हित लाभों और सेवांत हकदारिताओं की बाबत भी कानूनी सहायता मांगी जा रही है। विधवाओं को सेना पत्नी कल्याण संगठन के माध्यम से उत्तराधिकार, संपत्ति विषयक कानूनों, विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और पैसे की हकदारिता विषयों पर कानूनी सलाह दी जाती है।

3.40 मानवाधिकार प्रकोष्ठ : देश में आंतरिक सुरक्षा स्थितियों को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में राज्य की सहायता के लिए हमारे सशस्त्र बलों को उत्तरोत्तर ज्यादा बुलाया जाने लगा है। लोगों के मन में बैठी यह धारणा कि सेना को केवल



सेना पब्लिक स्कूल, ब्यास में अभ्यासरत् जम्मू-कश्मीर के बच्चे

बाहरी शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, अब सही नहीं है। आजकल हमारी सेनाओं को परम्परागत युद्ध और विद्रोह के विरुद्ध संक्रिया, दोनों ही भूमिकाओं का व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है। सामान्य सैनिक

जब यूनिटों को उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में ड्यूटी पर लगाया जाता है, उन्हें विशेष रूप से स्थापित विद्रोह के विरुद्ध कार्रवाई सिखाने वाले स्कूलों में एक गहन पुनः अभिमुखीकरण कैम्पसूल (पाठ्यक्रम) में भाग लेना होता है। इन स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी मानवाधिकार प्रशिक्षण को शामिल किया जाता है।

से लेकर अफसर तक सभी रैंक के कार्मिकों को मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने की सतत कोशिश की जाती रही है। इस विषय को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उसी समय से शामिल कर लिया जाता है जब सैनिक सेना में प्रवेश करता है। बाद में भी यह विषय पाठ्यक्रमों के विविध स्तरों और फार्मेशन स्तर के प्रशिक्षण में जारी रहता है। जब यूनिटों को उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में ड्यूटी पर लगाया जाता है उन्हें विशेष रूप से स्थापित विद्रोह के विरुद्ध कार्रवाई सिखाने वाले स्कूलों में

एक गहन पुनः अभिमुखीकरण कैम्पसूल (पाठ्यक्रम) में भाग लेना होता है। इन स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी मानवाधिकार प्रशिक्षण को शामिल किया जाता है। फार्मेशनों और प्रशिक्षण संस्थानों में सेमीनार आयोजित किए जाते हैं जहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) के माननीय सदस्य, मीडिया के लोगों और दूसरे प्रतिष्ठित वक्ता मानवाधिकार के विविध पहलुओं पर अपने विचार रखने के लिए आते हैं और बाद में अफसरों और कार्मिकों से बातचीत करके जमीनी सच्चाइयों से सीधे रु-ब-रु होते हैं।

3.41 टेलीमेडिसिन परियोजना :

(i) सेना के लिए टेलीमेडिसिन नेटवर्क का विकास भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरा), अंतरिक्ष विभाग (डी ओ एस) के तत्वावधान में किया जा रहा है। परियोजना प्रथम चरण (प्रयोगिक परियोजना), जिसमें पांच वर्षों तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के

साथ-साथ 348 Kbps संयोजनीयता मुफ्त में सप्लाइ की जानी थी, अब पूरा हो गया है। सेना अस्पताल (रिसर्च एण्ड रेफरल), (दिल्ली केन्ट), कमान अस्पताल (उत्तर कमान), (उधमपुर), 92 बेस अस्पताल (बी एच) (श्रीनगर), 153 गैरिसन अस्पताल (जी एच) (लेह), 403 फील्ड एम्बुलेंस



सेना अस्पतालों में नैदानिक तकनीक : टेली-मेडिसिन रूम, जो विशेषज्ञों द्वारा आकलन करने के लिए अन्य छह केन्द्रों को डाटा भेजता है।

(प्रतापपुर) और 2121 फील्ड एम्बुलेंस (कारगिल) वे छः स्थान हैं जहां प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित की गई है। इन सभी स्थलों पर बाहर लगाए जाने वाले उपस्कर जिनमें वी एस ए टी एंटेना भी सम्मिलित हैं, और भीतरी उपस्कर जिनमें सर्वर और डिजिटल कैमरा शामिल हैं, संस्थापित किए गए हैं। प्रणाली का परीक्षण किया जा चुका है और दिसंबर 1, 2003 से यह काम कर रही है। विभिन्न संस्थानों के बीच टेली-परामर्श और वीडियो-कान्फ्रेंसिंग नियमित आधार पर आयोजित हो रही है और दिसंबर 2003 से अब तक कुल 668 परामर्श सत्र आयोजित किए जा चुके हैं।

भारतीय नौसेना



भारतीय नौसेना - एक बहुआयामी सेना

इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय नौसेनाओं की उपस्थिति से वर्ष के दौरान भारतीय नौसेना के उपस्करों तथा कार्मिकों को उच्च युद्धक तैयारी में बनाए रखने की भारी मांग रही ।

4.1 यह वर्ष हिन्द महासागर क्षेत्र, विशेषकर उत्तरी अरब सागर में बहुत सारी समुद्री गतिविधियों का लगातार साक्षी रहा है। क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय समुद्री बलों की उपस्थिति के कारण भारतीय नौसेना के लिए अपने कार्मिकों और अपने उपस्करों को युद्ध तैयारी की उच्च अवस्था में बनाए रखना अति आवश्यक हो गया।

4.2 मित्र विदेशी राष्ट्रों के साथ प्रशिक्षण, अभ्यासों और संक्रियाओं के क्षेत्र में नौसेना सहयोग में वृद्धि से तटवर्ती राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध और मजबूत हुए हैं। भारतीय नौसेना को श्रीलंका में बाढ़ राहत, मोजांबिक में अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन के लिए सागरमुखी बचाव, मॉरीशस के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ई ई जैड) की गश्त और सैशेल्स को जलराशि सहायता देने जैसे कार्यों के रूप में विदेशी राष्ट्रों की मदद करने के लिए भी बुलाया गया।

4.3 जून 2003 में तलवार और त्रिशूल नामक कृवक श्रेणी के दो फ्रिगेटों और अक्टूबर, 2003 में एक्स्ट्रा फास्ट अटैक क्राफ्ट (एक्स एफ ए सी) के शामिल होने से भारतीय नौसेना को

अति आवश्यक प्रहार शक्ति मिली है। बल स्तरों में वृद्धि करने के लिए दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार प्लेटफार्मों को शामिल करने के कार्य को क्रमबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है। स्वदेश में डिजाइन की गई स्टेल्थ फ्रिगेट 'शिवालिक' को 18 अप्रैल 2003 को लांच किया गया। डेस्क आधारित वाहक विमान सहित विमान वाहक 'एडमिरल गोर्शकोव' के नवीकरण तथा अधिग्रहण हेतु रूस के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

प्रमुख आपरेशन

4.4 **मापुतो से लगे समुद्र में सुरक्षा लागत:** 4 से 12 जुलाई 2003 तक मापुतो में हुए 'अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन' के दौरान समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 23 जून 2003 से 15 जुलाई 2003 तक मोजांबिक के मापुतो में भारतीय नौसेना पोत रंजीत और सुवर्ण को तैनात किया गया। इस आपरेशन के दौरान भा नौ पोतों ने सुरक्षा प्रदान करने के अलावा मोजांबिक नौसेना के 100 से अधिक कार्मिकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया। भा. नौ.

पो. सुवर्ण ने दवाओं की एक बड़ी खेप भी ढोई जिसे भारत के उच्चायुक्त ने मोजांबिक के स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा ।

4.5 **तस्करी/गन-रनिंग रोधी ऑपरेशन :** अवांछनीय व्यक्तियों की गैर-कानूनी आवाजाही सहित तस्करी और गन-रनिंग को रोकने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित पोतों और विमानों सहित ने तट की नियमित गश्त की।

4.6 **पाक खाड़ी की गश्त :** तमिलनाडु तट की सात टुकड़ियों के नौसेना/ तटरक्षक के पोतों, वायुयानों और ट्रालरों ने पूरे वर्ष पाक खाड़ी क्षेत्र की गश्त की।

4.7 **निगरानी -सह-उपस्थिति मिशन :** सामरिक महत्व के क्षेत्रों की निगरानी का कार्य किया गया जो नौसेना के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। नौसेना पोतों और वायुयानों को व्यापक निगरानी मिशनों पर तैनात किया गया जिनमें अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूहों



विश्व की समुद्री यात्रा पूरी करने के बाद कोच्चि में पहुंच रहा भा.नौ.पो. तरंगिणी

में अतिक्रमण रोधी ऑपरेशन शामिल है। ये उपस्थिति-सह-निगरानी मिशन केवल भारतीय समुद्रों तक ही सीमित नहीं थे बल्कि ये समीपवर्ती क्षेत्रों में भी सक्रिय थे।

प्रमुख अभ्यास

4.8 'समरेक्स-2003' का संचालन 5 से 25 जुलाई 2003 तक पूर्वी समुद्र तट पर किया गया जबकि ऐम्फेक्स -2003 का संचालन 10 से 21 दिसंबर 2003 तक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में किया गया। यह पहला अवसर था जब एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने किसी ऐम्फेक्स का संचालन किया। सेना, वायुसेना और तटरक्षक के घटकों सहित पश्चिमी और पूर्वी बेड़ों की यूनिटों ने 1 से 25 फरवरी 2004 तक पश्चिमी समुद्री तट पर हुए 'स्प्रिंगेक्स-2004' नामक वार्षिक नौसैनिक अभ्यासों में हिस्सा लिया।

विदेश मे तैनाती

4.9 **परिनौसंचालन समुद्र यात्रा- भा.नौ.पो. तरंगिणी :** भारतीय नौसेना का सेल ट्रेनिंग बार्क, भा नौ पो तरंगिणी 23 जनवरी 2003 को कोच्चि से 15 महीने की अवधि के लिए परिनौसंचालन समुद्र यात्रा पर निकला। इस समुद्र यात्रा के दौरान तरंगिणी ने 34,923 समुद्री मील से भी अधिक दूरी तय करते हुए 18 देशों के 37 पत्तनों की यात्रा की। अपनी समुद्र यात्रा के तीसरे चरण के दौरान तरंगिणी ने 14 जुलाई से 20 अगस्त 2003 तक सं. रा. अमेरिका और कनाडा के ग्रेट लेक्स में हुई टाल शिप चैलेंज सीरीज की चार रेसों में भाग लिया। सं.रा. अमेरिका, कनाडा, यू. के. और कई अन्य देशों के पेशेवर पोतों के विरुद्ध मुकाबला करते हुए तरंगिणी ने अपने डिवीजन में प्रथम स्थान प्राप्त



विश्व यात्रा से लौटी आई एन एस तरंगिणी पर राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम

किया। समुद्र यात्रा की समाप्ति पर भा नौ पो तरंगिणी ने 25 अप्रैल 2004 को कोच्चि में प्रवेश किया। स्वदेश लौटने पर स्वागत समारोह में भारत के राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम नौसेनाध्यक्ष एडमिरल माधवेन्द्र सिंह और अन्य वरिष्ठ अफसरों के साथ पोत पर सवार हुए।

4.10 सेंट पीटर्सबर्ग में त्रि-शताब्दी

समारोह: 25 जून, 2003 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में कमीशन किए जाने के तुरंत बाद भा नौ पो त्रिशूल ने 25 से 29 जून 2003 तक आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग त्रि-शताब्दी समारोह में भाग लिया।

4.11 **लंगकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एयरोस्पेस प्रदर्शनी (लीमा)-03 :** भा नौ पो दिल्ली और कोरा ने 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2003 तक आयोजित लीमा -03 में भाग लेने के लिए लंगकावी, मलेशिया की यात्रा की।

4.12 **समुद्र-पार मित्रता :** मार्च 2003 के अंत में भा नौ पो शारदा को सैशेल्स और

मॉरीशस की विदेशी तैनाती का दायित्व सौंपा गया। इस मिशन के दौरान पोत ने मॉरीशस राष्ट्रीय तटरक्षक के चेतक हेलीकॉप्टर को कोच्चि से पोर्ट लुई तक पोत द्वारा पहुंचाया। पोर्ट लुई से वापसी में पोत ने मॉरीशस के पोत सी जी एस गार्डियन के साथ अभ्यास भी किया।

4.13 **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी-2003 (इम्डेक्स-2003) :** भा नौ पो ब्रह्मपुत्र और किर्च ने 9 से 15 नवंबर 2003 तक अयोजित इम्डेक्स - 2003 में भाग लेने के लिए सिंगापुर की यात्रा की।

4.14 **ऑपरेशन संबंध 03/03 :** भा नौ पो निर्देशक सैशेल्स तट से लगे समुद्री क्षेत्रों का जलराशि सर्वेक्षण किया। पोत को सर्वेक्षण के लिए 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2003 तक सैशेल्स में तैनात किया गया।

4.15 **अन्य यात्राएं :** भारतीय नौसेना पोतों ने वर्ष के दौरान फारस की खाड़ी और दक्षिण चीन समुद्र के पत्तनों की सद्भावना यात्रा की।

विदेशी नौसेनाओं के साथ पारस्परिक संपर्क

4.16 **मिलन 03** : सामूहिक रूप से 'मिलन 03' नामक एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास और पारस्परिक संपर्क, जिसमें दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया की नौसेनाएं शामिल थीं, 11 से 15 फरवरी 2003 तक पोर्ट ब्लेयर में संपन्न हुआ। इसमें इंडोनेशिया, श्रीलंका तथा थाइलैंड के युद्धपोतों ने भाग लिया, जबकि आस्ट्रेलिया, मलेशिया, म्यांमार तथा सिंगापुर ने अपने शिष्टमंडल भेजे।

4.17 समीक्षाधीन अवधि के दौरान विदेशी नौसेनाओं के साथ अन्य पारस्परिक संपर्क के ब्यौरे नीचे तालिकाबद्ध हैं :-

विदेशी नौसेनाओं के साथ अभ्यास एवं संयुक्त ऑपरेशन

4.18 भारतीय नौसेना ने सं. रा. अमेरिका, फ्रांस एवं सिंगापुर के साथ संयुक्त अभ्यास और इंडोनेशिया के साथ संयुक्त गश्त को संस्थागत रूप दिया है। इसके अलावा, भारतीय नौसेना पोतों ने हिन्द महासागर में रूसी नौसेना यूनिटों के साथ संयुक्त अभ्यास किए। ऐसे अभ्यासों के ब्यौरे आगे दिए गए हैं।

4.19 सं.रा. अमेरिका के साथ संयुक्त अभ्यास :

(क) **सारेक्स -2003** : एक द्विपक्षीय खोज और बचाव अभ्यास (सारेक्स) का संचालन 8-12 जुलाई

क्र.	तारीख	घटना	देश	स्थान
1.	20-22 फरवरी 2003	भा नौ/श्रीलंका नौ छठी संक्रियात्मक समीक्षा बैठक (ओ आर एम)	श्रीलंका	नई दिल्ली
2.	5 जून 2003	सातवीं अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आई एम बी एल) बैठक	श्रीलंका	पाक खाड़ी
3.	21 जुलाई 2003	अभ्यास सुविधाओं के अध्ययन के लिए मलेशिया के शिष्टमंडल का दौरा	मलेशिया	नई दिल्ली
4.	5-08 अगस्त, 2003	भा नौ /श्री लं नौ सातवीं संक्रियात्मक समीक्षा बैठक (ओ आर एम)	श्रीलंका	कोलंबो/
5.	9-10 सितंबर, 03	भारत-फ्रांस नौसेना-से-नौसेना संक्रियात्मक स्टाफ वार्ता	फ्रांस	मुंबई
6.	10 अक्टूबर, 2003	आठवीं अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आई एम बी एल) बैठक	श्रीलंका	पाक खाड़ी
7.	20-21 नवंबर, 2003	भा नौ/अमरीकी सातवीं ई एस जी बैठक	सं.रा. अमेरिका	नई दिल्ली
8.	15-18 दिसंबर, 2003	भारत-फ्रांस अभ्यास वरुण 2004/1के लिए मध्य योजना सम्मेलन	फ्रांस	तौलून
9.	15-18 दिसंबर, 03	भारत-इजराइल स्टाफ वार्ता	इजराइल	नई दिल्ली
10.	22-26 दिसंबर, 03	भारत-थाई संयुक्त कार्यदल बैठक	थाइलैंड	बैंकाक
11.	1-4 मार्च, 2004	भारत-फ्रांस स्टाफ वार्ता	फ्रांस	फ्रांस
12.	3-5 मार्च, 2004	भारत-श्रीलंका संक्रियात्मक समीक्षा बैठक	श्री लंका	नई दिल्ली

2003 तक चेन्नई से लगे समुद्र में किया गया। अमरीकी नौसेना ने पी-3 सी ओरियन एयरक्राफ्ट और एक ओलिवर हेजार्ड पेरीक्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट (यू एस एस कटर्स) का प्रयोग किया। भारत की ओर से भा नौ पो सुकन्या, सीकिंग हेलीकॉप्टर और तटरक्षक पोत वराह ने भाग लिया। मालदीव, श्रीलंका, मैडागास्कर और मॉरीशस से दो-दो पर्यवेक्षकों ने भी भाग लिया।

(ख) **मालाबार - 03** - वार्षिक भारत-अमरीका संयुक्त अभ्यास 'मालाबार-03' का संचालन 5-10 अक्टूबर, 2003 तक कोच्चि से लगे समुद्र में किया गया। यू एस एस चोजिन (टाइकोंडरोगा श्रेणी का निर्देशित मिसाइल कूजर), यू एस एस फिटजेराल्ड (अर्लेई बर्के श्रेणी का निर्देशित मिसाइल डिस्ट्रॉयर), यू एस एस सेडेना (लॉस एंजेल्स श्रेणी की आक्रामक पनडुब्बी) और पी 3 सी ओरियन (समुद्री टोह वायुयान), अमेरिकी पक्ष की ओर से भाग लेने वाली प्रमुख यूनिटें थीं। पोतों के

साथ लगे हेलीकॉप्टरों के अलावा भा नौ पो ब्रह्मपुत्र (निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट), भा नौ पो गंगा (निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट) भा नौ पो शल्की (पनडुब्बी), भा नौ पो शक्ति (पुनर्भरण टैंकर) टी यू 142 वायुयान (समुद्री टोह और पनडुब्बी रोधी युद्ध पद्धति) और डोर्नियर वायुयान (समुद्री टोह) ने भारतीय पक्ष की ओर से भाग लिया जहां तक खेलकूद की बात है दोनों पक्ष की टीमों ने 9 अक्टूबर 2003 को मालाबार कप के लिए स्पर्धा की जिसे भारतीय नौसेना की टीम ने जीता।

4.20 **फ्रांस** : वरुणा-2003/1 नामक 'वरुणा' श्रेणी का चौथा भारत-फ्रांस अभ्यास 25 से 30 अगस्त 2003 तक मुंबई से लगे समुद्र तट में संचालित किया गया। गोवा से संचालन कर रहे एफ एन मारने (पुनर्भरण टैंकर और हिन्द महासागर में फ्रांसिसी सेना के एडमिरल कमांडिंग का फ्लैग शिप), एफ एन एस डुप्लेक्स (पनडुब्बी रोधी डिस्ट्रॉयर) और अटलांटिक मार्क-2 वायुयान (समुद्रीगश्त), ने

हिन्द महासागर में रूसी पोत के साथ अभ्यास करता भारतीय नौसेना पोत 'भा. नौ. पो. मैसूर' (बाएं)



फ्रांसीसी नौसेना का प्रतिनिधित्व किया। भा नौ पो गंगा (निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट), भा नौ पो दूनागिरि (पनडुब्बीरोधी फ्रिगेट) और भा नौ पो शंकुल (पनडुब्बी) ने भारत की ओर से भाग लिया।

4.21 **सिंगापुर** : छठा भारत- सिंगापुर पनडुब्बीरोधी युद्धपद्धति अभ्यास 7 से 19 मार्च 2004 तक कोच्चि से लगे समुद्र में संचालित किया गया। आर एस एस विजिलेंस और आर एस एस विकट्री (मिसाइल कार्वेट), आर एस एस ब्रेव (गश्त पोत) और आर एस एस इंडयोरेंस (संभारिकी सहायता) ने सिंगापुर गणराज्य का प्रतिनिधित्व किया। भारत की ओर से इसमें भा नौ पो गंगा (निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट), भा नौ पो विंध्यगिरि (लिफ्टर), एक अपतटीय गश्ती जलयान, एक पनडुब्बी और टी यू 142 समुद्री गश्त वायुयान ने भाग लिया।

4.22 **रूस** : 'इंद्र-2003' नामक पहला भारत-रूस अभ्यास 20 से 22 मई 2003 तक पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में और 29 से 31 मई 2003 तक पूर्वी समुद्री क्षेत्र में संचालित किया गया। रूस की ओर से इसमें मास्कवा (स्लावा श्रेणी का कूजर जिस पर उप नौसैनाध्यक्ष वाइस एडमिरल ई वी आर्वलोव और ब्लेक सी फ्लीट कमांडर सवार थे), मार्शल शापोशिनकोव (उदालय श्रेणी का डिस्ट्रॉयर), एडमिरल पैंटीलेएव (उदालय श्रेणी का डिस्ट्रॉयर) और व्लादिमीर कोलेचिट्स्की (टैंकर), ने भाग लिया। भारत की ओर से भा नौ पो मुंबई, मैसूर, विराट, ब्रह्मपुत्र, गोमती और भारतीय नौसेना पोत राजपूत, रंजीत, रणविजय और सिन्धुवीर तथा वेला पनडुब्बियों ने पूर्वी समुद्र क्षेत्र में भाग लिया।

4.23 **इंडोनेशिया** : 'इन्डइन्डोकारपेट' नामक



एक संयुक्त अभ्यास के बाद भारतीय तथा अमरीकी - नौसेना कार्मिक

तीसरी भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्त 5 मार्च 2004 से लगभग एक माह के लिए संचालित की गई। भारत की ओर से इसमें भा नौ पो तरास और तरमुगली ने भाग लिया जबकि इंडोनेशियाई नौसेना पोत के आर आई पति यूनुस ने इंडोनेशिया का प्रतिनिधित्व किया।

4.24 **ओमान** : भारत-ओमान संयुक्त अभ्यास 'तम्मर अल तय्यीब' 24 से 26 अप्रैल 2003 तक पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में संचालित किया गया।

4.25 **चीन** : शंघाई -पत्तन का दौरा करने के बाद भा नौ पो रंजीत और कुलिश ने चीनी नौसेना के पोतों के साथ शंघाई से लगे समुद्र में 14 नवंबर 2003 को खोज और बचाव अभ्यास (सारेक्स) का संचालन किया। चीन की ओर से इसमें पी एल ए (एन) पोत जियाक्सिंग (इंटीग्रल हेलीकॉप्टर सहित फ्रिगेट) और टैंकर पनयांग हू ने भाग लिया।

रक्षा सहयोग

5.26 **हाइड्रो इंड-2004**: भारतीय नौसेना ने स्वर्ण जयंती समारोहों के हिस्से के रूप में 26-27 मार्च, 2004 तक मुंबई में 'हाइड्रो इंड 2004' नामक पहला अंतर्राष्ट्रीय जलराशि सेमिनार आयोजित किया जिसमें दुनिया भर के विशेषज्ञों ने भाग लिया। सेमिनार से पहले 24-25 मार्च,

भारतीय नौसेना ने सं. रा. अमेरिका, फ्रांस एवं सिंगापुर के साथ संयुक्त अभ्यास और इंडोनेशिया के साथ संयुक्त गश्त को संस्थागत रूप दिया है। इसके अलावा, भारतीय नौसेना पोतों ने हिन्द महासागर में रूसी नौसेना यूनिटों के साथ संयुक्त अभ्यास किए।

2004 तक उत्तर हिन्द महासागर जलराशि आयोग (एन आई ओ एच सी) की चौथी बैठक आयोजित हुई। हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित बारह समुद्री संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया।

प्रदत्त सहायता

4.27 **श्रीलंका में बाढ़ राहत अभियान :** दक्षिण और मध्य श्रीलंका के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत मुहैया कराने के लिए भा नौ पो शारदा को 20 से 26 मई 2003 तक गाले, श्रीलंका में तैनात किया गया।

भारतीय दल ने खाने के 5000 पैकेट और 2500 कंबल बांटे तथा 1000 से अधिक मरीजों को चिकित्सा सहायता प्रदान की।

4.28 **एम सी जी एस विजिलेंट का कर्षण:** मॉरीशस के तटरक्षक पोत विजिलेंट को मुंबई में मरम्मत करने के लिए अप्रैल 2003 में भा नौ पो मातंग द्वारा पोर्ट लुई मॉरीशस से कर्षित कर मुंबई लाया गया। भारत में लाने के लिए विजिलेंट पोत पर एक चेतक हेलीकॉप्टर भी चढ़ाया गया ताकि एच ए एल बेंगलूर में उसका ओवरहाल किया जा सके।

4.29 **संकटग्रस्त मर्चेट शिप को सहायता :** सैंड हैड्स से लगे समुद्र में 'समुद्र परीक्षण' के दौरान 10 जून 2003 को यार्ड 3010 (बेतवा), ने मर्चेट वैसल "एम वी फार्चून कैरियर" को सहायता प्रदान की जो संकटग्रस्त था। बेतवा ने पोत के डूबने से पहले ही उसके सभी 20 नौकर्मियों को सुरक्षित रूप से बचा लिया।

4.30 **दमन में सहायता :** 28 अगस्त 2003 को दमन में दमन गंगा नदी पर पुल के ढह जाने के कारण पानी में गिर पड़े वाहन और कार्मिकों को भारतीय नौसेना की गोताखोरी टीम

ने तटरक्षक की गोताखोरी टीम के साथ मिलकर बचाया।

4.31 **भा नौ पो शारदा द्वारा हताहत को बचाना (कैसेवेक) :** जनवरी 2003 में मिनिक्ॉय द्वीप समूह से लगे समुद्र में चौकसी करते समय भा नौ पो शारदा ने मिनिक्ॉय से 100 समुद्री मील पश्चिम में मर्चेट शिप एम वी मुजेएन एना से एक बीमार तुर्की नौसैनिक का बचाव किया। 30 जनवरी 2003 की मध्य रात्रि में बीमार नौसैनिक कोचि लाया गया और उसे मेडिकल ट्रस्ट हास्पिटल की विशेष चिकित्सा टीम के हवाले कर दिया गया।

4.32 **चेतक द्वारा हताहत को बचाना (कैसेवेक) :** 321 गरुड ने 12 जुलाई 2003 को मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में कोचि से लगे समुद्र में एक कैसेवेक मिशन पर उड़ान भरी। मर्चेट शिप एम वी कार ब्रिज से गंभीर रूप से बीमार एक मरीज को ऊपर खींच लिया गया और सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया।

प्रशिक्षण

4.33 **विदेशी राष्ट्रों से परस्पर संपर्क :** वर्ष 2003-04 में मित्र विदेशी राष्ट्रों के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत में कुल 400 रिक्तियां आबंटित की गई हैं। जिन राष्ट्रों को ये रिक्तियां प्रदान की गई हैं उनकी सूची निम्नानुसार है :

क्र.सं.	देश	रिक्तियां
(क)	बांग्लादेश	10
(ख)	कीनिया	03
(ग)	मलेशिया	07
(घ)	मॉरीशस	16
(च)	म्यांमार	04
(छ)	नाइजीरिया	05
(ज)	सैशेल्स	09
(झ)	वियतनाम	03
(ट)	श्रीलंका	297
(ठ)	मालदीव	44
(ड)	सिंगापुर	02

4.34 इसी प्रकार, कुल 31 भारतीय कार्मिकों को विदेशों में प्रशिक्षण और विविध कोर्सों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनियुक्त 12 कार्मिक शामिल हैं।

4.35 **जलसर्वेक्षण सहयोग :** बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, नाइजीरिया, मलेशिया, सैशेल्स, थाइलैंड और मॉरीशस से दस विदेशी अफसरों ने 21 अक्टूबर 2002 से 24 मई 2003 तक राष्ट्रीय जलसर्वेक्षण स्कूल, गोवा में मुफ्त बुनियादी जलसर्वेक्षण कोर्स में हिस्सा लिया। यह उत्तरी हिन्द महासागर जलसर्वेक्षण आयोग (एन आईओ एच सी) के क्षमता निर्माण के प्रयासों के एक भाग के रूप में तटवर्ती क्षेत्र में एन एच डी के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रयासों के समरूप हैं।

4.36 **प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन :** प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के कुल 141 कैडेटों को भा नौ पो तीर और कृष्णा पर प्रशिक्षित किया गया। समुद्री प्रशिक्षण के दौरान कैडेटों ने भारत के सभी प्रमुख पत्तनों का दौरा करने के अलावा विदेशी तैनाती के दौरान स्वेज, पालमों, अलेक्जेंड्रिया, पोर्ट सईद, बांदर अब्बास, अलफूजाइरा और मस्कट के पत्तनों की भी यात्रा की।

सूचना प्रौद्योगिकी

4.37 **नेवी बाइड नेटवर्किंग :** डाटा हस्तांतरण और संयोजन सुनिश्चित करने के लिए एक नेवी वाइड नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। इसे तीन वर्षों में क्रमिक रूप से स्थापित किया जाएगा।

4.38 **कंप्यूटरीकरण :** वेतन एवं भत्ता, अस्पताल प्रशासन एवं प्रशासन के क्षेत्रों में

भारतीय नौसेना के एक विध्वंसक द्वारा दागी गई जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल



विकास के लिए विभिन्न अनुप्रयोग कार्यक्रम विचाराधीन हैं। इन पैकेजों को घरेलू विशेषज्ञता के साथ-साथ बाह्य माध्यमों (आउट सोर्सिंग) की मदद से विकसित किया जाएगा।

4.39 **आई टी प्रशिक्षण :** नौसेना में कंप्यूटरीकरण की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आई टी प्रशिक्षण लगातार महत्वपूर्ण बना हुआ है। समय-समय पर साइट पर विभिन्न कोर्सों की व्यवस्था की जा रही है और उनका संचालन किया जा रहा है।

साहसिक कार्य और खेलकूद

4.40 **प्रथम एफ्रो-एशियाई खेल :** 24 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2003 तक हैदराबाद में आयोजित प्रथम एफ्रो-एशियाई खेलों में निम्नलिखित नौसेना कार्मिकों ने भारतीय नौसेना को ख्याति दिलाई :- (क) पेटी अफसर, ए एल लाकड़ा - मुक्केबाजी में रजत पदक; (ख) चीफ पेटी अफसर, सी पी आर एस कुमार- भारोत्तोलन में कांस्य पदक ।

4.41 **11वीं एशियाई नौचालन**

चैम्पियनशिप: 8 से 13 जनवरी 2004 तक मुंबई में आयोजित 11वीं एशियाई नौचालन चैम्पियन में नौसेना के खिलाड़ियों में विभिन्न वर्गों में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता ।

4.42 **अंतर्राष्ट्रीय वाई एम सी ए बॉक्सिंग टूर्नामेंट :** 3 से 7 फरवरी 2004 तक दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाई एम सी ए बॉक्सिंग टूर्नामेंट में पेटी अफसरों ए एल लाकड़ा और एम सुरंजॉय सिंह ने एक-एक रजत पदक जीता ।

4.43 **9वें सैफ खेल :** मार्च 2004 में इस्लामाबाद आयोजित 9वें सैफ खेलों में नौसेना के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते ।

4.44 **हवाई साहसिक खेल :** पैरा जंपिंग, स्काई डाइविंग, माइक्रोलाइट फ्लाइंग इत्यादि के आयोजन के लिए विशाखापत्तनम में डेका पर एक नोड स्थापित किया गया है। नौसेना भी अपनी स्काई डाइविंग टीम बना रही है। यह टीम बाद में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में हिस्सा लेगी ।

4.45 **पर्वतारोहण :** नौसेना मुख्यालय में भा नौ पर्वतारोहण सेल की स्थापना की गई है। 2002 में माउंट सुटिला पर सफल चढ़ाई के बाद नौसेना की पर्वतारोहण टीम ने हाल ही में माउंट कामेट/अबिगामिन और माउंट सासेर कांग्री पर वर्ष 2003 में चढ़ाई की ।

4.46 **23वां अंटार्कटिक अभियान :** तीन सदस्यीय नौसेना टीम ने दिसंबर 2003 से मार्च 2004 तक 23वें भारतीय ग्रीष्म अंटार्कटिक अभियान में हिस्सा लिया ।

भारतीय वायुसेना



एस.यू-30 मार्क-1 को शामिल किए जाने से भारत की रक्षा क्षमता की घातक शक्ति अत्याधुनिक हो गई है।

भारतीय वायु सेना का चरणबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण किया जा रहा है और आज यह क्षमता तथा प्रतिष्ठा में विश्वसनीय वायुशक्ति का प्रतीक है।

5.1 भारतीय वायुसेना (आई ए एफ) विशिष्टता और व्यावसायिकता की दिशा में एक प्रतिबद्ध आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रधान सेना है। भारतीय वायुसेना ने राष्ट्र की समर्पित सेवा में सात दशक पूरे कर लिए हैं। समकालीन प्रगति की मांग के अनुरूप आगे बढ़ते हुए भारतीय वायुसेना का चरणबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण किया जा रहा है और आज यह क्षमता तथा प्रतिष्ठा में विश्वसनीय वायुशक्ति का प्रतीक है।

5.2 भारतीय वायुसेना इस बात को सुनिश्चित करती है कि सभी कार्मिक अपनी व्यावसायिक निपुणता को उच्चतम स्तर तक विकसित करें, फिजूलखर्ची कम करें, व्यय को घटाएं तथा आउटपुट को बढ़ाएं। हालांकि नई तकनीक की संभावित लागत और जटिलताएं भारतीय वायुसेना की निपुणता और प्रतिबद्धता से अपूर्व अपेक्षाएं रखती हैं फिर भी चुनौतियों का सामना अनुकरणीय उत्साह तथा धैर्य के साथ किया गया। इस दौरान भारतीय वायुसेना हमेशा संक्रियात्मक रूप से सतर्क रही है और इसके कार्मिकों ने दृढ़ निश्चय के साथ दबावों तथा अनिश्चितताओं का सामना किया है।

5.3 भारतीय वायुसेना ने अत्यन्त मूल्यवान सेवा प्रदान की है और हवाई रक्षा वायु

प्रतिषेधन, टोह जैसी विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाया है तथा जमीनी बलों के साथ काउंटर-सरफेस ऑपरेशन का संचालन भी किया है। इसके अलावा यह प्राकृतिक विपत्तियों के समय सिविल प्राधिकरणों की भी सहायता करती है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्मिकों को ले जाती है और हिमालय के जोखिम भरे और अगम्य स्थानों पर स्थित सीमा चौकियों पर भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। परिवहन तथा हेलीकॉप्टर फ्लीटों के भारतीय वायुसेना पायलटों तथा वायुकर्मियों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी आकाश में अपने अस्तित्व को बनाए रखा।

फ्लीट सुधार /समावेश

5.4 भारतीय वायुसेना ने अपने फ्लीट के प्रचालन और अनुरक्षण संबंधी स्वावलंबन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए हैं। कई वायुयानों का अनुरक्षण और ओवरहॉल कार्य देश में ही किया जा रहा है। इसके अलावा, वायुयान तथा आयुध-प्रणालियों में अद्यतन एवियोनिक्स प्रणालियां लगाकर उनका रुपान्तरण करके अपग्रेड किया जा रहा है। इस संबंध में प्राप्त



हॉक, उन्नत जेट प्रशिक्षण विमान, भारतीय वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए अधिगृहीत किया जा रहा है।

कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :-

5.5 एडवान्स जेट ट्रेनर (ए जे टी):

अपनी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वायुसेना को लंबे समय से एक एडवान्स जेट ट्रेनर की आवश्यकता थी। हॉक ए जे टी वायुयान के लिए 26 मार्च 2004 को निर्माता मैसर्स बी ए ई सिस्टम, यू.के. के साथ संविदा की गई। 24 वायुयान मैसर्स बी ए ई सिस्टम से उड़ान स्थिति में प्राप्त किए जाएंगे और बाकी 42 वायुयान हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) द्वारा लाइसेंस के तहत भारत में निर्मित किए जाएंगे।

5.6 किरण मार्क I तथा II : इन वायुयानों को भारतीय वायुसेना में 1968 में शामिल किया गया था। इनका प्रयोग भारतीय वायुसेना के पायलटों को मध्यवर्ती तथा उच्च प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है। इन वायुयानों द्वारा निभाई जाने वाली अन्य महत्वपूर्ण भूमिका है, सूर्य-किरण हवाई करतब टीम के एक भाग के रूप में हवाई करतब करना, जिसके लिए परिशुद्ध उड़ान और त्रुटिहीन अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस वायुयान के कई

अतिरिक्त पुर्जों को स्वदेश में ही तैयार किया है।

5.7 एडिशनल मल्टी-रोल एयरक्राफ्ट :

एडिशनल मल्टी-रोल वायुयान के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।

5.8 मिग -21 (बिस यू पी जी) : मिग -

21 बिस वायुयानों को एच ए एल (नासिक डिवीजन) में अपग्रेड किया जा रहा है और इनमें अत्याधुनिक एवियोनिक्स प्रणालियां फिट की जा रही हैं। नई प्रणालियां वायुयान की क्षमता को बढ़ाने के लिए हैं। एच ए एल द्वारा अब तक 64 वायुयान अपग्रेड किए जा चुके हैं।

5.9 एस यू- 30 : एस यू-30के का

पहला दस्ता 1997 में शामिल किया गया था और एस यू - 30 मार्क I फेज I को 2002 में शामिल किया गया था। एस यू-30 मार्क I फेज II को अक्टूबर-दिसंबर 2003 में शामिल किया गया था। 2005 से 2018 तक लाइसेंस समझौते के तहत एस यू-30 मार्क I के निर्माण के लिए एच ए एल ने रूस के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं। एच ए एल रिपेयर और ओवरहॉल (आर ओ एच) सुविधाएं भी स्थापित कर रहा है। भा वा से में एस यू- 30 मार्क I को शामिल करना स्वावलंबन की दिशा

एस यू -30 मार्क
-I को शामिल
किए जाने से भारत
की रक्षा क्षमता की
घातक शक्ति
अत्याधुनिक हो गई
है।

में एक बड़ा कदम है और यह भारत की रक्षा क्षमता की घातक शक्ति को अधिक तीव्रता प्रदान करेगा।

5.10 **जगुआर** : भारतीय वायुसेना में जगुआर वायुयान 1979 में शामिल किए गए थे और 25 वर्षों से अधिक से ये अच्छी सेवा प्रदान करते आ रहे हैं। अब इन वायुयानों की कार्यनिष्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कई फेर-बदल किए जा रहे

हैं। इन फेर-बदल का उद्देश्य एवियोनिक्स को अधिक विकसित करना और आधुनिक आयुध प्रणालियों को फिट करना है। ये वायुयान आकाश में ईंधनभरण कर सकते हैं और आकाश में ईंधनभरण वायुयानों की प्राप्ति द्वारा इनके कार्यक्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष 2003-04 के दौरान एच ए एल से आठ दो-सीटर वायुयानों को प्राप्त करने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। इन वायुयानों पर एवियोनिक्स इंटीग्रेशन का कार्य पूरा हो चुका है और आयुध प्रणाली इंटीग्रेशन का कार्य चल रहा है।

5.11 **मानवरहित एरियल वाहन (यू ए वी)**: भारतीय वायुसेना में यू ए वी को पहली बार 2000 में शामिल किया गया था। इस बेड़े का सन् 2003 में और अधिक विस्तार किया गया। यू ए वी की डिलीवरी का कार्य 2004-05 तक पूरा होने की संभावना है।

5.12 **इग्जिक्टिव जेट** : 19 सितम्बर 2003 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अंतर्गत भा वा से के लिए चार एम्ब्रेयर विमान तथा एक विमान गृह मंत्रालय के लिए लिया जाएगा। इस करार में विक्रेता द्वारा स्व-रक्षा प्रणाली (एस पी एस) स्यूट के इन्टीग्रेशन का प्रस्ताव भी शामिल है। पहले दो विमानों की डिलीवरी 2005 के मध्य में शुरू हो जाएगी।

5.13 **एच एस - 748 विमान अपग्रेड** : एच एस-748 विमान में कुछेक एवियोनिक्स और अन्य उपकरणों के प्रचलन में न रहने के कारण उन्हें बदलने और इसके अलावा कुछेक नए एवियोनिक्स, जैसे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जी पी एस), दूरी मापक उपस्कर (डी एम ई) तथा रेडियो तुंगतामापी लगाने का भी प्रस्ताव किया गया। प्रोटोटाइप को अपग्रेड करने का कार्य पूरा कर लिया गया है और विमान को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया है। विमान के रूपान्तरण के करार पर एच ए एल ने 27 मार्च 2003 को हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसकी डिलीवरी का काम 30 अप्रैल 2004 से शुरू कर दिया जाएगा।

5.14 **उन्नत किस्म के हल्के हेलीकॉप्टर (ए एल एच)**: भारतीय वायुसेना ने चेतक हेलीकॉप्टरों को बदलने की अपने योजना के रूप में पहले ही उन्नत किस्म के हल्के हेलीकॉप्टरों को प्राप्त कर लिया है। यह देश में ही बना हेलीकॉप्टर है और हाल ही में सिंगापुर एयर शो, जहां भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रदर्शन टीम "सांग" के माध्यम से हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन किया, में इसकी बहुत प्रशंसा की गई। शुरू के हेलीकॉप्टरों में पारम्परिक कॉकपिट होगा जिसे अपग्रेडिड इंजन के साथ ग्लास के बने कॉकपिट में अपग्रेड किया जाएगा। फरवरी 2004 में भारतीय वायुसेना के 5 उन्नत किस्म के हल्के हेलीकॉप्टरों ने सिंगापुर एयर शो में हवाई प्रदर्शन में भाग लिया।

5.15 **हल्के समाघात हेलीकॉप्टर (एल सी एच)** : भारतीय वायुसेना की योजना है कि भारत में ही तैयार और विकसित 65 अत्याधुनिक हल्के समाघात हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाए। कम तीव्रता वाली युद्ध संक्रियाओं (एल आई सी ओ) में सेना को सहायता देने के अलावा ये हेलीकॉप्टर वायुसेना की समाघात क्षमता को बढ़ाएंगे।

5.16 **एम आई-8 एवं एम आई -17 हेलीकॉप्टर** : भारतीय वायुसेना में एम आई -8 एवं एम आई -17 हेलीकॉप्टरों को क्रमशः 1972 और 1984 में शामिल किया गया। इन्होंने विशिष्ट सेवा दी है। भा वा से ने 10 नए एम आई - 17 हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं। एम आई -17 हेलीकॉप्टरों का एक दस्ता इस समय कांगों में संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशन में सैनिक कार्रवाई कर रहा है।

5.17 **एम आई-35 हेलीकॉप्टर**: एम आई-35 हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना में 1994 में शामिल किया गया था और इन्होंने असाधारण रूप से अच्छी सेवा दी है। इन हेलीकॉप्टरों में इनकी दिन और रात्रि की क्षमता को अपग्रेड किया जा रहा है। इस समय एम आई -35 का एक दस्ता कांगों में संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशन में सैनिक कार्रवाई कर रहा है।

5.18 **पेचोरा मिसाइल प्रणाली को उन्नत बनाना**: पेचोरा मिसाइल प्रणाली वर्ष 2015 तक सक्रियात्मक रहेगी। इसके विश्वसनीय

संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पेचोरा प्रणाली का चयनात्मक अपग्रेडेशन करने को स्वीकृति दे दी है।

5.19 **पृथ्वी मिसाइल प्रणाली**: पृथ्वी मिसाइल प्रणालियों को धीरे-धीरे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है। सहयोगी जमीनी सहायता उपस्करों के साथ तीन स्ववाइनों को शामिल करने की योजना बनायी गयी है।

5.20 **एल्ट्रा रेडार के लिए एस ए आर/आई एस ए आर विकल्प** : विकल्प के रूप में एस ए आर /आई एस ए आर द्वारा समुद्री जगुआर वायुयान पर मौजूदा अग्निशमन नियंत्रण रेडार

को उन्नत किया गया है। इसके परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए गए और 13 जनवरी 2004 को एक संविदा के तहत मांग को अंतिम रूप दिया गया।

5.21 **विमानवाहित चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली (ए डब्ल्यू ए सी एस)** : भारतीय वायुसेना के लिए ए डब्ल्यू ए सी एस परियोजना पर सभी पक्षों के कार्य और उत्तरदायित्व के क्षेत्र की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए भारत, इजराइल और रूसी संघ की सरकार के बीच 10.10.2003 को सहयोग के सिद्धांतों और इसकी पद्धति से संबंधित ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तदनन्तर, इजराइल के साथ 03 मार्च 2004 को एक अन्तर-सरकार समझौता (आई जी ए) किया गया जिसके बाद ए डब्ल्यू ए सी एस वायुयान प्राप्त करने के लिए मैसर्स आई ए डी एल्टा सिस्टम के साथ संविदा की गई। ये वायुयान शक्ति प्रवर्धक के रूप में, भारतीय वायुसेना की समाघात शक्ति को बढ़ाएंगे। मूल प्लेटफार्म आई एल-76 वायुयान है, इस प्रकार यह वायुसेना के मौजूदा बेड़े की तरह ही है।

5.22 **हवाई रक्षा जमीनी संचार नेटवर्क** : हवाई रक्षा संक्रिया घटकों, जैसे लड़ाकू वायुयान स्क्वाड्रनों, रेडारों, कमान मुख्यालयों इत्यादि के प्रभावी और दक्ष इन्टीग्रेशन (एकीकरण) के लिए फाइबर ऑप्टिक मीडिया (एफ ओ मीडिया), उपग्रह और सूक्ष्मतरंग प्रणाली को प्रयोग में लाकर विभिन्न अत्याधुनिक संचार नेटवर्क जैसे एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली (आई ए सी सी सी एस), तिर विमान (एयरोस्टेट), मानवरहित हवाई वाहन (यू ए वी), पृथ्वी सामरिक हवाई केन्द्र (टी ए सी)/ संयुक्त हवाई रक्षा केन्द्र (जे ए डी सी)/ दिल्ली हवाई रक्षा केन्द्र (डी ए डी सी)/ नियंत्रण एवं रिपोर्ट केन्द्र (सी आर सी) इत्यादि की योजना बनायी जा रही है। मौजूदा हवाई रक्षा जमीनी पर्यावरण प्रणाली (ए डी जी ई एस) संचार नेटवर्क को भी फाइबर ऑप्टिक मीडिया का प्रयोग करते

भारतीय वायुसेना के लिए ए डब्ल्यू ए सी एस परियोजना पर सभी पक्षों के कार्य और उत्तरदायित्व के क्षेत्र की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए भारत, इजराइल और रूसी संघ की सरकार के बीच 10.10.2003 को सहयोग के सिद्धांतों और इसकी पद्धति से संबंधित ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

हुए अतुल्यकालिक ट्रांसफर मोड (ए टी एम) तकनीक से आधुनिक बनाया जा रहा है।

5.23 **हवाई रक्षा जमीनी रेडार :** शत्रु के आक्रमण के खिलाफ प्रभावी हवाई रक्षा उपलब्ध कराने के लिए अत्याधुनिक रेडार और संचार प्रणालियां, जैसे एयरोस्टार, निम्न लेवल के हल्के भार के रेडार (एल एल एल डब्ल्यू आर) इत्यादि, शामिल होने के विभिन्न चरणों में हैं।

प्रौद्योगिकीय सुविधा

5.24 **केन्द्रीय अवाप्ति रेडार (सी ए आर):**

इस रेडार को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी आर डी ओ) द्वारा देश में ही बनाया और विकसित किया गया है। देशीय प्रौद्योगिकीय विकास को सहारा देने की भारतीय वायुसेना की नीति का पालन करते हुए, प्रोटोटाइप रेडार का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन किया गया और इसके परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं।

5.25 **शक्ति प्रवर्धक :** भारतीय वायुसेना ने चार आई एल-78, उड़ान के दौरान ईंधन भरने वाले वायुयान (एफ आर ए) प्राप्त कर लिए हैं। भारतीय वायुसेना ने एस यू-30, एस यू-30 मार्क -I, जगुआर और मिराज वायुयान पर उड़ान के दौरान ईंधन भरने का काम चालू कर दिया है।



माइक्रोलाइट विमान, पक्षी सर्वेक्षण उड़ान के लिए तैयार खड़ा है।

उड़ान संरक्षा को बढ़ाना

5.26 **पक्षी टकराव-रोधी उपाय :** इस वर्ष (01 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च 2004) तक पक्षी के टकराने के कारण कोई श्रेणी 1 (कैट-1) दुर्घटना नहीं हुई है। यह पेड़-पौधों की सफाई के जोरदार अभियान और पक्षीरोधी उपायों के कार्यान्वयन से ही संभव हुआ। परिसर की सफाई के लिए 52 स्टेशनों को हैवी-ड्यूटी ट्रैक्टरों और घास काटने वाली मशीनों की सप्लाई की गई है। दो अतिरिक्त पक्षी संकट समाघत दलों (बी एच सी टी) का गठन किया गया है और 15 अस्थायी बी एच सी टी को स्थायी कर दिया गया है। पक्षी-रोधी संकट उपायों की प्रभावकारिता में वृद्धि करने के लिए इसके व्यय में बढ़ोत्तरी कर दी गई है।

5.27 **मानव गलती से होने वाली**

दुर्घटनाओं को कम करने के उपाय : दुर्घटनाएं घटाने के लिए भारतीय वायुसेना में सक्रियात्मक जोखिम प्रबंधन (ओ आर एम) की संकल्पना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस संकल्पना के कार्यान्वयन के लिए सॉफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है।

5.28 **हेल्पलाइन सेवा :** वायुयान दुर्घटनाओं में पीड़ित कार्मिकों के संबंधियों को सहायता देने के लिए एक हेल्पलाइन सेवा की स्थापना की गई है।

सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति

5.29 **अंतरिक्ष अनुप्रयोग :** भारतीय वायुसेना ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके संचार, निगरानी और टोह, खोज और बचाव के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उपग्रह इन्सैट श्रृंखला के उपग्रहों का प्रयोग जहां संचार के लिए किया जा रहा है, वहीं आई आर एस श्रृंखला के उपग्रहों का प्रयोग प्रतिबिम्ब लेने के लिए किया जा रहा है। भारत ने इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट (आई आर एस)- टी ई एस के द्वारा 1 मीटर की दूरी से प्रतिबिम्ब बनाने की क्षमता हासिल कर ली है।

5.30 **इलैक्ट्रॉनिक इंटेलिजेन्स (ई एल आई एन टी)** के क्षेत्र में प्रगति हुई है और प्रतिबिम्ब बनाने के क्षेत्र में विभेदन को और बढ़ाया गया है। खोज और बचाव (एस ए आर) के क्षेत्र में भारतीय वायुसेना ने अपने वायुयानों के लिए ऐसे संकेतक (बीकन) खरीदने की योजना बनाई है जो कि सेटलाइट आधारित एस ए आर प्रणाली के अनुरूप होंगे।

5.31 **इलैक्ट्रॉनिक वारफेयर (ई डब्ल्यू) उपस्कर** : लड़ाकू बेड़े में मूलभूत न्यूनतम इंटीग्रेटेड ई डब्ल्यू स्व-रक्षा सूट, रेडार वार्निंग रिसीवर (आर डब्ल्यू आर), काउन्टर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम (सी एम डी एस) और एयरबोर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर (ए एम पी जे) जुड़नार को शीघ्र अतिशीघ्र शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा परिवहन वायुयान और हेलीकॉप्टरों में भी आर डब्ल्यू आर और सी एम डी एस जुड़नार लगाने की योजना है।

5.32 **पूर्व चेतावनी (ई डब्ल्यू)** : क्षमता में भारतीय वायुसेना को और अधिक शक्ति सम्पन्न बनाने के लिए अनेक तरह की उन्नत किस्म की पूर्व चेतावनी (ई डब्ल्यू) प्रणालियों, अर्थात् इंटीग्रेटेड पूर्व चेतावनी रेंज, कम्युनिकेशन जैमिंग (सी ओ एम जे ए एम) प्रणाली, एयरबोर्न और जमीन पर लगी सिगनल इंटेलिजेन्स प्रणाली, मिसाइल चेतावनी प्रणाली आदि की खरीद पर विचार किया जा रहा है।

5.33 **सिगनल इंटेलिजेन्स (एस आई जी आई एन टी) क्रियाकलाप** : वायुयान पर वायुवाहित प्लेटफार्म और जमीन पर लगी प्रणालियों में भी नई प्रकार की सिगनल इंटेलिजेन्स प्रणालियों की खरीद पर विचार किया जा रहा है ताकि पुरानी प्रणालियों को बदला जा सके और साथ ही निगरानी क्षमताओं में वृद्धि की जा सके।

5.34 **इंटीग्रेटेड पूर्व चेतावनी (ई डब्ल्यू) वर्कशॉप** : इस नई संकल्पना की शुरुआत पूर्व

चेतावनी (ई डब्ल्यू) प्रशिक्षण को और अधिक कारगर बनाने और स्कवाड्रों और यूनिटों को पूर्व चेतावनी (ई डब्ल्यू) पर इंटीग्रेटेड ढंग से मूल्यांकित करने के लिए की गई है।

5.35 **निगरानी और पूर्व चेतावनी** : भारतीय वायुसेना में मल्टीपल पेलोड युक्त एरोस्टेट सरविलेंस सिस्टम को लागू किया जा रहा है। इस सिस्टम का प्रमुख कार्य हवाई रक्षा अवसंरचना को कम ऊंचाई पर संसूचन कवरेज देना और उसे प्रबलित करना है। एरोस्टेट सिस्टम फोर्स मल्टीप्लायर का कार्य करेगा और दुश्मनों के विरुद्ध युद्धनीतिक और सामरिक दोनों लाभ प्राप्त होंगे। पेलोड एरोस्टेट के रूप में हवा में तिरता रहेगा। इससे गुप्त रूप से दुश्मन के क्षेत्र में झांकने की क्षमता प्राप्त होगी और आक्रामक मिशनों में सहायता देना संभव होगा।

5.36 **एयरबार्न अर्ली वार्निंग एण्ड कंट्रोल सिस्टम (ए ई डब्ल्यू एण्ड सी)**: डी आर डी ओ के सहयोग से वायुवाहित प्रणाली (सी ए बी एस) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वदेश में ही दो विमानवाहित पूर्व चेतावनी और नियंत्रण प्लेटफार्म विकसित किए जा रहे हैं। इन प्लेटफार्मों के विकसित हो जाने से हम इलैक्ट्रॉनिक युद्ध-पद्धति के क्षेत्र में विदेशी विक्रेताओं पर कम से कम निर्भर रहेंगे।

5.37 **लो लेवल लाइटवेट रेडार (एल एल एल डब्ल्यू आर)** : ये कम ऊंचाई के हल्के भार वाले रेडार हैं, जिन्हें ऊबड़-खाबड़ भूमि और पर्वतीय क्षेत्रों में व्यक्ति या विमान द्वारा ले जाया जा सकता है। इन रेडारों को शामिल करने से इन्हें किसी भी स्थान में अल्प सूचना पर लगाया जा सकता है। यह कम ऊंचाई पर संकट का पता देने और पर्वतीय क्षेत्रों में अति आवश्यक पूर्व चेतावनी देने का कार्य भी करता है।

5.38 **एल/एल सूचना प्राप्त करना** : भू-लाइन संचार को बीच में भेदकर सुनने का खतरा रहता है। मीडिया को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बीजांक प्रणाली की योजना बनाई

गई है ताकि ध्वनि सम्प्रेषण और आंकड़ों का सुरक्षित प्रेषण किया जा सके। फिलहाल, स्टेज I (डब्ल्यू ए सी) 2 मेगा बिट्स प्रति सेकेण्ड (एम बी पी एस) अन्तः कमान नेटवर्क और ट्रोपो लाइनों की सुरक्षा के लिए भारी मात्रा में बीजांक यूनिटों का इस्तेमाल हो रहा है। अन्य प्रणाली के बीजांकों को भी अपग्रेड करने की योजना है।

5.39 न्यूक्लीयर, बाइलॉजिकल एण्ड

कैमिकल (एन बी सी) वारफेयर : कुछ अग्रवर्ती एयरबेसों और तत्काल प्रतिक्रिया दलों (क्यू आर टी) के लिए आणविक, जैविक और रासायनिक उपस्करों की प्राप्ति का कार्य चल रहा है। निजी सुरक्षा वस्त्र जैसे एन बी सी सूट, दस्ताने और बूट तथा डिटेक्शन डीकंटेमिनेशन उपस्कर भी इस प्राप्ति का ही हिस्सा है।

प्रशिक्षण

5.40 मंत्रियों के दल (जी ओ एम) ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा के दौरान संसाधनों/ प्रयासों के उपयोग में सामंजस्य के लिए सैन्य और सिविल संगठनों में अधिक तालमेल पर बल दिया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय वायुसेना ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा

परिषद (ए आई सी टी ई) और महानिदेशक, सिविल विमानन (डी जी सी ए) के साथ भारतीय वायुसेना में चलाए जा रहे प्रशिक्षण/पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने के मुद्दे को उठाया। इस प्रयास के परिणाम नीचे दिए हैं :-

- उड़ान प्रशिक्षण स्थापनाओं में दिए जाने वाले प्रशिक्षण और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए (अनुरक्षण शाखा के अफसर और वायुसैनिकों के लिए) महानिदेशक, सिविल विमानन (डी जी सी ए) का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया

है।

- भारतीय वायुसेना में दिए जानेवाले तकनीकी प्रशिक्षण के लिए ए आई सी टी ई द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रदान करने की अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

- जून 2003 में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा गैर तकनीकी ट्रेड्समैन को दी जाने वाली सैन्य अर्हता को सिविल के समकक्ष मान्यता मिल गई है।

5.41 **वायुसेना इंजीनियरी कॉलेज :** भारतीय वायुसेना की, विशेषकर तकनीकी शाखाओं में उच्च कोटि की व्यावसायिकता आवश्यक है, क्योंकि भारतीय वायुसेना में सक्रियात्मक कारगरता मशीनों के साथ-साथ उन कार्मिकों पर भी निर्भर करती है जोकि उन्हें उड़ते और चलाते हैं। उड़ान शाखा के लिए सभी सपोर्ट-सिस्टमों की सक्रियात्मक तत्परता भी एक महत्वपूर्ण घटक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय वायुसेना में व्यावसायिक रूप से सक्षम पर्याप्त तकनीकी अफसर हों, सरकार ने सैद्धांतिक रूप से वायुसेना इंजीनियरी कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

5.42 **डी जी सी ए द्वारा भा वा से प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता :** देश में विमानन के क्षेत्र में बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए सभी रक्षा पायलटों को कमर्शियल पायलट की अपेक्षाएं भी पूरी करना जरूरी हैं। डी जी सी ए ने भारतीय वायुसेना प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान कर दी है और वायुसेना अकादमी में द्वि-वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। सिविल लाइसेंस स्किल टेस्ट के आयोजन के लिए सैन्य वायुयान आई एल-76, ए एन-32 और एम आई-17 को मान्यता दिए जाने की बात चल रही है।

5.43 **वायुसेना जागरूकता अभियान :** हमारे देश के नवयुवक विशेषतौर पर वे, जो देश के बाहरी हिस्सों में रहते हैं, वैमानिकी और वायुसेना में कैरियर के प्रति पर्याप्त तौर पर जागरूक नहीं हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय वायु सेना के पास व्यावसायिक रूप से सक्षम पर्याप्त तकनीकी अफसर हों। भारत सरकार ने एक वायु सेना इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना के प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया है।

उत्साही, प्रतिभाशाली और अभिप्रेरित नवयुवकों को आकर्षित करने के लिए भा वा से ने देश के सभी हिस्सों में जागरूकता अभियान चलाया है। इन अभियानों की प्रतिक्रिया अत्याधिक उत्साहवर्धक रही।

5.44 **वायुयान - दौड़ 2003** : वर्ष 2003 शक्ति चालित उड़ान का शताब्दी वर्ष था। 17 दिसम्बर 1903 को वायुयान ने अपनी पहली उड़ान भरी। भारत में इस अवसर की याद को ताजा करने के लिए भारतीय वायुसेना ने भारतीय वैमानिक सोसायटी के साथ मिलकर एक वायुयान दौड़ का आयोजन किया।

5.45 **प्रशिक्षित रक्षा कार्मिकों का सदुपयोग**: सैनिक और असैनिक संगठनों में सौहार्द बढ़ाने और अत्यधिक प्रशिक्षित तथा अनुशासित रक्षा कार्मिकों का सदुपयोग राष्ट्र निर्माण में करने के लिए भारतीय वायुसेना ने अनेक सिविल संगठनों, जैसे कि पवनहंस, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को भा वा से कार्मिकों के पार्श्वक आमेलन के लिए लिखा है।

5.46 **भा वा से कार्मिकों का विदेश में प्रशिक्षण** : वर्तमान में भा वा से विदेशों में चल रहे अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले रही है। ये पाठ्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका (यू एस ए), इंग्लैंड (यू के), फ्रांस, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, जापान, इण्डोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड, बंगलादेश, नीदरलैंड, जर्मनी और चीन में आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा भा वा से का एक अफसर इस समय अर्हता प्राप्त उड़ान अनुदेशक (क्यू एफ आई) अदला-बदली कार्यक्रम के तहत अमरीकी वायुसेना (यू एस ए एफ) में प्रतिनियुक्ति पर है।

5.47 **भा वा से में विदेशी विद्यार्थियों का प्रशिक्षण** : विदेशी विद्यार्थी भा वा से की स्थापनाओं में प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। विदेश मंत्रालय (एम ई ए) भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग-I (आई टी ई सी -I), आई टी ई सी-II, स्व-वित्त योजना (एस

एफ एस) तथा श्रीलंका के कार्यक्रमों को सहायता के अंतर्गत प्रशिक्षण स्लॉट उपलब्ध कराता है। नेपाल और भूटान के कार्मिकों के प्रशिक्षण का खर्चा सरकार देती है। इस वर्ष के दौरान म्यांमार, बंगलादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, मलेशिया और बोत्स्वाना के अफसरों और कार्मिकों ने भारत स्थित विभिन्न प्रशिक्षण स्थापनाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त नाइजीरिया के लिए भी प्रशिक्षण स्लॉट उपलब्ध कराए गए हैं।

रक्षा सहयोग

5.48 द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भा वा से ने अनेक देशों के साथ संयुक्त अभ्यास किए हैं। इन अभ्यासों से, देशों के बीच सद्भावना बढ़ाने के साथ-साथ हमारे कार्मिकों को विमानन के क्षेत्र में हुई नवीनतम जानकारी का भी पता चला है। इन अभ्यासों का ब्यौरा आगामी पैराओं में दिया गया है।

5.49 **सेना की अगुआई में किए गए अभ्यास**: 'वज्र प्रहार 03-1' अभ्यास/ 'बैलैंस इरोक्वोइस 03-1' अभ्यास। 'वज्र प्रहार 03-1' अभ्यास, एक संयुक्त अभ्यास था जो वेंरेंगटे तथा आसपास के क्षेत्र में अप्रैल 2003 में किया गया। इस अभ्यास का आयोजन यू एस स्पेशल आपरेशन्स पैसिफिक कमांड के साथ किया गया। इसमें भा वा से के दो ए एन-32 और छः एम आई-17 वायुयान तथा भारतीय सेना की पूर्व 21 पैरा स्ट्राइकफोर्स (एस एफ) का एक दल शामिल था। यू एस की ओर से 21 सैनिकों का एक टुप और सिविल एफेयर्स कार्मिक शामिल थे।

5.50 सितम्बर 2003 में स्पेशल फोर्सेज का एक संयुक्त अभ्यास उच्च तुंगता क्षेत्र (एच ए ए) में संक्रिया अभ्यास 'बैलैंस इरोक्वोइस 03-4'/अभ्यास 'वज्र प्रहार 03-3' का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में रॉक-क्राफ्ट, क्लिफ असॉल्ट तकनीक तथा भू-प्रशिक्षण और फ्रेंडशिप जम्प शामिल थे। भा वा से ने एक ए एन-32 से पैराड्राप में भाग लिया। ए न-32 से फ्रेंडशिप जम्प स्तकना ड्रॉप जोन (डी जेड) में किए गए। सत्रह यू एस टुपों और

भारतीय टुपों ने मिलकर इस फ्रेंडशिप जम्प में भाग लिया।

5.51 नौसेना की अगुआई में किए गए

अभ्यास : भारत अफ्रीका का संयुक्त नेवल स्पेशल फोर्सेज अभ्यास मार्च 2004 में गणपतिफूल (रत्नगिरी) में किया गया था। इसमें पैरा जम्प, काम्बेट फ्री फाल्स और 2 x ए एन -32 वायुयान से

डक-डूप तथा स्पेशल हेलिबोर्न ऑपरेशन (एस एच बी ओ) तथा 2 x एम आई -8 हेलीकॉप्टरों से काम्बेट फ्री फाल अभ्यास किए गए।

5.52 वायुसेना की अगुआई में

किए गए अभ्यास : 'कोऑप्रेटिव कोप थंडर-03' (सी सी टी-03), बहुपक्षीय अभ्यास, का आयोजन जून 2003 में किया गया। सी सी टी अभ्यास का आयोजन हर वर्ष जून-जुलाई में अलास्का में किया

जाता है। भा वा से की तरफ से सी सी टी - 03 में एक आई एल-76 तथा 31 क्रू ऑब्जर्वर्स ने भाग लिया। इनमें तीन ऑब्जर्वर उड़ान, फाइटर कंट्रोलर तथा मौसम विज्ञान शाखाओं से थे। भा वा से ने एग्जक्यूटिव स्तर के आब्जर्वर कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरे देशों के आब्जर्वरों से बातचीत करने तथा बहुपक्षीय संक्रिया को निकट से देखने का अवसर मिला। किसी बहुपक्षीय अभ्यास में भा वा से द्वारा भाग लेने का यह पहला अवसर था। आई एल- 76 सॉर्टी में एयरड्रॉप मिशन, हवाई शक्तिचालन में भाग लेना, एग्जक्यूटिव आब्जर्वर्स के लिए ओरिएन्टेशन राइड तथा उत्तरी ध्रुव के लिए उड़ानें भरना शामिल था। प्रशिक्षण के उद्देश्य से, इस अभ्यास में बहुपक्षीय काम्बेट युद्ध अभ्यास का सफल एकीकरण, इसमें सबकी भागीदारी और मिशन योजना प्रक्रिया में अनेक राष्ट्रों के साथ आपसी सहयोग तथा चुम्बकीय दिक्सूचक बैक-अप के बिना ग्रिड नौचालन का प्रयोग शामिल था। आई एल-76 पोल्स-फ्लाइट तथा 09:36 घंटे की एन्ड्यूरेंस फ्लाइट एक अच्छी सफलता थी।

5.53 कोप इंडिया -04 अभ्यास : कोप

इंडिया-04 अभ्यास इस द्विपक्षीय अभ्यास, का आयोजन ग्वालियर में यू एस ए एफ और भा वा से के लड़ाकू वायुयानों द्वारा किया गया। यही पहला मौका था जब दोनों देशों के फ्रंटलाइन लड़ाकू वायुयान इसमें शामिल हुए। विषम हवाई सामाघात प्रशिक्षण (डी ए सी टी) अभ्यास 14 से 26 फरवरी तक आयोजित किया गया। यू एस ए एफ के छः एफ-15 वायुयानों ने भा वा से के मिराज, मिग-21, बिसन, मिग-27, मिग-29 और एस यू-30 वायुयानों के विरुद्ध 52 सार्टीज की। इसके पीछे उद्देश्य था एक दूसरे की संक्रियात्मक एवं अनुरक्षण प्रक्रिया के बारे में जानना, जिसे काफी हद तक प्राप्त किया गया।

5.54 इंडो-ताजिकिस्तान संयुक्त अभ्यास :

जुलाई-अगस्त-2003 में ताजिकिस्तान में एक संयुक्त वायु अभ्यास का आयोजन किया गया था। इस अभ्यास का आयोजन ताजिकिस्तान की वायुसेना के स्थापना दिवस 05 अगस्त 2003 के अवसर पर किया गया था। भारतीय बेड़े में तीन ए एन-32 वायुयान छाताधारी सैनिक तथा पैरा जम्पिंग अनुदेशक (पी जे आई) शामिल थे। भारतीय सेना की पैरा ब्रिगेड तथा ताजिकिस्तान सेना की 7 एसाल्ट ब्रिगेड के छाताधारी सैनिकों ने इस अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास का समापन फकराबाद के ड्रॉप-जोन में पैराड्रॉप के साथ हुआ।

खेलकूद और साहस कार्य

5.55 खेलकूद के क्षेत्र में भा वा से की

उपलब्धियां : वारंट अफसर राम मेहर सिंह, भू-प्रशिक्षण अनुदेशक (जी टी आई- खेलकूद) को कबड्डी के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने पर "अर्जुन पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें यह पुरस्कार 29 अगस्त 2003 को प्रदान किया गया। राम मेहर सिंह को हरियाणा सरकार द्वारा भी अक्टूबर 2001 में "भीम पुरस्कार" से सम्मानित किया गया था।

5.56 **हवाई करतब :** जून 2003 में वायुसेना स्टेशन हिण्डन में एक बुनियादी हवाई करतब कोर्स का आयोजन किया गया। इसमें 55 कार्मिकों में से प्रत्येक ने पांच जंप पूरे किए और छः दिन के रिकार्ड समय में पैरा विंग्स हासिल किए।


भारतीय वायु सेना ने जून 2003 में अलास्का के बहुपक्षीय अभ्यास में भाग लिया जिसमें एक आई एल 76 तथा 31 कर्मियों/पर्यवेक्षकों ने भाग लिया।

तटरक्षक



दमन में परेड के दौरान तटरक्षक बल के नाविक

भारत के 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर लम्बे अनन्य आर्थिक क्षेत्र की निरन्तर निगरानी करने का दायित्व तटरक्षक बल का है ।



6.1 भारतीय तटरक्षक का गठन हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई ई जेड) के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए संघ के एक सशस्त्र बल के तौर पर 1978 में किया गया था। तटरक्षक भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में जोकि 2.02 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है, नियमित निगरानी रखने के लिए उत्तरदायी है, ताकि अवैध मत्स्य शिकार /तस्करी तथा दूसरी अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। इसके अलावा, तटरक्षक के ड्यूटी चार्टर में समुद्र में प्रदूषण नियंत्रण, खोज एवं बचाव और समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना भी शामिल है।

संगठन

6.2 तटरक्षक की कमान तथा नियंत्रण, तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली से महानिदेशक द्वारा संभाली जाती है। इसकी तीन क्षेत्रीय कमानें हैं, जिनके क्षेत्रीय मुख्यालय मुम्बई, चेन्नई तथा पोर्टब्लेयर में हैं। भारत की सम्पूर्ण तटीय रेखा तथा समुद्री क्षेत्रों की तीन क्षेत्रों के अधीन बांटा गया है। इन क्षेत्रों को आगे तटरक्षक जिलों में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक जिला कमांडर

तटीय प्रांत का प्रतिनिधित्व करता है। तटरक्षक के अधीन दो वायु स्टेशन, दमन तथा चेन्नई में तैनात हैं तथा चार वायु इन्क्लेव जोकि गोवा, मुम्बई, कोलकाता तथा पोर्टब्लेयर में हैं।

बलस्तर

6.3 1978 में मामूली शुरूआत के साथ तटरक्षक ने लगातार पोतों तथा वायुयानों को शामिल करते हुए अपने बलस्तर को बढ़ाने में तेजी से प्रगति की है। तदनुसार, नवम्बर 2003 से 31 मार्च 2004 के दौरान अत्याधुनिक अपतटीय गश्ती पोत, 1 अंतर्रोधी नौका तथा 1 अत्याधुनिक हल्का हेलिकाप्टर की कमीशनिंग करके अब तटरक्षक के पास 38 पोत, 20 अंतर्रोधी नौकाएं /क्राफ्ट, 6 होवरक्राफ्ट, 24 डोरनियर वायुयान, 17 चेतक हेलिकॉप्टर तथा 3 अत्याधुनिक हल्के हेलिकाप्टरों का बलस्तर हो गया है।

पोत /वायुयान/स्टेशनों की कमीशनिंग/सक्रियण

6.4 इस अवधि के दौरान निम्नलिखित पोत/वायुयान/स्टेशनों को कमीशन/सक्रिय किया गया :

क) मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा द्वारा निर्मित तटरक्षक पोत दुर्गाबाई देशमुख की अप्रैल 2003 में सेवा में कमीशनिंग की गई।

ख) चौथे अत्याधुनिक अपतटीय गश्ती पोत का अधिग्रहण : चौथा अत्याधुनिक अपतटीय गश्ती पोत, तटरक्षक पोत सागर की 3 नवम्बर 2003 को गोवा में कमीशनिंग की गई। यह पोत मुम्बई में तैनात है तथा इससे तटरक्षक क्षेत्र (पश्चिम), मुम्बई की निगरानी क्षमताओं में मजबूती आई है।

ग) अंतर्रोधी नौका (आई बी): 10वीं अंतर्रोधी नौका, जिसका निर्माण मैसर्स अन्डरसन मैरीन प्राइवेट लिमिटेड, गोवा द्वारा किया गया है, 15 नवम्बर 2003 को कमीशन की गई तथा गोवा में तैनात है।

घ) तीसरा अत्याधुनिक हल्का

हेलिकॉप्टर: मैसर्स हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बंगलौर द्वारा स्वदेश में निर्मित, तीसरे अत्याधुनिक हल्का हेलिकॉप्टर सी जी-853 को 30 मार्च, 2004 को सेवा में शामिल किया गया।

ड) तटरक्षक स्टेशन क्वार्थी : तटरक्षक स्टेशन क्वार्थी, जोकि लक्ष्यद्वीप तथा



तटरक्षक बल की अन्तरोधक नौका पाम्बन सेतु पार करते हुए

मिनिक्वाय द्वीपसमूह में स्थित है, का 15 जनवरी 2004 को तटरक्षक महानिदेशक द्वारा सक्रियण किया गया।

नये अधिग्रहण

6.5 तटरक्षक ने नये अधिग्रहण के मामलों में निम्नलिखित प्रगति की है :

(क) अंतर्रोधी नौकाएं : 22 मार्च 2004 को कुल रु 3.74 करोड़ की लागत पर 8 अंतर्रोधी नौकाओं के अधिग्रहण का ठेका दे दिया गया है। इन नौकाओं का निर्माण मैसर्स ब्रिस्टॉल बोट्स कोची द्वारा किया जा रहा है तथा दो वर्षों के भीतर इनकी सुपुर्दगी की संभावना है। इन नौकाओं से तटीय रेखा के पास उथले पानी में गश्त करनी बहुत ही आसान हो जायगी। .

(ख) अत्याधुनिक अपतटीय गश्ती पोत: 18 मार्च 2004 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ रु 228.13 करोड़ की लागत पर 5वें अत्याधुनिक अपतटीय गश्ती पोत के निर्माण का ठेका दिया गया है। यह पोत 24 समुद्री मील की गति की क्षमता वाला है तथा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है तथा बड़े आपरेशनों के लिए कर्मियों के पर्याप्त आराम हेतु बनाया गया है। पोत को एक अत्याधुनिक हल्के हेलिकॉप्टर को वहन करने योग्य बनाया गया है और उन्नत अग्निशमन तथा प्रदूषण नियंत्रण क्षमताओं के साथ लैस किया गया है।

(ग) प्रदूषण नियंत्रण पोत : मैसर्स ए वी जी शिपयार्ड, सूरत के साथ 31 मार्च 2004 को रु. 424.07 करोड़ की लागत पर 3 प्रदूषण नियंत्रण पोतों के निर्माण का ठेका दिया गया है। इससे, समुद्र में तेल बिखराव की आपदाओं से निपटने की लम्बे समय से



लम्बित आवश्यकता प्रभावशाली ढंग से पूरी हो जाएगी। ये पोत दुनिया में अपनी किस्म के सर्वोत्तम हैं तथा तटरक्षक को समुद्र में किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए प्रभावशाली होंगे।

(घ) तीव्रगामी गश्ती पोत : मैसर्स गोवा शिपयार्ड मिलिटेड, गोवा द्वारा रू. 222.85 करोड़ की लागत पर पांच तीव्रगामी गश्ती पोतों के निर्माण का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। ये उन दो तीव्रगामी गश्ती पोतों की श्रृंखला में से हैं जिन्हें 2002-03 के दौरान अधिग्रहण किया गया था ये पोत तटरक्षक की क्षमताओं में बढ़ोत्तरी करेंगे। ये पोत 35 समुद्री मील की अधिकतम गति से चल सकते हैं तथा दुनिया में इस श्रेणी के सर्वोत्तम पोतों में से हैं।

उपलब्धियां

- 6.6 (क) **संक्रियात्मक उपलब्धियां** : इस अवधि के दौरान तटरक्षक द्वारा अधोलिखित आपरेशनल उपलब्धियां की गई :-
- (i) अवैध रूप से मछली पकड़ने वाली पकड़ी गई नौकाएं - 31
 - (ii) पकड़े गए तस्करी करने वाले पोत - 1
 - (iii) जब्त किया गया निषिध माल - रू0 7 लाख के बराबर
 - (iv) समुद्र में बचाये गए व्यक्ति - 169
 - (v) बचाये गए संकटग्रस्त पोत - 13
 - (vi) रोकी गयी समुद्री प्रदूषण की घटनाएं- 5
 - (vii) चलाये गए समुद्री प्रदूषण अभियान- 4

(ख) **पोत रिपोर्टिंग पद्धति “इंडसार”**: तटरक्षक द्वारा 01.2.2003 से खोज एवं बचाव के लिए एक अत्याधुनिक कंप्यूटर आधारित पोत रिपोर्टिंग पद्धति “इंडसार” चलन में लाई गई है तथा समुद्री बचाव समन्वय केन्द्र मुम्बई के माध्यम से चलाई जा रही है। भारत के खोज एवं बचाव क्षेत्र, इंडसार में चलने / पारगमन करने वाले 300 जी आर टी से अधिक वाले वाणिज्यिक पोतों की भागीदारी स्वैच्छिक है तथा पोतों को विद्यमान समुद्र में जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा (सोलास) 74 तथा खोज एवं बचाव (सार) -79 के तहत निर्धारित दरों से अतिरिक्त शुल्क अथवा अतिरिक्त उत्तरदायित्व वहन नहीं करना होगा।

(ग) **राष्ट्रीय खोज एवं बचाव बोर्ड** : 22.4.2003 को तटरक्षक महानिदेशक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खोज एवं बचाव बोर्ड की दूसरी बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जहाजरानी मंत्रालय, महानिदेशक (जहाजरानी), भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड, भारतीय नौसेना, दूरसंचार विभाग तथा राष्ट्रीय मत्स्य कामगार मंच के प्रतिनिधियों

ने भाग लिया। बोर्ड के सभापति ने राष्ट्रीय खोज एवं बचाव मैनुअल के प्रथम संस्करण का विमोचन किया तथा खोज एवं बचाव संसाधनों के प्रभावी समन्वय हेतु सदस्यों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय खोज एवं बचाव योजना 2003 भी प्राख्यापित की।

6.7 आपरेेशन

(क) **आपरेेशन ताशा** : उग्रवादियों द्वारा घुसपैठ रोकने के

लिए तमिलनाडु तट की सुरक्षा का भार भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक को सौंपा गया है। तटरक्षक के पोत तथा वायुयान पाक की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी में लगातार गश्त/निगरानी बनाए रखते हैं।

(ख) **आपरेेशन श्वान**: वर्ष 1993 में मुम्बई में एक साथ कई बम धमाकों के उपरान्त नौसेना के साथ समन्वय बनाते हुए आपरेेशन श्वान चलाया गया, ताकि महाराष्ट्र तथा गुजरात तटों पर निषिध माल की पहुंच तथा अवैध घुसपैठियों की घुसपैठ रोकी जा सके। जहां तक बाहरी तथा मध्यम हिस्से की गश्त का संबंध है, भारतीय तटरक्षक संयुक्त आपरेेशन में अधिकतम भागीदारी कर रहा है।

(ग) **आपरेेशन नाकाबंदी** : शरणार्थियों की घुसपैठ तथा अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पाक की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी में अगस्त 1996 में आपरेेशन नाकाबंदी चलाया गया जोकि अभी भी जारी है।

(घ) **तस्करी-रोधी आपरेेशन**: सीमाशुल्क तथा राजस्व आसूचना विभाग से प्राप्त आसूचना के आधार पर तटरक्षक ने तस्करी-रोधी आपरेेशन चलाया। इसके अलावा, आवधिक तस्करी-रोधी गश्त भी की जाती है। तटरक्षक की गश्त के कारण निषिध माल की तस्करी की घटनाओं में काफी कमी आई है।

(ङ) **अवैध मत्स्य शिकार के विरुद्ध आपरेेशन** : भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में नियमित आधार पर अवैध मत्स्य शिकार के विरुद्ध आपरेेशन चलाए जाते हैं। तटरक्षक के प्रयासों से गत वर्षों की तुलना में अवैध रूप से मछली पकड़ने की घटनाओं में कमी आई है।

उग्रवादियों द्वारा घुसपैठ रोकने के लिए तमिलनाडु तट की सुरक्षा का भार भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक को सौंपा गया है। तटरक्षक के पोत तथा वायुयान पाक की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी में लगातार गश्त/ निगरानी बनाए रखते हैं।



अनन्य आर्थिक क्षेत्र में तटरक्षक बल के पोत और वायुयान चौकसी बरतते हुए

(च) **खोज एवं बचाव आपरेशन** : समुद्र में संकट की स्थिति में द्रुत कार्रवाई अपेक्षित होती है। तटरक्षक के पोत तथा वायुयानों ने विभिन्न खोज एवं बचाव अभियान चलाए तथा समुद्र में 169 व्यक्तियों के प्राण बचाने में सहायक हुए। मुख्य-मुख्य खोज एवं बचाव आपरेशनों का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :

(i) तटरक्षक ने 15 अप्रैल 2003 को एक अंतर्देशी क्राफ्ट आई सी-134 तथा एक हेलिकॉप्टर को तैनात करके नौका में यात्रा कर रहे 23 पर्यटकों में 18 को गोवा में अंजना बीच के निकट नौका पलटने पर समय पर सहायता उपलब्ध कराई। बाकी गुमशुदा पर्यटकों के शव भी ढूंढ लिए गए थे।

(ii) **एम वी सेगिटेगा बीरू** : एक इंडोनेशियाई पोत एम वी सेगिटेगा बीरू जोकि 4327 टन सोडा एश और 1000 टन डोलोमाइट कारगो के साथ पोरबंदर से चिटागोंग को जा रहा था, 14 मई 2003 को समुद्री तूफान के कारण तूफानी समुद्र में फंस गया तथा उसके हल में दरार पड़ गई। तत्पश्चात, यह पोत सागर द्वीपसमूह के पास 18 मई 2003 को डूब गया। तटरक्षक बचाव

दल की सहायता से पोत के सभी 22 कार्मिकों को बचा लिया गया।

(iii) **एम वी यूजिया** : तटरक्षक समुद्री बचाव सहायता केन्द्र (एम आर सी सी) पोर्टब्लेयर ने एक वाणिज्यिक पोत एम वी यूजिया, जाइमिन चेंगई शिपिंग कंपनी चीन, जोकि दिग्लीपुर के उत्तर-पश्चिम में संकटग्रस्त हो गया था, से 11 अगस्त 2003 को 28 चीनी पोत कर्मियों का बचाव किया। यह पोत 14, 500 टन के क्रोम और लेकर पारादीप से यांगो की यात्रा पर था, पोत में पानी भर जाने से वह संकट में फंस गया था। संकट संदेश प्राप्त होने पर तटरक्षक ने दो वाणिज्यिक पोतों, एम टी सी एच एम पीरू सिंह तथा एम वी चीफटेन-II के वहीं कहीं नजदीक होने की जानकारी ली, ताकि संकटग्रस्त पोत की सहायता की जा सके। पोतकर्मी पानी रोकने में सफल नहीं हुए और दो जीवनरक्षी नौका तथा 3 डिग्घियों में समुद्र में असहाय बहने लगे। समुद्री सहायता समन्वय केन्द्र पोर्टब्लेयर ने दोनों ही वाणिज्यिक पोतों को जीवित लोगों की दिशा में निर्देशित किया। और अंततः एम वी चीफटेल ने सभी 28 कर्मियों को बचा लिया।

(iv) **एम एस वी कुट्टी सार्क** : पोर्टब्लेयर में तटरक्षक को रिपोर्ट मिली कि मोटर से चालित लाल हल वाला एम एस वी कुट्टी सार्क जोकि मंगलौर में पंजीकृत है, तारलित बे (मायाबंदर के उत्तर में) से सात समुद्री मील पूर्व में असहाय बह रहा था। पोत, जिसमें सात भारतीय कर्मी थे, इंजन में खराबी के कारण असहाय हो गया था। इस पोत को तटरक्षक पोत अक्कादेवी द्वारा तारलित बे से 15 समुद्री मील की दूरी पर ढूंढ लिया गया तथा

खींचकर सुरक्षित लाया गया।

(v) **एम वी फार्च्यून कैरियर** : 10 जून 2003 को कोलकाता पत्तन न्यास प्राधिकारियों ने तटरक्षक जिला मुख्यालय -11, हल्दिया को सूचित किया कि बेलिज में पंजीकृत पोत “एम वी फार्च्यून कैरियर” इंजन कक्ष में पानी भर जाने से संकटग्रस्त हो गया है। तटरक्षक से खोज एवं बचाव सहायता मांगी गई। तटरक्षक होवरक्राफ्ट को सहायतार्थ भेजा गया।

(vi) **एम वी गल्फ -5 को सहायता** : 1 अगस्त 2003 को अपनी गश्त के दौरान तटरक्षक पोत विजय को पोरबंदर के पास “एम वी गल्फ -5” जो कि छीलन के लिए मंगोलिया से मुम्बई के मार्ग पर था से संकट संदेश प्राप्त हुआ। पोत पर 13 कर्मी सवार थे। इसमें पिछली ओर से 40-50 टन/प्रति घंटे की दर से पानी भर रहा था तथा बिजली काम नहीं कर रही थी। सभी 13 कर्मियों को निकाल लिया गया तथा एजेंट को पानी भराव रोकने के लिए पंपों को चालू करने का निर्देश दिया गया। एजेंट ने पोत को खींचने के लिए मुम्बई से टग की व्यवस्था भी कर ली थी। एक बार जब पानी भराव पर नियंत्रण कर लिया गया, कर्मियों को टग पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद पोत आगे मरम्मत के लिए मुम्बई लाया गया।

(vii) **एम वी वाडुलू वैली को सहायता**: 30 जुलाई 2003 को कैप्टन साही, मैसर्स साही आपरेशन, मुम्बई से “एम वी वाडुलू” वैली के इंजन कक्ष में 70 टन प्रति घंटे की दर से पानी

तटरक्षक बल के पोतों और वायुयानों ने अनेक खोज एवं बचाव कार्य किए और समुद्र में 169 भारतीयों की जानें बचाने में सहायता की।

भरने का संकट संदेश प्राप्त हुआ। यह पोत बहरीन से मुम्बई आ रहा था। पोत ने पोरबंदर के पास लंगर डाल दिया। पोत को व्यावसायिक गोताखोरों तथा तटरक्षक दल की सहायता से भीतरी लंगरगाह लाया गया तथा पानी भरने पर नियंत्रण कर लिया गया।

(viii) **एम आई-172 का नीलम हीरा रत्न तेल क्षेत्र के पास गिर जाना** : 11 अगस्त 2003 को तटरक्षक, समुद्री बचाव सहायता केन्द्र, मुम्बई को ओएनजीसी नियंत्रण कक्ष, मुम्बई से संकट संदेश प्राप्त हुआ कि 29 लोगों को ले जा रहा हेलिकाप्टर रिंग सागर किरण के पास गिर गया है। तटरक्षक ने तुरन्त ही तटरक्षक पोत सारंग को हेलिकाप्टर आरुढ़ कराकर और दमन से एक डोरनियर वायुयान को ऊपर से गिराने वाली जीवनचाटियों के साथ खोज एवं बचाव के लिए भेजा। तटरक्षक ने इस आपरेशन में 05 दिनों तक सहायता की।

(ix) **पवन हंस डॉफिन का अगाती के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाना** : 30 अक्टूबर 2003 को एक पवन हंस डॉफिन हेलिकॉप्टर पांच व्यक्तियों सहित (दो पायलटों को लगाकर) अगाती द्वीपसमूह के उत्तर-पश्चिम में लगभग 1.3 कि०मी० की दूरी पर

दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह अभागा हेलिकॉप्टर विंग्रम द्वीप से उड़ान भर कर अगाती के लिए जा रहा था। हवाई यातायात नियंत्रण कक्ष से सूचना मिलने पर तटरक्षक पोत समर को हेलिकॉप्टर तथा कर्मियों के बचाव के लिए भेजा गया। समुद्री सहायता उप

केन्द्र, कोचीन तथा समुद्री सहायता समन्वय केन्द्र मुम्बई को आगे की सहायता के लिए सूचित कर दिया गया। तटरक्षक पोतों तथा वायुयानों के सफल खोज एवं बचाव परिणामस्वरूप वायुयान में आरुढ़-05 कर्मियों में से चार को बचाया जा सका।

(x) **एम एस वी जलज्योति से बचाव :**
20 फरवरी 2004 को गुजरात के मांडवी पोर्ट प्राधिकारियों से तटरक्षक समुद्री सहायता उपकेन्द्र, ओखा को सूचना मिली कि एम एस वी जलज्योति ओखा के उत्तर-पश्चिम में लगभग 22 समुद्री मील की दूरी पर 19 फरवरी 2004 को समुद्र में डूब गया है। पोत के 10 कर्मी पोत को छोड़कर जीवन चाटी में समुद्र में इधर-उधर बह रहे थे। संकट संदेश मिलने के 15 मिनट के भीतर ही ओखा से एक होवरक्राफ्ट एच-184 तथा अंतराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर तैनात तटरक्षक पोत सी - 141 को खोज एवं बचाव के लिए भेजा गया। होवरक्राफ्ट-184 ने जीवनरक्षी चाटी के आधार पर संभावित स्थिति में खोज आरंभ कर दी। एम एस वी जलज्योति के कर्मियों को ढूंढ लिया गया तथा चिकित्सा सहायता के लिए ओखा लाया गया।

(xi) **एम नंद कवास :** 15 दिसम्बर 2003 को इस्सार शिपिंग के एम वी नंद कवास से तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय (पूर्व), चेन्नई को एक संकट संदेश प्राप्त हुआ। पोत उष्णकटिबंधी उग्र तूफान में फंस गया था तथा आंध्र प्रदेश में मछली पत्तन से 50 कि०मी० की स्थिति में असहाय बह रहा था। पोत पर सवार 13 पोतकर्मी पोत को त्यागने की तैयारी कर रहे थे, उनसे संकट संदेश प्राप्त होने पर

तटरक्षक समुद्री सहायता समन्वय केन्द्र, चेन्नई सक्रिय हुआ। आने वाले मौसम की स्थिति तथा 13 प्राणों के संकट के भय का समुद्री सहायता समन्वय केन्द्र द्वारा तुरन्त आकलन किया गया। चक्रवाती मौसम के बावजूद भी चेन्नई से तटरक्षक पोत विजय को तुरन्त ही खोज एवं बचाव अभियान के लिए भेजा गया। एम वी नंद कवास के 13 कर्मियों को तटरक्षक पोत द्वारा बचा लिया गया तथा विशाखापत्तनम लाया गया।

(xii) **असहाय बह रहे बज्र को सहायता:** तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय (पश्चिम), मुम्बई को मैसर्स ब्रिटिश गैस से दूरभाष संदेश मिला कि एक बज्र जिस पर चार से पांच कर्मी सवार हैं, दमन के उत्तर-पश्चिम में 40 समुद्री मील की स्थिति में असहाय बह रहा है और सहायता मांग रहा है। इस सूचना को तुरन्त तटरक्षक वायु स्टेशन, दमन को अग्रसारित किया गया। तटरक्षक वायु स्टेशन, दमन ने पांच मिनट के भीतर एक डोरनियर वायुयान को तैनात कर दिया। डोरनियर वायुयान ने समुद्र में नजदीक ही दो कर्मियों सहित बज्र को ढूंढ लिया। डोरनियर वायुयान ने ओ एन जी सी के एक टग को ढूंढा तथा उसे कर्मियों को समुद्र से उठाने के लिए निर्देशित किया। जब यह अलग हुआ, बज्र को नौका द्वारा बेलापुर, मुम्बई से अलांग को खींचकर लाया जा रहा था। टग मालवीय-vi बचाये गये कर्मियों को कांदला ले गया।

(xiii) **गुमशुदा पोत एम एस वी जलालिया के लिए सहायता :**
कोची(केरल) स्थित तटरक्षक सहायता उपकेन्द्र (एम आर एस सी) को पोर्ट अफसर



तटरक्षक बल को अपने दायित्वों का निर्वाह करने हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता है।

कवार्थी से किसी गुमशुदा पोत के संबंध में सूचना मिली। सूचना के अनुसार एम एस वी जलालिया ने 7 फरवरी 2004 को न्यूमंगलौर से नौचालन किया तथा 8 फरवरी 2004 को इसे कवार्थी पहुंचना था। ये पोत निर्धारित समय पर नहीं पहुंच सका तथा संपर्क में भी नहीं रहा। तुरन्त समुद्री सहायता उपकेन्द्र, कोची द्वारा एक खोज एवं बचाव अभियान चलाया गया तथा 10 फरवरी 2004 को एक डोरनियर वायुयान तैनात किया गया। वायुयान ने पोत की स्थिति ढूंढ ली। उसके बाद एम एस वी जलालिया को पोर्ट अफसर कावारत्ती द्वारा तैनात किए गए टग द्वारा खींचकर कर्नाटक में अंडरोथ पोर्ट लाया गया।

अन्य आपरेशन

6.8 तेल बिखराव नियंत्रण आपरेशन :

(क) पोत एम वी सेगीटेगा बीरू 18 मई 2003 को सागर द्वीपसमूह के पास डूब गया, फलस्वरूप पोत पर लदे 145 टन भट्टी ईंधन तेल से समुद्री पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया था। तटरक्षक पोत तथा वायुयान, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के साथ किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखे गए थे। 23 मई 2003 को पोत के निकट तेल की परत देखी गई तथा तटरक्षक ने “साफ समुद्र” आपरेशन चलाने का आदेश दिया। इस आपरेशन में एक अत्याधुनिक अपतटीय गश्ती पोत (हेलीकाप्टर सहित तटरक्षक पोत सारंग), एक डोरनियर वायुयान और वायु उपधान वाहन तैनात किए,

ताकि तेल छितराव रसायन छिड़क कर निष्क्रिय किया जा सके। 17 डोरनियर उड़ान तथा पांच पोताधारित हेलिकॉप्टर उड़ान भरी गई, ताकि 1350 लीटर तेल छितराव रोधक छिड़कने से इस तेल प्रदूषण को निष्क्रिय किया जा सके। यह आपरेशन तट को खतरे से मुक्त करने के बाद 27 मई 2003 को समाप्त किया गया।

(ख) समुद्र के भीतर की पाइपलाईन जोकि मुम्बई हाई से ऊरान को कच्चा तेल ले जाती है। 10 अगस्त 2003 को फट गई तथा तेल बाहर निकलने लगा। ओ एन जी सी मुम्बई के अनुरोध के आधार पर तटरक्षक तेल बिखराव नियंत्रण दल मुम्बई सक्रिय हुआ तथा तटरक्षक पोत समर को नियंत्रण उपकरणों और एक डोरनियर वायुयान को हवाई छिड़काव फली के साथ उस क्षेत्र में भेजा गया। तटरक्षक पोत विजय जोकि वहीं नजदीक आपरेशन पर था अभियान में सहायता बढ़ाने के लिए भेजा गया। तटरक्षक डोरनियर ने 11 अगस्त 2003 को सुबह-सुबह निगरानी शुरू की और उसके उपरान्त हवाई छिड़काव शुरू किया। तटरक्षक ने 100 लीटर से ज्यादा तेल छितराव रोधक का उपयोग किया। औसतन 90% बिखराव पतली चमक में बदल गया तथा 10% अलग-अलग धक्कों में 24 से 30 घंटों के भीतर स्वतः ही विलीन हो गया। रसायन का समय पर छिड़काव करने से तेल बिखराव शीघ्र ही निष्क्रिय हो गया।

चिकित्सा निकास

6.9 (क) 10 अप्रैल 2003 को तटरक्षक पोत वीर ने वाणिज्यिक पोत आसिर सौदी के कर्मियों की चिकित्सा निकासी की। रोगी, एक भारतीय नागरिक था तथा हृदय आघात से पीड़ित था, उसे आगे की चिकित्सा उपचार के लिए कोची लाया गया।

(ख) 1 अगस्त 2003 को तटरक्षक समुद्री बचाव सहायता केन्द्र, मुम्बई को आशापुर शिपिंग के एजेंट से भारतीय डेक केडेट जिसकी दाहिनी पिंडली की हड्डी टूट गई थी को वाणिज्यिक पोत आशा हिमानी से चिकित्सा निकासी के लिए तत्काल संदेश प्राप्त हुआ। यह पोत चूना पत्थर लेकर जेबेल अली से तूतीकोरिन जा रहा था तथा गोवा से 420 समुद्री मील के पास था। पोत को गोवा की ओर भेजा गया तथा रोगी की तटरक्षक पोत सी-134 द्वारा 4 अगस्त 2003 को निकासी की गई। केडेट को बाद में गोवा के अस्पताल में दाखिल कराया गया।

6.10 पोतों की गिरफ्तारी :

(क) अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में 4 तथा 5 मई 2003 को तटरक्षक द्वारा समुद्री-हवाई सहायता आपरेशन के परिणामस्वरूप एक इंडोनेशियाई मछुवाही पोत के एम फेमिली पांच इंडोनेशियाई कर्मियों के साथ भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के लिए 5 मई 2003 को तटरक्षक पोत गंगादेवी द्वारा पकड़ा गया। पोत को संयुक्त जांच के लिए मार्गरक्षण में पोर्टब्लेयर लाया गया तथा स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया।

(ख) एक चीनी मछुवाही पोत एम वी हे-फेना 838 को 20 चीनी कर्मियों सहित 5 जून, 2003 को भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मछुवाही पोत एजेंल-I तथा एजेंल-III से अवैध तौर पर पोत के तहखाने से 122 टन मछली उतरवाने के दौरान पकड़ा गया। पोत को कानूनी कार्यवाही के लिए गोवा लाया गया।

विदेश में तैनाती

6.11 (क) तटरक्षक पोतों का बांग्लादेश

दौरा : तटरक्षक पोत वज्र एकीकृत हेलिकाप्टर सहित और तटरक्षक पोत रजिया सुल्तान ने 10 अप्रैल 2003 के दौरान क्षेत्रीय सहयोग तथा भारत-बांग्लादेश तटरक्षक कार्य संबंध विकसित करने के लिए चितगांव, बांग्लादेश का दौरा किया। ये पोत 5 अप्रैल, 2003 को पारादीप से चले थे तथा 12 अप्रैल 2003 को वापस लौटे।

(ख) तटरक्षक पोतों का म्यांमार का दौरा :

तटरक्षक पोत वरद, एकीकृत हेलिकाप्टर सहित तथा तटरक्षक पोत भीखाजीकामा ने क्षेत्रीय सहयोग तथा भारतीय तटरक्षक म्यांमारी समुद्री विधि प्रवर्तक एजेंसी के बीच कार्य संबंध बढ़ाने के लिए 12-15 मई 2003 के दौरान यांगो, म्यांमार का दौरा किया। पोत 10 मई, 2003 को पोर्ट ब्लेयर से चले तथा 16 मई, 2003 को वापिस लौटे।

(ग) भारत-जापान तटरक्षक संयुक्त

अभ्यास : तटरक्षक पोत संग्राम को एकीकृत हेलिकाप्टर सहित 16-20 सितम्बर 2003 के दौरान चौथे भारत-जापान तटरक्षक संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के लिए जापान में तैनात किया गया। जाते समय पोत ने 7 से 11 सितम्बर 2003 तक संभारिकी आपूरण एवं फिलीपीन्स की समुद्री विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ आपसी संबंध बनाने के लिए मनीला तथा फिलीपीन्स का दौरा किया। पोत 16 सितम्बर 2003 को कोबे, जापान पहुंचा। समुद्री खोज एवं बचाव पर एक संयुक्त अभ्यास 18 सितम्बर 2003 को किया गया,

सरकार ने अब तटरक्षक बल के भर्ती हुए कार्मिकों के लिए मुफ्त राशन की अनुमति दे दी है तथा उनके राशन मानदण्ड नौसेना के नाविकों के बराबर कर दिए हैं।

जिसमें तटरक्षक पोत संग्राम के अलावा 08 जापानी तटरक्षक पोतों ने भाग लिया। वापसी में तटरक्षक पोत संग्राम ने संभारिकी आपूरण तथा समुद्री विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ आपसी संबंध बढ़ाने के लिए होचिमिन सिटी-वियतनाम का दौरा किया।

(घ) तटरक्षक पोत वराह तथा तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ ने 20-22 दिसम्बर 2003 के दौरान पोर्ट बेलावर, इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौर को इंडोनेशिया के समुद्री विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समुद्री खोज एवं बचाव प्रदूषण नियंत्रण तथा समुद्री डकैती के विरुद्ध कार्य संबंधों को विकसित करने के लिए नियोजित किया गया था। पोतों के दौरे का नियंत्रण कमांडर, तटरक्षक क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वारा किया गया।

(ङ) दो तटरक्षक पोतों ने 26-29 जनवरी 2004 के दौरान मॉरीशस समुद्री विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संयुक्त अभ्यास के लिए मॉरीशस का दौरा किया।

(च) तटरक्षक पोत वरुण, एकीकृत हेलिकाप्टर सहित, तटरक्षक पोत सरोजिनी नायडु तथा एक डोरनियर वायुयान को माले में 23 फरवरी से 27 फरवरी 2004 तक निर्धारित सातवें भारत-मालदीव तटरक्षक संयुक्त अभ्यास-दोस्ती-VII में तैनात किया गया। अभ्यास के दौरान तटरक्षक महानिदेशक माले में उपस्थित थे।

सामान्य उपलब्धियां

6.12 भारत सरकार ने तटरक्षक अफसरों तथा कार्मिकों के लिए निम्नलिखित भत्तों को मंजूर किया है :-

(क) **समुद्री ड्यूटी भत्ता :** भारत सरकार ने नौसेना की तर्ज पर समुद्री ड्यूटी भत्ता

निम्नलिखित दरों पर मंजूर किया है :-

रैंक	भत्ता प्रतिमाह
(i) कमांडेंट (जेजी) और उससे ऊपर	रु. 2080/-
(ii) उपकमांडेंट	रु. 1920/-
(iii) सहायक कमांडेंट	रु. 1760/-
(iv) अधीनस्थ अफसर	रु. 1440/-
(v) प्रधान नाविक	रु. 960/-
(vi) उत्तम नाविक तथा उससे नीचे	रु. 800/-

(ख) रसद (राशन): अभ्यावेशित
कार्मिकों को हर समय राशन की हकदारी थी

तथा अफसरों को केवल समुद्र में पोतों पर नौचालन के समय ही राशन स्वीकार्य था। तथापि, अभ्यावेशित कार्मिक नौसेना के नाविकों की स्केल का 85% के हकदार थे। अब, भारत सरकार ने मुफ्त राशन तथा नौसेना के नाविकों के समान ही राशन स्केल को अभ्यावेशित कार्मिकों के लिए मंजूर कर दिया है। अफसरों को भी समुद्र में पोत पर तथा स्थापनाओं में नौसेना अफसरों की राशन स्केल के समान मुफ्त राशन की हकदारी हो गई है।

रक्षा उत्पादन



माझगाव डाक लिमिटेड में आई एन एस शिवालिक का जलावतरण

रक्षा उत्पादन विभाग का दृष्टिकोण प्रमुख क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करते हुए भारत के रक्षा उद्योग को वैश्विक रूप से स्पर्धामूलक बनाना है।

7.1 रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना सन् 1962 में चीनी आक्रमण के पश्चात स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए की गई थी। रक्षा उत्पादन संबंधी प्रयास को बढ़ाने के लिए भारतीय उद्योग की क्षमता के इस्तेमाल करने के लिए सन् 1965 में अलग से रक्षा पूर्ति विभाग की स्थापना की गई। बाद में 1984 में इन दोनों विभागों को मिलाकर रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग बना दिया गया था। जनवरी, 2004 से इस विभाग को रक्षा उत्पादन विभाग के रूप में पुनर्नामित कर दिया गया है।

7.2 इस विभाग की संकल्पना है कि रक्षा उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करते हुए भारतीय रक्षा उद्योग को वैश्विक स्तर पर स्पर्धामूलक बनाया जाए। इस विभाग के तात्कालिक लक्ष्य इस प्रकार हैं :


- सशस्त्र बलों को समय पर प्रतियोगी मूल्य पर गुणतायुक्त विविध प्रकार के उत्पादों से सुसज्जित करना,
- स्वदेशीकरण, निजी क्षेत्र की सहभागिता से तथा जहां अपेक्षित हो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से

सह-विकास तथा सह-उत्पादन के जरिए एक विविधीकृत, आत्म-निर्भर तथा स्वतः परिपूर्ण उत्पादन आधार तैयार करना;
■ निर्यात में वृद्धि पर जोर देते हुए ग्राहक आधार व्यापक बनाना।

7.3 इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग निम्नलिखित का पर्यवेक्षण करता है :-

- (i) आयुध निर्माणी बोर्ड के अधीन 39 आयुध निर्माणियां - एक और आयुध निर्माणी नालंदा (बिहार) में स्थापित की जा रही है।
- (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के 8 रक्षा उपक्रम :
 - हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड
 - भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
 - भारत अथमूवर्स लिमिटेड
 - माझगांव डाक लिमिटेड
 - गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
 - गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड
 - भारत डायनामिक्स लिमिटेड
 - मिश्र धातु निगम लिमिटेड
- (iii) गुणता आश्वासन (नौसना आयुध को छोड़कर):

■ (करोड़ रुपये में)



सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपकरणों की कुल बिक्री

- गुणता आश्वासन महानिदेशालय
- वैमानिकी गुणता आश्वासन

महानिदेशालय

- (iv) मानकीकरण निदेशालय
- (v) योजना तथा समन्वय निदेशालय
- (vi) रक्षा प्रदर्शनी संगठन
- (vii) स्वदेशीकरण
- (viii) रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की सहभागिता
- (ix) रक्षा उत्पादन बोर्ड

आयुध निर्माणियां

7.4 भारतीय आयुध निर्माणी संगठन का इतिहास 200 वर्ष पुराना है। पहली आयुध निर्माणी सन् 1801 में कोलकाता के पास काशीपुर में स्थापित की गई थी तथा इस समय 40 वीं आयुध निर्माणी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ नालंदा, बिहार में स्थापित की जा रही है। ये आयुध निर्माणियां भौगोलिक दृष्टि से देशभर में 25 विभिन्न स्थानों में अवस्थित हैं। स्वतंत्रता पूर्व की निर्माणियों में न केवल तैयार मर्दों के उत्पादन की क्षमता थी अपितु उनमें मूल तथा मध्यवर्ती सामग्री की आपूर्ति करने की क्षमता भी थी जिनके लिए उस समय सिविल

क्षेत्र में स्वदेशी औद्योगिक आधारभूत ढांचा पर्याप्त नहीं था। सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों में सिविल औद्योगिक आधारभूत ढांचे के क्रमिक विकास के साथ स्वतंत्रता के बाद स्थापित निर्माणियों में पश्चवर्ती एकीकरण की संकल्पना को छोड़ दिया गया। यथा व्यवहार्य सीमा तक सिविल क्षेत्र से कच्चे माल, संघटकों और अर्ध-निर्मित सामान की आपूर्ति प्राप्त करके मूल, मध्यवर्ती सामान के उत्पादन के बजाय निर्मित सामान के उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया।

7.5 39 आयुध निर्माणियां संघातक और गैर-संघातक दोनों किस्म के रक्षा उपकरणों के लिए सामरिक एवं समर्पित उत्पादन आधार हैं। ये आयुध निर्माणियां रक्षा हार्डवेयर तथा उपकरणों को स्वदेश में उत्पादन करने का सुसंबद्ध आधार है जिनमें अति विशिष्टता वाले जटिल एवं विविध प्रकार के गोलाबारूद तथा विस्फोटक, शस्त्र वाहन और उपस्कर, सामग्री और संघटक, कवचित वाहन और आयुध उपस्कर शामिल हैं। ये आयुध निर्माणियां सशस्त्र बलों के लिए राकेटों, ग्रेनेडों, सुरंगों, यातायात वाहनों, आर्टिकल एवं अग्नि नियंत्रण प्रणालियों, पुलों



आवड़ी में विनिर्मित मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन

पैराशूटों, वस्त्र मदों तथा निजी उपस्करों का भी उत्पादन करती हैं।

7.6 रक्षा बलों के लिए विनिर्मित उत्पादों का सुरक्षित, विश्वसनीय, लगातार सही ढंग से काम करने वाले तथा विभिन्न तरह के भूभागों तथा मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करने योग्य होना आवश्यक है। तदनुसार, इसमें अपेक्षित क्षेत्रों, जिनमें इंजीनियरी धातु विज्ञान, रासायनिक, वस्त्र, चमड़ा तथा ऑप्टिकल क्षेत्रों जैसी अनेक प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के मूल उद्देश्य के अतिरिक्त उच्च गुणता तथा उत्पादकता सुनिश्चित करें। आयुध निर्माणियां अर्ध-सैन्य बलों और पुलिस बलों की शस्त्रों, गोलाबारुद, वस्त्रों तथा उपस्करों की कुछ आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती हैं और ऐसा करके वे न केवल रक्षा बलों से कार्यभार प्राप्त करके अपितु गैर रक्षा ग्राहकों तथा निर्यात के लिए अपने उत्पादों का विविधीकरण करके अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करती हैं।

7.7 **संगठन :** कार्य संचालन में बेहतर लचीलापन तथा दक्षता लाने के लिए वर्ष 1979

में आयुध निर्माणी बोर्ड का गठन किया गया था। आयुध निर्माणियों को मुख्य उत्पाद/प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों के आधार पर विभाजित किया गया है। निर्माणियों को 5 डिवीजनों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है :-

- | | |
|----------------------------|------------------|
| i. गोला बारुद और विस्फोटक | - 10 निर्माणियां |
| ii. शस्त्र, वाहन और उपस्कर | - 10 निर्माणियां |
| iii. सामग्री और संघटक | - 9 निर्माणियां |
| iv. कवचित वाहन | - 5 निर्माणियां |
| v. आयुध और उपस्कर समूह | - 5 निर्माणियां |

7.8 उपर्युक्त निर्माणी समूह में से प्रत्येक का प्रमुख एक सदस्य /अपर महानिदेशक, आयुध निर्माणी होता है। आयुध निर्माणी बोर्ड के शेष चार सदस्य स्टाफ कार्यों जैसे कार्मिक, वित्त, आयोजना एवं सामग्री प्रबंधन, परियोजनाओं एवं इंजीनियरी तथा तकनीकी सेवाओं के लिए उत्तरदायी हैं। सरकार ने सेना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा रक्षा मंत्रालय को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए एक विशेष आयुध निर्माणी बोर्ड का गठन किया है। प्रौद्योगिकी संसाधनों की आयोजना के लिए समुचित सूचनाएँ एवं दृष्टिकोण प्रस्तुत करने, उत्पादों की प्रौद्योगिकी एवं प्रक्रियाओं के उन्नयन तथा

आयुध निर्माणी बोर्ड के कुशलतापूर्ण कार्य संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए समय-समय पर विशेष बोर्ड बैठकें आयोजित की जाती हैं।

7.9 उत्पाद ब्यौरा तथा प्रौद्योगिकी :

आयुध निर्माणियां रक्षा बलों की उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों तथा विनिर्माण प्रौद्योगिकियों का निरंतर उन्नयन करती रहती हैं। वे सेना के इन्फैंट्री, आर्टिलरी, वायु रक्षा आर्टिलरी और सेना की कवचित कोरों के लिए अनेक प्रकार के शस्त्रों और गोलाबारुदों का उत्पादन करती हैं। वे अब नौसेना आयुध के स्वदेशी विकास का कार्य कर रही हैं। निर्माणियों में सैन्य परिवहन वाहनों, इन्फैंट्री युद्धक वाहनों, कवचित वाहनों, ऑप्टिकल तथा ऑप्टो इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों, गर्मियों तथा सर्दियों के लिए वर्दियों, पैराशूटों, चमड़े के विविध सामान तथा सामान्य मदों का उत्पादन किया जाता है। आयुध निर्माणियों के उत्पादों का ब्यौरा इस प्रकार है:

7.10 गोलाबारुद और विस्फोटक :

आर्टिलरी गोलाबारुद 155, 130 और 105 मि0 मी0 कैलिबर, टी-72 टैंक, गोलाबारुद

एफएसएपीडीएस/एचई/एचईएटी, मध्यम कैलिबर और लघु कैलिबर गोलाबारुद।

7.11 कवचित वाहन : टी-90 और टी-72 टैंक, मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, बी एम पी-II

7.12 'ख' वाहन : स्टॉलियन 7.5 टी और एल पी टी ए 2.5 टी

7.13 हथियार : आर्टिलरी तोप, मोर्टार, इनसास राइफल और एल एम जी, मध्यम कैलिबर के हथियार, स्पोर्टिंग राइफल, पिस्तौल, रिवाल्वर

7.14 आयुध उपस्कर : वस्त्र, सामान्य मदें, सैनिकों की वर्दियां, कंबल, जूते, प्रतिकूल मौसम में पहने जाने वाले वस्त्र।

7.15 वृद्धि : पिछले कई वर्षों में आयुध निर्माणियों की बिक्री में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2003-04 के दौरान कुल 6641 करोड़ रुपये की रिकार्ड बिक्री की गई जो पिछले 6 वर्षों की अवधि में 116 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। (1997-98 में 3071 करोड़ रुपये)

7.16 वर्ष 2004-05 में आयुध निर्माणियों की बिक्री बढ़कर 6800 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है। आयुध निर्माणियों ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के माध्यम से अथवा

भारी वाहन निर्माणी, आवड़ी में विनिर्मित टी-90 टैंक कवचित कोर में एक और नई कड़ी है।



आयुध निर्माणियों द्वारा 2003-04 में कुल 6641 करोड़ रुपये की रिकार्ड बिक्री की गई जो छह वर्षों की अवधि में लगभग 116% की वृद्धि दर्शाती है।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के जरिए प्रौद्योगिकी को लगातार अद्यतन करके/उसका उन्नयन करके शस्त्रों, गोलाबारूद तथा अन्य उपस्करों के विकास में अपनी गति बनाए रखने के प्रयास किए हैं।

7.17 आयुध निर्माणियां रक्षा बलों से अधिक कार्यभार प्राप्त

करके और गैर-रक्षा ग्राहकों तथा निर्यात के लिए अपने उत्पादों के विविधीकरण के निरंतर प्रयासों के माध्यम से अपनी क्षमता का इष्टतम उपयोग करने का प्रयत्न करती हैं। उसी तरह, उत्पाद और प्रक्रिया विकास का लक्ष्य बनाकर घरेलू अनुसंधान एवं विकास क्षमता को सुदृढ़ बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

7.18 आयुध निर्माणियों ने निर्यात सहित और गैर-रक्षा ग्राहकों को अपनी बिक्री में निरंतर वृद्धि की है। वर्ष 2003-04 के दौरान आयुध निर्माणियों की कुल बिक्री की 15 प्रतिशत बिक्री (992 करोड़ रुपये) गैर-रक्षा ग्राहकों को की गई थी। यह बिक्री गैर-रक्षा ग्राहकों को पिछले वर्ष की गई कुल बिक्री से 13.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाती है। वर्ष 2004-05 में गैर-रक्षा ग्राहकों को बिक्री काफी अधिक 1015 करोड़ रुपये तक होने की संभावना है।

7.19 **प्रमुख उपलब्धियां :** पिछले कुछ वर्षों के दौरान आयुध निर्माणियों की कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं :-

(i) सभी आयुध निर्माणियों ने आई एस ओ- 9001:2000 के नए रूपांतरण के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियां अपना ली हैं। आई एस/आई एस ओ-9001:2000, आई एस/आई एस ओ 9000:1994 का उन्नयित

रूपांतर है जिसमें ग्राहक संतुष्टि तथा गुणता एवं प्रक्रिया नियंत्रण सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(ii) आयुध निर्माणी, अम्बाझरी ने के एम ब्रिज (थलसेना मद) के रैम्प गिर्डर के लिए आवश्यक एक्सट्रूडिड प्रोफाइलों का सफलतापूर्वक स्वदेशी विनिर्माण किया है। इस प्रोफाइल की गुणता आयातित प्रोफाइलों की गुणता के बराबर पाई गई है और इस तरह के 55 प्रोफाइलों का रैम्प गिर्डर का उत्पादन करने में इस्तेमाल किया गया है।

(iii) आप्टो इलेक्ट्रानिक्स निर्माणी, देहरादून ने धातु परिष्करण के लिए आवश्यक गैर-गोलाकार लेन्स और बेलनाकार लेन्स का सी ओ 2 लेजर प्रणाली के द्वारा विनिर्माण करने का कार्य हाथ में लिया है। दोनों प्रकार के लेन्सों का सफलतापूर्वक विनिर्माण करके उनकी आपूर्ति की गई है और इस तरह के डब्ल्यू श्रेणी के लेजर ऑप्टिक्स के लिए एक स्वदेशी स्रोत स्थापित किया गया है।

(iv) आयुध निर्माणी, अंबाझरी ने मैनुअली लांच्ड एसाल्ट ब्रिज मिलिटरी लोड श्रेणी-60 (एम एल ए बी-एम एल सी-60) के एक सैट का विनिर्माण करके एक अनन्य उपलब्धि प्राप्त की है। इस पुल का हल्के भार की उच्च क्षमता वाली एल्यूमिनियम मिश्र धातु-आर डी ई-40 का इस्तेमाल करके निर्माण किया है और इसे भारतीय सेना को जारी किया है।

(v) उन्नत हल्के हेलिकाप्टर के मुख्य रोटर ब्लेडों के इस्तेमाल हेतु टंगस्टन हैवी अलॉय ग्रैन्यूल्स का विकास किया गया था तथा 125 एम एम फिन स्टेब्लाइज्ड आमर्र पेनीट्रिंग डिस्कार्डिंग स्बोट टंगस्टन हैवी अलॉय ब्लैंक के उत्पादन के दौरान अवशिष्ट के रूप में मिलने वाले एंड कटिंग टुकड़ों का इस्तेमाल करके पावडर धातु-कर्म रूट के जरिए इसका

पहली बार हैवी अलॉय पेनिट्रेटिंग परियोजना, तिरुचिरापल्ली में विनिर्माण किया गया था।

(vi) आयुध निर्माणी, मेडक ने के बी पी तुला, रूस के सहयोग से बी एम पी- ॥ के का बी एम पी- ॥ एम के रूप में सफलतापूर्वक आधुनिकीकरण किया है। इस प्रणाली का मौजूदा बी एम पी टैट, मिसाइल प्रणाली, मुख्य गन, ग्रेनेड लांचर में संशोधन करके समाकलन किया है तथा मौजूदा बी एम पी-के साथ-साथ सहायक हथियार आधुनिक बी एम पी- ॥ एम के प्रमुख पहलू हैं।

(vii) कोरडाइट फैक्ट्री, अरुवनकाडू ने आकाश बुस्टर हेतु बड़े राकेट ग्रेन्स बनाने के लिए राकेट प्रोप्लेट के लिए उन्नत कास्टिंग चूर्ण का विकास/उत्पादन किया है जिसमें एल्यूमिनियम चूर्ण (20%) तथा अमोनियम परक्लोरेट (30 %) जिन्हें एच ई एम आर एल के आदेश के प्रति आपूर्ति हेतु सी एफ ए में पहली बार सुरक्षापूर्वक निकाला गया है, जैसे संवेदनशील संघटक शामिल हैं।

(viii) आयुध फैक्ट्री नालंदा, बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित एक ग्रीन फील्ड परियोजना है जिसकी परिकल्पना 155 एम एम हथियार प्रणाली हेतु प्राप्लेट चार्जिजों का विनिर्माण करने के लिए की गई थी। कुल अपेक्षित 2962.58 क्षेत्र में से 2898.75 एकड़ क्षेत्र अधिगृहीत कर लिया गया है तथा इस स्थल पर सिविल निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। प्लांट तथा मशीन लगाने संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।

(ix) .32'' रिवाल्वर का उत्पादन 20,000 के स्तर पर पहुंच गया है। ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि करने के लिए आयुध केबल फैक्ट्री, चंडीगढ़ में बिक्री पश्चात सेवा केंद्र चलाए जाने की योजना बनाई गई है।

7.20 स्व-प्रमाणन : गुणवत्ता के प्रति

समर्पण के चलते तथा देश के भीतर और बाहर दोनों में, उद्योग में प्रचलित प्रक्रियाओं के अनुरूप, आयुध निर्माणियों ने अप्रैल, 2002 से स्व-प्रमाणन शुरू किया है जिसके फलस्वरूप रक्षा सेनाओं को जारी किए गए उत्पादों की स्थायी गारंटी हो जाती है। फिलहाल, स्व-प्रमाणन सात तेजी से बदलते वस्त्र तथा सामान्य भंडार मर्दों तक लागू किया गया है जो आयुध उपस्कर समूह की निर्माणियों के कुल कारोबार का लगभग 20% है। अन्य मर्दों को भी यथा समय स्व-प्रमाणन के अंतर्गत लाया जाएगा।

7.21 आंतरिक अनुसंधान एवं विकास : आयुध निर्माणियों में उत्पाद एवं प्रक्रिया सुधार के संबंध में आंतरिक अनुसंधान एवं विकास कार्यों का काफी ध्यान दिया जा रहा है। रक्षा सामानों के डिजाइन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ठोस अभिकल्पन तथा संवेदनशील विश्लेषण की तकनीकें अपनाई गई हैं। आंतरिक अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं : क) आयुध 155 एम एम एफ एच गन प्रणाली का विकास; ख) ए एम 1 ए 19 नेसचम प्रज्वलन हेतु शेल का विकास; ग) शेल 155 एम एम प्रज्वलन (24 कि.मी.), एम 1 ए 1 हेतु संघटकों/रसायनों का विकास; घ) नेसचम पर आधारित 155 एम एम ई आर एफ बी शेल का उत्पादनीकरण; (ङ) 250 कि.ग्रा. एच एस एल डी बम के लिए टायल फ्यूज एफ बी टी-31 मल्टी बैरल राकेट सिस्टम (पीनाक), एम बी टी अर्जुन हेतु 120 एम एम एच ई एस एच बारूद, एम बी टी अर्जुन हेतु 120 एम एम एफ एस ए पी डी एस बारूद तथा हैवी डिस्ट्रैक्शन चार्ज तथा चार्ज लायनियर कटिंग जैसी रक्षा अनुसंधान एवं विकास की विकास परियोजनाएं।

आयुध निर्माणियों द्वारा 30 देशों को शस्त्र और गोलाबारूद, हथियारों के हिस्से-पुर्जे, रसायनों तथा विस्फोटकों, चमड़े एवं कपड़े की मदों का निर्यात किया गया है।

7.22 सिविल ट्रेड तथा निर्यात के क्षेत्र में

विविधीकरण: आयुध निर्माणियां, सिविल क्षेत्र के उद्योगों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का उत्पादन करती है। ये सिविल क्षेत्र के लिए विविध प्रकार के वस्त्र, चमड़े से बनी वस्तुएं तथा स्पोर्टिंग शस्त्र और

गोलाबारूद का भी निर्माण करती है। वर्ष 2003-2004 के दौरान सिविल ट्रेड में बिक्री 278 करोड़ रुपये थी जो गत वर्ष के 266 करोड़ रुपये की तुलना में 4.5% अधिक है। वर्ष 2003-2004 के दौरान .32'' रिवॉल्वर का उत्पादन 20,000 तक बढ़ गया है। इसी प्रकार, .32'' पिस्तौल तैयार अवस्था में उपलब्ध है। सहायक हथियार तथा गोलाबारूद का सिविल ट्रेड बिक्री के लिए एक बड़ा योगदान है। एक नए सहायक हथियार- .3006'' राइफल का विकास किया जा रहा है।

7.23 आयुध निर्माणियों ने विश्व के तीस देशों को शस्त्र और गोलाबारूद, हथियारों के हिस्से-पुर्जे, रसायन और विस्फोटक, चमड़े तथा वस्त्र आदि मदों का निर्यात किया है। आयुध निर्माणियां देश-विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेकर, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में विज्ञापन के द्वारा उत्पादकों को बढ़ावा देकर, लक्षित देशों के दौरा करने वाले शिष्टमंडलों के साथ वार्तालाप करके भारत तथा भारत से बाहर एजेंटों तथा क्रेता प्रतिनिधियों के जरिए निर्यात बढ़ाने के लिए सशक्त विपणन का प्रयास कर रही हैं क्रेताओं को वांछित सूचना तत्काल सुलभ कराने के लिए उत्पाद सूची कम्पैक्ट डिस्क का विकास किया

गया है। जवाबी समय को कम करके कुछ ही घंटे में करने के लिए आनॅलाइन इंटरनेट आई डी की स्थापना की गई है।

7.24 राइफल 5.56 एम एम तथा बारूदी सुरंग से सुरक्षित वाहन, नेपाल तथा भूटान को, 5.56 एम एम कारतूस-खोल अमरीका को, टेट्रील जर्मनी को तथा साईट्स (टी-72) पोलैंड को निर्यात किए जाने वाली कुछ मुख्य मदें हैं। निर्यात की गति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं।

- (i) अंतर्राष्ट्रीय बाजार द्वारा अपेक्षित उच्चकोटि के तैयार उत्पादों और सेवाओं तथा शामिल सहयोगी (यों) की सक्षम सहकार्यता के माध्यम से अल्पकाल में उनकी स्थापना के लिए संयुक्त परियोजनाएं;
- (ii) प्रमुख साझेदारों के सहयोग द्वारा ब्रांड इक्विटी का निर्णय;
- (iii) लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हेतु सीमांत लागत पर आधारित रणनीतिक मूल्य अपनाना;
- (iv) प्रतिक्रियात्मकता में सुधार के लिए प्रक्रियात्मक सरलीकरण।

7.25 आयुध निर्माणियों का

आधुनिकीकरण : सभी आयुध निर्माणियों की आधुनिकीकरण योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस योजना में प्रौद्योगिकी उन्नयन, क्षमता संवर्धन तथा पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकियों और उत्पादन सुविधाओं का अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से प्रतिस्थापन की व्यवस्था है। तैयार उत्पाद की मात्रात्मक और गुणात्मक मांग को पूरा करने हेतु आयुध निर्माणियों में बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण तथा स्वप्रचालन किया जा रहा है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के दौरान उत्पाद प्रौद्योगिकी तथा प्रक्रिया आवश्यकताओं को ध्यान

में रखा जाता है। जिन प्रौद्योगिकियों तथा मशीनों को लगाए जाने की योजना हैं वे लचीली होंगी तथा उनमें उत्पादों की व्यापक रेंज को समाहित करने की क्षमता होगी। 10वीं योजना अवधि के दौरान आधुनिकीकरण के लिए 1804 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2003-04 के दौरान आयुध निर्माणियों के आधुनिकीकरण हेतु 250 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

7.26 ऊर्जा की बचत : आयुध निर्माणियों में ऊर्जा बचत के प्रयास निरंतर किए जाते हैं। ऊर्जा की बचत के प्रयासों में कार्यकलापों के सभी क्षेत्र शामिल होते हैं। आयुध निर्माणियों द्वारा अपनाए गए ऊर्जा की बचत के उपायों के फलस्वरूप उत्पादन लागत और ऊर्जा खपत की लागत में कमी आई है। बेहतर दक्षता, उच्चतर क्षमता उपयोग तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के द्वारा ऊर्जा की खपत में किफायत बरती जा रही है।

7.27 सुरक्षा : आयुध निर्माणियों में कड़े सुरक्षा मानक स्थापित करने, सुरक्षा संबंधी जागरूकता लाने तथा सतर्कता बरते जाने के लिए वर्ष 1996 के दौरान सुरक्षा नीति की पुनरीक्षा की गई थी। सुरक्षा मैनुअल तथा स्थायी अनुदेश

आयुध निर्माणियों में ड्राइंग एवं डिजाइन कार्यालयों को आधुनिक बनाने के लिए कम्प्यूटरीकृत डिजाइन केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा नीतियों में अनुपूरक भूमिका अदा करते हैं। आकस्मिक उपायों के तौर पर दुर्घटना नियंत्रण योजना भी बनाई गई है तथा केंद्रीय तथा शॉप स्तर पर सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है। दुर्घटना संभावित तथा खतरनाक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

7.28 एक तीन स्तरीय सुरक्षा संबंधी परीक्षा तथा मॉनीटरी प्रणाली से निर्धारित सुरक्षा मानकों का सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है। सुरक्षा

परीक्षा पहले स्तर में निर्माणी द्वारा मासिक आधार पर की जाती है। दूसरे स्तर में अन्य निर्माणियों के अधिकारी दल द्वारा छमाही आधार पर सुरक्षा जांच की जाती है। तीसरे स्तर में क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रणालय द्वारा की जाती है। परीक्षा में बताए गए अन्तर में किए गए सुधार को संबंधित क्षेत्रीय नियंत्रणालय तथा कारपोरेट स्तर पर सुरक्षा नियंत्रक आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा गहन मॉनीटरी की जाती है।

7.29 आयुध निर्माणियों में कंप्यूटरीकरण : समुचित स्तरों पर निर्णय सहायता प्रणालियों के लिए प्रबंधन सूचना उपलब्ध करवाने, डिजाइन क्षमता में सुधार लाने तथा कागजी कार्य कम करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मौजूदा ढांचे में प्रत्येक निर्माणी में इनफोर्मिक्स आर डी बी एम एस सहित स्वतंत्र एस सी ओ- यूनिक्स आधारित सर्वर शामिल हैं। प्रत्येक आयुध निर्माणी में कस्टम निर्मित ऑन लाइन उत्पादन योजना नियंत्रण प्रणाली, व्यक्तिगत सूचना प्रणाली तथा वेतन रोल कार्य कर रहे हैं। दक्ष तथा कारगर प्रबंधन हेतु स्टैंडर्ड मैनेजमेंट रेशियो, की परफॉर्मेंस इन्डॉइसिस तथा कंट्रोल पैरामीटर पर समेकित ऑन लाइन एम आई एस सूचना मुहैया कराएगा।

7.30 डिजाइन तथा विकास क्षमताओं में वृद्धि करने के साथ-साथ उत्पादन डिजाइन तथा विकास क्षेत्र में दक्षता में वृद्धि लाने के लिए अपने ड्राइंग/डिजाइन कार्यालयों को आधुनिक बनाने हेतु आयुध निर्माणियों में कम्प्यूटरीकृत डिजाइन केंद्रों की स्थापना की जा रही है। इस सॉफ्टवेयर में हाई एंड मॉडलिंग साफ्टवेयर तथा विश्लेषण साफ्टवेयर शामिल हैं।

7.31 गुणवत्ता प्रबंधन : सभी आयुध निर्माणियों में पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन सिद्धांतों को

लागू करने पर बहुत जोर दिया जा रहा है। अंतिम प्रयोक्ता की जरूरतों तथा आशाओं को पूरा करने के लिए आई एस ओ- 9004:2000 के दिशा निर्देशों के अनुसार सतत् सुधार लाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

7.32 आयुध निर्माणियों की उत्पादों की गुणवत्ता की मॉनीटरी विविध तंत्रों के जरिए की जाती है जिनमें पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया कार्यक्रमों और गुणवत्ता योजनाओं के लिए कार्य करना, सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण उत्पादों में सुधार करने तथा प्रक्रियाओं के संबंध में अस्वीकृति को कम से कम करने की दिशा में प्रक्रियाओं/उत्पादों के नियंत्रण हेतु सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण तकनीकें, आयुध निर्माणी प्रयोगशालाओं में परीक्षण, आंतरिक गुणवत्ता लेखापरीक्षा और गुणवत्ता आश्वासन स्थापनाओं के साथ मासिक वार्ता बैठकें शामिल हैं। कमियों का विश्लेषण करने तथा विनिर्माण प्रक्रिया में इन्हें स्वतः दूर करने हेतु सुधारात्मक उपाय करने के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा चलाए गए गुणवत्ता संवर्धन अभियान को निचले स्तर तक चलाया गया है।

7.33 ग्राहक संतोष आयुध निर्माणियों के दल, ग्राहकों की प्रतिपुष्टि जानने के लिए ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने, प्रक्रियाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं को समझने और उत्पादों से जुड़ी हुई उनकी उम्मीदों से अवगत होने के लिए नियमित रूप से डिपुओं और अग्रवर्ती क्षेत्रों का दौरा करते हैं। आयुध निर्माणी बोर्ड और गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के अधिकारियों का संयुक्त दल

आयुध निर्माणियों के दल ग्राहकों की शिकायतों के निवारण तथा उपभोक्ताओं की समस्याओं को समझने के लिए नियमित रूप से डिपुओं तथा अग्रवर्ती के क्षेत्रों का दौरा करते हैं।

भी मदों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रयोक्ता की मर्जी जानने हेतु अग्रवर्ती क्षेत्रों का दौरा करते हैं।

7.34 **प्रदूषण नियंत्रण** : आयुध निर्माणियों में प्रदूषण नियंत्रण कार्यों को उचित महत्व दिया गया है। निर्माणियां तरल कचरा तथा गैसीय उत्सर्जकों को बहाने के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से वैधानिक सहमति प्राप्त करती है तथा इनके पास पूर्ण रूप से कार्य करने वाले कचरा उपचार प्लांट हैं। निर्माणियां संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्धारित समय-सीमा के भीतर विनिर्दिष्ट प्रपत्र में पर्यावरण संबंधी वार्षिक विवरण भी प्रस्तुत करती है।

7.35 **वृक्षारोपण** : सरकारी नीति के अनुसार पर्यावरण को बचाए रखने के लिए सभी आयुध निर्माणियों में सतत् रूप से वृक्षारोपण कार्य चल रहा है। वर्ष 2003-04 के दौरान 30,00,000 नए पौधे लगाए गए।

3.36 **राजभाषा** : आयुध निर्माणियों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को समुचित महत्व दिया गया है। प्रत्येक यूनिट में स्वतंत्र राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्य कर रही है। विभिन्न यूनिटों तथा आयुध निर्माणी बोर्ड में राजभाषा की प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया जाता है।

7.37 वर्ष के दौरान आयुध निर्माणी बोर्ड मुख्यालय में कार्मिकों के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। रोजमर्रा के कार्यालयी कार्य में हिंदी के इस्तेमाल को समझने के लिए प्रतिभागियों को अवसर देना इस कार्यशाला का उद्देश्य था। सभी कार्यालयों/निर्माणियों में कार्यरत अफसरों/कार्मिकों के लिए हिंदी का प्रवीण तथा प्राज्ञ तथा हिंदी टंकण/

आशुलिपि संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी यूनिटों में पर्याप्त मैनुअल/इलैक्ट्रॉनिक टंकण मशीन उपलब्ध है। अधिकतर कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकांश निर्माणियां हिंदी में अपना 'प्रकाशन' निकालती हैं।

7.38 **निशक्त लोगों के फायदे के लिए कल्याणकारी स्कीमें :** शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति को 3% आरक्षण दिया जाता है। यह आरक्षण, निशक्तता की विविध श्रेणियों हेतु समान रूप से उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनके लिए ये पद उचित समझे जाते हैं। इसके अलावा नियमों के अनुसार ऐसी श्रेणियों के व्यक्तियों की भर्ती के लिए आयु की छूट भी दी जाती है।

7.39 समूह 'ग' तथा समूह 'घ' पदों से संबंधित शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों को, जहां तक संभव हो, उनके जन्म स्थानों के आस पास तैनाती दी जाती है। ऐसे कार्मिकों के मामले में उनके जन्म स्थान के पास स्थानांतरण संबंधी अनुरोध को प्राथमिकता दी जाती है।

7.40 **उत्पादकता बोनस :** रक्षा उत्पादन स्थापना के सिविल कर्मचारियों को उत्पादकता से संबद्ध बोनस के भुगतान संबंधी फार्मूला में

संशोधन किया गया है। संशोधित फार्मूला के आधार पर वर्ष 2003-04 के दौरान पात्र कर्मचारियों को 41 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता सम्बद्ध बोनस दिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड

7.41 अक्टूबर, 1964 में, हिन्दुस्तान एयरोक्राफ्ट लिमिटेड तथा एयरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड को मिलाकर हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाया गया था। इस कम्पनी की छह राज्यों में 16 डिवीजनें हैं।

7.42 हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक व्यापक वैमानिकी परिसर है, इसमें, लड़ाकू विमानों, प्रशिक्षक विमानों, हेलिकॉप्टरों, मालवाहक विमानों, इंजनों, वैमानिकी और प्रणाली उपस्करों के डिजाइन, विनिर्माण तथा ओवहाल में व्यापक दक्षता हासिल कर ली है। इसकी उत्पादन श्रृंखला में आंतरिक विकास एवं अनुसंधान वाले 10 प्रकार के विमान तथा उन्नत हल्का हेलिकॉप्टर, ध्रुव एवं 13 किस्म के लाइसेंस उत्पादन जिसमें 8 किस्म के एयरो इंजन और 1000 से भी अधिक विमान प्रणाली उपस्करों (वैमानिकी, यांत्रिक और विद्युत) के मद शामिल हैं।

7.43 हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की मुख्य आपूर्तियां/सेवाएं भारतीय वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बल तथा सीमा सुरक्षा बल के लिए होती हैं। अतिरिक्त उत्पादन के अनुरूप परिवहन जहाज तथा हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति वाणिज्यिक एयर लाइन्स तथा राज्य सरकारों को की जाती है। कम्पनी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतरिक्ष वाहन कार्यक्रम में भी सहयोग देती है तथा मिसाइल विकास तथा निर्माण कार्यक्रम में भी भाग ले रही है।



हि0ए0लि0 द्वारा विकसित 'किरण' 'सूर्य किरण' एयरोबेटिक्स दल द्वारा उड़ाया जा रहा है।

हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कई नई परियोजनाएं जैसे हल्के उन्नत हेलिकॉप्टर, ध्रुव का श्रृंखलाबद्ध उत्पादन, सुखोई 30 एम के I का लाइसेंस के तहत उत्पादन, मध्यवर्ती जेट प्रशिक्षण का विकास तथा हल्के युद्धक विमान का सीमित श्रृंखलाबद्ध उत्पादन शुरू किया है।

7.44 हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने आपको बहु वैमानिकी परिसर के रूप में विकसित कर लिया है। 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए कंपनी का पुनः निर्धारित कार्यक्रम निम्नलिखित है:- “हवाई क्षेत्र रक्षा उपस्करों के डिजाइन, निर्माण और अनुरक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करते हुए हवाई क्षेत्र उद्योग में विश्वसनीय प्रतियोगी बनना तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में विविधता लाना,

बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में वाणिज्यिक स्तर पर व्यवसाय चलाना।”

7.45 महत्वपूर्ण उपलब्धियां :

- (i) कंपनी ने वर्ष 2002-03 के दौरान क्रमशः 3120 करोड़ और 433 करोड़ रुपये का टैक्स पूर्व का लाभ अर्जन किया और उच्चतम कारोबार का रिकार्ड बनाया।
- (ii) मिग-21 बिस, मिग-27, एम जगुआर तथा एच.एस. - 748 जैसे विभिन्न उन्नयन कार्यक्रमों के अलावा हि0 ए0 लि0 ने उन्नत हल्के हेलिकाप्टर, ध्रुव का श्रृंखला उत्पादन, सुखोई-30 एम के I, का लाइसेंस उत्पादन, मध्यम जेट प्रशिक्षक का विकास तथा हल्के युद्धक विमान का सीमित श्रृंखला उत्पादन जैसी अनेक नई परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया है।
- (iii) देश में ही विकसित उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर ध्रुव, ने जून, 2003 में पेरिस में आयोजित हवाई प्रदर्शन में भाग लिया। इसका व्यावसायिक स्वागत हुआ तथा विश्व बाजार

के लिए उपयुक्त होने के सकारात्मक संकेत मिले। हल्के लड़ाकू विमान के सिविल रूपांतर को अक्टूबर, 2003 में डी.जी.सी.ए. प्रमाण पत्र मिला।

(iv) हल्के लड़ाकू विमान के डिजाइन तथा विकास के लिए प्रमुख संविदाकार होने के कारण एच ए एल ने अब रचनात्मक डिजाइन, प्रणाली डिजाइन और आदिरूप के विकास और भारी संख्या में इलैक्ट्रिकल, हाइड्रो मैकेनिकल और उन्नत वैमानिकी मर्दों के डिजाइन और विकास के माध्यम से योगदान किया है। हल्के लड़ाकू विमान देश में ही डिजाइन किए गए प्रौद्योगिकी प्रदर्शक - 1 (टी डी -1) ने प्रथम उड़ान वर्ष 2002 में भरी थी, जबकि प्रथम सर्वसंयुक्त विमान हल्के लड़ाकू विमान के आदिरूप वाहन-1 (पी वी-1) ने अपनी पहली उड़ान नवम्बर, 2003 में भरी। प्रौद्योगिकी प्रदर्शक-1 तथा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन- II ने परीक्षण उड़ानों के दौरान प्राध्वनिक गति प्राप्त की।

(v) हि0 ए0 लि0 ने किरण चरण - II प्रशिक्षक के स्थान पर एक नए मध्यम जेट प्रशिक्षक का विकास किया है। इसका बेहतर कार्य प्रदर्शन तथा कार्यक्षमता है। इसका वजन और संचालन लागत अपेक्षाकृत कम है। इसमें आधुनिक प्रणालियां तथा वैमानिकियां हैं। प्रथम आदिरूप की प्रथम उड़ान मार्च, 2003 में सफलतापूर्वक भरी गई।

(vi) दिशा-निर्देशन तथा हथियार द्वारा निशाना साधने की क्षमता में सुधार हेतु हि0 ए0 लि0, ने नवीनतम वैमानिकी प्रणाली लगाने के लिए जगुआर विमान का उन्नयन कार्य शुरू कर दिया है।

(vii) हि0 ए0 लि0 वित्त ने वर्ष 2003-04 में 215.21 करोड़ रुपये का निर्यात किया है जो सर्वाधिक है। निर्यात को और अधिक

गति देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार हेतु अत्याधुनिक आई ए आई वैमानिकी से सुसज्जित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के संयुक्त विपणन हेतु आई ए आई, इज्राइल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। फोरजिंग्स, रोल्ड रिंग्स तथा स्नेकमा के लिए प्रीसिजन ब्लेड फोर्जिंग की आपूर्ति के लिए हि0ए0लि0 ने स्नेकमा मोटर्स, फ्रांस के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए। हि0ए0लि0 ने रॉल्स रायस के इंजन कार्यक्रम के लिए स्टील रोल्ड रिंगों की आपूर्ति हेतु मैसर्स रॉल रॉयस, यूके के साथ भी एक संविदा पर हस्ताक्षर किए। समुद्री भूमिका से संबंधित एक डीओ-228 विमान की आपूर्ति हेतु मारीशस कोस्ट गार्ड के साथ नवंबर, 2003 में एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

7.46 **शासकीय उद्देश्यों के लिए हिंदी का लोकप्रिय प्रयोग :** सरकारी उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। 30 जून, 2003 तक हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत 85 है तथा हिंदी टंकण का ज्ञान रखने वाले टंककों का प्रतिशत बढ़कर 86 हो गया।

7.47 **निशक्त व्यक्तियों के लाभ के लिए स्कीमें :** हि0ए0लि0 निशक्त व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ मुहैया कराने के लिए निशक्त व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम, 1995 (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) के प्रावधानों के पालन के प्रति वचनबद्ध है।

7.48 हि0ए0लि0 में किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के आधार पर क, ख, ग, घ, श्रेणी में निशक्त व्यक्तियों के रोजगार हेतु समुचित पदों की पहचान की गई है।

7.49 इसके अलावा, हि0 ए0 लि0 ने स्वेच्छा से निशक्त व्यक्तियों के लिए कई स्कीमें जैसे

दृष्टिहीन तथा विकलांग कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ते में वृद्धि तथा कृत्रिम अंग बदलवाने/उपचार कराने वाले निशक्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी शुरू की है।

7.50 सेरिबरल पल्सी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए स्थापित स्कूल 'वात्सल्य' को हि0ए0लि0 के कर्मचारियों के अंशदान के जरिए सहायता प्रदान की जाती है तथा वार्षिक अनुदान तथा बुनियादी सुविधाएं कंपनी द्वारा मुहैया कराई जाती हैं।

भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (भा. इ. लि.)

7.51 बेंगलूर में अपने निगमित कार्यालय के साथ 1954 में स्थापित भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की देश में 9 इकाइयां हैं। ये रक्षा सेनाओं, अर्ध सैन्य बल, संगठनों और आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरसंचार विभाग, पुलिस वायरलेस और मौसम विभाग जैसे अन्य सरकारी प्रयोक्ताओं के इस्तेमाल हेतु नवीनतम आधुनिक इलैक्ट्रॉनिक्स उपस्करों/संघटकों के डिजाइन, विकास तथा निर्माण कार्यों में लगा है। भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लि0 उपलब्ध अत्याधुनिक विनिर्माण तथा परीक्षण सुविधाओं का इस्तेमाल करके कंपनी के लिए महत्वपूर्ण व्यवसाय जुटाने हेतु कंपनी में अनुसंधान तथा विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सामग्री प्रबंधन, अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाओं के लिए ऑन लाइन कम्प्यूटरीकरण पर्यावरण और विश्वसनीयता जांच संबंधी सुविधाओं, इलैक्ट्रो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस/ इलैक्ट्रो मैग्नेटिक अनुकूलता परीक्षण सुविधा एंटीना परीक्षण सुविधा मानकीकरण, तकनीकी सूचना और प्रलेखन से सहायता और कंप्यूटर युक्त डिजाइन और निर्माण से भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लि0 एक आधुनिक व्यावसायिक इलैक्ट्रॉनिक्स कंपनी बन गई है।

भारत इलैक्ट्रानिक लिमिटेड रक्षा सेनाओं, अर्ध सैन्य संगठनों तथा अन्य सरकारी प्रयोक्ताओं के इस्तेमाल हेतु अत्याधुनिक इलैक्ट्रानिकी उपस्कर/ संघटकों के डिजाइन तैयार करने, विकास करने और उनके विनिर्माण में लगा हुआ है।

7.52 महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

- (i) भारत इलैक्ट्रानिक्स लि0 देश की सिविलियन व्यावसायिक इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में विशेषकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए स्टूडियो उपस्कर, ट्रांसमीटर सैटेलाइट संपर्क, ओ बी वैन जैसे कि रेडियो तथा दूरदर्शन प्रसारण को इसकी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए थोक में आपूर्ति करके एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।
- (ii) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने आंध्रप्रदेश के लिए

समग्र राज्य को कवर करने वाला एक सैटेलाइट संचार प्रणाली नेटवर्क बनाया है तथा समग्र देश में पुलिस के लिए एक सैटेलाइट प्रणाली नेटवर्क भी बना रहा है।

(iii) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड इलैक्ट्रॉन ट्यूबों (उपभोक्ता इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए टी वी पिकचर, ट्यूबों, आकाशवाणी/ दूरदर्शन के लिए ट्रांसमिटिंग ट्यूबों तथा औद्योगिक जरूरतों के लिए माइक्रोवेव ट्यूबों, एक्स-रे ट्यूबों, वेक्यूम और इंटरप्टरों) सेमीकंडक्टर उपकरणों, एकीकृत सर्किटों, हाइब्रिड माइक्रो सर्किटों, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सोलर सेलों तथा प्रणालियों, क्रिस्टलों तथा कैपसिटरों जैसे पैसिव संघटकों का निर्माण करके देश में इलैक्ट्रानिक संघटक उद्योग के विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

(iv) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने देश में ही कम दूरी के रुपांतरण का विकास करके उत्पादन कार्य शुरू कर दिया गया है।

(2003-2004)।

(v) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड की कुछ यूनिटों/डिवीजनों को आई एस ओ

9001:2000 (आई एस ओ 9001:1994 का संशोधित रुपांतरण) का प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।

(vi) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा इलैक्ट्रानिक्स वोटिंग मशीनों को ग्राहक की इच्छानुसार बनाकर उनका सिंगापुर तथा मारीशस में प्रदर्शन किया गया।

(vii) कंपनी अनवरत प्रशिक्षण तथा टोरक (कुल संगठनात्मक गुणवत्ता संवर्धन), गुणता क्षेत्र (क्यू सी सी), और सिक्स सिग्मा कार्यक्रमों के माध्यम से गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने तथा इनमें सुधार करने के लिए सतत् रूप से प्रयास करती रहती है।

(viii) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने भारत विमानपत्तन प्राधिकरण को प्राथमिक/ सहायक निगरानी रडारों की आपूर्ति के जरिए विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सिविल क्षेत्र में भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के मिश्रित उत्पाद में एकीकृत मत्स्य खोजी तथा दिशा-निर्देश मार्गदर्शन प्रणाली, सोलर यातायात सिगनल, इलैक्ट्रानिक्स वोटिंग मशीन और सिम्प्यूटर जैसी कुछ नवीन वृद्धि हुई है।

7.53 निशक्त व्यक्तियों के लिए स्कीमें :

शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों का कंपनी का आवास आबंटित किए जाते समय प्राथमिकता दी गई है। तथा उन्हें भूतल पर क्वार्टर आबंटित किए गए हैं। प्रबंधन ने इन कर्मचारियों को मामला दर मामला के आधार पर उनकी अपंगता की प्रकृति सीमा के आधार पर हाजिरी हेतु आने और जाने के समय में 5 से 15 मिनट के समय की रियायत दी है। निशक्त व्यक्तियों को विशेष यातायात भत्ता भी दिया जा रहा है। इस प्रकार के व्यक्तियों को आवश्यक होने पर सहायक श्रव्य यंत्र, मुड़ने वाली यात्रा घड़ी, विशेष जूतों के साथ क्लीपर, पहिये वाली कुर्सी तथा विशेष शौचालय मुहैया कराए गए हैं। उन्हें खेल-कूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित किया गया है। निशक्त व्यक्तियों



भारत अर्थ मूवर्स द्वारा विनिर्मित पुल निर्माण उपस्कर

के लाभ के लिए इन स्कीमों के अंतर्गत 1,67,073/- रुपये की राशि आबंटित की गई है। इन स्कीमों के शुरू होने से 210 व्यक्तियों को लाभ हुआ है।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (भा अ मू लि)

7.54 भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की स्थापना मई 1964 में हुई थी इसने जनवरी 1965 से कार्य करना आरम्भ कर दिया था। सरकार ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के शेयरों का विनिवेश मार्च, 2002 के अंत तक किया परन्तु

कंपनी के 61.23 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर अपने पास रखे हैं और वह इस कंपनी की अभी भी सबसे बड़ी शेयरधारक हैं।

7.55 भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड विनिर्माण प्रभाग, बंगलूर कोलार गोल्ड फील्ड तथा मैसूर में स्थित है। सभी उत्पादन इकाइयां आवश्यक सामान्य उद्देश्य मशीनों, तथा विशेष मशीनों जैसे हैवी ड्यूटी मशीनों, सी एन सी मशीनों, सी एन सी बेवलजनरेटिंग प्रणाली,

नमनीय निर्माण प्रणाली, भारत तथा व्यापक फैब्रीकेशन सुविधा, वेल्डिंग रोबोट आदि से पूरी तरह से सुसज्जित है जिससे वे ट्रांसमिशन तथा एक्सलो हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्वों, सिलेंडरों, पंपों, डीजल इंजनों, रेल कोचों, रेल बसों, रेल वैगनों, आल्टरनेटिंग करंट, इलैक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिटों, सभी भू-भागों के लिए हैवी ड्यूटी वाले मल्टी एक्सल ट्रकों, अर्थ मूविंग मशीनरी तथा कवचित रिकवरी वाहनों जैसे ट्रेकड मिल्ट्री वाहनों, स्वप्रणेदित तोपों, टैंकों तथा हैवी ड्यूटी वाहनों जैसे अन्य सेना वाहनों, पुल बिछाने वाले टैंकों, ट्रक आधारित चल सेतु प्रणाली, ट्रक चेसिसों पर लगी तोप प्रणाली और रॉकेट लांचर प्रणाली का निर्माण करती है।

7.56 महत्वपूर्ण उपलब्धियां :

- (i) कंपनी में सफलतापूर्वक आदिरुप बी ए-100 डंपर का विकास किया है, जिसे वर्ल्ड माइनिंग कान्फ्रेंस में नवम्बर, 2003 में दिल्ली में प्रदर्शित किया।
- (ii) बीईएमएल ने मैसर्स टेक्नोलॉजी इन्फार्मेशन फोरकास्टिंग एण्ड एससमेंट काउंसिल की वित्तीय सहायता से रेडियो कंट्रोल डोजर जैसे आपदा प्रबंधन उपस्कर का विकास कर इसे लांच किया है।
- (iii) अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने दक्षिण अफ्रीका के मैसर्स रोटेम के सहयोग से दिल्ली मेट्रो रेल निगम के लिए उच्च गति स्टेनलेस स्टील मेट्रो डिब्बों का विनिर्माण किया है।
- (iv) अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने सीमा सड़क संगठन तथा अन्य एजेंसियों को डोजर, लोडर, मोटर ग्रेडर जैसे मानक अर्थमूवर उपस्करों की आपूर्ति की है।
- (v) अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने गत वर्ष के दौरान 168.17 करोड़ रुपये के कारोबार की तुलना में वित्त वर्ष 2003-2004 के दौरान 1770.61 करोड़ रुपये का बिक्री कारोबार किया।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने गत वर्ष के दौरान 1681.17 करोड़ रुपये की कुल बिक्री की तुलना में वर्ष 2003-04 में 1770.61 करोड़ रुपये की कुल बिक्री की।

(vi) कंपनी के गत वर्ष के 37.87 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2003-04 के दौरान टैक्स पूर्व लाभ 52.50 करोड़ रुपये रहा।

माझगांव डॉक लिमिटेड (मा ड लि)

7.57 सरकार ने माझगांव डॉक लिमिटेड का मई, 1960 में अधिग्रहण किया था। यह देश का अग्रणी शिपयार्ड है तथा रक्षा व सिविल सेक्टरों के लिए कई किस्म की तोपों का निर्माण करता है। यह रक्षा क्षेत्र के लिए विध्वंसकों, फ्रिगेटों, प्रक्षेपास्त्रों, नौकाओं, कार्बेटों, पनडुब्बियों तथा सिविल क्षेत्र के लिए व्यापारिक जलयानों, ड्रेजरों

का निर्माण करती है। माझगांव डॉक लिमिटेड ने तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के लिए कूप शीर्ष प्लेटफार्मों का उत्पादन तथा संस्थापन करके और तेल खोज के क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन श्रृंखला का विविधीकरण भी किया है।

7.58 महत्वपूर्ण उपलब्धियां :

- (i) परियोजना 17 का पहला पोत 'शिवालिक' अप्रैल 2003 में लांच किया गया था।
- (ii) परियोजना के प्रथम पोत का नौतल 26

माझगांव डॉक लिमिटेड भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक बल के लिए आधुनिक पोतों का विनिर्माण करता है।



सितंबर 2003 को और परियोजना के तीसरे पोत का नौतल 30 सितंबर 2003 को बिछाया गया।

(iii) अक्टूबर 2003 में दो तीव्रगामी गश्ती नौकाओं सहित चौथा फ्लोटिंग बोर्डर आउट पोर्ट (सीमा प्रहरी बजरंग) सीमा सुरक्षा बल को सुपुर्द किया गया।

7.59 निशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं :
निशक्त व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। इस समय कंपनी के समूह ग और घ पदों की नामावली में ऐसे 46 कर्मचारी हैं जिन्हें निशक्त व्यक्तियों के लिए खोज कर आरक्षित किए गए पदों पर लगाया गया है। समूह क और ख में इस तरह के 6 कर्मचारी हैं।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड

7.60 भारत सरकार द्वारा 1967 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में अधिग्रहण किया गया था। यह कंपनी विभिन्न मध्यम आकार के तथा विशेष प्रयोजन पोत बनाती हैं। इसके उत्पादन क्षेत्र में सर्वेक्षण जलयान, प्रक्षेपास्त्रयुक्त नौकाएं, गश्ती जलयान, सामुद्रिक, आपूर्ति जलयान, तेल वाहक टैंकर, यात्री वाहक नौकाएं, कर्ष नौकाएं तथा नौकाएं शामिल हैं।

7.61 महत्वपूर्ण उपलब्धियां :

(i) भारतीय तटरक्षक को अप्रैल 2003 में एक तीव्रगामी गश्ती जलयान सुपुर्द किया गया था।

(ii) समुद्री और नौसैनिक जलयानों के लिए मरम्मत और पोत-निर्माण के बड़े आर्डर लेने के उद्देश्य से दो स्लिपवेज का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण करके इस कंपनी ने अपनी पोत मरम्मत सुविधाओं का संवर्धन किया है।

(iii) कंपनी को 'विभिन्न प्रकार के पोतों और

यानों के डिजाइन, निर्माण और मरम्मत' के लिए आई एस ओ 9001 प्रमाणन दिया गया है। इस कंपनी ने वर्ष 2002-2003 में आई एस ओ 9001:2000 मानक प्राप्त करने के लिए भी प्रयास प्रारंभ किए।

(iv) इस कंपनी ने विश्व भर में निविदाओं के लिए बोली लगाने और विदेश में प्रदर्शनियों, सेमिनारों और कंपनी की पोत निर्माण क्षमताओं से संबंधित प्रदर्शनों में भाग लेकर निर्यात संवर्धन अभियान को बढ़ावा दिया है।

(v) अक्टूबर 2003 में भारतीय तटरक्षक को एक उन्नत अपतटीय गश्ती जलयान सुपुर्द किया गया था।

(vi) कंपनी ने जनवरी 2004 में भारतीय नौसेना को अति तीव्रगामी आक्रामक जलयान की सुपुर्दगी की जोकि सुपुर्दगी के निर्धारित समय से अर्थात् छह महीने पूर्व कर दी गई।

गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड

7.62 भारत सरकार ने गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में 1960 में अधिगृहीत किया था। यह कंपनी नौसेना और तटरक्षक बल के लिए युद्धपोतों तथा सहायक जलयानों के निर्माण व मरम्मत का कार्य करती है। इसके उत्पादों में फ्रिगेट, कार्बेट, तेल टैंकर, गश्ती जलयान, प्रहारक यान, उच्च प्रौद्योगिकी युक्त पोतवाहित उपस्कर, इस्पात से बने पोर्टेबल बेलीपुल, कृषि क्षेत्र के लिए टरबाइन पंप, समुद्री मलजल उपचार संयंत्र तथा डीजल इंजन शामिल हैं।

7.63 महत्वपूर्ण उपलब्धियां :

(i) कंपनी ने वर्ष 2002-03 के लिए कर के उपरांत लाभ (123.84 करोड़ रुपये पर



खुखरी वर्ग का प्रक्षेपास्त्र कार्वेट

6.05 प्रतिशत के बराबर धनराशि का भुगतान किया) का 35 प्रतिशत 7.49 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया है।

(ii) नौसेना में 4 फरवरी 2004 को एक कार्वेट (यार्ड-2042) कमीशन की गई थी।

(iii) भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे दो फ्रिगेटों (यार्ड 3010 और 3011) का निर्माण पूरा होने वाला है और इनकी सुपुर्दगी अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में किए जाने की संभावना है।

(iv) कंपनी के पास तीन लैंडिंग शिप टैंक (बड़े), चार तीव्रगामी प्रहारक जलयान और चार पनडुब्बीरोधी युद्धपद्धति कार्वेटों के निर्माण के आर्डर हैं जिनकी सुपुर्दगी वर्ष 2005 से 2011 के बीच की जानी है।

भारत डायनामिक्स लिमिटेड

7.64 भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना निर्देशित प्रक्षेपास्त्रों के विनिर्माण के लिए 1970 में की गई थी। यह उन सामरिक उद्योगों में से एक है जो उन्नत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का उत्पादन करने की क्षमता रखती है। कंपनी की दो यूनिटें हैं जिनमें से एक कंचनबाग, हैदराबाद में हैं और दूसरी मेडक जिले के भाणूर में है। स्वदेशी पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के अलावा यह मिलन और कोंकुर प्रक्षेपास्त्रों के साथ-साथ उनके लांचरों एवं अन्य अंतर्निहित विकास

उत्पादों जैसे फ्लेम लांचरों और सिमुलेटरों का निर्माण भी करती है। यह कंपनी एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत अन्य प्रक्षेपास्त्रों की प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

7.65 महत्वपूर्ण उपलब्धियां :

(i) कंपनी के मिलन, कोंकर, पृथ्वी और सूचना प्रौद्योगिकी प्रभागों के पास आई एस ओ 9002 प्रमाणन है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड उपभोक्ता संतुष्टिकरण को अत्यधिक महत्व देता है।

(ii) कंपनी उपभोक्ताओं द्वारा आयोजित फील्ड फायरिंग में नियमित रूप से हिस्सा लेती है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड विनिर्माण प्रक्रिया, निरीक्षण कार्य प्रणाली में विभिन्न सुधारों को नियमित रूप से कार्यान्वित करती हैं। कंप्यूटरीकरण के माध्यम से कार्यप्रणाली की कुशलता में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप, प्रति कर्मचारी की गुणता में क्रमिक रूप से वृद्धि हुई है।

(iii) निर्यात को और बढ़ाए जाने के उद्देश्य से भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने वर्ष 2002-2003 में 44 लाख रुपये की उप-असेंबलियों का निर्यात किया है। नवीन उत्पादों के क्षेत्र में कंपनी ने कांकर्स-एम और 3 यू बी के-20 तोप प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्रों का विनिर्माण प्रारंभ किया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मैसर्स वास, इटली से प्रौद्योगिकी अंतरण के तहत बनाई जाने वाली सब-मैरिन से प्रक्षेपित की जाने वाली नेवल डेकॉय-सी 303 के वास्ते निर्माण एजेंसी का नामांकन कर दिया है।

(iv) कंपनी ने वर्ष 2002-2003 के लिए 23 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया है।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी)

7.66 वैमानिकी, अंतरिक्ष, शस्त्रास्त्र, परमाणु ऊर्जा, नौसेना जैसे सामरिक क्षेत्रों के लिए सुपर अलॉय, टिटैनियम अलॉय के क्षेत्रों और विशेष उत्पादों जैसे कि मोलिब्डेनम तारों और प्लेटों, टिटैनियम और स्टेनलेस स्टील ट्यूबों, साफ्ट मेगनेटिक अलॉयों, कंट्रोल्ड एक्सपांशन अलॉयों और रेसिस्टेंस अलॉयों जैसी विद्युत उपयोग की अलॉयों में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 1973 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में मिश्र धातु निगम लिमिटेड की हैदराबाद में संस्थापना की गई थी।

7.67 महत्वपूर्ण उपलब्धियां : -

- (i) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को राकेट मोटर केसिंग अनुप्रयोग के लिए मिधानी द्वारा आपूरित बड़े आकार के मैराजिंग स्टील हार्डवेयर के दोषरहित कार्य निष्पादन करने पर ही मौसम विज्ञान उपग्रह (मेटसैट) को ले जाने वाले पी एस एल वी के वाणिज्यिक रूपांतर पोलर सेटेलाइट लान्च व्हीकल (पी एस एल वी - सी 4) को सफलतापूर्वक छोड़ा गया।
- (ii) हल्के लड़ाकू विमान (एल सी ए) के लिए अपेक्षित विशेष सामग्री का सफलतापूर्वक विकास करके आपूर्ति की गई।
- (iii) मिधानि एल सी ए, पी एस एल वी/जी एस एल वी, रक्षा में हथियारों, वैमानिकी, अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों के लिए हमेशा विशिष्ट प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराता रहा है।
- (iv) रक्षा के लिए कवचित ट्रकों के डिजाइन, विकास और फैब्रिकेशन के लिए मिधानि की कवचित चादरों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे रक्षा की विनिर्दिष्टियों और जरूरतों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- (v) कम कीमत के आयात प्रतिस्थापन के रूप में टिटैनियम से बने बढ़िया किस्म के

बायोमेडिकल इम्प्लांटों की सफलतापूर्वक बड़ी रेंज बनाई गई जिनकी सं० 1060 रूपांतरों में 135 है।

(vi) विश्व में गिनी-चुनी धातुकर्मीय स्थापनाओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली अत्याधुनिक सुपर प्लास्टिक फोरमिंग प्रौद्योगिकी (एस पी एफ) को सफलतापूर्वक स्थापित किया। वर्ष के दौरान एयरोस्पेस क्षेत्र से प्राप्त हुए बड़े आर्डरों के मद्दे इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके टिटैनियम गैस बोटलों की बड़ी मात्रा में आपूर्ति की गई।

(vii) मिधानि द्वारा निर्मित बड़े आकार की टिटैनियम अलॉय बारों को एक ओवरसीज वर्क सेंटर में क्लोज्ड डाइ फोरजिंग में परिवर्तित करके, यह साबित कर दिखाया कि वे अंतराष्ट्रीय मानकों पर खरे थे। यह एक सम्मानजनक उच्चकोटि का कार्य रहा है जिससे एयरो इंजिन में इस्तेमाल होने वाले सामान की मांग पूरा करने में मिधानि के सामान की बड़ी मात्रा में खपत होने लगी है।

(viii) वर्ष के दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को की जाने वाली आपूर्तियों में स्वदेशी रूप से निर्मित विशिष्ट टिटैनियम फास्टनर्स की आपूर्ति शुरू की गई है। सामरिक क्षेत्र से संबंधित विकसित प्रौद्योगिकियां विश्व स्तर के बायोमेडिकल इम्प्लान्ट्स के निर्माण में प्रयुक्त हो रही हैं जबकि ऑर्थोपीडिक सर्जरी के लिए विशिष्ट पेचों के निर्माण में विकसित की गई प्रौद्योगिकी टिटैनियम फास्टनर को बनाने के लिए प्रयोग की गई है जिससे सामरिक क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति होती। कई पारखी ग्राहकों के लिए सुपरअलॉय और विशेष स्टील फास्टनर्स के विकसित और आपूर्ति का कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ix) मिथानी के रूसी परामर्शदाताओं से अनुमोदित सभी विनिर्दिष्टियों को पूरा करके स्वदेशी सुविधाओं का उपयोग करते हुए भारतीय नौसेना के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग के लिए अपेक्षित वेल्ड संबंधी सामान का सफलतापूर्वक उत्पादन और आपूर्ति की है।

आयुध निर्माणियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों की बिक्री

7.68 आयुध निर्माणियों और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा पिछले तीन वर्षों में जारी सामान की कुल कीमत इस प्रकार है:-

वर्ष	आयुध निर्माणियां कुल बिक्री	सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम कुल बिक्री	(करोड़ रुपये में)
			जोड़
2001-2002	6031.00	7918.38	13949.38
2002-2003	6508.20	8788.31	15296.51
2003-2004 (अनंतिम)	6641.00	9609.62	16250.62

7.69 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणियों ने वर्ष 2003-2004 के लिए 439 करोड़ रुपये के सामान का निर्यात किया है।

पूर्ति शाखा

7.70 रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दौड़ में यह प्रयास रहा है कि जहां प्रौद्योगिकी की दृष्टि से संभाव्य हो तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, वहां रक्षा उपस्करों का स्वदेशीकरण किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र और सिविल ट्रेड-दोनों में अनेक गहन और जटिल उपस्करों के लिए विस्तृत

स्वदेशी पूर्ति स्रोतों का पता लगाना और उनका विकास करना हमारे स्वदेशीकरण के प्रयास का एक हिस्सा रहा है। स्वदेशीकरण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र /सिविल ट्रेड में परिवर्तन आया है। कच्चे माल, संघटकों, उप प्रणालियों के पूर्तिकर्ता बने रहने की बजाय अब वे संपूर्ण रक्षा उपस्कर/प्रणाली के विनिर्माण का एक अंग बन गए हैं। रक्षा उद्योग क्षेत्र अब इसे भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए भी खोल दिया गया है। अब भारतीय कंपनियां लाइसेंस के अधीन सभी किस्मों के रक्षा उपस्करों का विनिर्माण करने के

लिए रक्षा उद्योग स्थापित करने के लिए पात्र हैं। ऐसी कंपनियों में इक्विटी के 26 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी हो सकेगा। लाइसेंस प्रदान करने के आवेदनों पर विचार करने के तौर-तरीकों के बारे में रक्षा मंत्रालय के परामर्श से औद्योगिकीय नीति तथा संवर्धन विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं।

7.71 रक्षा उपस्करों के हिस्से-पुर्जों के स्वदेशीकरण हेतु आठ तकनीकी समितियों के रूप में एक संस्थागत ढांचा मौजूद है जिसमें गुणता आश्वासन महानिदेशालय के अधिकारी शामिल हैं। प्रत्येक समिति का प्रमुख मेजर जनरल/ब्रिगेडियर अथवा समतुल्य रैंक का तकनीकी अधिकारी होता है। ये समितियां सर्वेक्षण और क्षमताओं का आकलन करके रक्षा

स्वदेशीकरण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र /सिविल ट्रेड में परिवर्तन आया है। कच्चे माल, संघटकों, उप प्रणालियों के आपूर्तिकर्ता बने रहने की बजाय अब वे संपूर्ण रक्षा उपस्कर/प्रणाली के विनिर्माण का एक अंग बन गए हैं।

उपस्करों/ सामान के स्वदेशीकरण कार्य करने में सक्षम सिविल उद्योगों का संक्षिप्त ब्यौरा रखती हैं। ये समितियां प्रयोक्ता सेवाओं से विचार-विमर्श करके स्वदेशीकरण हेतु मर्दों की पहचान करने के बाद तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता एवं सामरिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वदेशीकरण कार्यकलाप शुरू कराती हैं और रक्षा उपस्करों /सामान की समय पर पूर्ति सुनिश्चित करती हैं। वर्ष 2002-2003 के दौरान शुरूआती विकास और 1101 मर्दों के स्वदेशीकरण के लिए 38.67 करोड़ रुपये के पूर्ति आदेश प्रस्तुत किए गए थे। वर्ष 2003-2004 के दौरान शुरूआती विकास और रक्षा मर्दों के स्वदेशीकरण के लिए 210.81 करोड़ रुपये के पूर्ति आदेश दिए गए थे। फरवरी 2002 से सरकार के निर्णय के अनुसार आयुध निर्माणियां और वायुसेना मुख्यालय जैसे उत्पादन एजेंसियां अपने आप स्वदेशीकरण कार्य कर रही हैं।

7.72 सिविल क्षेत्र को सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं से अवगत कराने में सहायता करने के लिए चार महानगरों में स्थायी नमूना-कक्ष संचालित किए जाते हैं। सिविल उद्योग के साथ विस्तृत तथा सार्थक बातचीत सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर सम्मेलन/ प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। सिविल उद्योग को रक्षा सामान का स्वदेशी विकास करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1993-94 में स्वदेशीकरण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देने की एक योजना शुरू की गई थी। रक्षा उपस्करों और रक्षा सामान की प्रतिस्थापन मर्दें तैयार करने के लिए उद्योग द्वारा किए गए प्रयासों को पूरी मान्यता दी जाती है और पात्र इकाइयों को उपयुक्त पुरस्कार दिए जाते हैं।

7.73 निजी भागीदारी के लिए रक्षा उद्योग क्षेत्र को खोल दिए जाने के बाद विभिन्न किस्म के रक्षा उपस्करों का विनिर्माण करने के लिए

निजी कंपनियों को 15 आशय पत्र जारी किए गए हैं। लार्सन एंड टूब्रो लि0, महेन्द्रा एंड महेन्द्रा लि0 और ऑटोमोटिव कोच्चि और कंपोनेटस लि0 जैसे कुछ बड़ी कंपनियों ने रक्षा उपस्करों के विनिर्माता और पूर्तिकारों के रूप में रक्षा उद्योग क्षेत्र में प्रवेश के लिए आशय पत्र प्राप्त किए हैं। सरकार ने अपनी ओर से रक्षा क्षेत्र की आवश्यकताओं के बारे में निजी क्षेत्र में अधिक जानकारी का सृजन करने के लिए अपने प्रयास सघन किए हैं। वर्ष के दौरान कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से तीन रक्षा उद्योग भागीदारी सम्मेलन आयोजित किए गए। इसके अलावा छह रक्षा विशेषज्ञ दल गठित किए गए हैं जिनमें निजी क्षेत्र में बनाए जा सकने वाले रक्षा उपस्करों के बारे में विचार-विमर्श करने और उनका पता लगाने के लिए विभिन्न रक्षा स्थापनाओं ओर निजी उद्योग का प्रतिनिधित्व है।

रक्षा उत्पादन विभाग में अन्य संगठन गुणता आश्वासन महानिदेशालय

7.74 गुणता आश्वासन महानिदेशालय में रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्यरत एक अंतर-सेवा संगठन है। यह सेना, नौसेना (नौसेना शस्त्रास्त्रों को छोड़कर) के लिए आयातित और स्वदेशी दोनों प्रकार के सभी रक्षा सामान और उपस्करों तथा वायुसेना के वास्ते निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और आयुध निर्माणियों से अधिप्राप्त सामान्य उपयोग की मर्दों के गुणता आश्वासन के लिए उत्तरदायी है। अतः देश की रक्षा तैयारी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

7.75 **संगठनात्मक संरचना और कार्य :** गुणता आश्वासन महानिदेशालय सात तकनीकी निदेशालयों में बंटा हुआ है जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट श्रेणी के उपस्करों के लिए उत्तरदायी है। तकनीकी निदेशालय अपने संबंधित मुख्यालयों,

नियंत्रणालयों, फील्ड गुणता आश्वासन स्थापनाओं (केवल शस्त्रास्त्र शाखा के मामले में) की तीन स्तरीय सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं। उनके द्वारा निष्पादित कार्य एक दूसरे के लिए पूरक तथा अनुकूल हैं और अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से जुड़े हैं।

7.76 गुणता आश्वासन महानिदेशालय संगठन की बड़ी उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

(क) सामान की निरीक्षण : गुणता आश्वासन महानिदेशालय यह सुनिश्चित करता है कि स्वीकृत सामान का निरीक्षण निर्धारित विनिर्देशों और निष्पादन मानदंडों के अनुसार कड़ाई से हो। पिछले तीन वर्षों के दौरान निरीक्षण किए गए सामान का मूल्य इस प्रकार है:-

वर्ष	निरीक्षण किए गए सामान का मूल्य (करोड़ रुपये में)
2001-2002	13778
2002-2003	16001
2003-2004	14692

(ख) आयातित उपस्करों का गुणता आश्वासन: गुणता आश्वासन महानिदेशालय सशस्त्र सेनाओं द्वारा अर्जित किए जा रहे आयातित उपस्करों और हथियार प्रणालियों के निरीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

(ग) स्व प्रमाणन : गुणता आश्वासन महानिदेशालय संगठन गुणता के प्रति जागरूक उन फर्मों/विनिर्माताओं को जो गुणता प्रबंध प्रणाली के क्षेत्र में सुस्थापित हैं और जिन्होंने उत्तरवर्ती रक्षा पूर्ति आदेशों के निष्पादन के दौरान निरंतर उत्पाद गुणता का प्रदर्शन किया है, स्व-प्रमाणन का दर्जा प्रदान कर रहा है। वर्ष 2003-2004 के दौरान 42 फर्मों को स्व प्रमाणन दर्जा दिया गया।

(घ) प्रदर्शनियां : वर्ष के दौरान गुणता आश्वासन महानिदेशालय ने लघु उद्योग विभाग (एस एस आई) के साथ मिलकर संपूर्ण देश में भिन्न-भिन्न स्थानों पर 15 प्रदर्शनियां आयोजित की। विभिन्न शाखाओं द्वारा नमूनों का प्रदर्शन करने के अलावा रक्षा गुणता आश्वासन संस्थान, बेंगलूर ने विक्रेता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।

(ङ) प्रशिक्षण पहल : रक्षा गुणता आश्वासन संस्थान, बेंगलूर गुणता आश्वासन, प्रबंधन /मानव संसाधन विकास और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गुणता आश्वासन महानिदेशालय के कार्मिकों को प्रशिक्षण दे रहा है। सेनाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, आयुध निर्माणी बोर्ड आदि जैसे बाहरी संगठनों के कार्मिकों के लिए पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों के दौरान प्रशिक्षित अधिकारियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. स.	वर्ष	गुणता आश्वासन महानिदेशालय	अन्य संगठन
1.	2002-2003	363	63
2.	2003-2004	391	92

वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय

7.77 वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है जिसकी स्थानिक निरीक्षण स्थापनाएं देश के विभिन्न उत्पादन केन्द्रों में हैं। इसके मुख्य कार्यों के साथ-साथ डिजाइन/ विकास, उत्पादन, सैन्य विमानों और सहायक उपकरणों की संपूर्ण मरम्मत और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ तकनीकी संगम और मानकीकरण कार्यकलापों में भागीदारी शामिल है। वर्ष 2003-2004 के दौरान वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय ने 3284.07 करोड़ रुपये मूल्य के

वैमानिकी सामान का निरीक्षण किया। वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय ने पृथ्वी/आकाश/त्रिशूल प्रक्षेपास्त्रों जैसी एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम और गैर एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम परियोजनाओं में भी अधिकांश प्रणालियों के लिए समग्र प्रमुख एजेंसी और गुणता आश्वासन एजेंसी दोनों रूप में सक्रिय रूप से भाग लिया।

मानकीकरण निदेशालय

7.78 रक्षा सेनाओं के भीतरी मदों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1962 में मानकीकरण निदेशालय का गठन किया गया था। मानकीकरण संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए देश में प्रमुख केन्द्रों पर नौ मानकीकरण एकक और छह डिपार्टमेंट स्थापित किए गए हैं। मानकीकरण निदेशालय का मुख्य उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच उपस्करों और संघटकों के बीच समानता स्थापित करना है ताकि रक्षा सेनाओं की समग्र सामान-सूची को कम किया जा सके। निम्नलिखित के माध्यम से इस उद्देश्य को प्राप्त किया जाना अपेक्षित है :-

- (क) संयुक्त सेना विनिर्देशों, संयुक्त सेना अधिमानित रेंजों, संयुक्त सेना युक्तियुक्त सूचियों, संयुक्त सेना दिशा-निर्देशों, संयुक्त सेना नीति विवरणों और संयुक्त सेना गुणात्मक आवश्यकताओं जैसे मानकीकरण दस्तावेज तैयार करना;
- (ख) रक्षा से संबंधित सामान सूची को कूटबद्ध करना और सूची बनाना ;
- (ग) प्रवेश नियंत्रण

7.79 मानकीकरण संबंधी कार्यकलाप 13 मानकीकरण उप समितियों, इन उप-समितियों के तहत पैनलों/कार्यदलों और अनेक विशेषज्ञ तकनीकों पैनलों और रक्षा उपस्कर कूटकरण समिति के माध्यम से किए जाते हैं।

7.80 उपलब्धियां :

- (i) 30 संयुक्त सैन्य सुव्यवस्थित सूचियों के

तहत किस्मों में कटौती किए जाने के लिए 1343 मदों पर विचार किया गया। इसमें 468 मदों की कमी की गई थी और इस प्रकार 34.7% कटौती की गई।

(ii) 375 कागजात, जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका था, का परिशोधन किया गया है जबकि परिशोधन का वार्षिक लक्ष्य 367 है।

(iii) 682 मानक कागजात तैयार किए गए थे।

7.81 कूटकरण और सूचीकरण :

29000 के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले वर्ष के दौरान 23,246 मदों का कूटकरण किया जा चुका है।

7.82 सूचना प्रौद्योगिकी : निदेशालय की सरकारी वेबसाइट में विभिन्न विशेषताओं और सुविधाओं को शामिल कर इसे प्रयोक्ताओं के लिए और अधिक उपयोगी बनाया गया है। मानकीकरण निदेशालय के एडवांस कम्प्यूटिंग एवं सिस्टम एप्लीकेशन हेतु केन्द्र ग्रुप ने विभिन्न स्तरों पर कूटकरण प्रक्रिया के स्वचालन के लिए साफ्टवेयर विकास परियोजना के समन्वय का कार्य किया। मानकीकरण उद्यम नेटवर्क ने विभिन्न रक्षा मानकीकरण एककों में 'लीज्ड लाइन' सम्बद्धता स्थापित की है।

7.83 प्रशिक्षण : मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान, पुणे मानकीकरण, कूटकरण, प्रबंध विकास कार्यक्रम, कुल गुणवत्ता प्रबंधन तथा डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली से संबंधित पाठ्यक्रम आयोजित करता है। इस संस्थान ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं :-

- (i) मैट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क (मैन) कार्यक्रम और 'स्टैण्डर्डाइजेशन इन्ट्रानेट' की उपयोगिता पर पाठ्यक्रम
- (ii) ई-गवर्नेंस और इंफर्मेशन सेक्यूरिटी के प्राथमिक ज्ञान पर पाठ्यक्रम
- (iii) मानकीकरण और कूटकरण पर

अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम

(iv) मानकीकरण पर फाउन्डेशन पाठ्यक्रम

योजना तथा समन्वय निदेशालय

7.84 योजना तथा समन्वय निदेशालय को देश में रक्षा उपस्करों के उत्पादन के लिए समग्र योजनाएं तैयार करने के मुख्य उद्देश्य से वर्ष 1964 में स्थापित किया गया था। इस निदेशालय की आयुध निर्माणियों द्वारा चलाई जा रही प्रमुख स्वदेशीकरण योजनाओं, यथा अर्जुन और टी-90 मुख्य युद्धक टैंक, विभिन्न आर्टिलरी तोपों और कवचित वाहनों का उत्पाद सुधार, टैंकों और इंजनों की संपूर्ण-मरम्मत क्षमता में वृद्धि की मॉनीटरिंग और उन्हें कार्यान्वित किए जाने की जिम्मेदारी है। सेना और नौसना के लिए आयुधों का विकास इस निदेशालय के अन्य प्रमुख कार्य-कलाप हैं। यह निदेशालय तीनों सेनाओं के लिए इलेक्ट्रानिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी मॉनीटर करता है।

7.85 यह निदेशालय रक्षा उत्पादन विभाग में रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात के लिए नोडल प्वाइंट है। यह निदेशालय इस विभाग के निर्यात स्कंध द्वारा अन्य देशों के विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा नीति समूहों और संयुक्त कार्य समूहों के साथ किए जाने के लिए विचार-विमर्श के दौरान उसकी सहायता करता है।

7.86 यह निदेशालय जनरल स्टाफ उपस्कर नीति समिति, मानकीकरण समिति, कार्यदलों और विभिन्न मानीटरिंग समितियों में रक्षा उत्पादन विभाग का प्रतिनिधित्व करता है।

7.87 यह निदेशालय, तीनों सेनाओं की अपनी-अपनी पूंजीगत अधिप्राप्ति योजनाओं के 'खरीदो', 'खरीदो और बनाओ' तथा 'बनाओ' श्रेणियों में वर्गीकरण के संबंध में एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के साथ की जाने वाली कार्रवाई का रक्षा उत्पादन विभाग के भीतर समन्वय

करता है। यह निदेशालय, रक्षा उत्पादन बोर्ड, जिसे रक्षा अधिप्राप्ति परिषद द्वारा लिए गए 'बनाओ' के सभी निर्णयों से उत्पन्न प्रगति की मॉनीटरिंग का कार्य दिया गया है, के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। यह लाइसेंस उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रारंभतः उत्पादन/विकास के बारे में इष्टतम निर्णयों पर पहुंचने में रक्षा अधिप्राप्ति परिषद की सहायता भी करता है।

रक्षा प्रदर्शनी संगठन

7.88 1981 में स्थापित रक्षा प्रदर्शनी संगठन की भारत और विदेश में रक्षा प्रदर्शनियों का आयोजन और समन्वय करने की प्रमुख जिम्मेदारी है। यह प्रगति मैदान, नई दिल्ली में स्थायी रक्षा पैविलियन का रख-रखाव करता है, जिसमें प्रति वर्ष 14 नवम्बर से 27 नवंबर तक आयोजित किए जाने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान सर्वाधिक दर्शक पहुंचते हैं। इस पैविलियन में आयुध निर्माणियों, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा विनिर्मित/विकसित उत्पादन प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके अलावा, सशस्त्र सेनाओं, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, तटरक्षक और राष्ट्रीय कैडेट कोर को भी इस प्रदर्शनी में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। छह लाख से भी अधिक आगन्तुकों ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, 2003 के दौरान रक्षा पैविलियन का दौरा किया जिससे नागरिकों में रक्षा संबंधी जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों/ रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन/गुणता आश्वासन महानिदेशालय/आयुध निर्माणी बोर्ड के लिए व्यापार संबंधी पूछताछ उत्पन्न हुई। यह पैविलियन तीन अतिरिक्त दिनों अर्थात् 28 नवम्बर से 30 नवम्बर 2003 तक खोले रखा गया ताकि स्कूली बच्चे, राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेट

और रक्षा कार्मिक इस पैविलियन को विस्तार से देख सकें।

7.89 निर्यात संवर्धन प्रयास के एक हिस्से के रूप में रक्षा निर्यात संगठन भारत में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनियों का आयोजन करता है और विदेश में प्रदर्शनियों में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों की सहभागिता का समन्वय करता है। वित्त वर्ष 2003-04 के दौरान, रक्षा निर्यात संगठन ने 22-25 अप्रैल, 2003 तक रियो डि जनेरियो, ब्राजील में आयोजित लेटिन अमेरिका डिफेंटेक प्रदर्शनी में सहभागिता का समन्वय किया।

डिफेक्सपो इंडिया 2004

7.90 डिफेक्सपो इंडिया, 2004-तीसरी द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय भू एवं नौसेना प्रणाली प्रदर्शनी 4 फरवरी से 7 फरवरी, 2004 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ ने संयुक्त रूप से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया। यह प्रदर्शनी,

12,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैली थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50% अधिक था। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणियों सहित 163 घरेलू कंपनियों के साथ 19 देशों की 187 विदेशी कंपनियों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया। प्रगति मैदान स्थित स्थायी रक्षा पैविलियन को पहली बार इस प्रदर्शनी के साथ एकीकृत किया गया था। रक्षा

भारत अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग मेला 2003 के दौरान पैविलियन को देखने के लिए छह लाख से अधिक लोग आए। इससे जहाँ नागरिकों में रक्षा संबंधी जागरूकता उत्पन्न हुई वहीं उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों/रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन/गुणता आश्वासन महानिदेशालय/ आयुध निर्माणी बोर्ड के बारे में ट्रेड संबंधी जानकारी प्राप्त की।

मंत्री ने 4 फरवरी, 2004 को प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 32 देशों के उच्चस्तरीय अधिकारियों ने प्रदर्शनी में भाग लिया। पिछली बार 23 प्रतिनिधि मंडलों की तुलना में इस बार 5 गैर-सरकारी प्रतिनिधि मंडलों को मिलाकर 37 ने भाग लिया।

7.91 व्यापारियों के साथ-साथ सरकारी विभागों, सशस्त्र सेनाओं के उच्चाधिकारियों सहित प्रदर्शनी में लगभग 35,000 आगन्तुकों ने भाग लिया। प्रतिभागियों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखते हुए 31 जनवरी से 3 फरवरी, 2006 को उसी स्थान पर होने वाले अगले शो के लिए अगले आयोजन के लिए लगभग 3300 वर्ग मीटर का प्रदर्शनी स्थल आरक्षित करा लिया है। (कुल स्थान का 25% से अधिक डिफेक्सपो इंडिया, 2004 के लिए)।

7.92 डिफेक्सपो इंडिया- 2004 में भाग लेने वाली विदेशी कंपनियों के साथ-साथ विभिन्न सरकारी कंपनियों से रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। रक्षा मंत्री, राज्य मंत्री और रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री द्वारा विभिन्न देशों से मंत्री स्तर पर प्रतिनिधि मंडलों को बुलाया गया है। डिफेक्सपो इंडिया -2004 के एक भाग के रूप में सीधे विदेशी निवेश और अनुसंधान तथा विकास को इष्टतम बनाने पर एक रक्षा उद्योग सम्मेलन के अतिरिक्त 'आउटसोर्सिंग' और 'आफसेट्स' पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का भी साथ-साथ आयोजन किया गया था।

7.93 आठ रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के निवेश, कर पश्चात् उत्पादन और लाभ की कीमत का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

निवेश

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	(करोड़ रु० में)					
	2001-2002		2002-2003		2003-2004	
	इक्विटी	सरकारी ऋण	इक्विटी	सरकारी ऋण	इक्विटी	सरकारी ऋण
एचएएल	120.50	-	120.50	-	120.50	-
बीइएल	80.00	-	80.00	-	80.00	-
बीइएमएल	36.87	-	36.87	-	36.87	-
एमडीएल	199.20	-	199.20	-	199.20	-
जीआरएसई	123.84	-	123.84	-	123.84	-
जीएसएल	19.40	-	19.40	-	19.40	-
बीडीएल	115.00	-	115.00	-	115.00	-
मिधानि	137.34	-	137.34	-	137.34	-
कुल	832.15	-	832.15	-	832.15	-

कार्यकारी परिणाम
उत्पादन और बिक्री की कीमत

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	(करोड़ रुपये में)					
	2001-2002		2002-2003		2003-2004	
	उत्पादन की कीमत	बिक्री की कीमत	उत्पादन की कीमत	बिक्री की कीमत	उत्पादन की कीमत	बिक्री की कीमत
एचएएल	2963.44	2774.81	3477.84	3120.42	3655.02	3690.29
बीइएल	2029.98	1941.99	2536.39	2508.02	2802.80	2791.37
बीइएमएल	1436.10	1424.15	1740.16	1681.17	1706.76	1770.61
एमडीएल	582.65	737.83	539.52	569.27	464.44	80.10
जीआरएसई	488.79	498.44	523.09	153.69	491.57	392.17
जीएसएल	220.43	153.50	232.14	386.50	177.80	238.95
वीडीएल	251.44	283.36	330.38	277.72	507.96	521.02
मिधानि	107.17	104.30	93.50	91.52	105.07	125.11
कुल	8080.00	7918.38	9473.02	8788.31	9911.42	9609.62

कर पश्चात लाभ

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	(करोड़ रुपये में)	
	2002-2003	2003-2004 (अंतिम)
एचएएल	389.96	307.20
बीइएल	260.61	302.92
बीइएमएल	26.10	33.00
एमडीएल	(-)24.13	(-) 12.90
जीआरएसई	21.33	31.50
जीएसएल	17.83	5.75
बीडीएल	56.69	40.87
मिधानि	(-)2.16	4.51
कुल	746.23	712.85

रक्षा अनुसंधान एवं विकास



रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र ब्रह्मोस

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी रक्षा प्रणालियों में नवीनतम प्रौद्योगिकियां शामिल करके हमारी सशस्त्र सेनाओं की युद्धक प्रभावकारिता में लगातर वृद्धि की है।

8.1 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (र.अ.वि.सं.) की स्थापना सन् 1958 में उस समय पहले से कार्य कर रही भारतीय थलसेना की तकनीकी विकास स्थापनाओं (टी डी ई) और तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय (डी टी डी पी) को रक्षा विज्ञान संगठन (डी एम ओ) के साथ मिलाकर की गई थी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशालाएं रक्षा प्रौद्योगिकियों की सतत् प्रशस्त तस्वीर बनाने में लगी है जिसमें वैमानिकी, आयुध, इलेक्ट्रानिकी, संग्राम वाहन, इंजीनियरी प्रणालियां, यंत्रिकरण, मिसाइलें, उन्नत संगणन और अनुरूपण, विशेष पदार्थ, नौसेना प्रणालियां, जैव विज्ञान और कृषि जैसे कुछेक अनेक विधाएं शामिल हैं।

8.2 **मिशन:** रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग सन् 1980 में अस्तित्व में आया। यह विभाग रक्षा प्रणालियों और अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में उत्तरोत्तर आत्मनिर्भरता के मिशन के प्रति समर्पित है। इस मिशन को पूरा करने की सुविधा के लिए एक मिशन-मोड संरचना है जिसके प्रमुख रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं और जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग

के सचिव तथा महानिदेशक, अनुसंधान एवं विकास भी हैं। .

संगठनात्मक संरचना

8.3 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मुख्यालय दो भिन्न प्रकार के निदेशालयों में संगठित हैं। प्रयोगशालाओं को उनके कार्यक्षेत्र में अनेक अनुमोदन प्राप्त करने और प्रयोगशालाओं तथा मुख्यालय के साथ सूचना समन्वित करने की सुविधा के लिए तकनीकी निदेशालय “सिंगल विन्डो” के रूप में कार्य करते हैं। कार्पोरेट निदेशालय जैसे-कार्मिक निदेशालय, मानव संसाधन विकास, सामग्री प्रबंधन, योजना एवं समन्वय, प्रबंध सेवाएं, राजभाषा, ओ एण्ड एम, बजट, वित्त व लेखा सुरक्षा एवं सतर्कता, सिविल निर्माण-कार्य एवं सम्पदा और बहिर्विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (ई आर एंड आई पी आर) प्रयोगशालाओं की परियोजनाएं हाथ में लेने और अपने क्षेत्रों में सुविधाएं जुटाने के लिए सरकारी मंजूरी प्राप्त करने में मदद करते हैं। भर्ती एवं मूल्यांकन केन्द्र (आर ए सी) तथा कार्मिक मूल्यांकन केन्द्र (पीस) क्रमशः रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा (डी आर डी एस) संवर्ग तथा

रक्षा अनुसंधान तकनीकी संवर्ग (डी आर टी सी) के अंतर्गत सभी प्रयोगशालाओं और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मुख्यालय के वैज्ञानिकों की पदोन्नतियों के लिए आवधिक आधार पर नई भर्ती और मूल्यांकन का कार्य करते हैं।

र.अ.वि.सं. प्रयोगशालाएं

8.4 इस विभाग द्वारा हाथ में लिए गए कार्यक्रम/परियोजनाएं, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं। ये प्रयोगशालाएं भारत के पूर्व में तेजपुर से लेकर पश्चिम में जोधपुर और उत्तर में लेह से लेकर दक्षिण में कोच्चि तक पूरे भारत में स्थित हैं।

8.5 ये कार्यक्रम/परियोजनाएं प्रयोक्ता सेनाओं की निकट सहभागीदारी से निष्पादित की जाती हैं। प्रतिभा, विशेषज्ञता और संसाधनों के संदर्भ में सर्वोत्तम उपलब्ध संसाधनों को काम में लाने के लिए जरूरत के मुताबिक अपनी परियोजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, शिक्षण संस्थानों, अनुसंधानों प्रयोगशालाओं और निजी उद्यमियों के साथ परस्परता और संबद्धता स्थापित करता है। डिजाइन, विकास और उत्पादन के बीच लगने वाले समय को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी गहन परियोजनाओं में 'संगामी इंजीनियरी' दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

समीक्षा प्रक्रिया

8.6 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नियमित रूप से कार्यक्रमों/परियोजनाओं की मॉनीटरिंग करने और समीक्षा करने के लिए एक प्रक्रिया संस्थापित की है। इसमें एक इन-हाउस शीर्ष स्तर की निकाय है जो कि र.अ.वि.सं. अनुसंधान परिषद (डी आर टी सी) कहलाती है।

इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार करते हैं और यह सभी प्रयोगशालाओं की बड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है। इसके अलावा एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा तकनीकी-प्रबंधन के पहलुओं से युक्त कार्पोरेट समीक्षाएं भी की जाती हैं। थलसेना के लिए स्टाफ परियोजनाओं की सह-थलसेनाध्यक्ष (वी सी ओ ए एस) द्वारा वर्ष में दो बार समीक्षा की जाती है। सभी बड़े कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए बहु आयामी कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड हैं जिनमें सेनाओं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशालाओं और कुछ मामलों में, शिक्षण संस्थानों और दूसरे राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं के प्रतिनिधि होते हैं। ये कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड समय समय पर कार्यक्रमों की मानीटरिंग और समीक्षा करते हैं तथा बीच-बीच में निर्देश देते हैं।

8.7 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशालाओं की वैज्ञानिक व्यवस्था से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्रियों के ग्रुप (जी ओ एम) की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने सचिव, रक्षा उत्पादन की अध्यक्षता में अधिकारियों के एक ग्रुप का गठन किया था। अधिकारियों के ग्रुप की सिफारिशों में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशालाओं में साहचर्य का प्रयास, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा सेनाओं और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा उत्पादन एजेंसियों के मध्य निकट पारस्परिक सहयोग को संबंधित किया गया है। रक्षा मंत्री द्वारा विधिवत अनुमोदित ग्रुप की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

सेनाओं को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का योगदान

8.8 संशस्त्र सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह संगठन सन् 1980 से लम्बे पग बढ़ाता आया है। एक ओर इसने हमारी सशस्त्र

सेनाओं के विकसित देशों के हथियार निर्यात नियंत्रण प्रणाली का सामना करने योग्य बनाया है वहीं दूसरी ओर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अत्याधुनिक स्वदेशी सुरक्षा प्रणालियों को शामिल कर हमारी रक्षा सेनाओं की समाघात क्षमता में उततरोत्तर वृद्धि की है। पिछले कुछ वर्षों में अनेक रक्षा प्रणालियों और उपस्करों का उत्पादनीकरण हुआ है। इसमें निम्नलिखित हैं:

- चालकरहित लक्ष्य वायुयान - **लक्ष्य** (हवाई लक्ष्य अभ्यास प्रणाली)
- मिग 23 वायुयान के लिए रेडार चेतावनी रिसीवर (आर डब्ल्यू आर) ट्रानक्विल
- मिग वायुयान के लिए रेडार चेतावनी रिसीवर तथा आत्मरक्षा जेमर (आर डब्ल्यू आर तथा एस पी जे) - **टेम्पेस्ट**
- कैच - एक वायुवाहित सिग्नल आसूचना प्रणाली
- वायुयान रोधी नाका
- वायुयान हथियार ट्राली - **भीमा**



सतह से सतह पर मार करने वाला अग्नि-I प्रक्षेपास्त्र

- रीलोकेटेबल बैलून बैरेज सिस्टम
- विभिन्न प्रकार के वायुयानों के लिए पैराशूट
- सतह-से-सतह पर मार करने वाली सामरिक यूद्धक्षेत्र मिसाइल : **पृथ्वी**
- सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल **अग्नि I तथा अग्नि-II**
- मुख्य युद्ध टैंक - **अर्जुन**
- बहु बैरल रोकेट प्रणाली - **पिनाका** (मांगपत्र की प्रतीक्षा में)
- जल बाधा पार करने हेतु आर्मर्ड इंजीनियर रेकी या टोही व्हीकल (ए ई आर वी)
- टी-72 चेसिस पर सेतुबन्ध टैंक
- सेतु प्रहार मैकेनिकली लांच्ड - **सर्वत्र**
- मैट ग्राउंड सर्फेसिंग, जो एक टैंक- वे दलदली भूमि, उथले जल तथा नरम मिट्टी पर निर्बाध संचलन के लिए उपयुक्त
- पहियों पर कंटेनराइज्ड आपरेशन थियेटर काम्पलेक्स तथा वार्ड।
- आणविक, जैविक तथा रसायनिक (एनबी सी) एजेंट तथा कार्मिक उपस्कर तथा भू-भाग को अदूषित करने के लिए चल विसंदूषण प्रणाली
- रिमोट से नियंत्रित विस्फोटक उपकरण को निष्क्रिय करने के लिए मुकन प्रणाली- **सफारी [एम के -1]**
- रिमोट चालित वाहन आर पी वी - **निशांत (हवाई निगरानी हेतु)**
- उच्च श्रेणी की डिजिटल गुप्तता के साथ विपुल गुप्तता उपस्कर : **संचार**
- हिमधावी आहत संसूचक
- खाने के लिए तैयार भोजन (**एम आर ई**) इत्यादि
- उन्नत समाघात - **टी-72 टैंक** - **अजेय**
- आंकड़ा समाहर्ता संकेन्द्रक
- रण भूमि निगरानी रेडार - **लघु रेंज (बी एफ एस आर- एस आर)**

- वैपन लोकेटिंग रेडार
- तोपखाना समाघात कमान तथा नियंत्रक प्रणाली - **संवाहक**
- **हुमसा** - हल माउंटेड सोनार प्रणाली
- **उशुश** सोनार प्रणाली
- प्रोसेसर आधारित बद्ध सुरंग (**पी बी एम एम**) तथा प्रोसेसर आधारित अभ्यास सुरंग (पी बी ई एम)
- उन्नत तारपीडो
- **संग्रह**
- कामोव /चेतक हेलिकॉप्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेज़र (ई एस एम) प्रणाली - **काइट**
- कामोव/चेतक हेलिकॉप्टर के लिए ई एस एम प्रणाली - **ईगल**
- पनडुब्बी आधारित ई एस एम -

पोरप्वाइज़

- **मिहिर** - हेलिकॉप्टर आधारित डंकिंग सोनार
- **नागन** -टोएड ऐरे सोनार
- **सेक्टेल** - स्पीच सीक्रेसी टेलीफोन
 - जगुआर के लिए मिशन कम्प्यूटर (एम सी)
 - सुखोई वायुयान के लिए मिशन कम्प्यूटर (एम सी), डिस्प्ले प्रोसेसर (डी पी) तथा **आर डब्ल्यू आर।**

अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों में की गई प्रगति

8.9 हल्के लड़ाकू वायुयान (एल सी ए) 'तेजस' के प्रौद्योगिकी प्रदर्शक (टी डी 1) की प्रथम उड़ान 4 जनवरी, 2001 को बंगलौर में हुई। जांच उड़ान के परिणामों के विश्लेषण ने उड़ान जांचों और डिजाइन

उद्देश्यों के बीच काफी अच्छा मेल दर्शाया है। तब से एल सी ए के दो प्रौद्योगिकी प्रदर्शकों और प्रोटोटाइप वाहन (पी वी 1) की उड़ान जांच चल रही है।

8.10 द्वितीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शक (टी डी 2) ने पहली बार 6 जून को 2002 को उड़ान भरी थी। प्रधान मंत्री ने 4 मई 2003 को एल सी ए को 'तेजस' का नाम दिया और उसी दिन दोनों तेजस वायुयानों की फार्मेशन फ्लाइटें प्रदर्शित की गईं। टी डी 1 ने 01 अगस्त, 2003 को ध्वनि अवरोध को सफलतापूर्वक पार किया और 1.15 मैक तक की पराध्वनिक उड़ानों की गई हैं। घटे हुए मानक भार वाले एल सी ए प्रोटोटाइप वाहन (पी वी 1) तेजस ने भी 25 नवंबर, 2003 को अपनी पहली उड़ान भरी एल सी ए ने 202 उड़ान जांचें पूरी की हैं। चौथे तेजस वायुयान (पी वी 2) का उपस्करण प्रगति पर है जो कि उत्पादन मानक है। एल सी ए ट्रेनर रुपान्तरण एल सी ए (पी वी 5) पर डिजाइन क्रिया-कलाप शुरू किए गए हैं तथा वह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये एल सी (नौसेना) के समान हो। एल सी ए को चालू करने के लिए जेट फ्यूल स्टार्टर (जे एफ एस) प्रणाली को एच ए एल द्वारा गैस टरबाइन अनुसंधान स्थापना (जी टी आर ई), बंगलौर की मदद से स्वदेश में विकसित किया गया है।

8.11 तेजस के लिए कावेरी इंजन के विकास परीक्षण किए जा रहे हैं। अब तक रिंगों में उनकी जांच के लिए निर्मित विभिन्न मॉड्यूलों और घटकों के अलावा दो काबिनी प्रोटोटाइप (सी 1, सी 2) और पांच कावेरी इंजन प्रोटोटाइप (के 1 से के 5) इंजन जांच के लिए बनाए गए हैं जिससे उनकी वायुगतिकी और बनावट समाकलता प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाए। कावेरी इंजन की 1300 घंटे से भी अधिक की विकास जांच की गई है। कावेरी के 5 इंजन की मैसर्स सी आई ए एम, रूस में उच्च तुंगता जांच का प्रथम और द्वितीय चरण सफलतापूर्वक

हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने 202 उड़ान परीक्षण पूरे कर लिए हैं। तेजस के लिए कावेरी इंजन के उच्च तुंगता परीक्षण के चरण-I तथा II सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं तथा इसके 1300 से अधिक घंटे का विकास परीक्षण किया गया है।

सेना ने निशान्त (दूरस्थ चालित वाहन) को शामिल करने का निर्णय लिया है।

पूरा हो चुका है। के 9 इंजन की इस समय जी टी आर ई में जांच की जा रही है जिसका उद्देश्य इसे बाद के उत्पादन क्लीयरेंस के आगे एल सी ए से एकीकृत करना है। नई रूपरेखा (के 10 संरूपण) के लिए सामान्य प्रबंध किये जा रहे हैं जिनमें विभिन्न प्रहलुओं जैसे पंख में उन्नत प्रवाह पार्श्व, कम्प्रेसर की बेहतर

बनावट सामकलता और उन्नत कम्बस्टर दाब अप्राप्ति पर ध्यान दिया जा रहा है। इसका मकसद वेट बजटेड इंजन को साकार करना है और उत्पादन हेतु रिलीज करने के लिए इस संरूपण को पक्का करना है। स्पिन आफ परियोजना “कावेरी मैरिनाइजेशन” हाथ में ली गई है और उप प्रणालियों का विस्तृत डिजाइन पूरा हो चुका है। फेब्रिकेशन और उत्पादन का कार्य चल रहा है।

8.12 पायलेट रहित लक्ष्य वायुयान (पी टी ए) का सीमित श्रृंखला उत्पादन - ‘लक्ष्य’, दुबारा प्रयुक्त किए जाने योग्य एक वायु लक्ष्य प्रणाली जिसे तोप और मिसाइल कर्मी दल और वायु रक्षा पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए जमीन से रिमोट द्वारा संचालित किया जा सकता है, सभी तीनों सेनाओं के प्रशिक्षण के लिए तैयार किया जा रहा है। वायुसेना को पांच लक्ष्य दिए जा चुके हैं। सभी तीनों “लक्ष्य” भू-नियंत्रण एवं सपोर्ट प्रणाली सहित नौसेना को दिए गए हैं। दो वायुयान थल सेना को दिए गए हैं और बाकी तीन वायुयान सितंबर, 2004 तक दिए जाएंगे।

8.13 थलसेना द्वारा जारी जनरल स्टाफ गुणात्मक जरूरत (जी एस क्यू आर) के अनुसार रिमोट द्वारा चालित वाहन (आर पी वी) “निशान्त” विकसित किया गया है। परियोजना के उद्देश्य बैटल फील्ड निगरानी, टोह, आर्टिलरी

फायर से टारगटों की वास्तविक समय आबंधता, लेजर निर्देश, सीमित इलैक्ट्रानिक्स आसूचना/ दिगंश और तुंगता से नियंत्रित क्रियाविधि से जिम्बेल्ड पे-लोड असेम्बली (जी पी ए) तथा प्राप्ति और टारगेट ट्रेकिंग के लिए उत्पादन विकसित किया गया है। निशान्त प्रणाली के फील्ड संरूपण में - वायु वाहन भू नियंत्रण स्टेशन एन्टीना ट्रेकिंग प्रणाली, लांचर और मिशन सपोर्ट वाहन शामिल हैं। 84 से भी अधिक विकास उड़ानें भरी गई हैं। थलसेना ने तत्पश्चात् सीमित श्रृंखला उत्पादन के माध्यम से निशान्त को शामिल करने का निश्चय किया है। थलसेना मूल्यांकन के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा ग्रीष्मकालीन परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए हैं। इनमें दो शेक डाउन सोर्टी और पोखरण में वास्तविक युद्ध की दशाओं में 12 प्रयोक्तता परीक्षण उड़ानें शामिल हैं।

8.14 वायुवाहित प्रणाली केन्द्र (कैब्ज), बंगलौर, ने भीमा-1000 वेपन लोडिंग ट्राली का डिजाइन तैयार करके उसे विकसित किया है जिसका उत्पादनीकरण भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी ई एम एल) द्वारा किया गया है। सफल परीक्षणों के बाद भारतीय वायुसेना ने बी ई एम एल को 55 ट्रालियों का आर्डर दिया है। हाल ही में श्रीलंका की वायुसेना (एस एल ए एफ) के बेस कोलम्बो में प्रदर्शन और वेपन फिटमेंट परीक्षणों के लिए ट्राली वायुवाहित की गई थी। एस एल ए एफ लड़ाकू वायुयान पर परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए गए थे। श्रीलंका की वायुसेना ने भीमा- 1000 की 5 ट्रालियों की आवश्यकता जताई है।

8.15 सैन्य उड़ानयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलेक) सैन्य वायुयान और वायुवाहित प्रणालियों से जुड़े उड़ान योग्यता कार्यों में लगा है। केन्द्र वायुयान/एरो-इंजनों के उत्पादन और ओवर हाल क्रिया-कलापों के लिए निरंतर उड़ानयोग्यता सहायता प्रदान करता है। एच ए

एल द्वारा बनाए गए और भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित वायुयान /हेलिकॉप्टर और उसकी प्रणालियों के डिज़ाइन, निर्माण और ओवरहाल के दौरान उड़ान योग्यता सुनिश्चित करने के लिए देशभर में 14 क्षेत्रीय सैन्य उड़ान योग्यता केन्द्र (आर सी एम ए) है। इन आर सी एम ए का दूसरा मुख्य कार्य सेनाओं को उड़ान सुरक्षा के लिए जीवन विस्तार और सहायता प्रदान करना है। ये दुर्घटना जांचों में भी भाग लेते हैं। इस वर्ष आर सी एम ए ने विभिन्न केन्द्रों में 400 त्रुटि जांचों में भाग लिया है।

8.16 रक्षा उन्नत अनुसंधान स्थापना (डेयर), बंगलौर ने भारतीय वायुसेना के विभिन्न लड़ाकू वायुयानों जैसे जंगुआर, मिग-23, मिग-27 तथा मिग-21 बिस के लिए रेडार वार्निंग रिसीवरों (आर डब्ल्यू आर) और सेल्फ प्रोटेक्शन जेमर (एस वी जे) से युक्त इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणालियां विकसित की हैं। विकसित ई डब्ल्यू प्रणालियों की जांच करने और उसे बनाए रखने के लिए इस प्रयोगशाला ने स्वचालित जांच

संयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी युद्ध पद्धति प्रणाली

उपस्कर (एटीई) और भू सपोर्ट उपस्कर (जीएसई) का डिज़ाइन भी तैयार किया है और उसे विकसित किया है। इसके साथ ही रेडार वार्निंग व जैमर (आर डब्ल्यू जे) का काम भी प्रगति पर है। डेयर ने सुकोई वायुयान के एकीकरण के लिए इसके वैमानिकी का डिज़ाइन तैयार करने और उसे विकसित करने का जिम्मा लिया है ।

8.17 संयुक्ता (थलसेना के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कार्यक्रम) के कॉम सेगमेंट का विकास और फील्ड परीक्षण पूरे हो गए हैं और संयुक्ता कॉम सेगमेंट के लिए उत्पादन आर्डर दिए जा चुके हैं। भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा थलसेनाध्यक्ष को कॉम सेगमेंट का पहला कंट्रोल सेन्टर ब्लॉक सौंपा गया था।

8.18 संग्रह [नौसेना के लिए एक स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (ई डब्ल्यू कार्यक्रम)] का विकास पूरा हो चुका है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित की गई अनेक ई डब्ल्यू प्रणालियां उत्पादन और शामिल किए जाने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।



8.19 नौसेना पोत के लिए इलैक्ट्रो ऑप्टिकल फायर नियंत्रण प्रणाली (ई ओ एफ सी एस) के प्रारम्भिक परीक्षण पूरे हो चुके हैं पोत में प्रणाली की इष्टतमता की जा रही है।

8.20 290 कि.मी. तक की रेंज वाली पराध्वनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के अब तक छः उत्तरोत्तर सफल परीक्षण किए गए हैं। सभी मिशन जरूरतों को पूरा करते हुए हाल ही में विभिन्न साधनों पर की गई उड़ानें 29 अक्टूबर, 9 और 23 नवंबर, 2003 को की गईं। 23

नवंबर, 2003 को अंतिम परीक्षण में, जिसमें भारतीय नौसेना ने मदद की, उसमें इस मिसाइल को अपवाही डिकमीशन्ड पोत पर लगभग 12 से 15 समुद्री मील प्रति घण्टा की गति वाले युद्धपोत से फायर किया गया और इस मिसाइल ने डिकमीशन्ड पोत के पेंदे पर मार की। भूमि और पोत से पोतरोधी स्वरूप का विकास सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। भारतीय नौसेना ने इसमें अपनी इच्छा व्यक्त की है।

8.21 धनुष, जो कि पृथ्वी मिसाइल प्रणाली का नौसेना स्वरूप है और जिसकी रेंज 250 कि.मी. है उसका डिजाइन और विकास हो चुका है और वह

शामिल की जाने वाली है, पोत पर शस्त्रीकरण का काम चल रहा है। अधिक लम्बी रेंज वाली पृथ्वी मिसाइल का स्वरूप (पी-II) जो कि सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक युद्ध क्षेत्र की मिसाइल प्रणाली है, उसकी परिशुद्धता बढ़ाने के लिए उसका इनरशियल नेविगेशनल प्रणाली-ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली (आई एल एस-जी पी एस) के साथ एकीकरण करके मार्च, 2004 के दौरान सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया।

8.22 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एस ए एम) आकाश के नौ विकास उड़ान परीक्षण जनवरी, 2003 और मार्च 2004 के बीच किए गए। अनुरूपक लक्ष्यों पर नोदन, नियंत्रण और निर्देशन प्रणाली का अविरोध प्रदर्शन किया गया। इन सभी उड़ानों में प्राप्त की गई चूक दूरी विनिर्देशनों के भीतर थी। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बी डी एल), हैदराबाद में उत्पादन सुविधा स्थापित कर ली गई है और बी डी एल में मिसाइलें एकीकृत की जा रही हैं और उनकी जांच की जा रही है। आकाश के लिए बैटरी नियंत्रण केन्द्र (बी सी सी-II), बैटरी निगरानी रेडार (बी एस आर) और आकाश स्वनोदित लांचर (ए एस पी एल-II) सहित राजेन्द्रा रेडार एकीकृत किया गया है। अंबाला, बरनाला और गोवा में वायुसेना और नौसेना के प्रयोक्ताओं को 3 डी केन्द्रीय प्राप्ति रेडार (3 डी-सी ए आर) भी प्रदर्शित किया गया। सभी रेडारों ने अविरोध प्रदर्शन किया। सभी भू-प्रणाली सहायक वाहनों को भी तैयार कर लिया गया है।

8.23 दिन और रात के दौरान “फायर एण्ड फॉरगेट” तथा “टॉप अटैक” सहित तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल, नाग को प्रतिबिंबन अवरक्त (आई आई आर) अन्वेषक (जिसमें टारगेट पर प्रत्यक्ष मारकता प्राप्त की गई) सहित तीन लगातार उड़ान जांचों के द्वारा स्थापित किया गया था। इन गर्मियों के दौरान संरूपित नाग मिसाइल वाहक “नामिका” मार्क-II की रेतीले भू-भाग में सफलतापूर्वक फील्ड जांच की गई थी।

8.24 निम्न स्तर की तीव्र प्रतिक्रिया वाली और निर्देशित जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, त्रिशूल तीनों सेनाओं के लिए विकसित की गई है। इसकी रिमोट से चलने वाले उड़ान लक्ष्यों पर सफलतापूर्वक फायर जांच की जा चुकी है। निर्देशन की स्टीकता, निष्पादन की विश्वसनीयता और एकीकृत नोड में वारहेड

सतह से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र-आकाश के जनवरी 2003 से मार्च 2004 के बीच 9 विकास उड़ान परीक्षण किए गए हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में इसके उत्पादन की सुविधाएं स्थापित की गई हैं।

की कार्यात्मकता का प्रदर्शन करते हुए जून, 2003 और फरवरी तथा मार्च 2004 में चार उड़ान जांच की जा चुकी हैं।

8.25 125 मि.मी. की फिन स्थायीकृत कवच भेदक त्याज्य सैबो (एफ एस ए पी डी एस) टी-72 का प्राथमिक टैंक रोधी गोलाबारुद है। इसलिए कर्मी दल को एफ एस ए पी डी एस शाट्स में अधिकतम अभ्यास कराना महत्वपूर्ण है। गोलाबारुद अभ्यास से केवल लागत में ही कमी नहीं होगी बल्कि किसी भी उपलब्ध कम रेंज में फायर किया जा सकता है क्योंकि अधिकतम रेंज 6 कि०मी० से कम है। मार्च, 2003 में प्रयोक्ता परीक्षण सफलतापूर्वक किए जा चुके थे और प्रयोक्ता, प्रशिक्षण प्रयोजन के लिए अपनी आवश्यकता पर विचार कर रहे हैं।

8.26 आज के युद्धक टैंक को गतिहीन करने में पूर्ण दूरी तक आक्रमण करने में सक्षम बनाने के लिए डी आर डी ओ ने अत्याधुनिक प्रभावी सुरंग मार्क-1 विकसित की है। उच्च विश्वसनीयता वाली इस सुरंग का मार्क-11 स्वरूप विकास के अंतिम चरण में है।

8.27 सेवा में मौजूदा ग्रेड बी एम-21 राकेट की अधिकतम रेंज 20.4 कि०मी० है। डी आर डी ओ ने इसकी अधिकतम रेंज को 35 कि०मी० से अधिक बढ़ाने के लिए एक परियोजना हाथ में ली है। विस्तारित रेंज ग्रेड रॉकेट 122 मि.मी. का विकास मूल्यांकन परीक्षणों के अग्रिम चरण में है।

8.28 समाघात उन्नत टैंक “अजेय” (सी आई ए) का एच वी एफ, आवडी में उत्पादन भी आरंभ हो चुका है। विभिन्न आधुनिकीकरण की योजनाएं चरणों में समाविष्ट की जा रही हैं। सी आई ए टैंकों में अन्य सुधार योजनाओं का एकीकरण और प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण का कार्य निर्बाध

सोनार उन्नत टैंक “अजेय” (सी आई ए) का एच वी एफ, आवडी में उत्पादन भी आरंभ हो चुका है।

रूप से किया जा रहा है।

8.29 आयुध निर्माणी, मैडक ने सेना द्वारा आर्डर किए 198 में से 137 कैरियर मार्टर ट्रैकेडों का निर्माण कर उन्हें सेना को दे दिया है। शेष वाहन असेम्बली के विभिन्न चरणों में है।

8.30 डी आर डी ओ भावी बी एम पी-11 वाहन, जोकि अभी सेना में है, के स्थान पर पैदल सेना संग्राम वाहन (आई सी वी) “अभय” का प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के रूप में विकास कर रहा है। इस वाहन की विभिन्न प्रणालियां विकास के अंतिम चरण में हैं।

8.31 उभयचर प्लव्यमान ब्रिज तथा फेरी प्रणाली (30 टी क्लास) के दो प्रोटोटाइपों को विकसित कर लिया गया है। प्रणाली सड़क पर ब्रिज वाहक वाहन के रूप में कार्य करती है। पानी वाले गहरे स्थानों पर हवा भरने से फूलने वाले भाग तैरने लगते हैं और जलीय गतिशीलता प्रणाली उपस्कर को फेरी /28.4 मी. लंबे 3.6 मी. चौड़े ब्रिज के रूप में काम करने में सक्षम बनाती है।

8.32 वायु ऊर्जा से पावर उत्पन्न करने के लिए 10 कि०वा० का वायु विद्युत जेनरेटर सियाचिन क्षेत्र में सासोमा में सेना की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया गया है।

8.33 नौसेना भौतिक तथा समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला (एन पी ओ एल) ने प्रथम वायुवाहित सोनार प्रणाली मिहिर के तकनीकी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। प्रणाली के विकास चरण के दौरान सोनोबोया, वी एच एफ अमिग्राही, हल्के भार वाले विंचों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां विकसित करने में प्रयोगशाला ने महारत हासिल कर ली है।

8.34 समुद्री पर्यावरण सोनार प्रणालियों के डिजाइन और निष्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए जानी जाती है। इसलिए अपने सोनारों पर इष्टतम निष्पादन का पूर्ण लाभ उठाने

के लिए अपनी तटीय जल सीमा के लिए सामरिक सूचना बेस में संवर्धन करना अनिवार्य है। तदनुसार महत्वपूर्ण समुद्र वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करने के लिए एक समेकित समुद्र वैज्ञानिक और समुद्री ध्वनिक कार्यक्रम (सी ओ एम ए पी) कार्याधीन है।

8.35 अखिला परियोजना के अंतर्गत ट्रांसड्यूसर प्रौद्योगिकी विशेषकर उच्च शक्ति और अवृत्ति तथा नवीन पीढ़ी हल आरोहित एच एफ ट्रांसड्यूसर के साज-संभाल के लिए ट्रांसड्यूसर एलीमेंटों के विकास के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नतियां की गई हैं।

8.36 सिप्रा परियोजना मूल रूप से सक्षमता निर्माण अनुसंधान परियोजना है जिसमें सोनारों की निष्पादनता में सुधार करने के लिए उन्नत सिग्नल प्रक्रम तकनीकों को विकसित किया गया है। अन्वेषणात्मक अध्ययन किया गया जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न फलन-विधियों का प्रायोगिक प्रदर्शन किया गया।

8.37 दर्पण नामक सोनार अनुरूपण प्रणाली को विकसित करने का अनुसंधान तथा विकास का कार्य प्रगति पर है

जो कि एक या अधिक सोनारों का, जिनका विनिर्देशन वर्तमान में उपलब्ध है का यथार्थवादी पर्यावरणीय परिस्थितियों में और चुनिंदा संक्रियात्मक परिदृश्यों में वास्तविक समय अनुरूपण करने में सक्षम है।

8.38 एन पी ओ एल ने एक एकल आवृत्ति अन्तर्जलीय टेलीफोन (यू डब्ल्यू टी) विकसित किया है और मैसर्स केलट्रॉन ने इसे नाटो तथा रूसी मानक प्लेटफार्मों, दोनों के साथ संचार के लिए दोहरी आवृत्ति वाले स्वरूप में परिवर्तित किया है। सफलतापूर्वक किए गए परीक्षणों के

बाद केलट्रॉन द्वारा नौसेना को नया स्वरूप सप्लाई किया जा रहा है।

8.39 इमारतों के ढहने तथा भूस्खलन के मलबे में दबे जीवित व्यक्तियों तथा जानवरों का पता लगाने के आपातकालीन बचाव मिशन के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले सुवाहय जीवन संसूचक यंत्र संजीवनी का विकास कर लिया गया है और इनकी कुल 200 यूनिटों का निर्माण कर लिया गया है। इन यूनिटों को राज्य सरकार के प्राधिकरणों को वितरित करने का प्रस्ताव है।

8.40 पूर्व तथा पश्चिम नौसेना कमानों को बंदरगाह निवारक सोनार (हेनेट) की दो-दो यूनिटें दी गई हैं। उत्पादनीकरण के लिए हेनेट का तकनीकी विवरण मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बंगलौर को दे दिया गया है। नौसेना की अतिरिक्त 10 यूनिटों की मांग को उत्पादन एजेंसी द्वारा पूरा किया जाएगा।

8.41 नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (एन एम आर एल), अंबरनाथ ने लपटरहित रूम हीटर (बुखारी) विकसित किया है जो ताप बनाने के लिए ईंधन श्रेणी के सस्ते एल्कोहल जैसे मैथानोल, इथानोल आदि के कैटालिटिक लपटरहित ज्वलन के सिद्धान्त पर कार्य करता है। अब तक उपलब्ध तापीय क्षमता 5 कि0वा10 के लगभग है। विषैला उत्सर्जन नगण्य है। ताप निर्गत नियंत्रण योग्य है। यह स्म हीटर आग लगने का खतरा पैदा नहीं करता।

8.42 नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (एन एस टी एल), विशाखापट्टनम ने उन्नत प्रायोगिक टारपीडो (ए ई टी), विकसित किया है। ए ई टी हल्के भार वाला पनडुब्बी रोधी टारपीडो है जो जहाजों और हेलिकॉप्टरों से लांच किया जाता है। यह टारपीडो सतह के साथ-साथ जलमग्न लक्ष्यों पर अत्यंत कारगर प्रणाली है। ए ई टी के अनुसंधान तथा विकास मॉडल के साथ प्रयोक्ता मूल्यांकन परीक्षण पूर्ण कर लिए गए हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल) द्वारा

नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (एन एम आर एल), अंबरनाथ ने लपटरहित रूम हीटर (बुखारी) विकसित किया है जो ईंधन श्रेणी के सस्ते एल्कोहल के कैटालिटिक लपटरहित ज्वलन के सिद्धान्त पर कार्य करता है।



बहु-बैरल राकेट प्रणाली 'पिनाका' मौजूदा तोपखाने की तोपों की अनुपूरक होगी

निर्माणाधीन ए ई टी के पांच विकास तथा इंजीनियरिंग मॉडलों पर और परीक्षण किए जाएंगे, जिसके पश्चात् यह थोक उत्पादन चरण में पहुंच जाएगा।

8.43 तार निर्देशित तारपीडो (डब्ल्यू जी टी) पनडुब्बी से छोड़ा जाने वाला एक अधिक भार वाला तारपीडो है। इस प्रणाली का तकनीकी मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है तथा प्रयोक्ता मूल्यांकन के अंतिम चरण में है।

8.44 भारतीय नौसेना को विपत्ति में फंसे पोत को आपातकालीन सामान की सुपुर्दगी के लिए टी यू 142 एम/आई एल 38 फिक्स्ड विंग वायुयान से गिराने के लिए तैरने वाले बोया बक्सों की आवश्यकता है। इस सामान को विकसित करके "सहायक" नाम दिया गया है।

8.45 एन एस टी एल ने "सहायक" के विभिन्न पे लोड वाले 3 रूपान्तरों का विकास किया है तथा इसे प्रयोक्ता के साथ परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् नौसेना को पेश किया है। नौसेना भी सेवा दोहन के लिए "सहायक-1" के उत्पादनीकरण के लिए

वचनबद्ध है। एन एस टी एल ने सामान का विकास एक वर्ष के समय में पूर्ण कर लिया है।

8.46 रक्षा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (डी एम आर एल) ने ऐरोनॉटिकल ग्रेड टिटैनियम स्पंज के उत्पादन के लिए स्वदेशी प्रक्रिया स्थापित की है। डी एम आर एल उद्योग को इस प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए तैयार है।

8.47 माइन क्लियरिंग ऑपरेशन के लिए विस्फोट सुरक्षा सूट (बी पी एस) विकसित किया गया है। यह सूट हल्के भार का है तथा आराम, सचलता और 30 सें0मी0 की दूरी पर भी कार्मिक रोधी माइन के विस्फोट से अधिकतम बचाव प्रदान करता है। यह सूट सेना से प्राप्त इन्पुट के अनुसार डिज़ाइन किया गया है।

8.48 एग्रो मीडिएटेड जेनेटिक रूपान्तरण के माध्यम से ऑस्मोटिन जीन का प्रयोग करते हुए ट्रांसजेनिक टमाटर के पौधे विकसित किए गए हैं। ये पौधे प्रतिकूल वातावरणों में भी पनप सकते हैं। साथ ही, लद्दाख में सब्जियों के (सौर ग्रीन हाउस) रक्षित खेती के लिए उपयुक्त

प्रौद्योगिकियों पर कार्य किया गया है। इनमें उच्च तुंगता के साथ-साथ ठंडे मरुस्थल में ताजी सब्जियों के स्थानीय उत्पादन बढ़ने की क्षमता है।

8.49 अहितकर ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित रोगियों में कैसर की रेडियो थेरेपी क्षमता में सुधार के लिए 2-डियोक्सी-डी-ग्लूकोज़ (2-डी जी) का प्रयोग करते हुए नैदानिक परीक्षणों ने बढ़े हुए उत्तरजीवन तथा जीवन की उन्नत गुणवत्ता सहित बहुत उत्साहबद्धक परिणाम अर्जित किए।

वैज्ञानिकों ने स्वदेशी -2 डी जी का भी उत्पादन किया है जिसकी जांच की जा रही है।

8.50 हिमानी तथा उच्चतुंगता क्षेत्रों में तैनात रक्षा कार्मिक जो कि उच्च पराबैंगनी विकिरण (यू वी रेडियेशन) महसूस कर रहे हैं, उनके प्रयोग के लिए डी आर डी ओ द्वारा एक हर्बल पराबैंगनी स्क्रीन जो कि प्रसिद्ध व्यावसायिक

ब्रांडों से 15 से 20% अधिक प्रभावी है, विकसित की गई है। उन्होंने एक हर्बल रेडियो-रक्षक भी विकसित किया है जो आयनिकृत विकिरण से महत्वपूर्ण रक्षण प्रदान करता है।

8.51 डी आर डी ओ नैदानिक तथा संक्रामक विज्ञान के दायरे वाली थॉयरायड गड़बड़ियों पर विभिन्न अध्ययन कर रहा है। गॉयटर सर्वेक्षण द्वारा दिल्ली के स्कूली छात्रों में आयोडीन कमी की व्यापकता पाई

गई है जिसके पश्चात् आयोडीन नमक के सेवन को प्रोत्साहन दिए जाने से ऐसे मामलों में कमी आई। डी आर डी ओ ने सभी प्रकार की थॉयरायड बीमारियों के प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक सूक्ष्म आकलन सुविधाएं तथा नयाचार स्थापित किया है।

8.52 वर्ष 2002-2003 सर्दियों के दौरान जम्मू व कश्मीर के हिमाच्छदित क्षेत्रों में तैनात सेना तथा सिविल जनता के प्रयोग के लिए हिम

तथा अवधाव अध्ययन संस्थान (सासे) चण्डीगढ़ द्वारा नियमित रूप से अवधाव पूर्वानुमान चेतावनियां जारी की गई थीं। इन चेतावनियों के परिणामस्वरूप कई लोगों की जाने बचीं। इस आशय से सासे 35 भूतल वेधशालाओं तथा 16 स्वचालित मौसम स्टेशनों (ए डब्ल्यू एस) के हिम तथा मौसम विज्ञान प्रेक्षणों का उपयोग कर रहा है जिसमें जम्मू व कश्मीर, सियाचीन सहित तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। पश्चिमी हिमालय पर वेधशाला नेटवर्क में वृद्धि करने की दृष्टि से अतिरिक्त ए डब्ल्यू एस की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

8.53 पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मौसम का तीन दिन पूर्व पूर्वानुमान करने के लिए सासे एक सर्वतोमुखी मीसो-स्केल मॉडल का प्रयोग कर रहा है। जम्मू ससोमा (सियाचीन) तथा मनाली में अत्याधुनिक रेडियासोन्डे ऊपरी वायु उपस्कर स्थापित किए गए हैं। मौसम के पूर्वानुमान के लिए मीसो-स्केल मॉडल का प्रयोग करते हुए नियमित प्रेक्षण किए जा रहे हैं।

8.54 संक्रियात्मक संचलन, सड़क सरेखण तथा टूप शिक्षण सहित अन्य गतिविधियों के नियोजन में सहायता के लिए विभिन्न सेटेलाइट इमेजरियों का प्रयोग करते हुए पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हिमाच्छाइन को मॉनीटर करने के लिए सासे ने एक कार्य प्रणाली विकसित की है। इसके अतिरिक्त इन सेटेलाइट इमेजरियों को युद्धक्षेत्र में तैनात टूपों की प्रशिक्षण सहायता के रूप में फ्लॉइ-थ्रू मॉडलों में परिवर्तित कर दिया गया है।

प्रौद्योगिकी विकास/नवीनीकरण

8.55 नाइट्रो सेलुलोज मैट्रिक्स में रेज़िन को बाइंडर के तौर पर प्रयोग करते हुए दहन कारतूस केस (सी सी सी) के निर्माण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास की संभाव्यता स्थापित की जा चुकी है। नव विकसित सी सी सी में इसकी दहनता पर बिना किसी नुकसान

हिम तथा हिमधाव अध्ययन स्थापना सियाचिन सहित जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के हिस्से में 35 सतह वेधशालाओं तथा 16 स्वचालित मौसम स्टेशनों से हिम तथा मौसम विज्ञान प्रेक्षणों का इस्तेमाल कर रही है।

दुश्मन के लेज़र रेडियेशन की पहचान करने तथा उससे संबंधित चेतावनी देने के लिए हस्त वाहित लेज़र सचेतक विकसित किया गया तथा क्षेत्र में मूल्यांकन किया गया।

के उत्कृष्ट तनन शक्ति है। जब मौसम की अत्यंत गर्म और सर्द स्थितियों में भंडारण/साज संभाल की जाती है तब भी ये सी सी सी परिमाण में स्थायी रहती हैं।

8.56 गैलियम आर्सेनाइड एनेबलिंग टेक्नॉलॉजी सेन्टर (जी ए ई टी ई सी) ने विभिन्न रक्षा तथा अंतरिक्ष प्रणालियों के लिए विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंडों में

मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट (एम एम आई सी) एम्पलीफायर मॉड्यूलों का उत्पादन कर सुपर्दगी की है। सेन्टर ने अत्याधुनिक रेडार प्रणालियों में प्रयोग के लिए एल बैंड ट्रांस रिसीव मॉड्यूल हेतु एस-बैंड रिसीव बीम फोर्मर तथा डिजिटल एटेनुएटर और सिंगल पोल डबल थ्रो (एस पी डी टी) स्विच एम एम आई सी चिपों का भी निर्माण किया है।

8.57 प्रयोक्ता वायु निगरानी आवश्यकताओं के लिए नौसेना तथा वायुसेना हेतु केन्द्रीय प्राप्ति रेडार (सी ए आर) के रूपांतरों का विकास किया जा रहा है।

8.58 समाघात नेट रेडियो-कवचित युद्धक वाहनों में प्रयुक्त होने वाले डाटा तथा वॉयस संचार के लिए एक आवृत्ति हॉपिंग रेडियो विकसित किया गया तथा प्रयोक्ता परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए।

8.59 कैमोव हेलिकॉप्टर प्लेटफॉर्म पर समुद्री गश्ती रेडार (नौसैनिक प्रयोग हेतु) के विकास परीक्षण पूर्ण किए जा चुके हैं। प्रयोक्ता परीक्षणों के लिए उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर (ए एल एच) पर प्रणाली को स्थापित किया गया है। प्रणाली का मूल्यांकन किया जा रहा है।

8.60 दूसरी पीढ़ी मर्करी कैडमियम टेलुराइड (एम सी टी) ऐरे पर आधारित तापीय इमेजरो का विकास किया गया है तथा मूल्यांकन किया जा रहा है।

8.61 दुश्मन के लेज़र रेडियेशन की पहचान करने तथा उससे संबंधित चेतावनी देने के लिए हस्त वाहित लेज़र सचेतक विकसित किया गया तथा क्षेत्र में मूल्यांकन किया गया।

8.62 ऑन बोर्ड कंप्यूटिंग (ओ बी सी) आवश्यकताओं के लिए अनुराग के माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग करते हुए अनुराग द्वारा एकल बोर्ड कंप्यूटर (एस बी सी) विकसित किया गया।

8.63 परिवेशी तापमान स्थितियों में खाने के लिए तैयार (आर टी ई) खाद्यों के लिए स्वतः तापीय पाउच आधारित प्रणाली को 6 माह तक शैल्फ में रहने लायक पाया गया है। चपातियों तथा पानी (चाय बनाने के लिए) हेतु उपयुक्त स्वतः तापीय प्रणाली का विकास प्रगति पर है। उत्पाद को -10'' से 0 से 50'' से 0 तक गर्म करने के लिए अपेक्षित उष्माक्षेपी रसायन मिश्रण की मात्रा (लगभग 100 ग्राम) तथा पैकेज के आयामों का मानकीकरण कर लिया गया है। रसायन मिश्रण की आवश्यक मात्रा को घटाने तथा अंतिम तापमान को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास शुरू किए गए हैं।

8.64 अखिल भारतीय समन्वित सब्जी सुधार कार्यक्रम समिति ने डी आर डी ओ वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सब्जी किस्मों/ संकरों (अर्थात् शिमला मिर्च, लहसुन) को राष्ट्रीय स्तर पर जारी करने के लिए सिफारिश की है। हर्बल औषधियां यथा ल्यूकोडर्मा रोधी, एग्जीमा रोधी, दांत दर्द रोधी, शीत तथा धूप ताम्रता क्रीम भी विकसित की गई है जिन पर फिलहाल नैदानिक परीक्षण किए जा रहे हैं।

8.65 स्थानीय औषधीय पौधों पर आधारित (सीबकथोर्न, गुलाब की जड़ साहस्रपर्णी, सलम पंजा, काला जीरा, जंगली गुलाब आदि) एक हर्बल चाय बनाई गई है तथा जांच की गई है।

8.66 जैव इंजीनियरिंग वैज्ञानिकों ने "तेजस" (एल सी ए) के लिए एकीकृत जीवन सहायता प्रणाली के लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट (एल आर

यू) तथा हाइड्रो सूट एवं श्वसन बैग सहित प्रोटोटाइप पनडुब्बी बचाव सेट सफलतापूर्वक विकसित किए हैं। एल आर यू अनुरूपक परीक्षणों के लिए तैयार है। उनमें स्वचालित फुलाव के लिए आशोधित उच्च तुंगता फुफ्फुसीय ओडीमा (एच ए पी ओ) सहित एसी पावर्ड स्वचालित नियंत्रण एकक भी एकीकृत किया गया है। उन्होंने समाघात मुक्त अवपात पैराशूट प्रणाली के लिए एक बैकअप ऑक्सीजन प्रणाली भी सफलतापूर्वक डिजाइन की है।

8.67 स्वदेश में विकसित नाइट्रिक ऑक्साइड सुपुर्दगी प्रणाली का मार्क-॥ जो कि उच्च तुंगता फुफ्फुसीय एडीमा (एच ए पी ई) रोगियों के शीघ्र इलाज के लिए अति तथा दूरस्थ उच्च तुंगता क्षेत्रों में प्रयोग हेतु अनुकूल है, विकासाधीन है। वैज्ञानिकों ने सुपुर्दगी प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड तथा व्यासमापन गैस का स्वदेशी उत्पादन भी अर्जित कर लिया है जिससे इन गैसों के आयात पर निर्भरता कम हुई है।

8.68 डी आर डी ओ वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया-स्पेसिफिक इन्फेक्शन इमेजिंग, मृदु ऊतक (वक्ष) तथा आस्टिक विक्षेपण स्तर के लिए शीत रेडियो- फर्मासुटिकल किट भी विकसित की है। इन किटों के बहुकेंद्रिक परीक्षण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं तथा निजी ठेकेदारों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया जा रहा है।

8.69 पानी में लौह-तत्व ज्यादा होने के कारण उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में शुद्ध पेय जल की उपलब्धता एक गंभीर समस्या है। डी आर डी ओ ने जल के शुद्धीकरण के लिए लौहतत्व हटाने वाली एक यूनिट विकसित की है जिससे जल का शुद्धीकरण तब तक किया जाता है जब तक कि लौह तत्व का स्तर डब्ल्यू एच ओ के मानक स्तर तक न आ जाए। हाल ही में पूर्व कमान मुख्यालय को लौह तत्व दूर करने वाली इन 200 यूनिटों की आपूर्ति की गई है।

मूलभूत अनुसंधान

8.70 सामरिक महत्व के क्षेत्रों में मूलभूत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए डी आर डी ओ में चार अनुसंधान बोर्ड कार्य कर रहे हैं। ये बोर्ड हैं : वैमानिकी अनुसंधान एवं विकास बोर्ड (ए आर एण्ड डी बी); आयुध अनुसंधान बोर्ड (ए आर एम आर ई बी); नौसेना अनुसंधान बोर्ड (एन आर बी) और जैव विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (एल एस आर बी)। ये बोर्ड अनुमोदन, निधिकरण तथा सहायता अनुदान परियोजनाओं के मोनिटरन के जरिए शैक्षिक संस्थाओं तथा अन्य राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के साथ सहयोगी के रूप में अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं।

8.71 वैमानिकी अनुसंधान एवं विकास बोर्ड (ए आर एण्ड डी बी) ने फरवरी 1971 में कार्य करना शुरू किया और तब से 35 संस्थाओं को लगभग 1250 परियोजनाओं को फंड प्रदान कर चुका है। इस समय यह 25 शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थानों की 120 परियोजनाओं को निधि प्रदान कर रहा है। वैमानिकी अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख क्षेत्रों में इसकी उच्चतम सीमा 5.00 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है। अन्य विशेषज्ञ संगठनों के साथ जुड़े प्रणाली डिजाइन तथा इंजीनियरिंग, मिश्र अवसंरचना प्रौद्योगिकी तथा परिकलनीय द्रव्य गतिकी (सी एफ डी) के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी), मुम्बई, राष्ट्रीय एरोस्पेस लिमि0 (एन ए एल), बंगलौर, भारतीय विज्ञान संस्थान (आई आई एस सी), बंगलौर में तीन उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना की गई है। ए आर एण्ड डी बी ने भी हाल ही में अपनी एक वेबसाइट भी निकाली है जिस तक drdo.com. के जरिए पहुंचा जा सकता है।

8.72 आयुध अनुसंधान बोर्ड (ए आर एम आर ई बी) के तहत 43 परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है जिसमें विभिन्न शैक्षिक



रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा विकसित डाइग्नोबैक्ट संक्रामक शोथ से स्टेराइल (रोगाणुरहित) को अलग कर सकता है।

संस्थाओं तथा अन्य अनुसंधान एवं विकास संगठनों की उच्च ऊर्जा सामग्री, सेंसर, प्रक्षेपास्त्र, दहन एवं अधिस्फोटक, मॉडलिंग/ अनुकार और आयुध से संबंधित अन्य क्षेत्र शामिल है। इनमें से 17 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई हैं तथा शेष को पूरा किया जा रहा है।

8.73 जैव विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (एल एस आर बी) ने जैव विज्ञान के ज्ञान की बुनियाद को गहन और विस्तृत करने में सहयोग की भावना सतत जारी रखी हुई है। कुल मंजूर की गई 47 परियोजनाओं में से कुल 9 परियोजनाएं शैक्षिक संस्थाओं के लिए मंजूर कर दी गई है।

एल एस आर बी की सहायता प्राप्त कुछ

परियोजनाएं संक्रामक रोगों का तेजी से निदान करने, अरहर में फली फटने की प्रतिरोधक इंजीनियरिंग, उष्ण कटिबंधीय कंद फसलों के लिए माइक्रोरिजल प्रौद्योगिकी, अस्पताल अपशेष, समुद्री जीवों की परिदूषण रोधी युक्तियां आदि हैं।

8.74 नौसेना प्रौद्योगिकी के लिए उपयोग नौसेना अनुसंधान

बोर्ड (एन आर बी) का मूलभूत अनुसंधान सहयोग जारी है। शैक्षिक संस्थाओं को पांच नई सहायता अनुदान परियोजनाएं मंजूर की गई थी

और तब से 44 में से 19 परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है।

बहिर्विश्वविद्यालयी अनुसंधान एवं बौद्धिक अधिकार (इ आर एण्ड आई पी आर)

8.75 सैन्य समस्याओं का वास्तव में अपने देश में ही समाधान तथा संबद्ध प्रौद्योगिकियों का विकास केवल तभी किया जा सकता है, यदि मूलभूत वैज्ञानिक जानकारी के आधार को गहन तथा विस्तृत करने के लिए न्यायोचित निवेश किया जाए तथा ऐसे ज्ञान से उत्पन्न नई विचारधाराओं को प्रौद्योगिकीय वैद्यता प्रदान की जाए।

8.76 वित्त वर्ष 2003-2004 के दौरान देश की विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में 16.5 करोड़ रुपये के औसत मूल्य की 59 नई परियोजनाओं पर अनुसंधान किए गए थे। राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के आयोजन के लिए विभिन्न वैज्ञानिक तथा शैक्षिक संस्थाओं और समितियों को 30 लाख रुपये की सहायता अनुदान राशि भी प्रदान की गई थी।

8.77 डी आर डी ओ की अनुसंधान गतिविधियों से उत्पन्न बौद्धिक सम्पदा को विशिष्ट प्रतिरक्षी वैधानिक कवच प्रदान करने के लिए 64 आई पी आर आवेदनों को (विदेशों में फाइल किए 10 आवेदनों सहित) सामग्री, इलैक्ट्रॉनिक, जैव-चिकित्सा विज्ञान (बायो मैडिकल साइंस) तथा खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्पादों/प्रक्रमों पर फाइल किया गया था।

8.78 50 पेटेन्ट (विदेशों में 2 सहित) प्रदान किए थे और 30 को पेटेन्ट प्रदान किए जाने के लिए स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, 1 डिजाइन पेटेन्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान किया गया और 1 कॉपीराइट भारत में पंजीकृत किया गया था। आई पी आर

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अनुसंधान कार्यकलापों से प्राप्त बौद्धिक संपदा को चयनात्मक कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए 64 आई पी आर आवेदन दायर किए गए थे।

जागरुकता को बढ़ावा देने के लिए भिन्न-भिन्न प्रयोगशालाओं में इस अवधि के दौरान 6 जागरुकता कार्यक्रम /कार्यशालाएं/ पेटेन्ट-क्लिनिक लगाए गए।

सेनाओं को सहयोग

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से उद्योग के साथ गहन संपर्क बनाए रखता है। विभिन्न उत्पादों को संसाधित करने तथा उनके उत्पादन में उद्योगों के सामने आ रही समस्याओं को उचित सलाह एवं मार्गदर्शन देकर हल किया जाता है।

8.79 एयर डिफेंस काम्बैट पर सेना कार्मिकों को छदम प्रशिक्षण देने तथा दुश्मनों के वायुयान एवं मिसाइलों की सूचना देने के लिए डी आर डी ओ ने कई प्रकार के सॉफ्टवेयर विकसित कर लिए हैं।

8.80 एस-यू-30 वायुयान के लिए स्वदेशी ब्रेक पेरशूट को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया गया है और ऐसे पांच पैराशूट वायुसेना को उनकी प्रथम मांग सूची पर सुपुर्द कर दिए गए हैं।

8.81 डी आर डी ओ ने कमिश्नर रैंक के कर्मियों के चयन के लिए भर्ती निदेशालय,

सेना मुख्यालय के लिए प्रतिमानों के अनुरूप मौखिक और गैर-मौखिक परीक्षा के लिए बुद्धिमता परीक्षा का एक मानकीकृत सैट भी तैयार कर लिया है।

8.82 सेना को पांच हजार उत्तरजीविता राशन तथा आई एन एस अभिमन्यु मुम्बई को पांच सौ तैयार भोज्य पदार्थ (एम आर ई) राशन की आपूर्ति की गई थी। इसके अलावा कोल्ड स्लाटर्ड मीट का पता लगाने के लिए विकसित की गई दो हजार किटों की सेना की विभिन्न यूनिटों को आपूर्ति की गई। डी आर डी ओ ने स्वीकृत एसिड स्प्रे के इस्तेमाल के जरिए मांस की शेल्फ लाइफ बढ़ाने की प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया है।

8.83 उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के पानी में से लौह-तत्व की ज्यादा मात्रा को घटाने के लिए सेना

को 300 से भी अधिक जल-शुद्धीकरण प्रणालियों की आपूर्ति की जा रही है। राजस्थान में विभिन्न ठिकानों पर जल की लवणता को दूर करने के लिए (पेयजल उपलब्ध कराने के लिए) जल-शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित कर दिए गए हैं।

8.84 डी आर डी ओ द्वारा सेना के माउन्टेनियरिंग ब्रिगेड पर मत्स्य-क्षेत्र, बेमौसम सब्जियां की ग्रीन हाउस खेती एवं मशरूम उत्पादन संबंधी सुविधाएं दी जा रही हैं। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के अनुसंधान तथा विकास प्रयासों के फलस्वरूप 'एल' सेक्टर में सेना की कुल सब्जियों की जरूरतों का लगभग 45% पूरा कर लिया गया है।

8.85 डी आर डी ओ की कृषि संबंधित प्रयोगशालाएं सेनाओं के लिए कृषि एवं पशुपालन पर नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही हैं।

8.86 डी आर डी ओ के वैज्ञानिकों ने आई आई टी, मुंबई के साथ मिलकर शोर से श्रवण शक्ति को होने वाले नुकसान से बचाव के लिए प्रयोग की जाने वाली कार्बोजन ब्रीदिंग असैम्बली विकसित कर ली है और भारतीय नौसेना द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। नौसेना ने पोत के इंजन कक्ष में लगाने के लिए इस तरह की 12 असैम्बलियों को प्राप्त करने का निर्णय किया है। अधिकतम कार्यक्षमता लाने हेतु बहुमुखी ब्रीदिंग डिजाइन करने का प्रयास जारी है।

8.87 सशस्त्र सेनाओं को प्रयोग हेतु विभिन्न स्थानों पर तापमान नियंत्रित बायो-डाइजेस्टर्स (मानव अपशेष के लिए) स्थापित कर दिया गया है।

8.88 खून चूसने वाले कीटों से बचाव हेतु डी ई पी ए-एक बहु कीट प्रतिकर्षी स्प्रे तथा क्रीम दोनों को सूत्रबद्ध कर लिया गया है और इसका फील्ड में मूल्यांकन किया जा रहा है।

8.89 वैज्ञानिकों ने सशस्त्र सेनाओं, संसदीय

सुरक्षा स्टाफ तथा सीमा सुरक्षा बल के कनिष्ठ तथा वरिष्ठ कमांडों की भलाई के लिए रासायनिक तथा जैविक केजुअल्टी के प्रबंधन पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

8.90 डी आर डी ओ के मनोवैज्ञानिकों ने अपने मनोवैज्ञानिक सामंजस्य से संबंधित निम्न तीव्रता संघर्ष वाले वातावरण में विकसित सुरक्षा सेनाओं पर केन्द्रीभूत अध्ययन किया है। बलों की दक्षता और प्रतिबद्धता बढ़ाने के लिए परिप्रश्न तकनीक क्षमता संगठनात्मक सहयोग तथा जलवायु की भूमिका पर अनुसंधान किया जा चुका है। सैन्य नेतृत्व की कारगरता में वृद्धि हेतु भी प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

उद्योग के साथ परस्पर संबंध

8.91 डी आर डी ओ ने प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण कर उद्योगों के साथ नजदीकी संपर्क बनाए रखा है। उद्योगों द्वारा विभिन्न उत्पादों के प्रक्रम तथा उत्पादन में आने वाली कठिनाइयों का सामाधान उचित सलाह और मार्गदर्शन देकर किया जाता है। प्रयोगशाला में उपलब्ध विश्लेषणात्मक सुविधाएं भी उद्योगों को मुहैया कराई जाती हैं।

8.92 डी आर डी ओ की पहचान कृषि पशु विकास तथा मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के क्षेत्र

में राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु नोडल केन्द्रों के रूप में हुई है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार “टाइफीजेन किट” प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक प्रयोग हेतु हस्तांतरण कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को उनके नियमित प्रयोग के लिए एन्थ्रेक्स किट मुहैया कराई गई है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पूर्वोत्तर में सामाजिक-आर्थिक विकास के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए आदर्श गांव के रूप में अहोम गांव का चयन किया है।

8.93 डी आर डी ओ द्वारा विकसित नाभिकीय, जैविक तथा रासायनिक (एन बी सी) श्वसन मास्क, एन बी सी लीक टेस्टर, एकीकृत हुड मास्क तथा एन बी सी पुनरुज्जीवक का उत्पादन शुरू हो गया है और इसकी थल सेना को आपूर्ति की जा रही है। कैनिस्टर्स, निजी विसंदूषण किटें तथा तीन रंगीन संसूचक पेपरों का उत्पादन थल सेना को आपूर्ति करने हेतु किया जा रहा है।

8.94 रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला, मैसूर ने फलों के रस के हिम शुष्कन तथा अनन्नास के परिरक्षण प्रौद्योगिकी का मैसर्स ट्रांसइंडिया, कोलकत्ता को हस्तांतरण कर दिया है। फर्म बोधजंगनगर, अगरतला में बहु फल संसाधन यूनिट स्थापित कर रही है।

8.95 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डी आर डी ओ) ने यू एन डी पी के तत्वावधान में पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी गांव में जर्मन अंगोरा खरगोश का जर्मप्लाज्म केन्द्र स्थापित किया है। डी आर डी ओ के तकनीकी मार्गनिर्देशन के तहत किसानों द्वारा जर्मप्लाज्म का रखरखाव किया जा रहा है तथा इसमें चौमुखी वृद्धि की जा रही है। किसानों को भरण, प्रजनन, प्रबंधन, रिकार्ड रखने, ऊन की कटाई करने तथा स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं पर सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया है। खरगोशों की संख्या में बहुवृद्धि तथा व्यस्क खरगोशों एवं अंगोरा ऊन के विपणन दोनों की दृष्टि से जर्मप्लाज्म केन्द्र पर काफी अधिक प्रगति हुई है।

8.96 डी आर डी ओ ने पूर्वोत्तर में सामाजिक आर्थिक विकास के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का संघात पर अध्ययन करने के लिए आदर्श गांव के रूप में अहोम गांव का चयन किया है। सामाजिक-आर्थिक सहायता कंप्यूटर, सिलाई



एक उन्नत पनडुब्बी-रोधी तारपीड़ो जो 540 मीटर की गहराई में लक्ष्य पर वार कर सकता है।

मशीन, वाटर पंप तथा लाइब्रेरी एवं मनोरंजन केन्द्र जैसी सहायक सामग्री के रूप में प्रदान की गई थी। इस प्रकार की गई सहायता से ग्रामीणों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।

8.97 क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एफ आर एल), लेह तथा रक्षा कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला (डी ए आर एल), पिथौरागढ़ ने उनके अपने इलाकों में ग्रामीण विकास के लिए वहन की जा सकने योग्य कृषि-पशु प्रौद्योगिकियाँ मुहैया की हैं।

8.98 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तथा राजस्थान के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में पानी से लौह तथा लवणता जैसी विभिन्न अशुद्धताओं को दूर करने हेतु जल शुद्धीकरण प्रणालियाँ स्थापित की हैं।

मानव संसाधन विकास

8.99 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने वैज्ञानिक, तकनीकी एवं प्रशासनिक जनशक्ति को शामिल करने और प्रबंधन व्यवस्था देखने के लिए जनशक्ति योजना बोर्ड गठित किया है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की विभिन्न परियोजनाओं के लिए सभी श्रेणियों में जनशक्ति की जरूरतों की समीक्षा विभिन्न प्रक्रियाओं से

जैसे युक्तिसंगत काडर संरचना, प्रोत्साहन योजनाओं, प्रशिक्षण नीतियों, बढ़ते पदोन्नति के अवसरों, निर्गम साक्षात्कारों आदि से की गई है। संगठन ने उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित करने तथा उनको अपने यहां बनाए रखने के अलावा मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने की भी कोशिश की है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के दो प्रशिक्षण संस्थान- आयुध प्रौद्योगिकी संस्थान (आई ए टी) तथा प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान (आई टी एम) भी विशिष्ट पाठ्यक्रमों को आयोजित करने में लगे हुए हैं। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की सभी प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं में काम में अधिक कारगरता लाने तथा अच्छे परिणाम सुनिश्चित करने हेतु मानव संसाधन विकास कक्ष स्थापित किए गए हैं। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन अपनी महिला कर्मियों को अधिकार देने तथा उनकी कल्याण संबंधी जरूरतों के प्रति संवेदनशील है। इस संबंध में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों एवं निर्देशों को इस संगठन में खुले दिल से स्वीकारा जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि मानव संसाधन विकास की विभिन्न प्रक्रियाओं के जरिए महिला कर्मियों को अपने कौशल एवं ज्ञान में वृद्धि करने, अपनी संभाव्यताओं को पूरा करने तथा कैरियर में तरक्की के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरकारी आदेशों के अनुसार, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की प्रयोगशालाओं को महिला कर्मियों के कल्याण हेतु महिला कक्ष स्थापित करने की सलाह दी गई है। इस आशय से इसी तरह का एक कक्ष रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन मुख्यालय में भी स्थापित किया गया है।

अंतर सेवा संगठन



राष्ट्रीय रक्षा कालेज, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक अध्ययनों का एक उत्कृष्ट केन्द्र है।

चौदह अंतर सेवा संगठन सीधे मन्त्रालय के अधीन कार्य करते हैं। इनमें सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा तथा राष्ट्रीय रक्षा कालेज जैसी विविध स्थापनाएं हैं।

9.1 निम्नलिखित अंतर सेवा संगठन सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं :

- (i) सेना इंजीनियर सेवा
- (ii) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा
- (iii) रक्षा संपदा महानिदेशालय
- (iv) मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय
- (v) जन संपर्क कार्यालय
- (vi) सेना क्रय संगठन
- (vii) सेना खेल-कूद नियंत्रण बोर्ड
- (viii) सशस्त्र सेना फिल्म तथा फोटो प्रभाग
- (ix) विदेशी भाषा विद्यालय
- (x) इतिहास प्रभाग
- (xi) राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय
- (xii) रक्षा प्रबंधन कालेज
- (xiii) रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज
- (xiv) रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय

सेना इंजीनियर सेवा

9.2 सेना इंजीनियर सेवा देश की सबसे बड़ी एजेंसी है जो सामान्य क्षेत्रों तथा अग्रवर्ती क्षेत्रों के 450 स्टेशनों को निर्माण कार्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराती है। सेना इंजीनियर सेवा रक्षा मंत्रालय की प्रमुख इंजीनियरी शाखा है जो

तीनों सेनाओं तथा अन्य संबद्ध विभागों यथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, आयुध निर्माणियों, तटरक्षक बल, केंद्रीय विद्यालय संगठन और केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों को निर्माण कार्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

9.3 सेना इंजीनियर सेवा का लंबा और महत्वपूर्ण इतिहास रहा है तथा इसने इंजीनियरी व्यवसाय में विकास करने के साथ-साथ स्वतंत्र भारत की आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी-युक्त सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षमता हासिल की है। आज यह 3300 करोड़ रुपये से भी अधिक के वार्षिक कार्यभार का निपटान करती है।

9.4 सेना इंजीनियर सेवा, इंजीनियर-इन-चीफ के समग्र नियंत्रण में कार्य करती है जो कि निर्माण इंजीनियरी के विषय में रक्षा मंत्रालय तथा तीनों सेनाओं के सलाहकार हैं। इसका गठन डिजाइन संबंधी उन कार्यों को करने के लिए किया गया है जो कार्य इंजीनियरी कोर के सिविलियन तथा योधी कार्मिकों में से लिए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के पर्यवेक्षण के

टेकों के जरिए कराए जाते हैं। इसमें आयोजना, डिजाइनिंग और निर्माण कार्य पर्यवेक्षण के लिए वास्तुविदों, सिविल, विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरों, संरचना डिजाइनरों, परिमाण सर्वेक्षकों और संविदा विशेषज्ञों का एक एकीकृत बहुविध दल होता है। इस सेवा में अधिकारी-संवर्ग का अखिल भारतीय सेवा दायित्व है जबकि अधीनस्थों का दायित्व क्षेत्र-आधारित आवश्यकताओं तक सीमित होता है।

9.5 सेना इंजीनियर सेवा को बहुत से सिविल कार्यों जैसे परंपरागत भवनों और निर्माणियों से लेकर अत्याधुनिक जटिल प्रयोगशालाओं, समुद्री निर्माण कार्यों, जेटी निर्माण, गोदी निर्माण, घाटों, कार्यशालाओं, स्लिप्वे, हवाई पट्टियों, सड़कों, ब्लास्ट पेनों आदि के निर्माण में विशेषज्ञता प्राप्त है। यह रक्षा सेनाओं के वातानुकूलन, शीत भंडारण, जल आपूर्ति, संपीडित वायु, मल-जल-उपचार संयंत्र, लिफ्ट और क्रेन जैसी आधुनिक अवसरंचनात्मक सेवाएं भी मुहैया करवाती है।

9.6 विवाहितों के लिए आवास

परियोजना: इस परियोजना के तहत चार चरणों में कुल 1,98,012 रिहायशी यूनिटों के निर्माण की योजना बनाई गई है। प्रथम चरण में 5320 करोड़ रुपये की लागत से 79 स्थानों पर सेना,

नौसेना तथा वायुसेना के लिए 60,789 रिहायशी यूनिटें बनाई जानी हैं। 38 स्थानों पर रिहायशी यूनिटों के निर्माण का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों नामतः एन

विवाहित आवास परियोजना के अधीन कुल 1,98,012 रिहायशी आवासों के निर्माण की योजना बनाई गई है।

बी सी सी, इस्कॉन तथा राइट्स को सौंपा गया है तथा शेष स्थानों का निर्माण कार्य डी जी एम ए पी को सौंपा गया है। 42 स्थानों के लिए अवधारणा परियोजना रिपोर्टें तथा 10 स्थानों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें को अनुमोदित कर दिया है।

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा

9.7 सेना चिकित्सा कोर, सेना दंत चिकित्सा कोर तथा सैन्य नर्सिंग सेवा को मिला कर गठित सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा, सशस्त्र सेना के कार्मिकों, उनके परिवार के सदस्यों तथा उनके आश्रितों, जिनकी संख्या लगभग 66 लाख है, को व्यापक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराती है। इसके अलावा भूतपूर्व सैन्य कर्मी तथा उनके परिवार के सदस्य भी इन सेवा स्रोतों से निःशुल्क इलाज कराने के हकदार हैं तथा इसी प्रकार के अर्ध सैन्य संगठन जैसे असम राइफल, राष्ट्रीय राइफल, तटरक्षक बल, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन एवं सीमा सड़क संगठन के कार्मिक भी फील्ड तैनाती के दौरान निःशुल्क उपचार के हकदार होते हैं।

9.8 महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तथा आंतरिक सुरक्षा कार्यों में विशेष रूप से अगम्य तथा दुःसाध्य क्षेत्रों में सिविल प्राधिकारियों को मदद करने के लिए भी सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की सहायता ली जाती है। इसके अलावा, आपातकालीन परिस्थितियों में सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की यूनिटों द्वारा सभी सिविलियनों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

9.9 **अवसरंचना :** स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा देश का सबसे बड़ा एवं सर्वोत्तम सुव्यवस्थित संगठन है। यहां डाक्टरों

स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा देश का सबसे बड़ा एवं सर्वोत्तम सुव्यवस्थित संगठन है।

द्वारा संचालित रेजीमेंटल एंड पोस्ट नेटवर्क प्रणाली कार्यरत है। इसकी सहायता के लिए 89 फील्ड ऍंबुलेंस हैं जोकि 45 बिस्तरों वाले चलते-फिरते अस्पताल हैं। युद्धक क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के अलावा, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के पास देश के विभिन्न भागों में विभिन्न आकार के 127 अस्पताल हैं। दूरस्थ अस्पतालों में

बुनियादी विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध हैं जबकि आठ कमान /सेना अस्पतालों में अत्याधुनिक उपकरणों एवं सुविधाओं से युक्त उच्च विशेषज्ञतायुक्त केन्द्र हैं।

9.10 सम्मेलन और सतत चिकित्सा शिक्षा:

(क) ए पी एम एम सी (एशिया पैसिफिक मिलिटरी मेडिसिन कांफ्रेंस) सम्मेलन थाइलैंड, बैंकॉक में आयोजित किया गया था। विशेषज्ञ अधिकारियों ने इसमें भाग लिया और उन्होंने वैज्ञानिक शोध-प्रबंध प्रस्तुत किए।

(ख) महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा ने यू एस ए एवं वाशिंगटन में हृदय रोग विज्ञान पर आयोजित सम्मेलनों में भाग लिया।

(ग) 47 आंतरिक सतत चिकित्सा शिक्षा अपडेट्स, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए गए।

(घ) सशस्त्र सेनाओं के लगभग 1244 चिकित्सा अफसरों ने देशभर में 127 प्राधिकृत सिविल निकायों के विभिन्न सम्मेलनों / कार्यशालाओं में भाग लिया।

9.11 सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज, पुणे में एम बी बी एस पाठ्यक्रम में प्रवेश : सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज, पुणे में सत्र

2003 में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा के लिए 87,245 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। उनके योग्यताक्रम के आधार पर 939 उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था जिनमें से 130 उम्मीदवारों को एम बी बी एस पाठ्यक्रम 2003 में प्रवेश दे दिया गया। सभी उम्मीदवारों का यह दायित्व है कि वे पाठ्यक्रम समाप्त होने पर सेना चिकित्सा कोर में कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

9.12 उन्नत पाठ्यक्रम : एक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के चिकित्सा अधिकारी उन्नत पाठ्यक्रमों के लिए चुने जाते हैं, जिसके दौरान वे पुणे और अन्य विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करते हैं। वर्ष 2003 के दौरान 99 अधिकारी उन्नत पाठ्यक्रम के लिए भेजे गए थे।

रक्षा संपदा महानिदेशालय

9.13 रक्षा संपदा महानिदेशालय, अधिग्रहण, अंतरण, अर्जन मांग और किराए के जरिए रक्षा प्रयोजनों के लिए अचल संपत्ति की अधिप्राप्ति करने वाली रक्षा मंत्रालय की एक शीर्ष एजेंसी है। विभिन्न राज्यों में भूमि अधिग्रहण/ अर्जन की कई परियोजनायें चल रही हैं।

9.14 वर्ष 2003-04 के दौरान तीनों सेनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने हेतु रक्षा मंत्रालय द्वारा 1518.74 लाख रुपये का आबंटन किया गया है।

9.15 पंजाब, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले किसान जिनकी फसलों को 'आपरेशन पराक्रम' की तैयारी के चरण में नुकसान पहुंचा, को अनुग्रहपूर्वक मुआवजों का भुगतान कर दिया गया है। 2003-04 के दौरान संबद्ध कमानों को 10415.79 लाख रुपये की धनराशि सौंप दी गई है।

9.16 भारत में 62 छावनियां हैं। ये छावनियां 19 राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अवस्थित हैं। छावनी बोर्ड स्वायत्तशासी निकाय हैं जो छावनी अधिनियम, 1924 के प्रावधानों के तहत रक्षा मंत्रालय के समग्र नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। छावनी बोर्डों में पदेन तथा नामित सदस्यों के अलावा निर्वाचित प्रतिनिधि भी होते हैं। निर्वाचित एवं सरकारी सदस्यों के बीच समानता बनाई रखी जाती है। स्टेशन कमांडर छावनी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। इन निकायों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण मध्यम स्तर पर कमानों के जनरल आफिसर-इन-चीफ के माध्यम से और शीर्ष स्तर पर रक्षा संपदा महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

9.17 छावनी बोर्डों के साधन काफी सीमित हैं क्योंकि छावनी में संपत्ति का अधिकांश हिस्सा सरकार के स्वामित्व में है जिस पर कोई कर

लगाया नहीं जा सकता। तथापि बोर्डों को केन्द्र सरकार की संपत्ति के लिए सेवा प्रभार मिलता है। छावनी की प्रकृति इस तरह की है कि न कोई उद्योग आ सकता और न ही कोई ट्रेड और व्यवसाय कोई उल्लेखनीय विकास कर सकता है। केन्द्र सरकार बजट को संतुलित करने के लिए उन्हें एक निश्चित सीमा

तक सहायता अनुदान प्रदान करके वित्तीय सहायता देती है।

9.18 समग्र कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने तथा बच्चों में एकता की भावना भरने के लिए वर्ष के दौरान छावनी बोर्ड के स्कूलों का एक सांस्कृतिक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें छावनी बोर्ड के स्कूलों में देश के अलग-अलग हिस्सों के पढ़ने वाले बच्चों ने भाग लिया।

9.19 छावनी बोर्ड की सिविल आबादी की चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने

के लिए अधिकतर छावनी बोर्ड अस्पताल अथवा औषधालय चला रहे हैं। कुल 69 अस्पताल/औषधालय चलाए जा रहे हैं। छावनी बोर्ड प्राइमरी और उच्चतर माध्यमिक स्कूल तथा इंटरमीडिएट/जूनियर कालेज भी चला रहे हैं। छावनी बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों एवं कालेजों की कुल संख्या 189 हैं।

9.20 रक्षा संपदा महानिदेशालय भूमि एवं छावनी बोर्ड संबंधी मामलों में रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। रक्षा संपदा महानिदेशालय रक्षा मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है जिस पर रक्षा संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए भूमि और इमारतों को किराए पर लेने, उनके अधिग्रहण एवं अर्जन का दायित्व है। जो रक्षा भूमि अस्थायी/स्थायी रूप से अधिशेष मानी जाती है उसका सेना द्वारा केन्द्र सरकार के अन्य विभागों/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा ख्यातिप्राप्त स्कूलों/संस्थाओं अथवा भूतपूर्व सैनिकों को लाइसेंस, पट्टा अथवा अंतरण के जरिए दी जाती है। छावनी बोर्डों के मामले में रक्षा संपदा महानिदेशालय का कार्य प्रधान निदेशक/निदेशकों, कमान एवं छावनी अधिकारियों के जरिए छावनियों के निगम प्रशासन से जुड़ा हुआ है जबकि भूमि का प्रबंधन, भूमि रिकार्डों की अभिरक्षा, अचल संपत्ति की अधिप्राप्ति का कार्य रक्षा संपदा अधिकारियों के जरिए किया जाता है। 17.31 लाख एकड़ रक्षा भूमि में से 0.68 लाख एकड़ भूमि सीधे रक्षा संपदा महानिदेशालय के प्रबंधन के अधीन है।

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

9.21 मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय रक्षा मंत्रालय के तहत सेना मुख्यालयों और अंतर-सेवा संगठनों के मुख्यालयों को सिविलियन जनशक्ति तथा आधारभूत सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। संयुक्त सचिव

भारत में 62 छावनियां हैं।
ये छावनियां 19 राज्यों
तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली में अवस्थित हैं

(प्रशिक्षण), मुख्य प्रशासन अधिकारी और निदेशक (सुरक्षा) के कार्यों का निर्वहन करते हैं। सुरक्षा के संबंध में वे मुख्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य भी देखते हैं।

9.22 मुख्य प्रशासन अधिकारी के कार्यालय का कार्य निम्नलिखित छह प्रभागों द्वारा किया जाता है। (i) प्रशासन प्रभाग (ii) कार्मिक प्रभाग (iii) जनशक्ति नियोजन तथा भर्ती प्रभाग, (iv) प्रशिक्षण, समन्वय तथा कल्याण प्रभाग (v) वित्त तथा सामग्री प्रभाग और (vi) संपदा तथा निर्माण प्रभाग।

9.23 प्रशासन प्रभाग सेना मुख्यालय और अंतर-सेवा संगठनों में कार्यरत लगभग 10,000 सिविलियन कर्मचारियों को प्रशासनिक सुविधा मुहैया कराता है। सशस्त्र सेना मुख्यालयों के सेवारत /सेवानिवृत्त सिविलियन कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने और उसका शीघ्र समाधान करने के लिए प्रशासन प्रभाग के अधीन एक शिकायत प्रकोष्ठ कार्यरत है।

9.24 कार्मिक प्रभाग सेना मुख्यालयों और अंतर-सेवा संगठनों को सिविलियन जनशक्ति मुहैया कराता है और इस जनशक्ति का प्रबंध भी करता है।

9.25 जनशक्ति नियोजन तथा प्रशिक्षण प्रभाग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ परामर्श करके भर्ती नियमों के संबंध में नीति तैयार करने तथा सेना मुख्यालय तथा अंतर-सेवा संगठनों में सभी रिक्त सिविलियन पदों पर निर्धारित माध्यमों से सीधी भर्ती करने के लिए उत्तरदायी है।

9.26 वित्त तथा सामग्री प्रभाग सेना मुख्यालय के सभी कार्यालयों तथा अंतर-सेवा संगठनों को सामग्री सहायता मुहैया कराता है जिसमें कार्यालय उपस्कर, सामान, मेज-कुर्सी आदि तथा लेखन-सामग्री की अधिप्राप्ति तथा व्यवस्था करना शामिल है।

9.27 मुख्य प्रशासन अधिकारी के कार्यालय के प्रशिक्षण, समन्वय और कल्याण प्रभाग के

अंतर्गत कार्य कर रहा रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान, सेना मुख्यालयों और अंतर सेवा संगठनों में तैनात सिविलियन कार्मिकों की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है।

9.28 संपदा और निर्माण प्रभाग सशस्त्र सेना मुख्यालयों में तैनात सैन्य अफसरों के रिहायशी आवास के संबंध में संपदा से संबंधित कार्य करता है।

9.29 मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय में कार्यरत सिविलियन कार्मिकों के कल्याण संबंधी कार्य भी देखता है। सशस्त्र सेना मुख्यालय /अंतर सेवा संगठन कल्याण निधि तथा रक्षा सिविलियन चिकित्सा सहायता निधि अत्यधिक संकटकालीन स्थिति के दौरान कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

9.30 मुख्य सुरक्षा अधिकारी तथा उसके कमान में आने वाले कार्मिक, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी की देखरेख में रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में कार्यालय भवनों की भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इस क्षेत्र में भौतिक सुरक्षा के उल्लंघन को रोकने के लिए भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी होती है। सूचना की सुरक्षा बनाए रखने के लिए अधिकारियों तथा कार्मिकों को ब्रीफिंग के जरिए भी जानकारी देने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

जनसंपर्क निदेशालय

9.31 हमारी जैसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रचार माध्यम लोगों तक सूचना पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तनों से सूचना प्रसारण के क्षेत्र में नए अवसर तथा चुनौतियां सामने आई हैं। जनसंपर्क निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा देशभर में इसके 25 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यह रक्षा मंत्रालय, तीनों सेनाओं तथा रक्षा मंत्रालय के अधीन अंतर-सेवा संगठनों को प्रचार-प्रसार सहायता

तथा सेवाएं उपलब्ध कराने वाली प्रमुख एजेंसी है। यह रक्षा मंत्रालय तथा सशस्त्र सेनाओं के नेतृत्व तथा वरिष्ठ अधिकारियों का मीडिया के साथ संपर्क भी कायम कराता है। यह निदेशालय सशस्त्र बलों के लिए 13 भाषाओं (असमी, बंगाली, अंग्रेजी, गोरखाली, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, तथा उर्दू) में पाक्षिक पत्रिका 'सैनिक समाचार' प्रकाशित करता है तथा सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लाभ के लिए आकाशवाणी से 40 मिनट के एक लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम "सैनिकों के लिए" की तैयारी में समन्वय करता है। इस निदेशालय का एक फोटो अनुभाग है जो प्रिंट मीडिया को रक्षा से संबद्ध घटनाओं के चित्र मुहैया कराता है।

9.32 वर्ष 2003-04 की अवधि के दौरान, निदेशालय द्वारा कवर की गई घटनाओं में सेना तथा वायुसेना द्वारा बाम, इरान के भूकंप प्रभावितों को राहत कार्य तथा श्रीलंका में नौसेना द्वारा बाढ़ राहत संबंधी कार्यों के जरिए सहायता पहुंचाना आदि शामिल हैं जिनसे सशस्त्र बलों की आपदा प्रबंधन अनुक्रिया तथा अंतर्राष्ट्रीय सहायता और एकता उजागर होती है। भारतीय सेना से संबद्ध प्रमुख घटनाओं की कवरेज में मई, 2003 में जम्मू व कश्मीर में सूरनकोट क्षेत्र में प्रमुख आतंकवादी रोधी सक्रिया, अक्टूबर 2003 में आयोजित सैन्य कमांडरों का सम्मेलन, 15 जनवरी, 2004 को आयोजित सेना दिवस समारोह तथा बिहार में सिविल प्रशासन की सहायता हेतु बाढ़ राहत कार्य शामिल हैं। भारतीय नौसेना के क्रियाकलापों के संबंध में, निदेशालय ने मीडिया को महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे तलवार श्रेणी के फिग्रेटों के जलावतरण, भारतीय नौसेना पोतों द्वारा विदेशों की सदभावना यात्राएं, भारतीय नौसेना नौका प्रशिक्षण पोत, भा0 नौ0 पो0 'तरंगिनी' द्वारा विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने, मई 2003 में मुंबई तथा विशाखापट्टनम के पास रूस के साथ संयुक्त

नौसेना अभ्यास, अगस्त, 2003 में मुंबई के पास फ्रांस (वरुण), अक्टूबर, 2003 में अमेरिका (मालाबार) कोच्ची के पास, नवंबर, 2003 में शंघाई के पास आयोजित भारत-चीन का अब तक का प्रथम नौसेना अभ्यास तथा मार्च, 2004 में सिंगापुर के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यासों की कवरेज में सहायता की। उड़ीसा में बाढ़ राहत संबंधी कार्यों में नौसेना की सहायता की भी कवरेज की। वायुसेना के लिए जुलाई, 2003 में अलास्का में एकस-कोप थण्डर में वायुसेना की भागीदारी तथा अक्टूबर, 2003 में हिंडन में भारतीय वायुसेना के 'सूर्य किरण' और रॉयल एयर फोर्स के 'रेड ऐरोज' के संयुक्त प्रदर्शन का अच्छा प्रचार-प्रसार किया गया। रक्षा मंत्रियों और सेना प्रमुखों के दौरों का समुचित रूप से प्रचार किया गया। जनसंपर्क निदेशालय ने अपनी अन्य उपलब्धियों के साथ-साथ भारत तथा रूसी संघ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक क्रुज मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षणों, चालक रहित लक्ष्य विमान 'लक्ष्य', रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा आयोजित अग्नि-1, पृथ्वी, नाग और आकाश प्रक्षेपास्त्रों के परीक्षणों, लघु युद्धक विमान 'तेजस' के उड़ान परीक्षणों और युद्धक नेट रेडियो जैसे प्रणालियों के उत्पादन के प्रारंभ, मुख्य युद्धक टैंक 'अर्जुन' के श्रृंखलाबद्ध उत्पादन, नौसेना प्लेटफार्मों के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पद्धति प्रणालियों और 'सर्वत्र' पुल प्रणालियों की कवरेज को सुगम बनाया।

सेना क्रय संगठन

9.33 रक्षा मंत्रालय के सेना क्रय संगठन को संघ की रक्षा सेनाओं के उपयोग हेतु शुष्क राशन वस्तुओं की खरीद तथा समय पर आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेना क्रय संगठन चावल तथा गेहूं भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से अधिप्राप्त करता है; चीनी का आबंटन शर्करा, निदेशालय द्वारा विभिन्न चीनी मिलों को आबंटित लेवी कोटे से किया जाता है। दालों, पशु-राशन,

खाद्य तेलों, वनस्पति (हाइड्रोजनीकृत खाद्य तेल), चाय और दुग्ध उत्पादों जैसी अन्य मर्दें केन्द्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विभिन्न राष्ट्रीय /राज्य स्तर के सहकारी उपभोक्ता संघों से खरीदी जाती हैं। संपूर्ण दुग्ध पाउडर, स्किमड दुग्ध पाउडर, मक्खन और घी बातचीत द्वारा तय संविदाओं के जरिए भारत के राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ से खरीदे जाते हैं। डिब्बाबंद वस्तुएं जैसे सब्जियां, फल, जैम, डिब्बाबंद दूध, मांस तथा मछली उत्पाद, कॉफी तथा अंडे का चूर्ण आदि खुली निविदा के माध्यम से निजी पार्टियों/ डीलरों सहित पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से खरीदी जाती हैं। मांगी गई मात्रा में खरीद, मर्दों की प्रचुरता के मौसम में की जाती है जब मर्दें काफी मात्रा में उपलब्ध होती हैं और उनके मूल्य कम होते हैं।

9.34 वर्ष 2003-2004 के दौरान सेना मुख्यालय को इस संगठन से उपर्युक्त मर्दों की अधिप्राप्ति के लिए 754 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया था। उक्त बजट प्रावधान का पूर्ण इस्तेमाल कर लिया गया है।

9.35 संविदागत मर्दों का गुणवत्ता-नियंत्रण सेना मुख्यालय के अधीन मिश्र खाद्य प्रयोगशालाओं द्वारा सुनिश्चित किया जाता है जो निविदागत उपभोग की वस्तुओं की जांच तथा स्वीकृति के बाद सामान को आवश्यकतानुसार विभिन्न आपूर्ति डिपुओं को भेजे जाने पर भी नजर रखती है।

सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड

9.36 **सैन्य चैम्पियनशिप :** सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड तीनों रक्षा सेनाओं में खेलकूद से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन तथा समन्वय करता है। सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित 19 सैन्य चैम्पियनशिपों में कुल चार टीमों (आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन, नौसेना तथा वायुसेना) ने भाग लिया। वर्ष 2003-2004 के दौरान आर्मी रेड 19

स्पर्धाओं में से 14 स्पर्धाएं जीतकर कुल मिलाकर चैम्पियन रहे। नौसेना द्वितीय, आर्मी ग्रीन तृतीय तथा वायुसेना चौथे स्थान पर रही थी।

9.37 राष्ट्रीय चैम्पियनशिप :

सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड 28 राष्ट्रीय खेलकूद संघों से संबद्ध है तथा यह 10 जूनियर सैक्शनों सहित 38 राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में भाग लेता है। वर्ष 2003-04 के दौरान अब तक आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में सेनाएं 11 स्पर्धाओं में प्रथम, 5 में द्वितीय तथा 5 तृतीय तथा 3 में चौथे स्थान पर रहीं।

9.38 **अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप :** इस अवधि के दौरान सेनाओं के खिलाड़ियों ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में भाग लिया:-

(i) प्रथम अफ्रीकी-एशियाई खेल :

प्रथम अफ्रीकी- एशियाई खेल 24 अक्टूबर, 2003 से 1 नवम्बर, 2003 तक हैदराबाद में आयोजित किए गए थे। सेनाओं के 24 खिलाड़ी भारतीय दल के सदस्य थे तथा उन्होंने 1 स्वर्ण, 4 रजत तथा 3 कांस्य पदक जीते।

(ii) तृतीय विश्व सैन्य खेल :

भारतीय सशस्त्र सेनाओं के 18 खिलाड़ियों तथा 8 अधिकारियों वाले दल ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेलकूद परिषद द्वारा 4 से 11 दिसंबर, 2003 तक कैटानिया, इटली में आयोजित तृतीय विश्व सैन्य खेलों में भाग लिया। मुक्केबाजी टीम ने एक कांस्य पदक प्राप्त किया था।

9.39 **सर्वोत्तम सेना खिलाड़ी :** गत वर्ष की सैन्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में प्रदर्शन के आधार पर तीनों सेनाओं में एक सर्वोत्तम खिलाड़ी चुना जाता है। 1 सिगनल प्रशिक्षण केंद्र, जबलपुर के कंपनी हवलदार मेजर संजय घोष को वर्ष 2002-03 के लिए 'सर्वोत्तम सेना खिलाड़ी' चुना गया था तथा उन्हें नवंबर, 2003 में ट्राफी प्रदान की गई थी। इस एथलीट ने 32वें राष्ट्रीय खेलों में 4 x 100 मीटर रिले

वर्ष 2003-04 के दौरान अब तक राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में सेनाएं 11 स्पर्धाओं में प्रथम, 5 में द्वितीय तथा 5 में तृतीय तथा 3 में चौथे स्थान पर रहीं।

तथा 100 मीटर की दौड़ में दो स्वर्ण पदक जीते तथा मनीला (फिलीपींस) में चौथी एशियाई ग्रांड प्री एथलेटिक मीटर में 4x100 मीटर रिले तथा 100 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीते तथा इन्हीं स्पर्धाओं में 14वीं एशियाई एथलेटिक चैम्पियनशिप में पांचवां स्थान प्राप्त किया तथा बूसान (कोरिया) एशियाई खेलों

में चौथा स्थान प्राप्त किया है।

9.40 **अर्जुन पुरस्कार विजेता** : अगस्त, 2003 में सेनाओं के दौ खिलाड़ियों-वारंट अफसर राम मेहर सिंह तथा नायब सूबेदार इंदरपाल सिंह को क्रमशः कबड्डी तथा नौकायन में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए थे।

सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रथाग

9.41 सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग प्रशिक्षण, शस्त्र परीक्षणों, सुरक्षा, रक्षा अनुसंधान और आसूचना संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सेना मुख्यालयों तथा अन्य रक्षा संगठनों की प्रशिक्षण फिल्मों के निर्माण, अधिप्राप्ति तथा वितरण, प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फोटो तथा कलाकृति का निर्माण आदि आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह रक्षा मंत्रालय के समारोहों की फोटो तथा वीडियो कवरेज करता है।

9.42 सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग के पास स्वतंत्रता पूर्व की अवधि की ऐतिहासिक महत्व वाली दुर्लभ फिल्मों तथा चित्रों का समृद्ध संग्रह है। इसका अनुरक्षण एवं संरक्षण इस प्रभाग के केंद्रीय रक्षा फिल्म पुस्तकालय में किया गया है। इन चित्रों में भारतीय सेनाओं को द्वितीय विश्व युद्ध के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए, समारोहों, व्यक्तियों तथा प्रशिक्षण में

भाग लेते हुए दिखाया गया है। यहां संरक्षित कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों में ब्रिटेन की लड़ाई, रूस की लड़ाई, चीन की लड़ाई, मरुस्थल विजय, जापानी आत्मसमर्पण, नाजियों का हमला, बर्मा की लड़ाई, चर्चिल-एक व्यक्ति और लंदन विजय परेड शामिल हैं।

9.43 इस प्रभाग की केन्द्रीय रक्षा फिल्म लाइब्रेरी को विभिन्न इकाइयों/ विरचनाओं प्रशिक्षण स्थापनाओं/कमानों की विशिष्ट प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण फिल्मों के वितरण का कार्य सौंपा गया है। इस समय इस लाइब्रेरी में 35 मि0 मी0 आकार के 570 टाइटल, 16 मि0मी0 आकार के 1010 टाइटल और वीडियो फार्मेटों में 310 टाइटल हैं। वर्ष के दौरान सैन्य टुकड़ियों को 4031 प्रशिक्षण फिल्मों/ वीडियो कैसेट वितरित किए गए। इस वर्ष केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने भी अपने कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए 17 प्रशिक्षण फिल्मों का इस्तेमाल किया।

9.44 इस वर्ष विशेषतया उच्च तुंगता युद्ध पद्धति विद्यालय के लिए तीन फिल्मों का निर्माण किया गया था। ये फिल्में सैन्य टुकड़ियों को अत्यधिक ऊँचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में खड़ी चट्टानों में मौजूद दुश्मनों से निपटने तथा हिमनदित क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई करने में प्रशिक्षण करने हेतु बनाई गई थी। ये फिल्में ग्लेशियरों से निपटने, हिम-दरारों के बचने, हिमाच्छादित प्रतिकूल परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में आने-जाने तथा विभिन्न किस्म के हिमधावों के कारणों तथा हिमधाव से बचाव के तरीकों का साधारण ज्ञान भी प्रदान करती है।

9.45 इस प्रभाग की सचल सिनेमा इकाई अग्रवर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए सूचना, संस्कृति एवं परिवार कल्याण संबंधी वृत्तचित्रों/

समाचार पत्रिकाओं की खरीद, वितरण करती है।

विदेशी भाषा विद्यालय

9.46 विदेशी भाषा विद्यालय 1948 से भारत में विदेशी भाषा शिक्षण में अग्रणी रहा है। इस समय यह विद्यालय सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को 16 विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण दे रहा है। यह विद्यालय भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों जैसे विदेश मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, केन्द्रीय सचिवालय और केन्द्रीय पुलिस संगठन की जरूरतों को भी पूरा करता है।

9.47 विदेशी भाषा विद्यालय में नियमित आधार पर अरबी, भाषा इंडोनेशिया, बर्मी, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, पस्तो, रूसी, स्पेनी, सिंहली, तिब्बती तथा थाई भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। विदेशी भाषा विद्यालय में निम्नलिखित पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं :-

(क) दुभाषिया पाठ्यक्रम, (ख) प्रवीणता प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम (ग) उच्चतर डिप्लोमा पाठ्यक्रम और (घ) अल्पावधि पाठ्यक्रम /तदर्थ पाठ्यक्रम

9.48 दुभाषिया पाठ्यक्रम पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम के लिए छात्र रक्षा मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय तथा अन्य सरकारी विभागों द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। यह पाठ्यक्रम छात्रों को भाषांतरण तथा अनुवाद जैसे अति कुशल कार्य में विशेषज्ञ बनने के लिए प्रशिक्षण देता है। इसके अलावा, उन्हें उक्त भाषा में पूर्णतया धारा प्रवाह लिखने और बोलने के लिए प्रशिक्षण किया जाता है। यह पाठ्यक्रम जरूरत पर आधारित है तथा इसे केवल सशस्त्र सेनाओं की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।

9.49 प्रवीणता प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के बाद उच्चतर डिप्लोमा गहन पाठ्यक्रम होता है। दोनों पाठ्यक्रम अंशकालिक हैं तथा एक-एक वर्ष की अवधि के हैं। यह दो वर्षीय पाठ्यक्रम मिलकर विश्वविद्यालय के तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम

के समकक्ष है।

9.50 अल्पावधि पाठ्यक्रम पूर्णतः आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम है। ये पाठ्यक्रम आवश्यकता होने पर विशेषकर पदनामित मिलिटरी अताशा तथा संयुक्त राष्ट्र मिशन पर भेजे जानेवाले अधिकारियों के लिए आयोजित किए जाते हैं।

9.51 विदेशी भाषा विद्यालय, विदेशी भाषाएं पढ़ाने वाले अन्य रक्षा संस्थानों जैसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे तथा सेना शिक्षा केन्द्र और प्रशिक्षण कॉलेज, पंचमढी का नियंत्रक संगठन है। यह विद्यालय उनकी परीक्षाएं आयोजित करता है और सफल उम्मीदवारों को डिप्लोमा भी जारी करता है। भारतीय विदेश सेवा परिवीक्षार्थियों के लिए इस संस्थान की उच्चतर डिप्लोमा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

9.52 सेना मुख्यालयों की विशिष्ट मांग तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी संगठनों की आवश्यकताओं के आधार पर भी चेक, हिब्रू, जापानी, मलया, थाई तथा वियतनामी भाषाओं पर लघु पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा, विदेशी भाषा विद्यालय ने रूसी भाषा में निम्नलिखित तकनीकी गहन पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं :-

(क) भारतीय नौसेना के तत्वावधान में नौविमान चालकों के लिए भा0 नौ0 पो0 हंस, गोवा में;

(ख) गुणता आश्वासन महानिदेशक के तत्वावधान में सेना कार्मिकों के लिए गुणता आश्वासन नियंत्रक (भारी वाहन), आवडी में।

इतिहास प्रभाग

9.53 इतिहास अनुभाग की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद की गई थी। इसकी स्थापना अविभाजित भारत की सशस्त्र सेनाओं द्वारा की गई कार्रवाइयों के विशेष संदर्भ

सहित युद्ध का विस्तृत आधिकारिक इतिहास तैयार करने के प्रयोग से की गई थी। देश के विभाजन के पश्चात् इसके संयुक्त अंतर-सेवी इतिहास अनुभाग (भारत और पाकिस्तान) के रूप में कार्य किया। संयुक्त अंतर-सेवा इतिहास अनुभाग (भारत और पाकिस्तान) ने द्वितीय विश्व युद्ध (1939-45) में अविभाजित भारत की सशस्त्र सेनाओं का आधिकारिक इतिहास 24 खंडों में प्रस्तुत किया था। यह कार्य पूरा होने के बाद इसे 1963 में समाप्त कर दिया गया था।

9.54 इस बीच, भारतीय सशस्त्र सेनाओं की स्वतंत्रता के बाद की सैन्य कार्रवाइयों का आधिकारिक इतिहास लिखने तथा प्रकाशित करने के लिए 26 अक्टूबर, 1953 को इतिहास अनुभाग (भारत) की स्थापना की गई थी। जम्मू और कश्मीर में कार्रवाइयों का इतिहास (1947-48) इस अनुभाग का प्रथम कार्य था। अब तक इस अनुभाग ने 19 खंड निकाले हैं। 01 अप्रैल, 1992 से इतिहास अनुभाग का नाम इतिहास प्रभाग कर दिया गया था।

9.55 इतिहास प्रभाग रक्षा मंत्रालय और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के बीच अभिलेख तथा संदर्भ संगठन के रूप में कार्य करता है। यह रक्षा मंत्रालय तथा तीनों सेना मुख्यालयों को कुल-चिह्न तथा समारोहों से संबंधित मामलों पर विशेष परामर्श भी प्रदान करता है। वर्ष के दौरान सेना मुख्यालयों, इकाइयों तथा विरचनाओं में इतिहास प्रभाग में स्थायी रूप से रखने के लिए लगभग 4200 संक्रियात्मक अभिलेख प्राप्त हुए थे। लगभग 350 सेवा अधिकारी तथा विद्वान सैन्य इतिहास से संबंधित अनुसंधान कार्यों के संबंध में अभिलेखों और पुस्तकों को देखने हेतु अभिलेख कक्ष में आए। इस प्रभाग ने सैन्य इतिहास के संबंध में विभिन्न इकाइयों और

विरचनाओं तथा देश-विदेश के विद्वानों से प्राप्त 275 से अधिक प्रश्नों के बारे में सूचना उपलब्ध कराई है।

9.56 यह प्रभाग रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत सैन्य इतिहास में अनुसंधान करने के लिए दो अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ भी प्रदान करता है।

9.57 इतिहास प्रभाग का कुल-चिह्न प्रकोष्ठ नई विरचनाओं के नाम सुझाकर, कलगी तथा बैजों के डिजाइन तैयार करके तथा इकाइयों और विरचनाओं के लिए उपयुक्त ध्येय वाक्य तैयार करके सैन्य मुख्यालयों तथा रक्षा मंत्रालय की सहायता कर रहा है।

राष्ट्रीय रक्षा कालेज

9.58 राष्ट्रीय रक्षा कालेज का उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 27 अप्रैल, 1960 को किया था। दिल्ली के केन्द्र में अवस्थित यह कालेज विगत 43 वर्षों में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहा है और इसने राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक अध्ययन से जुड़े मामलों में उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में अपनी पहचान बना ली है। यह एक ऐसे संस्थान के रूप में उभरकर सामने आया है कि जो इस परिवर्तनशील विश्व में भारतीय सुरक्षा रणनीति की गतिशीलता को समझने तथा उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है।

9.59 भारत तथा विदेशी मित्र देशों के चुनिंदा वरिष्ठ रक्षा तथा सिविल सेवा अधिकारियों के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय रक्षा कालेज 47 सप्ताह का एक पाठ्यक्रम आयोजित करता है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति के अध्ययन कार्यक्रम के जरिए भावी नीति निर्माताओं को उनके वर्धित

भारत तथा विदेशी मित्र देशों के चुनिंदा वरिष्ठ रक्षा तथा सिविल सेवा अधिकारियों के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय रक्षा कालेज 47 सप्ताह का एक पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए तैयार किया जाए। यह पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के सामाजिक-राजनैतिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकीय, राजनयिक और सैन्य आयाम शामिल हों। राष्ट्रीय रक्षा कालेज के पूर्व छात्र देश-विदेश में शीर्ष पदों पर पहुंचे

हैं।

9.60 राष्ट्रीय रक्षा कालेज ने रक्षा मंत्रालय की ओर से अक्टूबर, 2003 में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालयों/कालेजों/संस्थानों के अध्यक्षों के सातवें आशियान क्षेत्रीय फोरम सम्मेलन की मेजबानी की थी। यह तीन दिन का कार्यक्रम था और यह अत्यंत सफल रहा था। इस सम्मेलन ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में शांतिपूर्ण सहयोग के एशियाई क्षेत्रीय फोरम के लक्ष्यों को पूरा करने में अपना योगदान दिया है।

रक्षा प्रबंधन कालेज

9.61 रक्षा प्रबंधन संस्थान, सिकंदराबाद की स्थापना जून, 1970 में की गई थी। 1980 में इसका नाम रक्षा प्रबंधन कालेज कर दिया गया था। रक्षा प्रबंधन कालेज रक्षा परिवेश के सभी पहलुओं जैसे - संक्रियाओं, संभार-तंत्र, आसूचना तथा प्रशिक्षण में प्रबंधन संकल्पनाओं तथा तकनीकों के प्रयोग की ओर उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। रक्षा प्रबंधन कालेज द्वारा चलाए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रम दीर्घकालीन रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम, वरिष्ठ रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम, रक्षा प्रबंधन संगोष्ठी तथा कार्योंन्मुखी प्रबंधन कार्यक्रम हैं। यह कालेज प्रबंधन परामर्श अध्ययन भी करता है। यह

कालेज नवीन तथा अत्याधुनिक प्रशिक्षण उपकरणों से सुसज्जित हैं।

रक्षा सेवा स्टाफ कालेज

9.62 रक्षा सेवा स्टाफ कालेज सबसे पुराने सैन्य संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना 1905 में देवली में की गई थी तथा 1950 से यह वेलिंगटन में कार्य कर रहा है। रक्षा सेवा स्टाफ कालेज तीनों सेनाओं के मध्यम स्तर के अधिकारियों के अतिरिक्त कुछ सिविल अधिकारियों तथा मित्र राष्ट्रों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। यह कालेज प्रत्येक वर्ष जून से अप्रैल तक 45 सप्ताह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। रक्षा सेवा स्टाफ कालेज के स्टाफ पाठ्यक्रम का लक्ष्य अंतर सेवा एवं संयुक्त सेवा परिवेश में संक्रियात्मक तथा स्टाफ कार्यों में प्रशिक्षण देना है। यह प्रशिक्षण अधिकारियों को किसी भी स्टाफ /संक्रियात्मक तैनाती जैसे मेजर /ले0 कर्नल तथा अन्य सेनाओं के समकक्ष रैंकों के उत्तरदायित्वों को प्रभावी रूप से निभाने में सक्षम बनाता है।

रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय

9.63 रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय रक्षा मंत्रालय, तीनों सेना मुख्यालयों, अंतर-सेवा संगठनों तथा दिल्ली में स्थित अन्य संबद्ध रक्षा स्थापनाओं में योजना तथा नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को संबंधित विषयों पर साहित्य मुहैया करवाता है। आम पाठक की रुचि के अलावा यह रक्षा तथा संबद्ध विषयों की विशिष्ट पुस्तकें रखता है। इस पुस्तकालय में पठनीय सामग्री का चयन एक पुस्तक चयन उप समिति द्वारा किया जाता है। इस वर्ष के दौरान इस पुस्तकालय ने 2128 पुस्तकों की वृद्धि की, 110 जर्नल तथा 23 समाचार-पत्र मंगवाए।

भर्ती और प्रशिक्षण



राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़गवासला में दीक्षांत परेड

सशस्त्र सेना के लिए भर्ती स्वैच्छिक है एवं भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे, वह किसी भी जाति, वर्ग, धर्म एवं समुदाय का हो, सशस्त्र सेना में भर्ती के लिए पात्र है ।

10.1 सशस्त्र सेनाएं सेवा, त्याग, देशभक्ति के आदर्शों और हमारे देश की मिली-जुली संस्कृति का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। सशस्त्र सेना के लिए भर्ती स्वैच्छिक है एवं भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे, वह किसी भी जाति, वर्ग, धर्म एवं समुदाय का हो, सशस्त्र सेना में भर्ती के लिए पात्र है बशर्ते वह निर्धारित शारीरिक, चिकित्सीय एवं शैक्षिक मानदंडों को पूरा करता हो।

अफसर रैंक से नीचे भर्ती

10.2 सेना के पास 11 आंचलिक भर्ती कार्यालयों, 58 शाखा भर्ती कार्यालयों, 1 गोरखा भर्ती डिपो, कुनराघाट और दिल्ली स्थित एक स्वतंत्र भर्ती कार्यालय है। इसके अलावा, 47 रेजिमेंटल केन्द्रों को भी सेना में भर्ती का काम सौंपा गया है।

वायुसैनिकों की भर्ती

10.3 जाति, पंथ व धर्म और निवास (नेपाल का नागरिक) का विचार किए बिना सभी भारतीय अविवाहित पुरुष नागरिक भारतीय वायुसेना में भर्ती के हकदार हैं, बशर्ते वे

शारीरिक, आयु और शिक्षा के निर्धारित मानदंड पूरे करते हों। भारतीय वायुसेना में भर्ती के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन अखिल भारतीय आधार पर केन्द्रीकृत चयन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।

नाविकों की भर्ती

10.4 नौसेना मुख्यालय में जनशक्ति योजना और भर्ती निदेशालय के नौसेना भर्ती संगठन पर भारतीय नौसेना में नाविकों की भर्ती का उत्तरदायी है। नाविकों की भर्ती निम्नानुसार की जाती है:- (क) तीन वर्षीय डिप्लोमा के साथ सीधी भर्ती आर्टिफिशर (डी ई डी एच), (ख) आर्टिफिशर प्रशिक्षु (ए ए)-(10+2), (ग) मैट्रिक प्रवेश भर्ती (एमईआर), (घ) गैर-मैट्रिक प्रवेश भर्ती (एन एम ई आर), (ङ) पेटी अफसर के लिए सीधा प्रवेश (उत्कृष्ट खिलाड़ी)

10.5 **भर्ती प्रक्रिया :** नौसेना में भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। पूरे देश में फैले 30 केन्द्रों पर भर्ती परीक्षाएं होती हैं। भर्ती किए गए कार्मिकों की संख्या, ऐसे पात्र उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर होती है जो

लिखित परीक्षा, शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा और मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। जाति, धर्म अथवा क्षेत्र के आधार पर कोई वरीयता नहीं दी जाती।

10.6 **शैक्षिक अर्हताओं में सुधार:** 1 अप्रैल 2003 में सैनिक क्लर्क/स्टोर कीपर तकनीकी, सैनिक तकनीकी अर्हता को वर्तमान 10वीं/मैट्रिक से बढ़ाकर 10+2/इंटरमीडिएट पास कर दिया गया है। विवरण इस प्रकार है :-



वायुसेना में भर्ती के इच्छुक युवक

(क) सैनिक क्लर्क/* स्टोर कीपर/ तकनीकी	<p>(1) किसी भी वर्ग (अंग्रेजी सहित कला, वाणिज्य विज्ञान) से कम से कम 50 प्रतिशत औसत अंकों के साथ 10+2/ इंटरमीडिएट परीक्षा पास हो।</p> <p>(2) उम्मीदवार ने प्रत्येक विषय से कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो।</p> <p>(3) कंप्यूटर और टाइपिंग में दक्ष उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा (केवल सामान्य प्रवेश परीक्षा)* में उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के 20 प्रतिशत तक बोनस अंकों का अलग से वेटेज दिया जाएगा। *स्नातकों को ऊपर दी गई न्यूनतम अंकों की सीमा से छूट दी गई है।</p>
(ख) सैनिक तकनीकी	<p>(1) भौतिकी, रसायन, गणित और अंग्रेजी विषयों के साथ विज्ञान वर्ग से 10+2/इंटरमीडिएट परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत औसत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।</p> <p>(2) उम्मीदवार को ट्रेड के लिए विनिर्दिष्ट प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।</p>
(घ) सैनिक नर्सिंग सहायक	<p>(1) भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषयों के साथ विज्ञान से 10+2/इंटरमीडिएट परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत औसत अंक लेकर पास किया हो।</p> <p>(2) उम्मीदवार को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।</p>

अफसरों को कमीशन दिया जाना

10.7 सशस्त्र सेनाओं में कमीशनप्राप्त अधिकारियों की भर्ती मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग (यू पी एस सी) के माध्यम से की जाती है। तकनीकी शाखाओं, महिला विशेष प्रवेश योजना, एन सी सी विशेष प्रवेश योजना और सेवा प्रवेशों के लिए भर्ती सेना, नौसेना

और वायुसेना के संबंधित भर्ती निदेशालयों के माध्यम से सीधे की जाती है।

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती

10.8 संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (रा. र. अ.) में प्रवेश के लिए वर्ष में



भारतीय सैन्य अकादमी में नए अफसरों को कमीशन दिए जाने का समारोह

दो बार परीक्षाएं आयोजित करता है। 10+2 की परीक्षा पूर्ण करने अथवा 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले अभ्यर्थी इस प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ सकते हैं। सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार सेवा चयन बोर्ड में होता है। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पाठ्यक्रम पूरा करने पर इन्हें कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के लिए संबंधित सेना अकादमियों में भेज दिया जाता है।

10.9 संघ लोक सेवा आयोग साल में दो बार सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (सं. र. से. प.) के रूप में अखिल भारतीय प्रातियोगी परीक्षाएं आयोजित करता है। इस परीक्षा में विश्वविद्यालय के स्नातक तथा ऐसे स्नातक, जो अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हों, शामिल हो सकते हैं। सफल अभ्यर्थियों का सेवा चयन बोर्ड द्वारा

साक्षात्कार किया जाता है। इसमें अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी संबंधित प्रशिक्षण अकादमी जैसे सेना के लिए भारतीय सैन्य अकादमी (भा. से. अ.) / अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, नौसेना के लिए नौसेना अकादमी एवं वायुसेना के लिए वायुसेना अकादमी में प्रवेश लेते हैं।

चयन बोर्ड द्वारा भर्ती

10.10 सेना चयन बोर्डों / वायुसेना चयन बोर्ड द्वारा सेना, नौसेना एवं वायुसेना की निम्नलिखित शाखाओं के लिए भर्ती की जाती है-

सेना	सेना मेडिकल कोर और सेना दंत चिकित्सा कोर को छोड़कर सेना में सभी सेनांग।
नौसेना	विद्युत इंजीनियरी, इंजीनियरी (नौसेना वास्तुविद) संधारिकी, विधि, शिक्षा, हवाई यातायात नियंत्रण एक्जीक्यूटिव, हाइड्रो नौसेना अस्त्र-शस्त्र निरीक्षण ।
वायुसेना	फ्लाईंग पायलट वैमानिकी इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी), वैमानिकी इंजीनियरी (यांत्रिक) शिक्षा, प्रशासन, संधारिकी, लेखा एवं मौसम विज्ञान।

वैमानिकी इंजीनियरी पाठ्यक्रम (ए ई सी)

10.11 वैमानिकी इंजीनियरी पाठ्यक्रम के द्वारा वायुसेना अकादमी, हैदराबाद में प्रशिक्षण लेने के लिए वायुसेना चयन बोर्ड के माध्यम से अर्हक तकनीकी स्नातकों की भर्ती की व्यवस्था है जो बाद में वायुसेना तकनीकी कॉलेज, बेंगलूर में प्रशिक्षण लेते हैं। वायुसेना तकनीकी कॉलेज में अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें तकनीकी शाखा के इलेक्ट्रानिक्स और मैकेनिकल वर्ग में शामिल किया जाता है।

सरकार ने 6,000 विशेष कमीशनप्राप्त अधिकारियों के सुदृढ़ सहायता संवर्ग के सृजन का अनुमोदन किया है। ये पद पात्र जूनियर कमीशन अधिकारी एवं अन्य रैंकों द्वारा भरे जाने हैं।

10.12 विश्वविद्यालय प्रवेश

योजना: विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के अंतर्गत फाइनल/प्री-फाइनल वर्ष की इंजीनियरी शाखाओं के छात्र सेना की तकनीकी सेनांगों/सेवाओं में कमीशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को कमीशन प्राप्त करने से पूर्व भारतीय सैन्य अकादमी (आई एम ए), देहरादून में एक वर्ष का

प्रशिक्षण लेना अपेक्षित होता है।

तकनीकी स्नातक (टी जी) प्रवेश

10.13 अधिसूचित इंजीनियरी शाखाओं के इंजीनियर स्नातक, साथ ही ऐसे छात्र भी जो अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं, टी जी सी प्रवेश के माध्यम से सेना में कमीशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। चयनित उम्मीदवारों को भारतीय सैन्य अकादमी (आई एम ए), देहरादून में एक वर्ष के प्रशिक्षण के बाद कमीशन दिया जाता है।

अल्पकालिक सेवा कमीशन (तकनीकी)

10.14 इंजीनियरी की अधिसूचित शाखाओं के इंजीनियरी स्नातक साथ ही वे छात्र भी जो अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं, इस प्रवेश के माध्यम से तकनीकी सेनांगों/सेवाओं में अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। चयनित उम्मीदवारों को अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में 11 माह के प्रशिक्षण के बाद कमीशन दिया जाता है।

महिला अधिकारियों की भर्ती

10.15 महिला विशेष प्रवेश योजना (डब्ल्यू एस ई एस ओ) पात्र महिलाओं के लिए तकनीकी, गैर-तकनीकी और विशेषज्ञ नाम की तीन धाराओं में खुली है।

चयन होने पर उन्हें ओ टी ए चेन्नई में 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए जाना होता है और सशस्त्र सेनाओं की निम्नलिखित सेनांग/सेवाओं में उन्हें अल्कालिक सेवा कमीशन अफसर के रूप में कमीशन दिया जाता है।

सेना	वैद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर कोर, सिग्नल कोर, सेना शिक्षा कोर, सैन्य आसूचना कोर और जज महाधिवक्ता शाखा
नौसेना	इंजीनियरी (नौसेना वास्तुशिल्प), संभारिकी, विधि, शिक्षा, वायु यातायात नियंत्रण
वायुसेना	उड़ान, वैमानिकी इंजीनियरी (इलैक्ट्रानिक्स), वैमानिकी इंजीनियरी (यांत्रिक), शिक्षा प्रशासन, संभारिकी, लेखा एवं मौसम विज्ञान

राष्ट्रीय कैडेट कोर विशेष प्रवेश

10.16 विश्वविद्यालय के ऐसे स्नातकों को, जिन्होंने कम से कम 'बी' ग्रेड के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और इसके साथ ही स्नातक परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, नौसेना एवं वायुसेना में नियमित कमीशनप्राप्त अधिकारी तथा सेना में अल्पकालिक सेवा कमीशन अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। लिखित परीक्षा में बैठने की उन्हें छूट प्राप्त होती है तथा एस एस बी में इनका सीधा साक्षात्कार होता है। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को कमीशन देने से पहले ओ टी ए चेन्नई में 11 महीने का प्रशिक्षण लेना होता है।

विशेष कमीशन प्राप्त अफसर योजना

10.17 सरकार ने 6,000 विशेष कमीशनप्राप्त अधिकारियों के सुदृढ़ सहायता संवर्ग के सृजन का अनुमोदन किया है। ये पद पात्र जे सी ओ एवं अन्य रैंकों द्वारा भरे जाने हैं। इस प्रवेश

योजना में, सेवारत 30-35 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे जे सी ओ/एन सी ओ/ अन्य रैंकों के कार्मिक, जिन्होंने सेना वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 11 के समकक्ष) उत्तीर्ण की है, सेना चयन बोर्ड तथा चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच/चयन के उपरांत कमीशन प्राप्ति के पात्र हैं। इन्हें आई एम ए देहरादून में एक वर्ष की अवधि के लिए कमीशन पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इस प्रकार के कमीशन प्राप्त अधिकारी कर्नल के रैंक तक पदोन्नति प्राप्त करते हैं। स्थायी पदोन्नति एवं कार्यकारी पदोन्नतियों के नियम नियमित अधिकारियों की भांति ही है। इन अधिकारियों को यूनिटों में मेजर के रैंक तक उप यूनिट कमांडर /क्वार्टर मास्टर और ई आर ई की कई नियुक्तियां प्रदान की जाती हैं। ये अधिकारी के रूप में 20-25 वर्ष की सेवा के उपरांत 57 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं। इस योजना से वर्तमान जे सी ओ/एन सी ओ /अन्य रैंको को न केवल कैरियर के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं बल्कि इससे सेना में अधिकारियों की कमी को भी काफी हद तक पूरा करने में सहायता मिलती है।

10.18 भारतीय वायुसेना में एस एन सी ओ को कमीशन किया जाना : इस प्रवेश के अंतर्गत सार्जेंट तथा उससे ऊपर के रैंक के ऐसे कार्मिक जिनकी 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा हो तथा जिनकी आयु 36 वर्ष तक हो और जिनकी शैक्षिक योग्यता 10+2 हो, यूनिट स्तर पर छंटार्ड के उपरांत ए एफ एस बी चयन परीक्षाएं और मेडिकल जांच के बाद भारतीय वायुसेना में कमीशन के पात्र हैं। तथापि, उच्च शैक्षिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है। तकनीकी ट्रेडों के सेवा कार्मिकों की भर्ती तकनीकी शाखा में होती है और गैर तकनीकी ट्रेडों के कार्मिकों की भर्ती ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में होती है।

10.19 शाखा कमीशनिंग : इस प्रवेश के अंतर्गत सार्जेंट और उसके ऊपर के रैंक के 37

से 42 वर्ष की आयुसीमा के तकनीकी और गैर तकनीकी ट्रेडों के सेवारत कार्मिक जिनकी शैक्षिक योग्यता न्यूनतम दसवीं उत्तीर्ण हो, लिखित परीक्षा पास होने के उपरांत ए एफ एस बी चयन परीक्षाओं और मेडिकल जांच के बाद भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त करने के पात्र होते हैं। तकनीकी ट्रेडों के सेवा कार्मिकों की भर्ती तकनीकी शाखा में होती है और गैर तकनीकी ट्रेडों के कार्मिकों की भर्ती ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में होती है।

10.20 तकनीकी प्रवेश योजना (10+2 टी ई एस): 10+2 सी बी एस ई /राज्य बोर्डों के भौतिकी, रसायन और गणित विषय के साथ उत्तीर्ण उम्मीदवार इस तकनीकी प्रवेश योजना (टीईएस) के अंतर्गत सेना में कमीशन के लिए पात्र होते हैं। चयन होने पर इन्हें आई एम ए देहरादून में एक वर्ष के बुनियादी प्रशिक्षण के लिए जाना होता है और उसके बाद उन्हें तीन वर्षीय इंजीनियर डिग्री पाठ्यक्रम में भाग लेना होता है। कमीशन प्राप्त किए जाने पर उन्हें एक वर्ष के विशेष प्रशिक्षण पर जाना होता है। तकनीकी प्रवेश से होने पर भी उन्हें सेना के किसी भी सेनांग/सेवा में कमीशन दिया जा सकता है।

10.21 नौसेना की 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना : इस योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन और गणित विषय रखने वाले उम्मीदवारों का चयन सेवा बोर्ड के माध्यम से होता है और उन्हें समुद्री इंजीनियरी/इलेक्ट्रीकल इंजीनियरी में बी टेक की चार वर्षीय डिग्री के लिए भा. नौ पो. शिवाजी पर भेजा जाता है। प्रत्येक बैच के 12 कैडेटों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कोचीन विश्वविद्यालय के नौसेना वास्तुविद डिग्री पाठ्यक्रम में नामांकित किया जाता है। इन कैडेटों को सब-लेफ्टिनेंट के रूप में स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तकनीकी शाखा की पी

सी अफसरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भली भांति प्रशिक्षित अधिकारी उपलब्ध कराना है।

चिकित्सा और दंत चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती

10.22 सशस्त्र सेनाओं में सशस्त्र सेना मेडिकल कॉलेज, पुणे के मेडिकल स्नातकों को स्थाई कमीशनप्राप्त मेडिकल अधिकारी के रूप में भर्ती किया जाता है। सिविल मेडिकल कॉलेजों के स्नातक/स्नातकोत्तरों को नियमित कमीशनप्राप्त/अल्पकालिक सेवा कमीशनप्राप्त मेडिकल अधिकारी के रूप में भर्ती करने के लिए महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं एक अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करते हैं।

भर्ती के लिए प्रचार

10.23 अपने देश के नौजवानों को अफसर संवर्ग के वास्ते सेना में उपलब्ध अवसरों से परिचित कराने के लिए उपाय किए गए हैं। इस क्षेत्र में बेहतर प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित प्रचार-प्रसार के साधन प्रयोग में लाए गए हैं।

(क) **प्रेस विज्ञापन** : एम्प्लायमेंट न्यूज, रोजगार समाचार एवं विभिन्न भाषाओं के

कमीशन प्राप्त अफसरों के रूप में उपलब्ध अवसरों के प्रति युवा वर्ग में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मुद्रण, श्रव्य, दृश्य-श्रव्य, संचार में छवि निर्माण अभियान चलाया गया।

समाचार पत्रों में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से विज्ञापन नीचे दी गई विभिन्न भर्तियों के लिए प्रकाशित करवाए जाते हैं जैसे संघ लोक सेवा आयोग और नॉन यू पी एस सी प्रवेश। यू पी एस सी प्रवेशों में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी (सीधे प्रवेश) और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी अल्पकालिक सेवा कमीशन (गैर तकनीकी) शामिल हैं नॉन यू पी

एस सी प्रवेशों में तकनीकी स्नातक कमीशन (टी जी सी), विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस), 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना (टी ई एस), अल्पकालिक सेवा कमीशन (तकनीकी), महिला विशेष प्रवेश योजना (अधिकारी), अल्पकालिक सेवा कमीशन (एन सी सी विशेष प्रवेश) और विधि स्नातकों के लिए जज महाअधिवक्ता (जे ए जी) शाखा शामिल हैं। अन्य रैंक वर्गों यथा हवलदार अनुदेशक और जूनियर कमीशनप्राप्त अधिकारी (केटरिंग और धर्म गुरु) इत्यादि के लिए भी विज्ञापन दिए जाते हैं। संबंधित आंचलिक भर्ती कार्यालय (जेड आर ओ)/शाखा भर्ती कार्यालय (बी आर ओ) भी अन्य रैंकों की भर्ती के लिए स्थानीय प्रादेशिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराते हैं। शैक्षिक संस्थाओं द्वारा निकाले जाने वाले जनरलों में भी विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं।

(ख) **विज्ञापन-पट्ट**: सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए युवा व्यक्तियों और महिलाओं को आकर्षित करने के लिए चयनित स्थानों पर विज्ञापन-पट्ट लगाए जाते हैं।

(ग) **मुद्रित प्रचार** : डी ए वी पी एवं निजी व्यावसायिक एजेंसियों द्वारा तैयार सूचना फोल्डर, पचे, विवरणिका, डाटा कार्ड, पोस्टर एवं बड़े विज्ञापन चित्रों को स्कूलों और कालेजों में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है।

(घ) **प्रदर्शनी तथा मेले** : प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भारत व्यापार मेला, नई दिल्ली के रक्षा पैविलियन में एक स्टाल लगाया जाता है, जहां आगन्तुकों को भर्ती संबंधी सूचना दी जाती है। वह सूचना ऐसे अन्य आयोजित मेलों में भी दी जाती है जो आजीविकोन्मुखी एवं विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होते हैं।

(ड) छवि निर्माण अभियान : कमीशनप्राप्त अफसरों के रूप में उपलब्ध अवसरों के प्रति युवा वर्ग में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मुद्रण, श्रव्य, दृश्य श्रव्य संचार में निम्नलिखित छवि निर्माण अभियान चलाया गया:-

- (1) आई पी सी- 1 सितंबर 1997 से मार्च 1998 तक
- (2) आई पी सी- 2 अगस्त, 1999 से अगस्त 2000 तक
- (3) आई पी सी- 3 जून, 2002 से मई 2003 तक

इन तीनों अभियानों में प्राप्त जानकारियों के आधार पर छवि निर्माण अभियान का चौथा

चरण (आई पी सी-4) शीघ्र ही चलाया जाएगा। .

रक्षा सेवाओं के लिए प्रशिक्षण

10.24 रक्षा क्षेत्र में मानव संसाधन प्रबंधन की अनेक बातें उसे विशिष्ट बना देती हैं। दिए जा रहे प्रशिक्षण का उद्देश्य अफसरों और सिपाहियों को आवश्यक साधनों से लैस कुशल योद्धा बनाना है और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से अवगत करवाना भी है। जिस वातावरण में रक्षा अधिकारियों को काम करना पड़ता है, ऐसे प्रशिक्षण के लिए एक सर्वांगीण दृष्टिकोण की आवश्यकता है। नए

भर्ती किए गए अधिकारियों तथा उन्नत एवं विशेषज्ञ प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले अधिकारियों तथा अन्य रैंकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तदनुसार, रक्षा क्षेत्र में अनेक प्रशिक्षण संस्थान इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय करके कार्य करते हैं।

सैनिक स्कूल

10.25 सैनिक स्कूलों को केन्द्र और राज्यों के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। ये पूरी तरह सैनिक स्कूल सोसाइटी के संचालन के अधीन हैं। आज बिहार के नालंदा और गोपालगंज के दो सैनिक स्कूलों, जिनका उद्घाटन 12 अक्टूबर, 2003 को किया गया था, सहित 20 सैनिक स्कूल हैं। सैनिक स्कूल लड़कों को शैक्षिक, शारीरिक और मानसिक रूप से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के माध्यम से सशस्त्र सेनाओं में प्रवेश के लिए उपयुक्त बनाते हैं।

10.26 सैनिक स्कूलों के उद्देश्यों में पब्लिक स्कूल की गुणवत्ता वाली शिक्षा को आम आदमी की पहुंच में लाना, बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना और सशस्त्र सेनाओं के अधिकारी संवर्ग में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना शामिल है। सैनिक स्कूलों को उनके उद्देश्य पर खरा उतरने के लिए पर्याप्त और विविध आधार संरचना/उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

10.27 सैनिक स्कूल में कक्षा 6 और कक्षा 9 में छात्रों का दाखिला होता है। जिस वर्ष में प्रवेश मांगा जा रहा है उस वर्ष की 1 जुलाई को कक्षा 6 में दाखिले के लिए छात्र की आयु 10-11 वर्ष होनी चाहिए तथा कक्षा 9 में दाखिले के लिए आयु 13-14 वर्ष होनी चाहिए। दाखिला केवल प्रत्येक वर्ष की फरवरी में होने वाली प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही किया जाता है। दाखिले की अन्य शर्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) में प्रवेश के लिए विहित शारीरिक मानदण्डों के अनुसार ही उम्मीदवार को शारीरिक रूप से उपयुक्त पाया जाना है। सैनिक स्कूल सी बी एस ई से मान्यता प्राप्त हैं। आज रक्षा सेनाओं के लगभग 6000 अधिकारी सैनिक स्कूलों के पुराने छात्र हैं।

रक्षा क्षेत्र में मानव संसाधन प्रबंधन की अनेक बातें उसे विशिष्ट बना देती हैं। दिए जा रहे प्रशिक्षण का उद्देश्य अफसरों और सिपाहियों को आवश्यक साधनों से लैस कुशल योद्धा बनाना है और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से अवगत करवाना भी है।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी युवा कैडेटों को रक्षा सेनाओं के भावी अधिकारियों के रूप में प्रशिक्षण देने वाला प्रमुख संयुक्त सेना संस्थान है।

मिलिटरी स्कूल

10.28 देश में पांच मिलिटरी स्कूल हैं, जो अजमेर, बेंगलूर, बेलगांव, धौलपुर तथा चैल में स्थित हैं तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा से सम्बद्ध है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों को दाखिला कक्षा 6 में दिया जाता है और वह अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाता है। मिलिटरी स्कूलों में 67 प्रतिशत स्थान जूनियर कमीशन प्राप्त

अधिकारियों/अन्य रैंक के बच्चों जिन्हें, 'हकदार श्रेणी' कहा जाता है, के लिए आरक्षित है। गैर-हकदार श्रेणी के 33 प्रतिशत स्थानों में से 20 प्रतिशत सैन्य अधिकारियों के बच्चों तथा 13 प्रतिशत सिविलियनों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं।

10.29 मिलिटरी स्कूलों का लक्ष्य बेहतर शिक्षा प्रदान करना है जिससे ये छात्र केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित अखिल भारतीय माध्यमिक परीक्षा और सीनियर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा में शामिल हो सकें और इसके साथ ही राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश पा सकें।

राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज, देहरादून

10.30 राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज की स्थापना 13 मार्च, 1922 को की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में जन्में अथवा भारतीय अधिवासी ऐसे लड़कों को प्रारंभिक प्रशिक्षण देना था जो भारत की सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी बनने के इच्छुक हों। यह संस्थान अब राष्ट्रीय रक्षा

अकादमी खडगवासला (पुणे) के लिए फीडर संस्थान के रूप में कार्य करता है। जहां सेना, नौसेना तथा वायुसेना के कैडेट अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इस कालेज का लक्ष्य राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देना है। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज के विद्यार्थियों का चयन राज्य सरकारों द्वारा आयोजित लिखित एवं मौखिक परीक्षा के जरिए किया जाता है। विभिन्न राज्यों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षित होते हैं। कैडेटों की राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज में वर्ष में दो बार अर्थात् जनवरी तथा अगस्त में भर्ती की जाती है तथा प्रत्येक सत्र में 25 कैडेट लिए जाते हैं। इस कॉलेज में कैडेटों की अधिकतम संख्या 250 है। इसमें कक्षा 8 में 11-1/2 से 13 वर्ष की आयु वर्ग के लड़के लिए जाते हैं। यह कॉलेज केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10+2 पैटर्न पर 8वीं-12वीं तक की कक्षाएं चलाता है।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडगवासला

10.31 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी युवा कैडेटों को रक्षा सेनाओं के भावी अधिकारियों के रूप में प्रशिक्षण देने वाला प्रमुख संयुक्त सेना संस्थान है।

10.32 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर दिया जाता है। तीनों सेनाओं अर्थात् सेना, नौसेना तथा वायुसेना के कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में तीन वर्षों के लिए संयुक्त रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से उत्तीर्ण होने के बाद कैडेट सशस्त्र सेनाओं में कमीशन दिए जाने से पूर्व विशेष प्रशिक्षण के लिए अपनी संबंधित सेना अकादमियों में जाते हैं। यह अकादमी एक अद्वितीय संस्थान है। जिसमें एक अधिकारी में



राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़गवासला में सम्मान गारद का निरीक्षण करते हुए राष्ट्रपति डॉ० ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

आरंभिक चरण से ही अंतर-सेना पहलुओं का विकास होता है तथा इस प्रकार उनमें एक-दूसरे की सेना के प्रति मैत्री बंधन एवं आदर का विकास होता है।

10.33 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का शैक्षिक पाठ्यक्रम 10+2+3 के राष्ट्रीय शिक्षा स्वरूप के अनुसार ही है। अकादमी से उत्तीर्ण होने पर बी.ए. अथवा बी.एस.सी. की डिग्री प्रदान करने के लिए इसका पाठ्यक्रम जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित है। मित्र बाहरी देशों के कैडेटों सहित एन डी ए की वर्तमान नफरी 1788 है। इस समय भूटान, मालदीव लोसोथो, किर्गिस्तान और फिलिस्तीन के कैडेट एन डी ए में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

10.34 **भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून :** 1932 में स्थापित भारतीय सैन्य अकादमी का अपना एक गौरवशाली एवं शानदार इतिहास है। भारतीय सैन्य अकादमी का उद्देश्य सेना में कमीशन के लिए जेंटलमैन कैडेटों को प्रशिक्षण

देना है। अकादमी के पास सेना में कमीशन के चुने गए सैन्य कैडेटों के प्रशिक्षण के लिए भी एक स्कंध है। भारतीय सैन्य अकादमी मित्र देशों के जेंटलमैन कैडेटों को प्रशिक्षण भी देती है।

10.35 भारतीय सैन्य अकादमी में प्रवेश के तरीके हैं :-

- (क) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में स्नातक होने पर;
- (ख) सेना कैडेट कॉलेज, जो भारतीय सैन्य अकादमी का ही स्कंध है, से स्नातक होने पर;
- (ग) सीधी भर्ती के स्नातक कैडेट जो संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा तथा सेना चयन बोर्ड से उत्तीर्ण होकर आते हैं;
- (घ) तकनीकी स्नातक;
- (ङ) अंतिम वर्ष/ अंतिम वर्ष से पूर्व वर्ष में पढ़ने वाले इंजीनियरी कालेज के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय प्रवेश योजना; और
- (च) भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित में 70 से अधिक अंकों से 10+2 पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए 10+2 तकनीकी प्रवेश स्कीम।

भारतीय सेना ने 21 सितंबर, 1992 से कमीशनप्राप्त अधिकारियों के रूप में महिलाओं के प्रवेश हेतु अपने द्वार खोल दिए हैं। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रतिवर्ष लगभग 100 महिला अधिकारियों को कमीशन दिया जाता है।

अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई

10.36 सेना में अधिकारियों की वर्धित मांग को पूरा करने के लिए अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना 1963 में अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना के 25 वर्ष पूरा होने पर 1 जनवरी, 1988 को इसका नाम अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी कर दिया है। इसका मुख्य कार्य आपातकालीन कमीशन के लिए जेटलमैन कैडेटों को प्रशिक्षण देना था परंतु

अकादमी ने 1965 के बाद आपातकालीन कमीशन समाप्त कर दिया और अल्पकालिक सेवा कमीशन के लिए कैडेटों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया।

10.37 भारतीय सेना ने 21 सितंबर, 1992 से कमीशनप्राप्त अधिकारियों के रूप में महिलाओं के प्रवेश हेतु अपने द्वार खोल दिए हैं। प्रारंभ में 50 महिला कैडेटों को प्रतिवर्ष कमीशन दिया जाता था जिनका प्रवेश अभी सेना सेवा कोर, सेना आयुध कोर, सेना शिक्षा कोर, जज एडवोकेट जनरल विभाग, इंजीनियरी कोर, सिग्नल तथा वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियर्स तक सीमित है। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रतिवर्ष लगभग 100 महिला अधिकारियों को कमीशन दिया जाता है।

10.38 अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए कमीशन पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करती है :

- (क) स्नातकों के लिए अल्पकालिक सेवा कमीशन (गैर-तकनीकी), (ख) इंजीनियरी स्नातकों के लिए अल्पकालिक सेवा कमीशन

(तकनीकी) और (ग) स्नातक /स्नातकोत्तर महिला कैडेटों के लिए अल्पकालिक सेवा कमीशन (महिला)।

सेना युद्ध महाविद्यालय, महू

10.39 सेना युद्ध महाविद्यालय, जो पहले समाघात महाविद्यालय के नाम से जाना जाता था, को इन्फैंट्री स्कूल से अलग करके इसकी स्थापना एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में 1 अप्रैल 1971 को की गई थी। यह अधिकारियों के लिए सर्व-सेनांग-सामरिक प्रशिक्षण देने का एक अग्रिम संस्थान है और यह रणकुशलता एवं रणनीतियों के क्षेत्र में नई अवधारणों और सिद्धांतों का मूल्यांकन करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है।

10.40 **पाठ्यक्रम :** उच्चतर कमान (एच सी) पाठ्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ स्टाफ नियुक्तियों पर आसीन होने के लिए और एक डिवीजन विशेष के संदर्भ में अधिकारियों को उच्च कमान का प्रशिक्षण देना है। वरिष्ठ कमान पाठ्यक्रम का उद्देश्य सभी सेनांग और सेवाओं के चयनित मेजरों/ले0 कर्नल को वायु और अन्य सेनांग और सेवाओं के सहयोग से बटालियन/योधी समूह के ब्रिगेड अथवा योधी कमान के एक भाग के रूप में सामारिक तैनाती के लिए प्रशिक्षित करना तथा शांति और युद्ध में एक यूनिट के प्रशिक्षण और प्रशासन के लिए भी प्रशिक्षित करना है। एक राइफल कंपनी /योधी टीम में सामारिक तैनाती में न्यूनतम छह वर्ष की सेवा वाले सभी सेनांगों और सेवाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए यह कालेज जूनियर कमान पाठ्यक्रम चलाता है। सक्रियात्मक और शांति के समय संभारिकी और प्रशासन में संभावित ग्रेड-1 और उससे ऊपर के संभारिकी स्टाफ अधिकारियों के लिए सर्व सेनांग संभारिकी पाठ्यक्रम (ए ए एल सी) है। डिवीजनल कमांडर बनाने हेतु जिससे वे युद्ध और शांति में अपनी विरचनाओं की कमान करें। यह कालेज

फोरमेशन कमांडर्स ओरिएन्टेशन प्रोग्राम (एफ सी ओ पी) भी चलाता है।

कनिष्ठ नेतृत्व स्कंध, बेलगांव

10.41 कनिष्ठ नेतृत्व स्कंध, बेलगांव कनिष्ठ अधिकारियों, जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सामरिक तथा विशेष मिशन तकनीकों में प्रशिक्षित करता है ताकि वे उन्हें सौंपे गए संक्रियात्मक मिशनों को विविध भू-भागीय परिस्थितियों में अत्यधिक दबाव तथा तनाव की स्थिति में पूरा करने में सक्षम बन सकें और युद्ध तथा शांति के समय अपनी सब-यूनिटों की प्रभावी रूप से कमान तथा प्रशासन करने में सक्षम बन सकें। यह उनको कमाण्डों प्रकार की संक्रियाओं में प्रशिक्षित करती है तथा उन्हें उप-इकाई के सामरिक एवं प्रशासनिक संचालन में सक्षम बनाना, विशेष मिशन गुप्तों का एक भाग के रूप में काम करने हेतु तैयार करना तथा सभी प्रकार की भू-भागीय परिस्थितियों एवं संक्रियात्मक परिवेशों में स्वतंत्र मिशन के नेतृत्व करने में सक्षम बनाता है।

कनिष्ठ नेतृत्व अकादमी, बरेली

10.42 कनिष्ठ नेतृत्व अकादमी हमारे कनिष्ठ अर्थात् जूनियर कमीशनप्राप्त अधिकारी और गैर



कनिष्ठ अफसरों को बरेली और रामगढ़ में प्रशिक्षण दिया जाता है।

कमीशनप्राप्त अधिकारियों को संस्थागत नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करती है। सभी सेनांगों तथा सेनाओं के जूनियर कमीशनप्राप्त अधिकारियों/गैर कमीशनप्राप्त अधिकारियों के लिए निम्नलिखित दो प्रकार के कनिष्ठ नेतृत्व पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं:-

(क) **कनिष्ठ नेतृत्व पाठ्यक्रम** : नए प्रोन्नत जे सी ओ और एन सी ओ को जे सी ओ के रैंक पर पदोन्नति के लिए छः सप्ताह की अवधि का पाठ्यक्रम चलाया जाता है। 3240 जे सी ओ को प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिवर्ष छः पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं;

(ख) **संभाव्य सूबेदार मेजर पाठ्यक्रम** : नए प्रोन्नत सूबेदार मेजर अथवा सूबेदार मेजर पद के लिए पदोन्नति हेतु अनुमोदित वरिष्ठ सूबेदार चार सप्ताह के पाठ्यक्रम में भाग लेते हैं। 640 जे सी ओ को प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिवर्ष छह पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

कनिष्ठ नेतृत्व अकादमी, रामगढ़

10.43 पानागढ़ में जुलाई 2001 में एक दूसरी कनिष्ठ नेतृत्व अकादमी बनाई गई थी। जनवरी, 2002 में इसको रामगढ़ लाया गया था। अकादमी एक कंपनी के साथ पूरी तरह से रामगढ़ में कायम की गई थी और 1 नवंबर, 2002 से द्वितीय कनिष्ठ नेतृत्व अकादमी बन गई। भारतीय सेना के कनिष्ठ नेतृत्वों (जे सी ओ/अन्य रैंक) को नेतृत्व, संसाधन प्रबंधन, निर्णय लेने और संचार कुशलता के एकमात्र उद्देश्य के साथ जे एल ए बरेली की तरह ही यह अकादमी भी एक सर्व सेनांग और सेवाएं प्रशिक्षण संस्था है।

रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन

10.44 रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज तीनों सेनाओं की एक प्रमुख प्रशिक्षण स्थापना है जो कि भारतीय सशस्त्र सेवाओं के तीनों स्कंधों, अन्य मित्र राष्ट्रों तथा विभिन्न भारतीय सिविल सेवाओं के मध्य स्तर के अफसरों को प्रशिक्षण प्रदान



‘सियाचीन बैटल स्कूल’ में प्रशिक्षण

करती है। इस कॉलेज के प्रशिक्षणार्थी देश और विदेश में अत्यंत उच्च पदों तक पहुंचे हैं।

10.45 इस कॉलेज की 1905 में देवलाली में स्थापना की गई थी तथा 1950 से यह वेलिंगटन में कार्य कर रहा था। यह कालेज प्रतिवर्ष जून से अप्रैल के दौरान 45 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है जिसे कि पांच से नौ सप्ताह की छह ट्यूटोरियल अवधियों में उप-विभाजित किया गया है। स्टाफ पाठ्यक्रम का उद्देश्य तीनों सेनाओं के चयनित अधिकारियों को कमान में तथा अंतर-सेवा और संयुक्त सेवा परिवेश में स्टाफ कार्यों में प्रशिक्षित करना है।

10.46 **एम एस सी (रक्षा और सामरिक अध्ययन) की उपाधि प्रदान करना :** डी एस एस सी द्वारा प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर पी एस सी (स्टाफ उत्तीर्ण पाठ्यक्रम) का प्रतीक प्रदान किया जाता है। डी एस एस सी मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध है जो पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को रक्षा तथा सामरिक अध्ययन में एम एस सी की उपाधि प्रदान करता है। कालेज के संकाय के सदस्य अफसर जो शैक्षिक अनुसंधान में अभिरूचि रखते हैं, एम फिल की उपाधि के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।

उच्च तुंगता युद्ध पद्धति स्कूल , गुलमर्ग

10.47 इस स्कूल का उद्देश्य चुनिंदा कार्मिकों को उच्च तुंगता, पर्वतीय युद्ध पद्धति के सभी पहलुओं में प्रशिक्षित करना तथा इस प्रकार के भू-भागों में लड़ने की तकनीकी विकसित करना है। यह स्कूल विशेषीकृत प्रशिक्षण तथा उच्च तुंगता, पर्वतीय तथा बर्फीला क्षेत्र युद्ध पद्धति में अनुमोदित सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार के लिए सेना की महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सुविधा के रूप में कार्य करता है।

10.48 ‘हाई एल्टिट्यूड वारफेयर स्कूल’ क्रमशः सोनमर्ग तथा गुलमर्ग में पर्वतीय युद्ध पद्धति तथा शीतकालीन युद्ध पद्धति नामक दो तरह के पाठ्यक्रम चलाता है। सभी पाठ्यक्रम अफसरों जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों तथा गैर कमीशनप्राप्त अफसरों के लिए सामूहिक होते हैं। मौटे तौर पर प्रशिक्षण की अवधि जनवरी से अप्रैल (शीतकालीन युद्ध पद्धति श्रृंखला) तथा मई से अक्टूबर (पर्वतीय युद्ध पद्धति श्रृंखला) की होती है।

प्रतिविद्रोही एवं जंगल युद्ध पद्धति स्कूल , वैरांगटे

10.49 प्रतिविद्रोही एवं जंगल युद्धपद्धति, (सी आई जे डब्ल्यू) स्कूल, वैरांगटे, प्रति-विद्रोही

एवं जंगल युद्ध पद्धति में कार्रवाइयों के लिए रणनीतिक सिद्धांत तथा तकनीक विकसित करता है, नियमित आधार पर उनकी समीक्षा करता है तथा विश्व के सभी भागों में विद्रोह से संबंधित सभी रणनीतिक तथा तकनीकी पहलुओं पर अद्यतन सूचनाएं रखता है। यह स्कूल विद्रोहरोधी तकनीकी पाठ्यक्रम, अधिकारियों, जे सी ओ/ एन सी ओ के लिए असमी, बोडो, नागा और मणिपुरी/ तंगखुल भाषाओं के पाठ्यक्रम और पायलट आतंकवादरोधी पायलट पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

प्रति-विद्रोही परिवेश में शामिल की जा रही सभी यूनिटों को भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है।

10.50 अर्ध सैनिक बलों के बहुत से छात्र तथा श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, केन्या, इराक तथा अमरीका जैसे मित्र राष्ट्रों के छात्र भी सी आई जे डब्ल्यू स्कूल द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में भाग लेते हैं। वर्तमान क्षमता में यह स्कूल 120 अफसरों तथा 460 जेसीओ/एनसीओ को प्रशिक्षित कर रहा है।

प्रति विद्रोहिता-भर्ती पूर्व प्रशिक्षण

10.51 जम्मू-कश्मीर तथा देश के पूर्व में विद्रोही की समस्या के चलते हुए प्रतिविद्रोही परिवेश में भेजी जा रही सभी यूनिटों को वहां भेजने से पूर्व प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत महसूस की गई थी। सी आई जे डब्ल्यू स्कूल की क्षमता सीमित थी। इसके अलावा, विशिष्ट संक्रियात्मक स्थिति तथा यूनिटों के आवागमन से संबंधित प्रशासनिक समस्याओं के कारण आपरेशन क्षेत्रों के निकट क्षेत्रों में यूनिटों को प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी था। इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए तीन युद्ध क्षेत्र बैटल स्कूल; कश्मीर घाटी में जाने वाली यूनिटों के लिए खेडू स्थित बैटल स्कूल; जम्मू के निकट चंबा तथा इससे लगे क्षेत्र में कार्रवाई के लिए

जाने वाली यूनिटों के लिए सरोल में स्थित बैटल स्कूल तथा असम तथा मेघालय में जाने वाली यूनिटों के लिए ठाकुरबाड़ी में स्थित बैटल स्कूल स्थापित किए गए थे। इन स्कूलों में दिए जाने वाले भर्ती पूर्व प्रशिक्षण से सभी यूनिटों को लाभ हुआ है क्योंकि इससे वे अपने क्षेत्रों की विद्रोह संबंधी समस्याओं की पेचिदगियों को समझने में सक्षम होते हैं। प्रतिविद्रोही, प्रशिक्षण के अलावा, ये स्कूल विशेषकर उत्तरी कमान में यूनिटों को नियंत्रण रेखा के पास तथा उच्च तुंगता क्षेत्रों में भूमिकाओं के लिए भी प्रशिक्षित करते हैं।

इन्फैंट्री स्कूल, महू

10.52 इन्फैंट्री स्कूल, महू भारतीय सेना का सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना सैन्य प्रशिक्षण संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। वर्तमान इन्फैंट्री स्कूल, स्वतंत्रता के बाद राज्य के विभिन्न सामरिक तथा शस्त्र प्रशिक्षण संस्थानों को मिला करके महू में एक स्कूल स्थापित किए जाने संबंधी निर्णय से प्रारम्भ हुआ है।

10.53 इन्फैंट्री स्कूल (कनिष्ठ लीडर विंग सहित) में युवा अफसर पाठ्यक्रम, घातक पाठ्यक्रम, प्लाटून हथियार पाठ्यक्रम, मोर्टार पाठ्यक्रम, टैंकरोधी एवं निर्देशित मिसाइल पाठ्यक्रम, प्लाटून कमांडर पाठ्यक्रम, मीडियम मशीनगन एवं स्वचालित ग्रेनेड लांचर (जे/एन) पाठ्यक्रम, सेक्शन कमांडर पाठ्यक्रम, स्वचालित डाटा प्रसंस्करण पाठ्यक्रम, स्नाइपर पाठ्यक्रम तथा बटालियन सहायता हथियार पाठ्यक्रम नामक ग्यारह पाठ्यक्रमों का संचालन करता है।

10.54 यह संस्था अर्ध सैनिक बलों तथा सिविल पुलिस संगठनों के अलावा न केवल इन्फैंट्री बल्कि अन्य सेनांगों तथा सेवाओं के अफसरों, जे सी ओ तथा सैनिकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करती है। कई मित्र राष्ट्र भी इन सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। चालू

प्रशिक्षण वर्ष के दौरान, मित्र राष्ट्रों के 90 अफसरों तथा 160 जेसीओ/एनसीओ द्वारा इस पाठ्यक्रम में भाग लेने की संभावना है। इस समय यह संस्था एक वर्ष में 1195 अफसर तथा 5900 जेसीओ/एनसीओ को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। स्कूल स्थापना में इसकी अपनी सेना निशानेबाजी यूनिट भी है जिसने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में चैम्पियन शूटर तैयार किए हैं।

रक्षा प्रबंधन कॉलेज

10.55 रक्षा प्रबंधन कॉलेज देश के गिने-चुने संस्थानों में से एक है जो रक्षा सेवा के अफसरों को आधुनिक प्रबंधन संकल्पनाओं तथा तकनीकों पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। उस्मानिया विश्वविद्यालय रक्षा प्रबंधन कॉलेज का मूल पाठ्यक्रम अर्थात् प्रबंधन अध्ययन में स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के लिए दीर्घकालीन रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम चलाता है।

10.56 रक्षा प्रबंधन कॉलेज, सिकन्दराबाद द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं:-

(क) दीर्घकालीन रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम:

यह पाठ्यक्रम 44 सप्ताह का है तथा इसमें कर्नल/ले. कर्नल तथा अन्य सेवाओं के समकक्ष रैंक के 90 अफसर भाग लेते हैं।

(ख) वरिष्ठ रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम :

इसकी अवधि छह सप्ताह की है तथा इसमें ब्रिगेडियर/कर्नल तथा अन्य सेवाओं के समकक्ष रैंक के 33 अफसर भाग लेते हैं।

(ग) रक्षा प्रबंधन संगोष्ठी : इसकी अवधि दो सप्ताह की है तथा इसमें मेजर जनरल/रियर एडमिरल/ एवीएम रैंक के 20 अफसर भाग लेते हैं।

(घ) कार्यपरक प्रबंधन प्रशिक्षण : रक्षा प्रबंधन कॉलेज एक सप्ताह की परियोजना प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, संक्रियात्मक अनुसंधान/ प्रणाली विश्लेषण कार्यशाला पर 4 कार्यपरक प्रबंधन प्रशिक्षण

तथा मध्य स्तर के अफसरों के लिए निर्णय लेने के संबंध में मात्रात्मक सहयोग पर 2 सप्ताह का प्रशिक्षण आयोजित करता है।

सामग्री प्रबंधन कॉलेज, जबलपुर

10.57 इस कॉलेज का सूत्रपात अक्टूबर 1925 में स्थापित 'भारतीय सेना आयुध कोर शिक्षण स्कूल' से हुआ। 1939 में इस स्कूल को पुनः नाम देकर भारतीय सेना आयुध कोर प्रशिक्षण केन्द्र कर दिया गया। जनवरी, 1950 में 'सेना आयुध कोर स्कूल' हो गया। प्रशिक्षण के बदलते सिद्धांतों तथा उन्नत संकल्पनाओं के आ जाने से सेना आयुध कोर स्कूल का नाम बदलकर वर्ष 1987 में सामग्री प्रबंधन कॉलेज कर दिया गया।

10.58 वर्ष 1987 में यह कॉलेज जबलपुर विश्वविद्यालय (रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय) से संबद्ध हो गया था तथा इसके शानदार निष्पादन से इसे वर्ष 1990 में स्वायत्त दर्जा प्राप्त हो गया। यह कॉलेज 'राजकीय कॉलेज के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' में पंजीकृत है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मंजूरी इस कॉलेज की एक अन्य उपलब्धि है।

10.59 यह कॉलेज आयुध प्रबंधन, गोलाबारूद, तकनीकी सामग्री, आयुध संधारिकी सहायता, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन अध्ययन में संरचित प्रशिक्षण प्रदान करता है।

तोपखाना स्कूल, देवलाली

10.60 तोपखाना स्कूल, देवलाली तोपखाना युद्ध-पद्धति विज्ञान तथा प्रणाली विज्ञान की विभिन्न उप-विधाओं के लिए एक शैक्षिक केंद्र है। यह स्कूल वायु निगरानी पोस्ट ड्यूटियों के लिए पायलटों सहित तोपखाना हथियार तथा प्रणालियों के बारे में तोपखाना रेजिमेंट के अफसरों, जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों तथा गैर कमीशन प्राप्त अफसरों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा, भारतीय तथा

विदेशी दोनों के तोपखाना उपस्करों के सिद्धांतों की पुनरीक्षा, अध्ययन तथा प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

10.61 तोपखाना स्कूल के तोपखाना हथियार प्रणालियों के संचालन तथा तैनाती में तकनीकी कौशल तथा विशेषज्ञता हासिल करने में मदद करने के लिए भारी संख्या में अफसरों, जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों और गैर-कमीशनप्राप्त अफसरों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस वर्ष के दौरान, विभिन्न देशों से कई अफसर तथा कार्मिक भी प्रशिक्षित किए गए थे।

सेना वायु रक्षा कॉलेज, गोपालपुर

10.62 सेना वायु रक्षा कॉलेज पहले आर्टिलरी स्कूल, देवलाली के एक स्कंध के रूप में कार्य करता था। अक्टूबर, 1989 में तोपखानों की मुख्य शाखा से वायु रक्षा तोपखाने के अलग होने पर यह गोपालपुर चला गया। यह कॉलेज, वायु रक्षा से सम्बद्ध विषय में वायु रक्षा तोपखाना के कार्मिकों, अन्य सेनागों तथा विदेशी सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को प्रशिक्षण देता है।

10.63 सेना वायु रक्षा कॉलेज शिक्षण संबंधी अनेक पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। लाँग



तोपखाना स्कूल, देवलाली में गोलंदाजी प्रशिक्षण

गनरी स्टाफ पाठ्यक्रम, युवा अफसर पाठ्यक्रम, इलैक्ट्रॉनिक युद्ध-पद्धति पाठ्यक्रम, वरिष्ठ कमान वायु रक्षा पाठ्यक्रम, लाँग गनरी स्टाफ पाठ्यक्रम, जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर /गैर कमीशन प्राप्त अफसर, तकनीकी अनुदेशक फायर कंट्रोल पाठ्यक्रम, विमान पहचान पाठ्यक्रम, यूनिट अनुदेशक तथा चालक दल आधारित प्रशिक्षण तथा स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग पाठ्यक्रम आदि कुछ महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम हैं।

सेना सेवा कोर केन्द्र तथा कॉलेज, बेंगलूर

10.64 सेना सेवा कोर स्कूल, यांत्रिक परिवहन सेना स्कूल तथा सेना सेवा कोर केंद्र (दक्षिण) के विलय के परिणामस्वरूप सेना सेवा कोर केंद्र तथा कॉलेज 1999 में बेंगलूर में अस्तित्व में आया। सेना सेवा कोर केन्द्र तथा कालेज संभारिकी से सम्बद्ध पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करने वाली प्रधान संस्था बन गई। संस्था को तीन प्रशिक्षण संस्थाओं के नौ दशक के विकसित बौद्धिक संपत्ति प्राप्त है जो इस नवनिर्मित संस्था की नींव डालने के लिए संगठित हुए हैं। वर्ष 1992 से सेना सेवा कोर कॉलेज संभारिकी तथा संसाधन प्रबंधन में डिप्लोमा/उपाधि प्रदान करने के लिए रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से मान्यताप्राप्त तथा सम्बद्ध है।

सेना शिक्षा कोर प्रशिक्षण कॉलेज एवं केन्द्र, पचमड़ी

10.65 सेना शिक्षा कोर प्रशिक्षण कॉलेज एवं केंद्र अपने प्रतीक चिह्न के रूप में 'मशाल', जो उसके ज्ञान की खोज का बहुमूल्य उद्देश्य प्रकट कर रहा है, के साथ श्रेणी क और ख स्थापना के रूप में अपनी क्षमता से तिहरी भूमिका निभाता है तथा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय,

भोपाल का एक स्वायत्त कालेज भी है। स्वायत्त कालेज के रूप में यह अपने पाठ्यक्रम डिजाइन करता है, प्रशिक्षण तथा परीक्षाएं आयोजित करता है और शिक्षा के क्षेत्र में डिग्रियां तथा डिप्लोमा देता है। इसके अलावा, इसके विभिन्न पाठ्यक्रमों में मैप रीडिंग, विदेशी भाषाएं, कम्प्यूटर अनुप्रयोग तथा सैन्य संगीत शामिल हैं, जिसमें भारतीय सेना के सभी सेनांगों और सेवाओं के सभी रैंकों द्वारा भाग लिया जाता है। अर्ध-सैन्य बलों के कार्मिक और मित्र देशों से आए कार्मिक भी पाठ्यक्रमों में भाग लेते हैं।

सैन्य संगीत स्कंध, पचमढी

10.66 सैन्य संगीत स्कंध की स्थापना अक्टूबर, 1950 में सेना शिक्षा कोर प्रशिक्षण कालेज एवं केन्द्र के रूप में की गई थी जो एशिया में अपने किस्म का एकमात्र केन्द्र है। इस स्कंध को न केवल 200 से भी अधिक संगीतों की रचना करने का गौरव प्राप्त हुआ है, अपितु इसने रंगरूट बैंड वादकों, पाइपवादकों अथवा ड्रमवादकों को संगीत के प्रारंभिक ज्ञान से लेकर संगीत-निपुणता के वांछनीय स्तर तक डिजाइन किए गए अपने विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों के माध्यम से भारत में सैन्य संगीत का मानक बनाए रखने में भी विशिष्टता दिखाई है।

रिमाउंट तथा पशु-चिकित्सा कोर केन्द्र व स्कूल, मेरठ

10.67 मेरठ में स्थित रिमाउंट तथा पशु-चिकित्सा कोर केन्द्र सभी रिमाउंट तथा पशु-चिकित्सा कोर कार्मिकों की मातृ संख्या है। इस स्कूल का उद्देश्य सभी सेनांगों और सेवाओं के अफसरों तथा अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों को पशु-प्रबंधन तथा पशु-चिकित्सा से संबंधित पहलुओं पर प्रशिक्षित करना है। इस स्कूल में अफसरों के लिए ग्यारह तथा अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के लिए छह पाठ्यक्रम

आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षित किए जा रहे छात्रों की संख्या 250 है।

सेना खेलकूद संस्था

10.68 अपने सभी देशवासियों के हृदय में राष्ट्रीय गर्व का पुनः समावेश करने तथा सेना की विजयी छवि प्रस्तुत करने के लिए रक्षा मंत्री ने पुणे में सेना खेल-कूद संस्था तथा देश में विभिन्न स्थानों पर चुनिंदा क्षेत्र में सेना खेलकूद केन्द्र स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी है। विदेशी कोचों की देख-रेख में भोजन, आवास, विदेशी प्रभाव तथा प्रशिक्षण के साथ अत्याधुनिक आधारभूत अवसररचनाओं तथा उपस्करों के लिए समुचित धनराशि रखी गई है।

सेना शारीरिक प्रशिक्षण स्कूल, पुणे

10.69 सेना शारीरिक प्रशिक्षण स्कूल एक प्रमुख संस्था है, जो यूनितों और सब-यूनितों में शारीरिक प्रशिक्षण के संचालन के बारे में सेना कार्मिकों को सुव्यवस्थित तथा व्यापक प्रशिक्षण देता है, यह स्कूल सेना में मानकों में सुधार करने के उद्देश्य से खेल-कूद तथा क्रीड़ाओं में बुनियादी प्रशिक्षण देता है तथा खेल-कूद तथा क्रीड़ाओं में मनोरंजन के माध्यम से पूरक शारीरिक प्रशिक्षण देता है। इन पाठ्यक्रमों में सेना के अफसर, जे सी ओ तथा अन्य रैंक, अर्द्ध-सैन्य बल तथा मित्र देशों के अफसर भाग लेते हैं। सेना शारीरिक प्रशिक्षण स्कूल ने अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के लिए बाक्सिंग, वॉलीबाल, बास्केटबाल, स्वीमिंग तथा लाइफ सेविंग, जूडो तथा योग पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय खेल-कूद संस्थान के सहयोग से छह सम्बद्ध खेल-कूद पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

योधी सेना विमान-चालक प्रशिक्षण स्कूल

10.70 योधी सेना विमान-चालक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना मई 2003 में नासिक रोड में

की गई है। इस स्कूल का उद्देश्य विमानन दक्षता में विमान-चालकों को प्रशिक्षित करना तथा युद्ध की विभिन्न संक्रियाओं में विमानन यूनितों का सार-सम्भाल करना तथा विमानन अनुदेशकों को प्रशिक्षित करना, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का विकास करना और भू-सैन्य-टुकड़ियों के साथ-साथ विमानन सामरिक सिद्धांत के विकास में सेना प्रशिक्षण कमान की सहायता करना है। इस स्कूल में चलाए जाने वाले पहचान किए गए पाठ्यक्रम, जैसे पूर्व-मूल विमान चालक पाठ्यक्रम, बुनियादी सेना विमानन पाठ्यक्रम, पूर्व अर्हताप्राप्त उड़ान अनुदेशक पाठ्यक्रम, विमानन अनुदेशक हेलीकॉप्टर पाठ्यक्रम, टाइप पर हेलीकॉप्टर रुपांतरण, उड़ान कमांडर का पाठ्यक्रम और नए उपस्कर पाठ्यक्रम हैं।

सैन्य इंजीनियरी कालेज, पुणे

10.71 पुणे स्थित सैन्य इंजीनियरी कालेज एक प्रमुख तकनीकी संस्था है। इस संस्था में इंजीनियर कोर, अन्य सेनांगों तथा सेवाओं, नौसेना, वायुसेना, अर्द्ध-सैन्य बल के कार्मिकों, पुलिस तथा सिविलियनों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, मित्र देशों से कार्मिक भी प्रशिक्षित किए जाते हैं। सैन्य इंजीनियरी कालेज बी.टेक. तथा एम.टेक की डिग्रियां देने के लिए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। सैन्य इंजीनियरी कालेज द्वारा चलाए जा रहे स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद मान्यता भी प्रदान करता है। यह कालेज प्रत्येक वर्ष औसतन 1500 अफसरों तथा 800 अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों को प्रशिक्षित करता है।

इलैक्ट्रॉनिक्स तथा मैकेनिकल

इंजीनियरी सैन्य कालेज, सिकंदराबाद

10.72 इलैक्ट्रॉनिक्स तथा मैकेनिकल इंजीनियरी सैन्य कॉलेज, सिकंदराबाद का उद्देश्य सिविलियनों सहित इलैक्ट्रॉनिक्स तथा मैकेनिकल इंजीनियरी के सभी रैंकों को इंजीनियरी में तथा विभिन्न शस्त्र-प्रणालियों और उपस्करों में उनके अनुरक्षण, मरम्मत तथा निरीक्षण के विशेष संदर्भ सहित तकनीकी शिक्षा प्रदान करना है।

इलैक्ट्रॉनिक्स तथा मैकेनिकल इंजीनियरी सैन्य कालेज को चार संकायों अर्थात् इलेक्ट्रीकल तथा मैकेनिकल इंजीनियरी संकाय, इलैक्ट्रॉनिक्स संकाय, औद्योगिकी इंजीनियरी विन्यास विज्ञान संकाय तथा वैमानिकी इंजीनियरी संकाय में संगठित किया गया है। 10+2 तकनीकी प्रवेश स्कीम के जेंटिलमैन कैडेटों के लिए एक कैडेट प्रशिक्षण विंग सीधे ही इलैक्ट्रॉनिक्स तथा मैकेनिकल इंजीनियरी सैन्य कालेज के अधीन कार्य करता है। इलैक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरी सैन्य कालेज सिमुलेटर विकास प्रभाग को तकनीकी तथा प्रशासनिक सहायता भी प्रदान करता है। यह कॉलेज प्रत्येक वर्ष लगभग 1200 अफसर तथा 4000 अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों को प्रशिक्षित करता है।

सैन्य पुलिस कोर केन्द्र तथा स्कूल बेंगलूर

10.73 इस स्कूल का उद्देश्य विधिक, जांच पड़ताल, यातायात नियंत्रण आदि में सैन्य तथा पुलिस ड्यूटियों के लिए अफसरों तथा अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों को प्रशिक्षित करना है। इस स्कूल में अफसरों के लिए 4 पाठ्यक्रम और अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के लिए 14 पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या 910 है।

दूर संचार इंजीनियरी सैन्य कॉलेज, महू

10.74 दूर संचार इंजीनियरी सैन्य कालेज, महू सभी सिग्नल अफसरों का मात्री कालेज है। योधी संचार, इलेक्ट्रानिक्स युद्ध पद्धति, संचार इंजीनियरी, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, रेजिमेंटल सिग्नल संचार प्रणाली तथा कूट लेख शास्त्र में उन्हें प्रशिक्षित किया है। पाँच प्रशिक्षण संकायों और स्कन्धों के अतिरिक्त इस कालेज में एक प्रशासन विभाग है जो स्टाफ और छात्रों को प्रशासनिक तथा संचारिकी सहायता प्रदान करता है। एक संकलनात्मक अध्ययन एकक हैं जो संचार सिद्धांत विकसित करता है तथा प्रशिक्षण संबंधी सामग्री तैयार करता है। एक आधुनिक तथा सुसंग्रहीत पुस्तकालय है तथा इस कालेज में एक प्रिंटिंग प्रेस भी है। इस कालेज में प्रशिक्षणार्थियों को अध्ययन करने तथा उन्हें उनकी जिम्मेदारी के वर्तमान और भावी स्तरों पर कार्य करने के लिए उनमें अपेक्षित दक्षताएं, ज्ञान तथा क्षमताएं आत्मसात करने तथा उनके मन में भरने के उद्देश्य से एक औपचारिक व्यवस्था में प्रशिक्षित होने का अवसर दिया जाता है।

सैन्य आसूचना प्रशिक्षण स्कूल तथा डिपो

10.75 सैन्य आसूचना प्रशिक्षण स्कूल तथा डिपो एक प्रमुख स्थापना है जो भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना तथा अर्द्ध-सैन्य बलों के सभी रैंकों को आसूचना अधिग्रहण, प्रति आसूचना तथा सुरक्षा पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी है। यह स्कूल मित्र देशों की सेनाओं के कार्मिकों को भी प्रशिक्षण देता है। उपर्युक्त के अलावा, इस स्थापना में राजस्व आसूचना निदेशालय के सिविलियन अफसरों को भी प्रशिक्षित किया जाता है।

वैद्युत तथा यांत्रिक इंजीनियरी स्कूल, वडोदरा

10.76 इलैक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल इंजीनियरी कोर का नाम पुनः इलैक्ट्रानिक्स तथा मैकेनिकल इंजीनियर कोर रखे जाने के परिणामस्वरूप, 01 जून, 2001 से इलेक्ट्रानिक्स तथा मैकेनिकल इंजीनियरी स्कूल का नाम 'इलैक्ट्रानिक्स तथा मैकेनिकल इंजीनियरी स्कूल' रखा गया है।

10.77 ई एम ई स्कूल अफसरों के लिए स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम तथा अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के लिए डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रम चलाता है। ई एम ई स्कूल में चलाए गए विभिन्न पाठ्यक्रमों में मित्र देशों से अफसर तथा अफसर रैंक से नीचे के कार्मिक भाग लेते रहे हैं।

सैन्य विधि संस्थान, काम्पठी

10.78 सेना में, कमांडरों द्वारा विभिन्न स्तरों पर न्याय की व्यवस्था की जाती है। सेना अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कमांडरों को दी गई शक्तियों के द्वारा छोटे अपराधों को सरसरी तौर पर निपटारा जा सकता है। गम्भीर अपराधों के लिए, वरिष्ठ कमांडरों के आदेशों पर कोर्ट मार्शल बिठाई जाती है। कमांडिंग अफसरों को समरी कोर्ट मार्शल करवाने का अधिकार है। इन न्यायाधिकरणों के निर्णय पर अपील नहीं की जा सकती है। अतः इन शक्तियों का इस्तेमाल विवेकपूर्ण किए जाने तथा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना अत्यावश्यक है। इस पृष्ठभूमि के साथ सैन्य विधि संस्थान की स्थापना शिमला में की गई थी। 26 अगस्त, 1989 को, यह संस्थान शिमला से काम्पठी पहुंचा दिया गया था।

10.79 स्कूल का ड्यूटी-चार्टर : सेना के सभी सेनांगों तथा सेवाओं के अफसरों के लिए

विधिक शिक्षा की एक व्यापक प्रणाली तथा सैन्य तथा सम्बद्ध कानून के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनुसंधान, विकास तथा प्रसार कार्य करने की व्यवस्था करना है।

कवचित कोर केन्द्र तथा स्कूल, अहमदनगर

10.80 वर्ष 1948 में, देश विभाजन के बाद, प्रशिक्षण स्कंध, रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र तथा कवचित कोर डिपो और अभिलेख कार्यालय अहमदनगर पहुंचा दिये गए थे, जहां लड़ाकू वाहन स्कूल पहले से ही चल रहा था तथा उन सभी को कवचित कोर केन्द्र तथा स्कूल और कवचित कोर अभिलेख कार्यालय में शामिल कर लिया गया था। इसमें छह स्कंध अर्थात् कवचित युद्ध-पद्धति स्कूल, तकनीकी प्रशिक्षण स्कूल, बुनियादी प्रशिक्षण रेजीमेंट, वाहन चालन तथा अनुरक्षण रेजीमेंट, इन शाखाओं में विशेषज्ञता प्राप्त प्रशिक्षण के लिए ऑटोमोटिव रेजीमेंट तथा आर्मामेंट व इलेक्ट्रानिक्स रेजीमेंट है।

सेना प्रशिक्षण स्थापनाओं में विदेशी सेना कार्मिकों का प्रशिक्षण

10.81 आपरेशन विजय तथा आपरेशन पराक्रम के बाद, भारतीय सेना स्थापनाओं में प्रशिक्षण

प्राप्त करने के लिए विदेशी सेनाओं की रूचि में व्यापक वृद्धि हुई है। पड़ोसी देशों, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्यम एशिया गणराज्यों, अफ्रीकी महाद्वीप और कुछ विकसित देशों से 3200 से ज्यादा सेना कार्मिक इस वर्ष भारत में प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय के अंतरराष्ट्रीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत विकासशील तथा विकासधीन राष्ट्रों को सहायता प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, मित्र देशों से कार्मिक सैन्य संस्थानों में घटी दरों पर या निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। विकसित पश्चिमी देश भी आपसी आधार पर तथा प्रशिक्षण की लागत और अन्य संबंधित प्रभारों का भुगतान करके स्व-वित्त-प्रबंधन के आधार पर अपने अफसरों को प्रशिक्षण के लिए हमारे संस्थानों में भेजते हैं।

10.82 वर्ष 2003-04 के लिए, 41 देशों द्वारा कुल 4,506 रिक्तियों की मांग की गई है, जिसके लिए उन्हें 3,230 रिक्तियां आबंटित कर दी गई हैं। अर्द्ध-सैन्य बलों तथा राज्य पुलिस संगठनों ने वर्ष 2003-04 के लिए 4,156 रिक्तियों की मांग की है। अब तक कुल 3,750 रिक्तियां आबंटित की जा चुकी हैं।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास एवं कल्याण



निशक्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण

सेवानिवृत्ति के समय अधिकतर सैन्य कार्मिक ऐसी उम्र में होते हैं जब उनके कंधों पर कई अधूरी जिम्मेदारियां होती हैं और उसके कारण उनके लिए दूसरा व्यवसाय शुरू करना आवश्यक हो जाता है।

11.1 सशस्त्र सेनाओं को युवा बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 60,000 सैन्य कार्मिक अपेक्षाकृत युवावस्था में सेवानिवृत्त हो जाते हैं अथवा सेवा मुक्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्ति के समय अधिकतर सैन्य कार्मिक ऐसी उम्र में होते हैं जब उनके कंधों पर कई अधूरी जिम्मेदारियां होती हैं और उसके कारण उनके लिए दूसरा व्यवसाय शुरू करना आवश्यक हो जाता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2003 तक 18,31,863 भूतपूर्व सैनिक तथा 3,83,012 विधवाएं पंजीकृत व जीवित हैं। भूतपूर्व सैनिक मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र केरल, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तरांचल राज्यों में हैं। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण, कल्याण कोषों के इस्तेमाल तथा देश के सैनिक बोर्डों के कार्य में तालमेल बनाए रखने के लिए सामान्य नीतियां बनाता है। इसी प्रकार, राज्य स्तर पर राज्य सैनिक बोर्ड तथा जिला स्तर पर जिला सैनिक बोर्ड स्थापित किए गए हैं। राज्य सैनिक बोर्डों के संगठनों का 50 प्रतिशत खर्च भारत सरकार उठाती है जबकि

शेष खर्च संबंधित राज्य सरकारें उठाती हैं। रक्षा मंत्रालय के अधीन पुनर्वास महानिदेशालय भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के पुनर्वास एवं कल्याण से संबंधित सभी मामलों की देखरेख करता है।

11.2 **पुनर्वास** : केन्द्रीय सरकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाशने के लगातार प्रयास करती है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में कुछ इस प्रकार हैं:

- (क) सेवानिवृत्त हो रहे रक्षा कार्मिकों को सिविल रोजगार हेतु तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम;
- (ख) सरकारी/ अर्ध सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पदों का आरक्षण ; और
- (ग) स्वरोजगार योजनाएं।

11.3 **प्रशिक्षण कार्यक्रम** : भूतपूर्व सैनिकों तथा सेवानिवृत्त हो रहे सैन्य कार्मिकों को सिविल जीवन में उनके पुनर्वास के लिए तैयार करना पुनर्वास महानिदेशालय को सौंपे गए प्रमुख कार्यों में से एक है। पुनर्वास

महानिदेशालय द्वारा चलाए गए जा रहे कार्यक्रमों का प्रमुख जोर रोजगार/स्व-रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर है, जिससे अधिकारियों एवं अन्य रैंकों को सेवानिवृत्ति के बाद दूसरा कैरियर आरंभ करने के लिए व्यवहार्य विकल्प मुहैया कराया जा सके। इस कार्यक्रम में प्रबंधकीय विज्ञान, प्रौद्योगिकीय उन्मुख तकनीकी कौशल एवं कृषि पर आधारित उद्योगों से संबद्ध पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। नियमित मानीटरी के द्वारा प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान किए जाने संबंधी कार्यक्रम की प्रतिवर्ष पुनरीक्षा की जाती है जिससे सिविल बाजार/कारपोरेट जगत की मौजूदा आवश्यकताओं में भागीदारी पर आधारित नये क्षेत्र के पाठ्यक्रमों को शामिल किया जा सके तथा पुराने पाठ्यक्रमों को हटाया जा सके।

11.4 अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण :

पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सूचना प्रौद्योगिकी, सुरक्षा सेवाओं, उद्यम विकास, व्यवसाय प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, होटल प्रबंधन, पर्यटन तथा

मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों में 3 माह की अवधि से लेकर एक से तीन वर्ष तक की अवधि के डिग्री/डिप्लोमा जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं। तीन माह की अवधि के पाठ्यक्रम पूर्णकालिक हैं, जबकि एक से तीन वर्ष की अवधि तक के पाठ्यक्रम सुदूर शिक्षा कार्यक्रमों पर आधारित हैं।

11.5 जेसीओ/अन्य रैंकों तथा उनके समकक्ष कार्मिकों के

लिए प्रशिक्षण : जे सी ओ, अन्य रैंकों तथा तीनों सेनाओं में उनके समकक्ष अधिकारियों के लिए पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन विभिन्न योजनाओं अर्थात् व्यावसायिक प्रशिक्षण, सेवा कालीन प्रशिक्षण तथा आई टी आई प्रशिक्षण के तहत चलाए जाते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पाठ्यक्रमों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में एक वर्षीय पाठ्यक्रम देशभर में फैले सरकारी, अर्धसरकारी तथा निजी संस्थाओं में आयोजित किए जाते हैं। ये पाठ्यक्रम सुरक्षा सेवाओं, प्रबंधन सेवाओं सूचना एवं प्रौद्योगिकी सेवाओं, साहसिक यात्राओं सहित यात्रा एवं पर्यटन उद्यम विकास, तकनीकी ट्रेडों (मेडिकल सहित) गैर-तकनीकी ट्रेडों, सचिवालय सहायता सेवाओं, कृषि आधारित उद्योगों तथा कई अन्य विविध ट्रेडों में चलाए जाते हैं। इस योजना के तहत एक वर्ष में 350 से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। आई टी आई प्रशिक्षण योजना के तहत देश के विभिन्न राज्यों में 400 आई टी आई संस्थाओं में 4000 सीटें आरक्षित हैं। 'सेवा कालीन' प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कार्मिकों को सार्वजनिक क्षेत्र के इन 27 उपक्रमों की 60 कार्यशालाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण नौ माह की अवधि के लिए नौ विभिन्न ट्रेडों में दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के पूरा होने पर सफल उम्मीदवारों को राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

11.6 व्यावसायिक प्रशिक्षण : इस योजना के तहत भूतपूर्व सैनिकों के लिए उनके राज्यों में व्यावसायिक प्रशिक्षण चलाने के लिए राज्य सैनिक बोर्डों को धनराशि आबंटित की जाती है। यह योजना मुख्यतः ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए

पुनर्वास महानिदेशालय ने रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिससे सेवानिवृत्ति के बाद दूसरा कैरियर मुहैया कराया जा सके।

है जो सेवा के दौरान पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाए थे। इस योजना का लाभ भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं/ उनके एक आश्रित को भी प्रदान किया जाता है। 11.7 विगत छह वर्षों के दौरान 31 मार्च, 2004 तक विविध क्षेत्रों में कार्मिकों को दिए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा इस प्रकार है:-

योजना	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
अधिकारियों का प्रशिक्षण	606	431	387	409	353	583
अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों का प्रशिक्षण	5824	4563	5718	3518	2958	4019
कार्य के दौरान प्रशिक्षण	1419	1847	1452	1363	1027	1027
आई टी आई प्रशिक्षण	1292	1847	2675	1510	1510	2821
भूतपूर्व सैनिक प्रशिक्षण	333	385	58	421	856	-

11.8 **पुनः रोजगार :** केन्द्र और राज्य सरकारें भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्रीय/राज्य सरकार के पदों पर उन्हें पुनः रोजगार दिए जाने के लिए कई रियायतें प्रदान करती है। इसमें पदों का आरक्षण तथा आयु और शैक्षणिक योग्यताओं में छूट, आवेदन/परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिवंगत सैन्य कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता देना शामिल है।

11.9 **सरकारी नौकरियों में आरक्षण :** केन्द्र सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को वर्ग 'ग' के पदों में 10 प्रतिशत तथा वर्ग 'घ' के पदों में 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में वर्ग 'ग' के पदों में 14.5 प्रतिशत तथा 'घ' के पदों में 24.5 प्रतिशत आरक्षण है। अर्धसैनिक बलों में सहायक कमांडेंट के 10 प्रतिशत पद भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू

और कश्मीर, केरल और मेघालय को छोड़कर, अधिकतर राज्य सरकारें, राज्य सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण प्रदान कर रही हैं। तथापि इन आरक्षणों को सांविधिक रूप दिया जाना संभव नहीं हो सका है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की समग्र अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित की है

और अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़ा वर्ग की तरह सीधे प्रकार का नहीं है। यह आरक्षण समानांतर प्रकृति का है जिसके अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति चुने गए भूतपूर्व सैनिकों को बाद में उनकी संबंधित श्रेणी अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा सामान्य श्रेणी जिससे वे संबंध रखते हों, में समायोजित किया जाता है। सामान्य रिक्तियों के अंतर्गत भरी न गई आरक्षित रिक्तियों को आगे नहीं ले जाया जाता है।

सुरक्षा एजेंसियां

11.10 पुनर्वास महानिदेशालय (डी जी आर) सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र में उद्योगों को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को पंजीकृत/प्रायोजित करता है। इस योजना से सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारियों को स्व-रोजगार के अवसर मिलते हैं तथा अधिकारी रैंक से नीचे के पूर्व सैन्य

सरकार ने लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग लगाने के इच्छुक भूतपूर्व सैनिकों को बढ़ावा देने तथा ऋण देकर वित्तीय सहायता देने के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं।

कार्मिकों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रयोजित सुरक्षा एजेंसियों से सुरक्षा कार्मिक लें। इस योजना के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। पुनर्वास महानिदेशालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी संबंधितों को समुचित अनुदेश जारी करें कि वे

सुरक्षा कवर पुनर्वास महानिदेशालय में नामांकित एजेंसियों से लें ताकि भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के अवसरों में वृद्धि हो। महाराष्ट्र सरकार के साथ एक मामला उठाया गया है जिसमें उस राज्य में कार्य कर रही सुरक्षा एजेंसियों को रोजगार और कल्याण अधिनियम 1981 के महाराष्ट्र सुरक्षा गार्ड विनियमों से छूट देने को कहा गया है।

11.11 जे सी ओ/अन्य रैंको को रोजगार दिलाना : गत छः वर्षों के दौरान पुनर्वास महानिदेशालय तथा राज्यों में जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों द्वारा जिन भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान किया गया, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :-

11.12 अधिकारियों के लिए रोजगार : वर्ष 2003-04 के दौरान रोजगार सहायता के लिए पुनर्वास महानिदेशालय में कुल 737 अधिकारियों का पंजीकरण किया गया था। अब तक विभिन्न रोजगार अवसरों के लिए 3187 अधिकारी प्रायोजित किए गए हैं। भूतपूर्व रक्षा कर्मियों की क्षमताओं के बारे में जागरूकता लाने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर पुणे, बेंगलूर इंदौर, दिल्ली तथा कोच्ची में संगोष्ठियां आयोजित की गईं।

11.13 स्वरोजगार की योजनाएं : सशस्त्र सेनाओं में सेवानिवृत्त होने पर सभी भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियां प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है, इसलिए सरकार ने लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग लगाने के इच्छुक भूतपूर्व सैनिकों उद्यमियों को बढ़ावा देने तथा ऋण देकर वित्तीय सहायता देने के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं। प्रमुख स्व-रोजगार योजनाएं सेम्पैक्स-I, सेम्पैक्स-II, राष्ट्रीय इक्विटी कोष योजना तथा सेम्पैक्स -III हैं। ऋण की मंजूरी के लिए आवेदन-पत्र भूतपूर्व सैनिकों द्वारा राज्यों के जिला सैनिक बोर्डों में सीधे जमा कराए जाते हैं। आवेदनों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

	1998	1999	2000	2001	2002	2003*	2004
केन्द्र सरकार	5188	3992	4035	4982	5153	5503	**
राज्य सरकार और राज्य सरकार के							
सार्वजनिक उपक्रम	2825	2540	2219	2136	2162	3092	**
निजी क्षेत्र	3304	3068	2766	3221	3051	3064	**
सुरक्षा एजेंसियाँ	7140	13810	8717	5650	8679	9543	2534

(31-3-04 तक)

*31 दिसंबर, 2003 तक

** आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं।



किर्की स्थित पैराप्लेजिक पुनर्वास केन्द्र में पहिया कुर्सी प्राप्त करता हुआ एक विकलांग भूतपूर्व सैनिक

(नाबार्ड) तथा राज्य के वी आई बी और खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग द्वारा सहायता प्राप्त बैंकों के माध्यम से ऋण मंजूर किए जाने की सिफारिश की जाती है।

11.14 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सी एन जी स्टेशन : जुलाई, 2001 में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के सी एन जी स्टेशन के प्रबंधन के लिए योजना एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में आरंभ की गई थी। इस योजना को सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए भी लागू कर दिया गया है। इस समय 57 सेवानिवृत्त अधिकारी 70 सी एन जी स्टेशन चला रहे हैं। तीन भूतपूर्व महिला अधिकारियों को भी दिल्ली में सी एन जी स्टेशन आबंटित किए गए हैं।

भूतपूर्व सैनिक कोयला परिवहन योजना

11.15 पुनर्वास महानिदेशालय भूतपूर्व सैनिकों की कोयला परिवहन कंपनियों को कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कोयला कंपनियों

में कोयले का लदान तथा परिवहन कार्य करने के लिए प्रायोजित करता है। पुनर्वास महानिदेशालय में पंजीकृत बेराजगार सेवानिवृत्त अधिकारियों तथा जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिक कोयला परिवहन कंपनियों को बनाने के लिए प्रायोजित किया जाता है तथा इस अवधि को चार वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इस समय ऐसी 94 कंपनियां कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों के अंतर्गत कार्य कर रही हैं।

11.16 कोयला टिपर योजना : पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा सेवाकाल के दौरान सैन्य सेवा के कारणों से दिवंगत हुए रक्षा कर्मियों की विधवाओं को भूतपूर्व सैनिक कोयला परिवहन कंपनी में अपने नाम से एक टिपर ट्रक चलवाने के लिए प्रायोजित किया जाता है। पात्र विधवा/अशक्त सैनिक को किसी भी नामित कोयला परिवहन कंपनी में 85,000 रुपये जमा कराने होते हैं। कंपनी उन्हें पांच वर्ष तक प्रतिमाह

3000 रुपये का भुगतान करेगी तथा उसके बाद जमा की गई 85000 हजार रुपये की धनराशि विधवा/ अशक्त सैनिक को वापस कर दी जाती है। इस समय 232 विधवाएं तथा 42 अशक्त सैनिक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

तेल उत्पाद एजेंसियों का आबंटन :

11.17 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने युद्ध अथवा शांति के समय सैन्य सेवा में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं तथा आश्रितों तथा सैन्य सेवा के कारण 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक निशकतता वाले अशक्त सैनिकों के लिए विपणन योजना में तेल उत्पाद एजेंसियों जैसे एल पी जी डीलरशिप, पेट्रोल पंप, कैरोसीन वितरण आदि में 8 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। जब भी रक्षा श्रेणी के अंतर्गत इस प्रकार की कोई रिक्ति समाचार-पत्र में विज्ञापित होती है, पात्र व्यक्ति उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पुनर्वास महानिदेशालय पात्र उम्मीदवारों को पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करके उन्हें प्रायोजित करता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित डीलर चयन बोर्ड साक्षात्कार आयोजित करता है। चयनित व्यक्तियों को अंतिम आबंटन संबंधित तेल कंपनी करती है। इस वर्ष जनवरी 2004 से अब तक पुनर्वास महानिदेशालय ने 521 पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए हैं।

सेना अधिशेष वाहनों का आबंटन :

11.18 भूतपूर्व सैनिक/सेवा के दौरान मरने वाले रक्षा कार्मिकों की पत्नियां, सेना अधिशेष/सेना से हटाए गए श्रेणी V-ख वाहन के आबंटन हेतु आवेदन कर सकते हैं। सेवानिवृत्त कार्मिकों के मामले में, आवेदन फार्म जिला / राज्य सैनिक बोर्डों के माध्यम से तथा

सेवानिवृत्ति के छः माह वाले कार्मिक यूनिटों के माध्यम से आवेदन पत्र पंजीकरण तथा आगे सम्प्रेषण हेतु सेना मुख्यालय को भेजने के लिए डी जी आर को भेज सकते हैं। आबंटन डिपोवार तैयार सूची के आधार पर किया जाता है।

सी एस डी में आरक्षण

11.19 भारतीय कैन्टीन भण्डार विभाग (सी एस डी आई) ने रक्षा खरीद कार्यक्रम के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों द्वारा निर्मित सी एस डी मदों के 15 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया है तथा रक्षा मंत्रालय ने 262 चयनित मदों के 10 प्रतिशत को आरक्षण प्रदान किया है। रक्षा खरीद कार्यक्रम के लिए केवल भूतपूर्व सैनिक उत्पादन इकाइयां ही पात्र हैं।

मदर डेयर दूध तथा फल एवं सब्जी दुकान

11.20 जूनियर कमीशन अधिकारियों/अन्य रैंकों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मदर डेयरी दूध तथा फल व सब्जी की दुकानें आबंटित की जाती हैं। आज की तारीख में, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा 684 दूध की दुकानें तथा 280 फल व सब्जी की दुकानें चलाई जा रही हैं। आश्रित पुत्रों (जहां भूतपूर्व सैनिक पात्र नहीं हैं) को भी दिल्ली में मदर डेयरी फल तथा सब्जी बूथ आबंटित किए जाने के लिए विचार किया जाता है।

प्रचार

11.21 पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं तथा नीतियों का व्यापक प्रचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा यह लक्ष्य आवधिक पत्रिकाओं, विवरणिकाओं, पर्चियों, सैनिक समाचार में लेख

और बातचीत के प्रकाशन के जरिए प्राप्त किया जाता है।

11.22 पुनर्वासि महानिदेशालय ने बेंगलूर में एयरो-इंडिया 2003, तथा दिल्ली में डेफएक्सपो 2004, में भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए एक प्रभावशाली स्टॉल लगाया था।

11.23 सशस्त्र सेना झंडा दिवस से संबंधित फिल्म का 6 तथा 7 दिसंबर, 2003 को दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारण किया गया था तथा पुनर्वासि महानिदेशालय की गतिविधियों से संबंधित फिल्म का प्रसारण 3 व 5 अप्रैल, 2004 को किया गया था।

कल्याण

11.24 रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य /जिला सैनिक बोर्डों के संपर्क से भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याण की देखभाल करने के लिए एक केंद्रक अभिकरण है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड के कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा आवधिक बैठकों में की जाती है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड, सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाते हैं, जिनका वित्त-पोषण निधि से प्राप्त होने वाले ब्याज से किया जाता है। इस समय इस निधि में कुल 102 करोड़ रुपये की धनराशि है। अपंग भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों की देखभाल करने के लिए किरकी और मोहाली के पैराप्लेजिक होम, रेडक्रास सोसाइटी, चेशायर होम्स, सैन्य अस्पतालों, सैंट डस्टन ऑफ्टर केयर संगठन तथा ऐसे ही अन्य होम्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो तंगहाली के कारण अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं।

रक्षा मंत्री के कोष से सहायता

11.25 सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में एकत्र की गई राशि के एक भाग को रक्षा मंत्री के विवेकाधीन कोष के रूप में अलग रखा जाता है जिससे चिकित्सा उपचार, पुत्रियों का विवाह, मकान मरम्मत और बच्चों की शिक्षा जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए गरीब और जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तंगहाली में रह रहे वृद्ध तथा दुर्बल भूतपूर्व सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को दो वर्ष की अवधि के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

11.26 **रियायतें एवं सुविधाएं** : पात्र कार्मिकों के लिए निम्नलिखित रियायतें एवं सुविधाएं उपलब्ध हैं :-

- (क) कार्रवाई के दौरान शहीद हुए अथवा अपंग हुए सैन्य कार्मिकों के बच्चों के लिए केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में मुफ्त शैक्षणिक सुविधाएं।
- (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से सैन्यकार्मिकों की कई श्रेणियों के आश्रितों/बच्चों के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा एम बी बी एस में 28 सीटें, बी डी एस में एक सीट तथा इंजीनियरिंग में एक सीट उपलब्ध करवाई जाती है।
- (ग) सेवारत सैन्य कार्मिकों तथा भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों के बच्चों के लिए सैनिक स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करवाई गई हैं।
- (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सेवारत सैन्यकार्मिकों तथा सेवानिवृत्त सैन्यकार्मिकों के बच्चों के लिए व्यावसायिक कॉलेजों/आई टी आई/पोलिटेक्निक में सीटें आरक्षित की जाती हैं।
- (ङ) युद्ध संतप्त, शांति के समय सैन्य सेवा के कारण तथा सैन्य सेवा के अलावा अपंग

युद्ध में शहीद भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के पैटर्न पर दिनांक 1.4.2003 से एक नई चिकित्सा योजना शुरू की गई है।

हुए सैनिकों के बच्चों को क्रमशः 600/- ₹0 तथा 300/- ₹ प्रतिमाह के दो शैक्षणिक अनुदान दिए जाते हैं। ये अध्ययन पूरा करने के लिए 35 युद्ध स्मारक हॉस्टलों में रहने वालों को प्रदान किए जाते हैं।

(च) भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाएं :

वर्तमान में, भूतपूर्व सैनिक, उनके परिवार तथा किसी भी प्रकार की पेंशन ले रहे शहीद सैनिकों के परिवार, 127 सैनिक अस्पतालों और 1000 चिकित्सा

निरीक्षण कक्षों जिनमें से 24 विशेष रूप से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं, में मुफ्त बाह्य रोगी इलाज कराने के हकदार हैं। बिस्तर उपलब्ध होने पर अस्पताल में भी इलाज किया जाता है। जो भूतपूर्व सैनिक अस्पताल से चिकित्सा सुविधाएं नहीं ले रहे हैं वे इलाज के खर्च के लिए प्रतिमाह 100 ₹. लेने के विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों उनके आश्रितों को सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि और सामूहिक बीमा योजना से विनिर्दिष्ट गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

(छ) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई सी एच एस) :

युद्ध में शहीद भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के पैटर्न पर दिनांक 1.4.2003 से एक नई चिकित्सा योजना शुरू की गई है। योजना का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

- (i) 104 सैनिक स्टेशनों पर मौजूदा सैन्य सुविधाओं को 49 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत और 52 करोड़ रुपये के वार्षिक आवर्ती खर्च से बढ़ाया जाएगा। ;
- (ii) पॉलीक्लिनिक/चिकित्सा निरीक्षण कक्षों के रूप में नई चिकित्सा सुविधाएं उन 123 स्टेशनों पर स्थापित की जा रही हैं जहां भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 2500 से अधिक है। इसमें 69 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत और 98 करोड़ रुपये की वार्षिक आवर्ती लागत शामिल है।
- (iii) जिन स्टेशनों पर भूतपूर्व सैनिकों, शहीदों की विधवाओं और उनके आश्रितों की संख्या 2500 से कम है, उन स्टेशनों को (क) में बताए गए मौजूदा पॉलीक्लिनिकों / चिकित्सा निरीक्षण कक्षों के या ऊपर (ख) में दिए गए 123 स्टेशनों के पॉलीक्लिनिकों /चिकित्सा निरीक्षण कक्षों के साथ सम्बद्ध किया जाएगा।
- (iv) भूतपूर्व सैनिकों, शहीदों की विधवाओं और उनके आश्रितों को पॉलीक्लिनिकों/चिकित्सा निरीक्षण कक्षों द्वारा उपलब्ध न कराई गए दवाओं को लागत, विशेषज्ञों की फीस जिनके पास उन्हें भेजा गया है, पैथालॉजी संबंधी या अन्य नैदानिक जांचों के लिए प्रयोगशालाओं के खर्चों तथा अस्पतालों में भर्ती रखने की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- (v) भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को उसी दर से अंशदान देना होगा जिस दर से केन्द्रीय सरकार ने पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्त के बाद सी जी एच एस के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए भुगतान करना होता है। भूतपूर्व सैनिकों /विधवाओं की वित्तीय कठिनाइयों में कमी लाने के लिए सरकार ने लगातार तीन वर्ष तक अंशदान किशतों को

भूतपूर्व सैनिक स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अंशदान से युद्ध विधवाओं को छूट दी गई है।

माफ करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

(vi) युद्ध विधवाओं को ई सी एच एस के अंतर्गत अंशदान से छूट दी गई है।

(vii) ई सी एच एस पोलीक्लिनिक हेतु ठेके पर स्टाफ

की तैनाती हेतु भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित आरक्षण में युद्ध विधवाओं सहित भूतपूर्व सैनिक तथा मूल सेवा कार्मिकों की पत्नियों को शामिल किया गया है।

(viii) यह योजना पांच वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी।

(ज) यात्रा रियायत : केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा जारी पहचान-पत्र दिखाने पर युद्ध विधवा/शौर्य पदक विजेता निम्नलिखित रियायतों का लाभ उठा सकते हैं :

(i) हवाई यात्रा रियायत : आई पी के एफ हताहतों सहित युद्ध विधवाओं के लिए ॥ श्रेणी में रेल यात्रा करने में 75 प्रतिशत रियायत उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, मरणोपरांत चक्र श्रृंखला के शौर्य पदक विजेताओं की विधवाएं एक साथी के साथ श्रेणी V ॥ ए सी स्लीपर में यात्रा करने के लिए मुफ्त रेल पास प्राप्त करने की हकदार हैं।

(ii) हवाई यात्रा रियायत : कुछ श्रेणियों के कार्मिक इंडियन एयरलाइन्स की घरेलू उड़ानों में वायु यात्रा करने पर किराये में 75 प्रतिशत रियायत प्राप्त करने के पात्र हैं। ये श्रेणियां हैं:-

- परमवीर चक्र, महावीरचक्र, अशोक चक्र तथा कीर्ति चक्र और स्तर I तथा II के शौर्य पदक विजेताओं के लिए 75 प्रतिशत रियायत।
- स्थायी रूप से युद्ध में अपंग हुए अधिकारी, जिन्हें अपंगता के कारण सेना से हटा दिया गया तथा उनके परिवारों के आश्रित सदस्य के

लिए 50 प्रतिशत रियायत।

- स्वतंत्रता के बाद की युद्ध विधवाओं के लिए 50 प्रतिशत रियायत।

(झ) गृह स्थलों /मकानों का आरक्षण:

अधिकतर राज्यों में सेवारत /सेवानिवृत्त सशस्त्र सैन्यकार्मिकों के लिए गृह स्थलों /मकानों में आरक्षण किया है।

(ज) मकान मरम्मत के लिए अनुदान :

राज्य सरकार के साथ मिलकर 50 प्रतिशत लागत हिस्सेदारी पर युद्ध विधवाओं/युद्ध में घायल हुए सैनिकों को मकान मरम्मत करने के लिए अधिकतम 10,000/- ₹0 की राशि की वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ट) सैनिक विश्राम घर सुविधाएं : देश में 252 से अधिक सैनिक विश्राम गृह निर्मित किए गए हैं जो भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को मामूली दरों पर ठहरने की सुविधा प्रदान करते हैं।

(ठ) वीरता/गैर-वीरता पुरस्कार

विजेताओं के लिए जमीन के बदले नकद पुरस्कार/वार्षिक नकद : राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा वीरता/गैर-वीरता पुरस्कार विजेताओं को जमीन के बदले नकद पुरस्कार/वार्षिक वजीफा /नकद प्रदान करते हैं।

सैन्य कर्मियों के लिए पेंशन

11.27 सशस्त्र सेना कार्मिकों की सेवा-शर्तें, सेवा की आवश्यकताओं और विभिन्न भू-जलवायु संबंधी स्थितियों जैसे पश्चिम में रेगिस्तान, उत्तर में ग्लेशियरों, पूर्व में वर्षा वनों और दक्षिण में खुले समुद्र में कार्य करने की आवश्यकता के कारण सिविलियनों से बहुत भिन्न होती हैं। जिससे उन्हें समय-समय पर परिवार से अलग भी रहना पड़ता है। आक्रमण होने पर उन्हें अपने देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए जीवन का सर्वोत्तम बलिदान देने

के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। सशस्त्र सेनाओं को बेहतरीन युद्ध कौशल के लिए युवा छवि का प्रदर्शन बनाए रखना जरूरी है। यही कारण है कि सिविलियन कर्मचारियों की तुलना में उन्हें अपेक्षाकृत कम आयु में ही सेना से सेवानिवृत्त/ सेवानिवृत्त कर दिया जाता है और सिविलियन कर्मचारियों की अपेक्षा उन्हें उदारकृत मानदंडों के अनुसार पेंशन लाभ दिए जाते हैं। सशस्त्र सेना के मामलों में, सेना से सेवानिवृत्ति/ सेवामुक्ति की प्रकृति ही उनको प्रदान की जाने वाली पेंशन की किस्म को निश्चित करती है। विभिन्न प्रकार की पेंशन की पात्रता शर्तें, दरों आदि का ब्यौरा अगले पैराग्राफों में दिया गया है।

सेवानिवृत्ति /सेवा पेंशन

11.28 सैन्यकर्मियों की सेवानिवृत्ति/ सेवा पेंशन की गणना अंतिम 10 माह के औसत वेतन के 50 प्रतिशत के आधार पर की जाती है। अधिकारी स्तर से नीचे के रैंक के कार्मिकों (पी बी ओ आर) के मामलों में, सेवानिवृत्त होने से पूर्व 10 माह तक धारित उच्चतम रैंक के आधार पर इसकी गणना की जाती है। सेवानिवृत्ति/ मृत्यु की तिथि पर प्रदत्त महंगाई भत्ते (डी ए) को भी परिलब्धियों में सम्मिलित किया जाता है।

सैन्यकार्मिकों के मामलों में पेंशन उच्चतम वेतन का अधिकतम 50 प्रतिशत या न्यूनतम 1275 रु0 प्रतिमाह दी जाती है। 1 जनवरी, 1996 से, संशोधित समानता के लिए बनाए गए फार्मूले के अनुसार, पहले के पेंशनरों के लिए 1 जनवरी, 1996 से संशोधित पेंशन वेतनमान में उनके द्वारा धारित रैंक तथा ग्रुप के न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत से कम (अधिकारी रैंक के

स्तर से नीचे के रैंक के कार्मिकों के मामलों में सैन्यकर्मियों के लिए नहीं होती। जबकि थल सेना नौसेना तथा वायुसेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में वास्तव में की गई सेवा (बिना रियायत के) तथा पेंशन प्राप्ति के लिए अर्हक सेवा 20 वर्ष (अधिक आयु में भर्ती हुए प्रवेशकों के मामलों में 15 वर्ष) है तथा पी बी ओ आर के मामलों में 15 वर्ष (अयोधियों के भर्ती के मामले में 20 वर्ष) है तथापि उनकी शीघ्र सेवा-निवृत्ति को देखते हुए कैप्टनों और उनसे नीचे के रैंक के अफसरों के वास्ते 9 वर्ष और जनरलों के वास्ते 3 वर्ष तक का अधिभार जोड़कर रियायत का लाभ प्रदान किया जाता है। अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों को 5 वर्षों का एक समान लाभ दिया जाता है। उपदान की गणना करते समय सभी रैंक के मामलों में 5 वर्ष का लाभ दिया जाता है। सिविलियन कर्मचारियों की पेंशन के 40 प्रतिशत भाग का संभारीकरण करने की तुलना में सशस्त्र सेना के कार्मिकों, अधिकारियों को 43 प्रतिशत, अधिकारी रैंक के नीचे के स्तर के सैन्यकर्मियों को अपनी पेंशन के 45 प्रतिशत भाग का संभारीकरण करने की अनुमति है।

11.29 थल सेना के रिजर्व सैन्य कार्मिक जिन्होंने पेंशन प्राप्ति को कोई विकल्प नहीं दिया तथा सरकार द्वारा दी गई किसी भी पुनर्वास सहायता का कोई लाभ नहीं लिया और जिन्हें किसी प्रकार की कोई पेंशन नहीं मिल रही है उन्हें नवम्बर 1997 से महंगाई भत्ते के साथ 600 रु0 प्रतिमाह की अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है, बशर्ते कि उन्होंने सेना में पेंशन पाने के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की हो।

पेंशन लाभों का वर्गीकरण

11.30 पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, सैन्य सेवा के कारण,

सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों की पेंशन की गणना अंतिम 10 माह के औसत वेतन के 50% के आधार पर की जाती है।

अन्य कारणों से, विभिन्न परिस्थितियों में हुई मृत्यु या अपंगता के पेंशन लाभ निर्धारण के लिए मोटे तौर पर मामलों को 5 वर्गों में निम्नानुसार विभक्त किया गया है:-

वर्ग 'क'	प्राकृतिक कारणों से हुई मृत्यु या निशक्तता
वर्ग 'ख'	सैन्य सेवा द्वारा या सैन्य सेवा के कारण हुई मृत्यु या निशक्तता
वर्ग 'ग'	कर्तव्य निर्वहन करते हुए दुर्घटनाओं में मृत्यु या निशक्तता
वर्ग 'घ'	हिंसा/आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले के कारण मृत्यु या निशक्तता, भले ही वे ड्यूटी पर थे अथवा नहीं।
वर्ग 'ङ'	युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण मृत्यु या निशक्तता।

11.31 **निशक्तता पेंशन :** एक व्यक्ति, जो सेना से सैन्य सेवा के कारण हुई या उसकी वजह से (वर्ग ख एवं ग), बीमारी/चोट/घाव में वृद्धि होने के कारण सेवामुक्त/ सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, वह निशक्तता पेंशन पाने के हकदार हैं बशर्ते चिकित्सा बोर्ड ने उसकी निशक्तता 20 प्रतिशत या उससे अधिक आंकी हो। निशक्तता पेंशन में सेवा अंश तथा निशक्तता अंश शामिल होता है। सेवा अंश कार्मिक द्वारा की गई सेवा अवधि से संबंधित तथा निशक्तता अंश उसकी निशक्तता की गंभीरता पर आधारित होता है तथा इसी निशक्तता की क्षतिपूर्ति के लिए उसे निशक्तता पेंशन दी जाती है। सेवा अंश की राशि सामान्य सेवानिवृत्ति/ सेवा पेंशन के बराबर होती है। 1 जनवरी, 1996 से सेवा अंश की न्यूनतम राशि 1275 रुपये प्रतिमाह है, भले ही उसकी पेंशन योग्य सेवा की अवधि न्यूनतम पेंशन योग्य सेवा से कम हो। 100 प्रतिशत निशक्तता वाले सैन्यकर्मियों को चिकित्सा

बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर 600/- रुपये प्रतिमाह के आधार पर सतत् परिचर्या भत्ता भी प्रदान किया जाता है। शेष उन सभी मामलों में, जहां सैन्यकर्मियों निशक्तता के कारण सेवामुक्त किया गया हो, चाहे निशक्तता सैन्य सेवा के कारण न हुई हो या उसमें वृद्धि न हुई हो, यदि उन्होंने 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा की हो तो उन्हें भी निशक्तता पेंशन प्रदान की जाती है। यदि सेवा अवधि 10 वर्ष से कम है तो सेवा की अवधि को ध्यान में रखकर निशक्तता उपदान प्रदान किया जाता है। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप 1 जनवरी 1996 से निशक्तता पेंशन की दरें इस प्रकार संशोधित की गई हैं :-

(क) **अशक्तता पर :** जब किसी सैन्य कर्मियों को सैन्य सेवा के कारण या उसकी वजह से डाक्टरी आधार पर अशक्त करके सेवामुक्त कर दिया जाता है तो वह निम्नलिखित निशक्तता पेंशन का हकदार होगा :-

(i) **सेवा अंश :** यह वास्तव में की गई सेवा तथा लागू रियायत और सामान्य सेवानिवृत्ति सेवा पेंशन के बराबर होगी। 1 जनवरी 1996 से न्यूनतम 1275 रुपये प्रतिमाह की दर से सेवा अंश देय है। सेवा अंश को अर्जित करने के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की कोई शर्त नहीं है।

(ii) **निशक्तता अंश :** 1 जनवरी 1996 से लागू विभिन्न रैंकों के लिए 100 प्रतिशत निशक्तता होने पर निशक्तता अंश की दरें निम्न प्रकार हैं :-

- कमीशन /मानद कमीशन प्राप्त अधिकारी- 2600/- रुपये प्रतिमाह
- जुनियर कमीशनप्राप्त अफसर तथा समकक्ष- 1900/- रुपये प्रतिमाह
- अन्य रैंक - 1550/- रुपये प्रतिमाह

(iii) निशक्तता का विस्तृत समूहीकरण:

1 जनवरी 1998 या उसके पश्चात् अशक्तता के आधार पर सेवामुक्त होने के मामले में निशक्तता या कार्यात्मक असमर्थता की मात्रा सेवामुक्त किए गए कर्मियों के निशक्तता अंश की गणना के लिए निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है :-

50 प्रतिशत से कम निशक्तता - 50 %
50 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत के बीच - 75 %
76 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत के बीच- 100 %

जहां स्थायी निशक्तता 60 प्रतिशत के कम नहीं है वहां निशक्तता पेंशन (सेवा अंश तथा निशक्तता अंश को छोड़कर) व्यक्ति द्वारा अंतिम परिलब्धियों के 60 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(ख) निशक्तता के बाबजूद सेवा में

बनाए रखना : जब किसी सैन्यकर्मि को निशक्तता के बाबजूद सेना में रख लिया जाता है और वह सेवानिवृत्ति की आयु होने पर या अनुबंध की अवधि पूरी होने पर सेवानिवृत्त/सेवामुक्त हो जाता है तो वह 1 जनवरी 1996 से निम्नलिखित दरों पर (10 प्रतिशत)

निशक्तता अंश प्राप्त करने का हकदार होगा :-

- कमीशन/मानद कमीशन प्राप्त अधिकारी - 2600/- रुपये प्रतिमाह
- जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर तथा समकक्ष - 1900/- रुपये प्रतिमाह
- अन्य रैंक - 1550/- रुपये प्रतिमाह
- निशक्तता 100 प्रतिशत से कम परंतु 20 प्रतिशत से कम नहीं होने के मामले में उपयुक्त दरों को घटा दिया जाता है। 20 प्रतिशत से कम निशक्तता पर कोई निशक्तता अंश देय नहीं है।
- सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति की तिथि से निशक्तता अंश के साथ-साथ सेवानिवृत्ति/सेवा पेंशन या सेवानिवृत्ति/सेना उपदान, जो भी लागू हो, देय होगा।

5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निशक्तता से संबंधित कारणों की स्वीकार्यता तथा विशेष परिवार पेंशन तथा निशक्तता की मात्रा के मूल्यांकन संबंधी प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। संशोधित निर्देशों के अंतर्गत निशक्तता पेंशन को जारी रखने तथा पुनः सर्वेक्षण मेडिकल बोर्डों द्वारा समय-समय पर की जाने वाली पुनरीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है। चोटों के मामलों में, इनवैलिड/रिलीज मेडिकल बोर्डों द्वारा सिफारिश तथा अगली उच्चतर मेडिकल अथारिटी द्वारा अनुमोदित की गई निशक्तता की प्रतिशतता को अंतिम मान लिया जाता है बशर्ते व्यक्ति इसकी पुनः समीक्षा का अनुरोध न करे। इसी प्रकार स्थायी प्रकृति की बीमारियों की गंभीरता से हुई निशक्तता के मामलों में निशक्तता आई एम बी/आर एम बी द्वारा सिफारिश की गई तथा पी बी ओ आर के मामलों में चिकित्सा सलाहकार (पेंशन) द्वारा तथा एवं अधिकारियों के मामलों में सेना मुख्यालय द्वारा अनुमोदित सिफारिशों को अंतिम मान लिया जाता है बशर्ते व्यक्ति इसकी पुनः समीक्षा के लिए अनुरोध न करे। ऐसी निशक्तताओं, जोकि स्थायी प्रकार की न हों, के मामले में केवल एक बार पुनरीक्षा की जाएगी जो तब तक के लिए अंतिम और आजीवन के लिए होगी जब तक व्यक्ति स्वयं ही इसकी पुनरीक्षा के लिए अनुरोध न करे।

(ग) **एकमुश्त निशक्तता क्षतिपूर्ति :** यदि किसी व्यक्ति की जीवनपर्यंत निशक्तता 20 प्रतिशत या उससे अधिक है लेकिन ऐसी निशक्तता के बाबजूद उसे सेवा में रख लिया जाता है तो उसे वास्तव में निर्धारित की गई निशक्तता के आधार पर निशक्तता अंश की कीमत के बराबर (निशक्तता अंश के बदले) मुआवजा एकमुश्त राशि में अदा किया जाता है। 01 जनवरी 1996 को या उसके बाद हुए

हताहतों के मामलों में निशक्तता अंश की राशिगत गणना की दरें 1 जनवरी 1996 से लागू हैं। जब एक बार निशक्तता अंश के बदले मुआवजा दे दिया जाता है तो उसी निशक्तता के लिए फिर से मुआवजे लिए हकदारी नहीं रहेगी।

11.32 युद्ध घायल पेंशन: युद्ध घायल पेंशन उस व्यक्ति को प्रदान की जाती है जो युद्ध या युद्ध जैसे कार्रवाई में (श्रेणी ड) घायल/निशक्त हो जाता है और उसकी वजह से सेवा के लिए निशक्त हो जाता है। युद्ध घायल पेंशन में सेवा अंश और युद्ध घायल अंश शामिल होता है। सेवा अंश की गणना उसकी /उनकी सेवा-निवृत्ति/सेवा अंश के बराबर निशक्ता की तारीख को उसके /उनके वेतन के आधार पर की जाती है किन्तु सेवा की गणना उस तारीख तक की जाती है जिस तारीख तक वह/वे यथादेय अधिमान सहित सामान्य रूप से उस से रैंक से सेवा-निवृत्त हुए होते /होती। 100 प्रतिशत निशक्तता में युद्ध घायल अंश का भुगतान किया जाना जरूरी है। तथापि किसी भी मामले में सैन्य अंश और युद्ध घायल अंश अंतिम आहरित वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए। निशक्तता पेंशन/उदारीकृत पेंशन/युद्ध घायल पेंशन पर 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप युद्ध में हुए घायलों के संबंध में निशक्तता अंश की दरें पैरा 11-31 (क) (ii) में दर्शाई गई राशि की दुगुनी हो जाती है। अशक्तता के मामलों में युद्ध घायल अंश की संगणना के प्रयोजन से निशक्तता या कार्यात्मक अक्षमता की सीमा पैरा 11.31 (क) (iii) में यथानिर्धारित है।

11.33 1 जनवरी, 1996 से, हिंसा कार्रवाइयों/आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों समाज-विरोधी तत्वों, आम स्थानों में या ट्रांसपोर्ट में हुए बम विस्फोट, अंधाधुंध गोलीबारी आदि में

निशक्त हुए (वर्ग 'घ') सशस्त्र सैन्यकर्मियों को वे लाभ दिए जाते हैं। (सेवा अंश एवं सेवानिवृत्ति उपदान) जो उपरलिखित निशक्तता के बदले एकमुश्त मुआवजे सहित इनवैलिडमेंट/सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति पर युद्ध घायल मामलों में लागू है, सिवाय इसके कि वे युद्ध घायल अंश के बदले निशक्तता अंश के लिए हकदार होंगे।

11.34 परिवार पेंशन : साधारण परिवार पेंशन : उन सैन्यकर्मियों के परिवारों को जो सेवा के दौरान या पेंशन के साथ सेवानिवृत्ति उपरांत दिवंगत हो जाते हैं, अर्हक वेतन के 30प्रतिशत की दरों पर परिवार-पेंशन प्रदान की जाती है। पहले परिवार पेंशन की न्यूनतम राशि 375/- रुपये प्रतिमाह थी जिसे 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 जनवरी 1996 से बढ़ाकर 1275/- रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। संशोधित समानता के संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार पहले के पेंशनर 1 जनवरी 1996 से संशोधित वेतनमान के न्यूनतम पर 30 प्रतिशत पाने के हकदार हैं जो रैंक तथा ग्रुप पेंशनर/दिवंगत सैन्यकर्मी द्वारा अंत में धारण किए हुए थे। यदि दिवंगत सैन्यकर्मी ने 7 वर्ष या उससे अधिक न्यूनतम सतत् अर्हता सेवा की थी तो दिवंगत सैन्यकर्मी के परिवार को पहले 7 वर्ष से उस समय तक जब तक कि सैन्यकर्मी 67 वर्ष की आयु पर पहुंच गया होता या इसमें से जो भी पहले हो, दुगुनी दरों पर पेंशन प्रदान की जाएगी। बढी हुई परिवार पेंशन, परिलब्धियों के 50 प्रतिशत राशि, या यदि सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है तो सेवानिवृत्ति पर प्राप्त पेंशन लेकिन 67 वर्ष की आयु होने से पहले मिलती है।

11.35 1 जनवरी, 1996 से साधारण परिवार पेंशन (i) उन माता-पिता को जो उस सैन्यकर्मी पर आश्रित थे जब वह जीवित था, बशर्ते कि

वह अपने पीछे न तो विधवा पत्नी, न ही कोई बच्चा छोड़ गया हो। (ii) विधवा/तलाकशुदा इसके लिए आप मानदंड यह है पिता और विधवा/तलाकशुदा पुत्रियां जब तक वे 25 वर्ष की आयु की नहीं हो जाती या उनके पुनर्विवाह की तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, देय होती है। इसके लिए आय मानदंड यह है कि माता-पिता और विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों की आमदनी 2550/- रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त बनाए गए पेंशन लाभों को पात्र निकट-संबंधियों को 1 जनवरी, 1998 से लागू किया गया है और पिछले सभी मामलों पर गुण-दोष के आधार पर 1 जनवरी, 1998 से लागू परिवार पेंशन दी जाती है।

11.36 27 जुलाई 2001 से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 तथा परिवार पेंशन स्कीम 1971 के अंतर्गत देय परिवार पेंशन संबंधित पेंशन विनियम के अंतर्गत सैन्यकर्मियों को देय परिवार पेंशन के साथ-साथ देय होगी।

11.37 **विशेष परिवार पेंशन :** यदि यह स्वीकार कर लिया जाता है कि सैन्यकर्मियों की मृत्यु सैन्य सेवा के फलस्वरूप या उसके कारण (वर्ग ख एवं ग), हुई है तो उसके परिवार को विशेष परिवार पेंशन प्रदान की जाती है। विशेष परिवार पेंशन प्रदान करने के लिए मृत्यु की तिथि पर न्यूनतम सेवा की कोई शर्त नहीं है। कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामलों में यह उसकी विधवा पत्नी को प्रदान की जाती है। अल्पकालीन सेवा के कमीशन प्राप्त अधिकारी एवं आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी के परिवार भी विशेष पारिवारिक पेंशन के हकदार हैं। अफसर रैंक के नीचे के रैंकों के सैन्यकर्मियों के मामलों में नियमानुसार परिवार के किसी एक सदस्य को (सिवाय आश्रित भाइयों

व बहनों के) जीवनपर्यन्त और माता-पिता की मृत्यु होने पर (जिन्हें मूल लाभार्थी होने के रूप में नामित किया गया था) उसे पूर्णरूप से विधवा को स्थानान्तरित किया जाता है, भले ही उसकी वित्तीय स्थिति कैसी भी हो।

11.38 1 जनवरी, 1996 से विशेष परिवार पेंशन, दिवंगत सैन्यकर्मियों द्वारा आहरित परिलब्धियों का 60प्रतिशत न्यूनतम 2550/-रुपये प्रतिमाह उस विधवा पत्नी को दी जाती है जिसकी चाहे संतान हो अथवा न हो। विशेष परिवार पेंशन की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। उन मामलों में जहां बच्चे लाभार्थी हैं सबसे बड़े बच्चे को समान दर पर विशेष परिवार पेंशन 25 वर्ष की आयु या उसकी शादी होने तक मिलेगी। इसके पश्चात् अगले पात्र बच्चे को विशेष परिवार पेंशन मिलेगी। उस मामले में जहां पात्र बच्चा शारीरिक या मानसिक विकलांग है और अपनी जीविका अर्जित करने में अयोग्य है, तो उसे विशेष परिवार पेंशन जीवन पर्यन्त मिलेगी। पत्नी तथा बच्चे न होने की स्थिति में दिवंगत सैन्यकर्मियों के माता-पिता निर्धारित दरों में पेंशन पाने के हकदार होंगे। वे विधवाएं जिन्होंने 1 जनवरी, 1996 को या उसके पश्चात् पुनर्विवाह किया है उन्हें भी कुछ शर्तों पर विशेष परिवार पेंशन दी जाती है।

11.39 **उदारीकृत परिवार पेंशन :** युद्ध या युद्ध जैसे कार्रवाई, आतंकविरोधी कार्रवाई या आतंकवादी/या सशस्त्र झड़पों या घटनाओं समाजविरोधी तत्वों आदि (श्रेणी घ एवं ङ) के दौरान हुई सैन्यकर्मियों अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अफसर तथा आपातकालिक कमीशन प्राप्त अफसर [एसएससी ओज एवं ई सी ओज सहित) की मृत्यु होने पर उनके परिवारों को दिवंगत सैनिक द्वारा मृत्यु के समय प्राप्त

परिलब्धियों के बराबर उदारीकृत परिवार पेंशन प्रदान की जाती है। अफसरों के मामलों में भी उनकी विधवाओं तथा पी बी आर द्वारा नामित किए गए उत्तराधिकारी की मृत्यु या अयोग्यता सिद्ध होने तक इसी दर पर पेंशन प्रदान की जाती है। यदि सैन्यकर्मी की विधवा जिंदा नहीं है बल्कि उसके बच्चे जीवित हैं तो सभी बच्चों को दिवंगत कार्मिक द्वारा अंत में आहरित परिलब्धियों के 60 प्रतिशत के बराबर पेंशन प्रदान की जाएगी। उदारीकृत पेंशन सबसे बड़े बच्चे को देय होगी जब तक कि वह 25 वर्ष की आयु का नहीं हो जाता या उसके विवाह की तारीख इनमें से जो भी पहले हो, उसके बाद पेंशन अगले पात्र को प्रदान की जाएगी। विधवा/ तलाकशुदा लड़कियां जिनकी आयु 25 वर्ष की होने तक अथवा विवाह हो जाने तक इनमें से जो भी पहले हो, उदारीकृत परिवार पेंशन के पात्र हैं। यदि पात्र बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है और अपनी जीविका स्वयं अर्जित नहीं कर सकता तो उसे भी जीवनपर्यन्त उदारीकृत परिवार पेंशन प्रदान की जाती है। उदारीकृत परिवार पेंशन के अलावा कोई संतान भत्ता देय नहीं है।

11.40 चाहे वह विधवा हो या अफसर रैंक के नीचे के सैन्यकार्मिक की विधवा के पुनर्विवाह होने की स्थिति में, विधवा को पहले जीवनपर्यन्त तक उदारीकृत परिवार पेंशन मंजूर की जाएगी। विधवा को पूरी उदारीकृत पारिवारिक पेंशन जारी रखी जाएगी यदि वह पुनर्विवाह के पश्चात् भी बच्चों की देखभाल करती है या उसके कोई संतान नहीं है। यदि पुनर्विवाह के पश्चात् विधवा बच्चों की देखभाल नहीं करती है, तो विधवा को 30 प्रतिशत साधारण परिवार पेंशन ही मिलेगी। बच्चों तथा

विधवा पत्नी न होने की स्थिति में आश्रित पेंशन (उदारीकृत) दिवंगत सैन्यकर्मी के माता-पिता को उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना प्रदान की जाएगी।

कैडेटों की मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि देना

11.41 सैन्य प्रशिक्षण के कारण अथवा सैन्य प्रशिक्षण से बड़े कारणों से कैडेट की मृत्यु होने की दशा में कतिपय शर्तों के अध्यक्षीन निम्नलिखित अनुग्रह राशि देय है :-

- (क) 2.5 लाख रुपये का एकमुश्त अनुग्रह।
- (ख) उपर्युक्त(क) के अलावा विवाहित और अविवाहित कार्मिकों के निकटतम संबंधी को 1275/- रुपये प्रतिमाह की अनुग्रह राशि।

11.42 01 अगस्त 1997 को या उसके बाद कैडेटों की मृत्यु होने के मामलों में एकमुश्त अनुग्रह राशि स्वीकार्य है। तथापि, उपर्युक्त 11.41 (ख) पर यथा उल्लिखित संशोधित मासिक अनुग्रह राशि का लाभ 01 अगस्त 1997 से पहले के मामलों पर भी लागू है जिसके लिए आर्थिक लाभ 1.8.1997 से दिया जाएगा।

कैडेटों के निशक्त होने पर अनुग्रह राशि :

11.43 सैन्य प्रशिक्षण के कारण चिकित्सा आधार पर कैडेट (सीधे) की अशक्तता अथवा उसकी वजह से उसमें वृद्धि होने की दशा में कतिपय शर्तों के अध्यक्षीन निम्नलिखित अनुग्रह राशि देय है :-

- (क) 1275/- रुपये प्रतिमाह की मासिक अनुग्रह राशि।

(ख) निशक्तता की अवधि के दौरान 100 प्रतिशत निशक्तता के लिए 2100/-रुपये प्रतिमाह की दर पर अनुग्रह निशक्तता राशि। यदि निशक्तता की मात्रा 100 प्रतिशत से कम होती है तो अनुग्रह निशक्तता राशि को समानुपातिक आधार पर कम कर दिया जाता है।

(ग) अशक्तताकारी चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर 100 प्रतिशत निशक्तता के लिए 600/-रुपये प्रतिमाह का सतत् परिचर्या भत्ता।

11.44 अनुग्रह निशक्तता राशि 1 अगस्त 1997 से लागू है। तथापि, यही लाभ 1 अगस्त 1997 से पहले के मामलों पर भी स्वीकार्य है जिनको वित्तीय लाभ 1 अगस्त 1997 से प्रभावी है।

सैन्य इयूटी का निर्वाह करते हुए मृत्यु होने पर

11.45 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर रक्षा मंत्रालय ने विशेष पारिवारिक पेंशन/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन के साथ-साथ 1 अगस्त, 1997 या उसके पश्चात् दिवंगत हुए सैन्यकर्मी के परिवार को निम्नानुसार अनुग्रह राशि भी प्रदान की जाएगी :

(क) कर्तव्य का निर्वहन करते हुए दुर्घटनाओं में मृत्यु - 5.00 लाख रुपये

(ख) आतंकवादियों, समाज-विरोधी तत्वों आदि द्वारा किए गए हमलों के कारण कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मृत्यु - 5.00 लाख रुपये

(ग) निम्नलिखित घटनाओं में मृत्यु होने पर (i) सीमा पर हुई झड़पों एवं (ii) आतंकवादियों, अतिवादियों, उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान हुई मृत्यु- 7.50 लाख रुपये*

(घ) अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में दुश्मन की कार्रवाई या इसी प्रकार की युद्ध जैसी लड़ाइयों, जिन्हें सरकार

द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित किया हो, में होने वाली मृत्यु - 10.00 लाख रुपये*
*(1.5.1999 से प्रभावी)

सशस्त्र सेना के 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन

11.46 1 जनवरी, 1996 से पहले के सभी पेंशनभोगियों/ परिवार पेंशनभोगियों की पेंशन राशि को 1 जनवरी, 1996 से नियमित/ समेकित करने के लिए आवश्यक आदेश दिए गए। इसके अलावा 1 जनवरी, 1996 से पूर्व के सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन में समानता लाने के उद्देश्य से पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में निशक्तता पेंशन/ विशेष परिवार पेंशन/उदारीकृत परिवार पेंशन/युद्ध घायल पेंशन इत्यादि के संशोधन के लिए सरकार द्वारा आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं। जो विधवाएं उदारीकृत परिवार पेंशन ले रही थीं उनकी पेंशन शुरू होने की तारीख को ध्यान में रखे बिना उनकी समेकित पेंशन दिवंगत कार्मिक द्वारा उसकी मृत्यु के समय धारित रैंक, रैंक और समूह (अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिक), के लिए 1 जनवरी, 1996 से प्रभावित संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन पर परिकल्पित संगणनीय परिलब्धियों से कम नहीं होगी। विशेष परिवार पेंशनभोगियों के लिए समेकित पेंशन, सैन्यकर्मी की आयु के समय उसके द्वारा धारित रैंक, रैंक और ग्रुप (अफसर रैंक से निचले कार्मिक के मामले में) पर 1 जनवरी 1996 से लागू संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन के 60 प्रतिशत से कम नहीं होगी जो न्यूनतम 2550/- रुपये प्रतिमाह की शर्त के अधीन है। 1 जनवरी 1996 के बाद के

पेंशनभोगियों पर यथा लागू निशक्तता पेंशन, युद्ध घायल पेंशन (अशक्तता के मामलों को छोड़कर), सतत परिचर्या भत्ता की दरों को 1 जनवरी, 1996 से पूर्व के उन पेंशनभोगियों पर भी 1 जनवरी, 1996 से लागू कर दिया गया है जो निशक्तता पेंशन, युद्ध घायल पेंशन सतत् परिचर्या भत्ता आदि प्राप्त कर रहे थे।

11.47 **रक्षा पेंशन अदालत:** रक्षा पेंशनभोगियों की जायज शिकायतों की समाधान करने के लिए उनके कार्य-स्थल/निवास स्थान के निकट देश के विभिन्न भागों में रक्षा पेंशन अदालतें लगाई जाती हैं। ये अदालतें बहुत लोकप्रिय होती जा रही हैं।

11.48 इन अदालतों में सशस्त्र सेनाओं के पेंशन संबंधी मामलों की विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधि होते हैं इसलिए शिकायतों का उसी समय समाधान करने पर जोर दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान, चेन्नई, चण्डीगढ़, जम्मू, आगरा, धर्मशाला, कोट्टायम, मुंबई और विशाखापट्टनम में रक्षा पेंशन अदालतों का आयोजन किया गया।

11.49 वर्ष 2003-04 में आयोजित की गई गत लोक अदालतों का प्रत्युत्तर अत्यंत उत्साहवर्धक रहा। प्राप्त किए गए 2307 अभ्यावेदनों में से 1920 अभ्यावेदनों का समाधान कर दिया गया है और शेष 387 पर अंतिम कार्रवाई की जा रही है।

11.50 **सेना मुख्यालयों को शक्तियों का प्रत्यायोजन :** सरकार ने 14.8.2001 से पेंशन के कुछ मामलों में, जिसमें मुख्य रूप से परिवार पेंशन बांटने, अफसरों के मामले में विशेष परिवार पेंशन, अनुग्रह, निशक्तता पेंशन दिए जाने, प्रथम अपील मामलों, 12 महीने से ज्यादा समय हो जाने पर अपील करने, सेवा से बर्खास्त किए जाने पर पेंशन स्वीकृत करने और विभिन्न अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों को लागू करने जैसी प्रशासनिक शक्तियां सेना मुख्यालयों को प्रत्यायोजित कर दी हैं।

11.51 रक्षा पेंशनभोगियों की संख्या 20.51 लाख से अधिक आकलित की गई है। लगभग 55,000 सैन्यकर्मों प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। रक्षा पेंशनभोगियों को देशभर में फैली सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 35,000 शाखाओं, 534 कोषागारों, 61 रक्षा पेंशन वितरण कार्यालयों एवं 5 वेतन एवं लेखा कार्यालयों के माध्यम से पेंशन वितरित की जाती है। पिछले तीन वर्षों में रक्षा पेंशनभोगियों पर वार्षिक खर्च और 2003-04 व 2004-05 के लिए अनुमानित खर्च इस प्रकार है:-

वर्ष	वितरित पेंशन (करोड़ रुपये में)
2000 - 2001	10538.93
2001 - 2002	10487.92
2002 - 2003	10092.07
2003 - 04 (बजट अनुमान)	11000.00
2003 - 04 (संशोधित अनुमान)	11000.00
2004 - 05 (बजट अनुमान)	11250.00

सशस्त्र सेनाओं तथा सिविल प्राधिकारियों के बीच सहयोग



बाढ़ग्रस्त उड़ीसा में ग्रामीणों को बचाते हुए नौसैनिक दल

सीमाओं की रक्षा करने के अलावा, सशस्त्र सेनाएँ कानून व्यवस्था, आवश्यक सेवाएं बनाए रखने तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों में सिविल प्राधिकारियों की सहायता करती है।

12.1 यह सुनिश्चित करने के अतिरिक्त कि कोई हमारे देश की सीमाओं का उल्लंघन न कर सके, सशस्त्र सेनाओं को कानून-व्यवस्था, आवश्यक सेवाएं बनाए रखने तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों में सिविल प्राधिकारियों की सहायता करने का भी आदेश दिया जाता है। सशस्त्र सेनाएं वास्तविक राहत पहुंचाने के अतिरिक्त आपात योजना को बेहतर बनाने तथा समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सिविल प्राधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए रखती है। सशस्त्र सेनाओं द्वारा इस वर्ष प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित पैराओं में दिया गया है।

सेना

सैन्य नागरिक कार्रवाई परियोजनाएं

12.2 स्थानीय नागरिकों को उग्रवादियों से अलग रखने के लिए उनका दिल और मन जीतना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास का लाभ आम आदमी तक पहुंचे,

सिविल प्रशासन की सहायता कर सेना की प्रतिविद्रोहिता रणनीति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में सेना द्वारा चलाए गए प्रमुख नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम इस प्रकार है :-

- (क) स्कूल भवनों का जीर्णोद्धार (ख) कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों तथा विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना, (ग) स्कूली बच्चों को भारत के ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की सैर कराना।
- (घ) स्थानीय लोगों के लिए रोमांचक खेलों का आयोजन, (ङ) उप मार्गों का निर्माण (च) पेयजल योजनाओं का कार्यान्वयन, (छ) पुलों का निर्माण (ज) रोजगार पैदा करने वाली योजनाएं जैसे प्रशिक्षण प्रशिक्षु संवर्ग, व्यावसायिक प्रशिक्षण, हथकरघा एवं बुनाई,
- (झ) दूर-दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा कैंप आयोजित करना, महिलाओं के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम चलाना तथा दवाइयां वितरित करना,
- (य.) दूर-दराज के क्षेत्रों में पशु-चिकित्सा कैंपों का आयोजन, (ट) युवाओं के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन।



कश्मीरी बालाएं सेना यूनिट में बुनाई सीखते हुए

12.3 श्रीलंका में बाढ़ राहत ऑपरेशन (आपरेशन डेनिम): श्रीलंका के केन्द्रीय और दक्षिणी क्षेत्रों के रतनपुरा, कालूतारा, मातारा, हमबनटोटा जिलों में अप्रत्याशित बाढ़ के प्रभाव के परिणामस्वरूप श्रीलंका सरकार ने 18 मई, 2003 को भारत सरकार से लगभग 15,000 बाढ़ पीड़ितों के लिए चिकित्सा-सह-मानवीय सहायता के लिए अनुरोध किया।

12.4 भारतीय सैन्य आपदा प्रबंधन दल जिसमें 20 डाक्टर तथा लगभग 200 पैरामेडिकल कर्मचारी, अभियंता एवं प्रशासनिक सहायता कार्मिक थे, को 20 मई, 2003 को भारतीय वायु सेना द्वारा इलाहाबाद तथा सिकन्दराबाद से कोलम्बो ले जाया गया। भारतीय सैन्य दलों ने 21 मई, 2003 को प्रभावित गांवों में कई चिकित्सा सहायता चौकियों के अतिरिक्त रतनपुरा, गेले और मातारा में चिकित्सा शिविर

स्थापित किए जहां पर कुल 16,957 पीड़ितों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। महामारी जैसे टाइफाइड और अन्य घातक रोग जैसे डेंगू बुखार तथा मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए विशेष चिकित्सा आपूर्तियां भेजी गई। इन दलों को 6 जून, 2003 को वापस बुला लिया गया।

12.5 ईरान में भूकंप पीड़ितों को चिकित्सा सहायता : ईरान स्थित बाम में 26 दिसंबर, 2003 को 0530 बजे रिक्टर स्केल पर 6.3 की तीव्रता वाले भूकम्प द्वारा हुए भारी विनाश के परिणामस्वरूप राहत और बचाव कार्य के लिए 30-31 दिसंबर, 2003 और 1 जनवरी 2004 को 68 व्यक्तियों वाले एक सेना चिकित्सा दल (15 डाक्टर और 47 परा-चिकित्सक और इंजीनियर कोर से 4 व्यक्ति व ई एम ई से 2 व्यक्ति) को 4 विमानों में ईरान (केरमान) ले

जाया गया। इस दल ने बाम में 75 बिस्तरों का एक अस्पताल स्थापित किया। ओ पी डी सुविधाएं 2 जनवरी, 2004 को शुरू हुईं और अस्पताल 3 जनवरी, 2004 से पूर्णतः कार्य करने लगी। 20 मार्च, 2004 तक कुल 50,699 ओ पी डी तथा 5716 शल्य चिकित्सीय रोगियों का इलाज किया गया। यह भारतीय सैन्य चिकित्सा दल 4 अप्रैल, 2004 को भारत लौटा आया।

भारत में बाढ़ राहत कार्य

12.6 उड़ीसा : 29 अगस्त 2003 को महानदी प्रणाली में भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण कटक, केन्द्रापाड़ा, जगतसिंहपुर, खुर्दा, पुरी और जाजपुर जिलों के निचले स्थानों में बाढ़ आ गई। तदनुसार 30 अगस्त से 17 सितंबर, 2003 के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में 5 सैन्य टुकड़ियां तैनात की गईं। सेना ने बड़े स्तर पर बचाव तथा राहत आपरेशन चलाए। 175 असहाय व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और 9,430 व्यक्तियों को चिकित्सा मुहैया करायी गई। सेना ने बड़ी संख्या में राहत सामग्री के वितरण में सिविल प्रशासन की सहायता की।

12.7 बिहार : भारी वर्षा होने के कारण गंगा एवं इसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़

जाने से सितंबर, 2003 में पटना, सारण, मुंगेर तथा समस्तीपुर जिलों में बाढ़ आ गई। 11 सितंबर से 22 सितंबर, 2003 तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पांच सैन्य दस्ते तैनात कर दिए गए थे। बचाव एवं राहत कार्रवाई के दौरान बाढ़ में फंसे 886 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर

ले जाया गया, 3,395 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता मुहैया कराई गई। सेना ने भारी मात्रा में राशन एवं अन्य राहत सामग्री के वितरण में सिविल प्रशासन की भी मदद की।

12.8 उत्तर प्रदेश : आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी में बांध में 27 अगस्त, 2003 को आई 75 मीटर की दरार को पाटने तथा राहत एवं बचाव कार्य करने के लिए 27 अगस्त से 5 सितंबर, 2003 तक एक सैन्य दस्ता तैनात किया गया। बाढ़ राहत कार्य के दौरान दरार को सफलतापूर्वक पाट दिया गया तथा बाढ़ में फंसे 2,698 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, 4,724 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता मुहैया करायी गई। बलिया जिले में गंगा नदी के बांध में आई एक अन्य दरार को पाटने तथा बचाव एवं राहत कार्य में सिविल प्रशासन की मदद करने के लिए भी 13 सितंबर से 19 सितंबर, 2003 तक एक सैन्य दस्ता तैनात किया गया।

12.9 मध्य प्रदेश : सितंबर, 2003 के महीने में भारी वर्षा के कारण रीवा एवं सतना जिलों में बाढ़ आ गई। एक सैन्य दस्ते ने 10 सितंबर से 14 सितंबर तक बाढ़ के शिकार हुए लोगों को मदद पहुंचाई। बाढ़ में फंसे 66 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, 523 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता मुहैया करायी गई तथा हेलिकॉप्टर से खाने के 1500 पैकेट गिराए गए।

12.10 पश्चिम बंगाल : 8 जुलाई, 2003 को जलपाईगुड़ी जिले में मूसलाधार बारिश होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के समीप सिलीगुड़ी बागडोगरा रोड पर गांव मतिगारा के काफी हिस्सों में बाढ़ का पानी भर गया।

भारतीय सेना के 68 व्यक्तियों के चिकित्सा दल ने भूकंपग्रस्त ईरान के बाम में जनवरी 2004 में 75 बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित किया।



बैजनाथ में बाढ़ के दौरान बह गए पुल को दुबारा बनाते हुए सेना के जवान

बाढ़ग्रस्त लोगों को मदद पहुंचाने के लिए वहां 8 जुलाई से 10 जुलाई, तक एक सैन्य दस्ता तैनात कर दिया गया था।

12.11 **असम** : जुलाई, 2003 में शिबसागर जिले में लगातार बारिश होने की वजह से बाढ़ राहत कार्य के लिए सैन्य सहायता की मांग की गई। 9 जुलाई से 13 जुलाई, तक एक सैन्य दस्ता तैनात किया गया था तथा बचाव एवं राहत कार्य के लिए पुनः 23 जुलाई को सैन्य दस्ता तैनात किया गया।

12.12 **उत्तरांचल** : 5 अगस्त, 2003 को हरिद्वार में गंगा नदी में अचानक आई बाढ़ में 10 सिविलियन डूब गये थे। शवों को निकालने के लिए एक सैन्य बचाव दल भेजा गया था।

अन्य प्रकार की सहायता

12.13 **आगरा में रसायन फैक्टरी में आग** : 5 मई, 2003 को नाइस रसायन फैक्टरी, आगरा

में आग लगने पर वहां राहत एवं बचाव कार्यों में सेना का एक दस्ता लगाया गया था।

12.14 **मुंबई अमृतसर मेल में आग** :

15 मई, 2003 को पंजाब में लाडोवाल में मुंबई-अमृतसर फ्रंटियर मेल के तीन डिब्बों में आग लग गई थी। हताहतों को तुरंत चिकित्सा सहायता मुहैया कराने के लिए सेना का एक दस्ता भेजा गया था। रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे कुछ सैन्य कर्मियों ने असाधारण बहादुरी तथा समझदारी दिखाते हुए आग की लपटों से घिरे हुए तीन डिब्बों को शेष रेलगाड़ी से अलग करके आग को अन्य डिब्बों में फैलने से रोका तथा एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया।

12.15 **गुरदासपुर जिले में कागज मिल**

में आग : 19 मई, 2003 को गुरदासपुर जिले में एक कागज मिल में आग लगने पर सेना के एक दस्ते को 19 और 20 मई को राहत एवं बचाव का कार्य सौंपा गया था।



उड़ीसा में बाढ़ग्रस्त गांवों में नौसेना कार्मिकों द्वारा ढोया जा रहा ताजा पानी

12.16 करवार-मुंबई छुट्टी विशेष रेलगाड़ी :

22 जून, 2003 को महाराष्ट्र में रत्नागिरी के पास करवार-मुंबई छुट्टी विशेष रेलगाड़ी के पटरी से उतरने पर सेना के दो दस्ते तुरंत घटनास्थल पर भेजे गए तथा उन्होंने 24 जून तक रेलगाड़ी दुर्घटना के हताहतों को मानवीय सहायता प्रदान की।

12.17 पुल का निर्माण : नरसिंहपुर

(म0प्र0): करम संक्रांति मेले के दौरान इस्तेमाल के लिए मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में बर्मन घाट के पास नर्मदा नदी पर 172 मीटर लंबे पैदल पुल के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर एक सैन्य इंजीनियरी प्लाटून तैनात की गई थी।

12.18 पुल का निर्माण : उज्जैन

(म0प्र0): 31 मार्च से 15 मई के दौरान उज्जैन में सिंहस्थ (अर्ध कुंभ मेला), 2004 के दौरान इस्तेमाल के लिए उज्जैन (म0प्र0), में क्षिप्रा नदी पर सेना ने तीन पुलों प्रत्येक की लंबाई लगभग 100 मीटर का निर्माण किया गया था।

नौसेना

12.19 तटीय विनियमन क्षेत्र सर्वेक्षण :

कर्नाटक सरकार के लिए 56.56 लाख रुपये की लागत पर तटीय विनियमन क्षेत्र के व्यापक सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लिया गया था। सर्वेक्षण के दूसरे तथा तीसरे चरण का कार्य चल रहा है। इसके अलावा, नौसेना द्वारा जनवरी, 2003 के दौरान वृहत् मुंबई के तटीय विनियमन क्षेत्र के सर्वेक्षण का कार्य भी हाथ में लिया गया है। ये सर्वेक्षण पर्यावरण संरक्षण परियोजना के एक हिस्से के रूप में तटीय विनियमन क्षेत्र का सीमांकन करने के उद्देश्य से किए गए थे जिसमें जल सर्वेक्षकीय परिमाण तटीय योजना तथा विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

12.20 अग्निशमन सहायता : भा0 नौ0 पो0 राजाली के अग्निशमन दल ने दो अवसरों पर- 16 जनवरी, 2003 को अराक्कोनम रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी के डिब्बे में आग लगने पर सिविल प्राधिकारियों को अग्निशमन सहायता मुहैया कराई।

12.21 **चिकित्सा शिविर :** गरीब तथा जरूरतमंद ग्रामीणों को सहायता मुहैया कराने के लिए तथा उनमें स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता लाने के लिए 27 सितंबर, 2003 को फतरकतीविल्लाई गांव में एक चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम से लगभग 135 गांव लाभान्वित हुए।

12.22 **गांवों को स्वच्छ जल की आपूर्ति :** नौसेना द्वारा तिरुनेल्वेल्ली के निकटवर्ती गांवों को उनके मंदिरों और मस्जिदों में विशेष समारोहों के अवसरों के दौरान पीने का स्वच्छ पानी मुहैया करवाया जा रहा है।

12.23 **बाढ़ राहत कार्य/ सिविल प्राधिकारियों को सहायता :** उड़ीसा के बाढ़ग्रस्त मार्शगाई गांव, कंद्रापादा जिले में सितंबर, 2003 के प्रारंभ में सहायता के लिए एक प्रहार (समुद्री कमांडों की एक यूनिट) तैनात किया गया था। प्रहार ने जेमिनी का इस्तेमाल करते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का गहन रूप

से दौरा किया तथा खाद्य सामग्रियों का वितरण किया, चिकित्सा सहायता प्रदान की तथा जलमग्न गांवों से लोगों को बचाया। 8 और 9 अक्टूबर, 2003 को आंध्र प्रदेश की सरकार के अनुरोध पर खाद्य राहत कार्य तथा पीड़ित लोगों के लिए खाद्य पैकेट गिराने के लिए इच्छापुरम में एक चेतक हेलीकॉप्टर तैनात किया गया था।

12.24 **राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश :** दक्षिण नौसेना कमान में नौसेना बेसों के पड़ोसी गांवों के मुखियाओं के साथ कार्यशालाएं तथा बातचीत का आयोजन किया गया ताकि उन्हें सम्पूर्ण सुरक्षा आवश्यकताओं से अवगत कराया जा सके।

वायुसेना

12.25 **बाढ़ राहत :** भारतीय वायुसेना ने बिहार में बाढ़ के दौरान 35 टन भार, 183 यात्रियों, सेना कार्मिक तथा नौकाएं, बरेली से पटना ले जाने के लिए आई एल-76 और एन-



भारतीय नौसेना के नाविकों ने श्रीलंका में असहाय ग्रामीणों का बचाव किया



बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने के पैकेटों के साथ वायुसेना का हेलीकॉप्टर

32 से आठ उड़ाने भरी गईं। उड़ीसा में भी बाढ़ राहत कार्य किया गया। 4327 टन भार तथा 152 यात्रियों को ग्वालियर से भुवनेश्वर ले जाने के लिए आई एल-76 से दो उड़ाने भरी गई थीं। 154 उड़ानें भरकर कुल 141,73 टन भार तथा 182 यात्रियों को बिहार तथा उड़ीसा पहुंचाया गया था।

12.26 **ऑपरेशन डेनिम** : श्रीलंका में बाढ़ राहत कार्य के लिए दो आईएल-76 विमानों की सेवाएं ली गई थीं। इन विमानों से इंजीनियरी उपस्कर तथा सेना कार्मिक ले जाए गए थे। एक ए एन-32 विमान से 4.5 टन कम्बल भी ले जाया गया था।

12.27 **हताहतों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना** : कई मौकों पर जम्मू-कश्मीर के उत्तरी सेक्टर तथा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी

सेक्टर से हताहतों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था। 01 जनवरी, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक की अवधि के दौरान 246 यात्रियों को ले जाने के लिए 134:35 उड़ान घंटों में कुल 176 उड़ानें भरी गई थीं।

12.28 **कूरियर ऑपरेशन** : जम्मू-कश्मीर के सिविलियों के लिए 26 जनवरी, 2003 से कारगिल कूरियर संक्रियाएं शुरू की गईं। एएन-32 विमान ने कारगिल-श्रीनगर-जम्मू-श्रीनगर-कारगिल हवाई मार्ग पर सप्ताह में एक बार उड़ान भरी।

12.29 ईरान में भूकम्प राहत के लिए भारतीय वायुसेना के विशेष आई एल-76 विमान ने दिसंबर 2003, जनवरी तथा फरवरी 2004 में उड़ान भरी। 93,878 किलोग्राम राहत सामग्री तथा 50 यात्री ले जाए गए थे।

राष्ट्रीय कैडेट कोर



गणतन्त्र दिवस शिविर में राष्ट्रीय कैडेट कोर बालिकाएं कैडेट

राष्ट्रीय कैडेट कोर भारत के युवाओं को समर्पण, अनुशासन और नैतिक मूल्यों के बहुमुखी विकास के अवसर प्रदान करने के लिए प्रयासरत है ताकि वे अच्छे नेता एवं सुयोग्य नागरिक बन सकें।

13.1 राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 के अंतर्गत स्थापित हुई राष्ट्रीय कैडेट कोर ने अपनी स्थापना के 55 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एन सी सी इस देश की युवाओं को वचनबद्धता, समर्पण एवं अनुशासन और नैतिक मूल्यों की अनुभूति सहित बहुमुखी विकास के अवसर प्रदान करने के लिए प्रयासरत है ताकि वे अच्छे नेता एवं सुयोग्य नागरिक बन सकें और राष्ट्र सेवा के सभी क्षेत्रों में अपना उपयुक्त स्थान पा सकें।

13.2 इस समय एनसीसी कैडेटों की कुल स्वीकृत नफरी 13 लाख है। भर्ती किए गए कैडेटों की नफरी का विंग-वार वितरण निम्नलिखित है :-

(क) सेना स्कंध	9,46,964
(ख) वायु स्कंध	65,350
(ग) नौसेना स्कंध	66,300
(घ) छात्रा स्कंध	1,72,473

8.243 स्कूलों और 4,967 कॉलेजों में एनसीसी की यूनिटें होने से ये प्रायः देश के सभी जिलों में विद्यमान हैं।

कैडेटों का प्रशिक्षण

13.3 शिविर प्रशिक्षण : प्रशिक्षण एनसीसी पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है। शिविर इन्हें मैत्री, टीम कार्य, परिश्रम की गरिमा, आत्म विश्वास विकसित करने और एकता और अनुशासन आत्मसात करने में सहायता करता है। इस संबंध में, विभिन्न प्रकार के आयोजित किए गए शिविरों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है :-

(क) वार्षिक प्रशिक्षण शिविर (एटीसी):

वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन राज्य निदेशालय स्तर पर किए जाते हैं। भर्ती किए गए कैडेटों की नफरी का कम से कम 50 प्रतिशत लगभग 6.5 लाख कैडेट कम से कम एक शिविर में प्रति वर्ष भाग लेते हैं। एक प्रशिक्षण वर्ष में लगभग 900 ऐसे प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय अखंडता शिविर (एनआई सी):

वर्ष के दौरान 37 राष्ट्रीय अखंडता शिविर लगाए गए (खोले गए) जिसमें सभी राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के 23,000 से ज्यादा कैडेटों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त विशेष एन आई सी निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित किए गए।

वर्ष के दौरान आयोजित राष्ट्रीय अखंडता शिविर में सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के 23,000 कैडेटों ने भाग लिया ।

(i) **एनआईसी लेह:** एक विशेष एन आई सी का आयोजन लेह में 10 से 21 जून, 2003 तक किया गया जहां देश के सभी भागों से आए कुल 200 कैडेटों ने भाग लिया ।

(ii) **एन आई सी डिब्रूगढ़** एक विशेष एन आई सी का आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र (असम) में 9 से 20 अक्टूबर 2003 तक किया गया जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के 200 तथा शेष भारत से 600 कैडेटों ने भाग लिया ।

(iii) **एन आई सी पोर्ट ब्लेयर :** एक विशेष एन आई सी का आयोजन पोर्ट ब्लेयर (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप) में 9 से 20 फरवरी, 2004 तक किया गया था । जिसमें इसी द्वीप के 80 कैडेटों सहित 130 कैडेटों ने भाग लिया ।

(ग) **वायु सैनिक शिविर (वीएससी):** वायु सेना स्कंध वरिष्ठ प्रभाग/वरिष्ठ स्कंध कैडेटों के लिए वायु सेना स्टेशन जलहाली (बैंगलोर) में 10 से 21 अक्टूबर, 2003 तक एक अखिल भारतीय वायु सैनिक शिविर आयोजित किया गया जिसमें 420 वरिष्ठ प्रभाग और 18 वरिष्ठ स्कंध के कैडेटों ने भाग लिया ।



गणतन्त्र दिवस प्रशिक्षण शिविर के दौरान तोप का निरीक्षण करते हुए राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट

(घ) **नौसैनिक शिविर (एनएससी):** विशाखापट्टनम स्थित नौसैनिक शिविर में 29 अक्टूबर, 2003 से 9 नवम्बर, 2003 तक आयोजित इस शिविर में 400 वरिष्ठ प्रभाग और 160 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने भाग लिया ।

(ङ) **थल सेना शिविर (टीएससी):** प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस परेड मैदान दिल्ली में दो थल सैनिक शिविर (टीएससी) आयोजित किए जाते हैं। इसमें से एक वरिष्ठ प्रभाग / कनिष्ठ प्रभाग छात्रों के लिए और दूसरा वरिष्ठ स्कंध / कनिष्ठ स्कंध छात्राओं के लिए। इन शिविरों में 640 छात्र और 640 छात्रा कैडेट भाग लेते हैं। यह शिविर 10 से 21 अक्टूबर, 2003 तक आयोजित किया गया ।

(च) **नेतृत्व शिविर -** ये शिविर अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। चार अग्रिम नेतृत्व शिविर (ए एल सी) हैं, जिनमें से प्रत्येक वरिष्ठ स्कंध/कनिष्ठ स्कंध, वरिष्ठ प्रभाग, नौसेना स्कंध छात्र और वरिष्ठ प्रभाग छात्रा के लिए और तीन मूल नेतृत्व शिविर हैं जिनमें से प्रत्येक वरिष्ठ प्रभाग छात्र और वरिष्ठ स्कंध/ कनिष्ठ स्कंध छात्रा के लिए है। इस शिविर में 2950 छात्र और छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया और ये शिविर सितम्बर और अक्टूबर, 2003 के दौरान आयोजित किए गए थे ।

(छ) **रॉक (चट्टान) आरोहण शिविर :** प्रतिवर्ष आठ रॉक आरोहण शिविर आयोजित किए जाते हैं ताकि कैडेटों को रॉक आरोहण की मूल जानकारी से अवगत कराया जा सके और उनमें साहसिक कार्यों के प्रति उत्साह उत्पन्न किया जा सके। इनमें से चार शिविर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगे थे और अन्य चार शिविर केरल के तिरुवनंतपुर (त्रिवेन्द्रम) के नजदीक नैय्यर बांध पर लगे थे। अक्टूबर से दिसंबर, 2003 के महीनों के दौरान

आयोजित इन शिविरों में 1080 छात्र एवं छात्रा कैडेटों ने भाग लिया था।

(ज) **गणतंत्र दिवस शिविर -2004 :**
गणतंत्र दिवस -2004 का आयोजन 1 जनवरी से 29 जनवरी 2004 तक दिल्ली में किया गया। इस शिविर में भारत के सभी भागों से 1800 कैडेटों ने भाग लिया। मित्रवत देशों के कैडेट जिन देशों के साथ हमारे युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम होते हैं उन्होंने भी इस गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लिया। संस्थागत प्रशिक्षण, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं और राष्ट्रीय अखंडता जागरूकता प्रस्तुतीकरण से सम्बद्ध अंतः निदेशालय प्रतियोगिताएं भी एक महीने की अवधि के शिविर के दौरान आयोजित की गई थी। बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने शिविर का दौरा किया। शिविर का उद्घाटन 8 जनवरी, 2004 को भारत के उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा किया गया। नियमित गतिविधि के रूप में 27 जनवरी को प्रधानमंत्री रैली का आयोजन किया गया। शिविर का समापन राष्ट्रपति भवन में चयनित कैडेटों का चाय के साथ स्वागत करते समय किया गया।

13.4 **सम्बद्धता प्रशिक्षण :** एन सी सी कैडेट अत्यधिक मूल्य का प्रथम अनुभव सशस्त्र सेना यूनिटों के साथ एक लघु अवधि की सम्बद्धता से प्राप्त करते हैं। वर्ष के दौरान निर्धारित संचालित सम्बद्धताएं निम्नलिखित हैं :-

(क) 440 अफसरों और 20,000 कैडेटों को नियमित थलसेना यूनिटों के साथ सम्बद्ध किया गया। इसमें 560 महिला अफसर और वरिष्ठ प्रभाग कैडेट सम्मिलित थे।

(ख) जून, 2003 के दौरान 120 छात्र कैडेट को भारतीय सेना अकादमी, देहरादून के साथ तथा सितम्बर, 2003 के दौरान अफसर प्रशिक्षण अकादमी के साथ 48 छात्रा कैडेट को सम्बद्ध किया गया। दोनों सम्बद्धताओं की अवधि दो सप्ताह की थी।

(ग) 1000 छात्रा कैडेटों को विभिन्न सैनिक अस्पतालों के साथ सम्बद्ध किया गया।

(घ) 38 वरिष्ठ प्रभाग/12 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों को 13 से 24 अक्टूबर, 2003 तक वायु सेना अकादमी डुंडीगल के साथ सम्बद्ध किया गया।

(ङ) **नौसेना सम्बद्धता आई एन एस मानडोवी:** नौसेना स्कंध (वरिष्ठ प्रभाग) कैडेटों के लिए तीसरा सम्बद्धता प्रशिक्षण शिविर 15 दिसम्बर से 26 दिसम्बर, 2003 तक 12 दिन की अवधि के लिए नौसेना अकादमी, आई एन एस मानडोवी में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में सभी 16 निदेशालयों से कैडेटों ने भाग लिया।

13.5 **ग्लाइडिंग और माइक्रोलाइट उड़ान :**
38 एनसीसी वायु स्कवाड्रन में ग्लाइडिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस तथ्य के बावजूद कि ग्लाइडरों का सेवा योग्य स्टॉक प्राधिकरण ने विगत वर्ष के दौरान 18818 ग्लाइडिंग लांच किए गए। एनसीसी में माइक्रोलाइट उड़ान का संचालन, वायु स्कंध एनसीसी कैडेटों (वरिष्ठ प्रभाग) को उड़ान सम्बन्धी अनुभव उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया जाता है।

13.6 **समुद्री प्रशिक्षण:** नौसेना स्कंध के एनसीसी कैडेटों को उनके समुद्री प्रशिक्षण और सम्बद्धता के दौरान उन्हें नौसेना विषयों, जैसे नौवहन संचार, गनरी, नौकायन अति नियंत्रण एवं पोत सुरक्षा, प्राथमिक उपचार और पोत रख-रखाव में गहन प्रशिक्षण दिया गया। इस वर्ष 295 कैडेटों को समुद्री प्रशिक्षण के लिए पूर्व एवं पश्चिम नौ सेना कमान और तट रक्षक के पोतों के साथ सम्बद्ध किया गया।

13.7 **ओ टी ए (अफसर प्रशिक्षण अकादमी) में स्क्रीनिंग पाठ्यक्रम :** सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के इच्छुक, वरिष्ठ प्रभाग के लिए दो स्क्रीनिंग पाठ्यक्रम, अफसर प्रशिक्षण

अकादमी, कामटी में 17 मई से 26 मई, 2003 के दौरान तथा 29 सितम्बर से 8 अक्टूबर, 2003 के दौरान आयोजित किए गए। सभी 16 राज्य निदेशालयों से 192 वरिष्ठ प्रभाग कैडेटों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया। वरिष्ठ स्कंध कैडेटों को प्रशिक्षित करने के लिए 19 जनवरी से 29 जनवरी, 2004 तक अफसर प्रशिक्षण अकादमी ग्वालियर में एस एस बी स्क्रीनिंग कोर्स किया गया जिसमें सभी राज्य निदेशालयों के 94 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने भाग लिया।

13.8 **विदेशी क्रूज :** वर्ष के दौरान निम्नलिखित विदेशी क्रूज किए गए :-

(क) **तट रक्षक क्रूज**

(i) 5 नौसैनिक वरिष्ठ प्रभाग कैडेटों ने 5 अप्रैल से 12 अप्रैल 2003 तक क्रूज में भाग लिया। इस क्रूज का मार्ग पाराद्वीप से चित्तागांग (बांग्ला देश) और वहां से वापसी का था।

(ii) 6 नौ सैनिक वरिष्ठ प्रभाग कैडेटों ने 10 मई से 16 मई 2003 तक क्रूज में भाग लिया। यह क्रूज पोर्ट ब्लेयर से चांगोन और वहां से वापसी का था।

(ख) **नौसेना क्रूज :**

(i) आई नौसेना वरिष्ठ प्रभाग कैडेटों ने 7 मार्च से 18 अप्रैल तक गोवा से पालेरमो (इटली), एलेक्जेन्ड्रीया (मिश्र)



गणतंत्र दिवस शिविर के दौरान वायुयान वाहक का माडल तैयार करती हुई कैडेट बालिकाएं

और वहां से मुम्बई वापसी तक के क्रूज कार्यक्रम में भाग लिया।

(ii) आठ नौसेना वरिष्ठ प्रभाग कैडेटों ने 8 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2003 तक मुम्बई से बन्दर अब्बास अल फूजियाराह मसकट और वहां से वापसी के क्रूज में भाग लिया।

(ग) **आई एन एस तरंगिनी:** दो नौसेना वरिष्ठ प्रभाग कैडेटों ने 1 सितम्बर से 3 अक्टूबर, 2003 तक मोन्ट्रीयाल से वाशिंगटन आई एन एम एस तरंगिनी विश्व क्रूज में सम्मिलित हुए।

13.9 **साहसिक कार्य प्रशिक्षण :** साहसिक गतिविधियों का आयोजन कैडेटों के बीच साहस, नेतृत्व, कार्यदल साहसिक और खिलाड़ीपन की भावना जैसे विशेष गुणों को विकसित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं।

(क) **पर्वतारोही पाठ्यक्रम :** एनसीसी प्रति वर्ष विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सभी एन सी सी निदेशालयों से छात्र एवं छात्रा कैडेटों को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी, हिमालयन पर्वतारोही संस्थान, दार्जिलिंग और पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल निदेशालय, मनाली के लिए नामित करते हैं। 2003-04 वर्ष के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए 186 कैडेटों को नामित किया गया।

(ख) **पर्वतारोहण अभियान :** प्रतिवर्ष एन सी सी दो पर्वतारोहण अभियानों का आयोजन करता है, एक वरिष्ठ प्रभाग छात्र कैडेटों के लिए और दूसरा वरिष्ठ स्कंध, छात्रा कैडेटों के लिए सन् 1970 से एनसीसी ने 52 पर्वतारोहण अभियान आयोजित किए हैं जिनमें से 28 छात्रों के लिए और 24 छात्राओं के लिए थे। इस वर्ष छात्र अभियान टीम ने मई-जून 2003 में जोगिन पीक III (19,971 फुट) पर और छात्रा टीम ने सितम्बर अक्टूबर 2003 में गंगोत्री पीक (6590 मी0) पर चढ़ाई की।

(ग) **साइकिल और मोटर साइकिल अभियान :** इन अभियानों का आयोजन राष्ट्रीय और राज्य स्तर दोनों पर किया गया। वर्तमान वर्ष के दौरान 15 मई से 11 जून 2003 तक पंजाब निदेशालयों द्वारा सद्भावना मोटर साइकिल रैली का आयोजन किया गया।

(घ) **ट्रैकिंग अभियान :** वर्ष 2003-04 के दौरान कुल 10 ट्रैकिंग अभियान आयोजित किए गए जिनमें 10,000 कैडेटों ने भाग लिया इन अभियानों में से 07 अभियान छात्र कैडेटों और 3 छात्रा कैडेटों हेतु आयोजित किए गए।

(ङ) **पैरा सेलिंग :** एनसीसी के छात्र और छात्रा कैडेटों के लिए साहसिक गतिविधि के रूप में प्रत्येक ग्रुप लेवल पर पैरा सेलिंग का आयोजन किया जाता है। गत वर्ष इस गतिविधि में 65,904 कैडेटों को प्रशिक्षण दिया गया।

(च) **स्लिदरिंग प्रदर्शन :** जनवरी 2004 में प्रधानमंत्री रैली के दौरान 10 वरिष्ठ प्रभाग और 10 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों में स्लिदरिंग प्रदर्शन में भाग लिया।

(छ) **रेगिस्तान ऊंट यात्रा (डेज़र्ट केमल सफारी):** 17 से 28 नवम्बर 2003 तक सिंगापुर के कैडेटों के साथ एन सी सी कैडेटों द्वारा डेज़र्ट कैमल सफारी का आयोजन किया गया।

(ज) **व्हाइट वॉटर रैफ्टिंग :** रायवाला (हरिद्वार) में व्हाइट वॉटर रैफ्टिंग नोड को स्थापित किया गया है। एन सी सी पंजाब, पश्चिम बंगाल और गुजरात में तीन और व्हाइट वॉटर नोड की स्थापना करने के लिए प्रयासरत है।

(झ) **सेलिंग अभियान :** इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित मुख्य सेलिंग अभियान आयोजित किए गए :-

निदेशालय	यहाँ से	यहाँ तक	दूरी	दिनांक	कैडेटों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टणम	इच्चापुरम	405 कि.मी.	5 मई से 14 मई 2003	44 वरिष्ठ प्रभाग व 16 वरिष्ठ स्कंध
2. बिहार	इलाहाबाद	पटना	659 कि.मी.	29 सित से 09 अक्टूबर 03 तक	20 वरिष्ठ प्रभाग
3. दिल्ली	यमुना लेक		432 कि.मी.	29 सित से 09 अक्टू. 03	40 वरिष्ठ प्रभाग व 08 वरिष्ठ स्कंध
4. गुजरात	दरुदेश्वर	बुधद	405 कि.मी.	17 से 28 सित 2003	36 वरिष्ठ प्रभाग
5. कर्नाटक	करवार	उडुपि	450 कि.मी.	5 से 21 दिसं 2003	40 वरिष्ठ प्रभाग 08 वरिष्ठ स्कंध
6. महाराष्ट्र	अम्बेगांव	पांडरीपुर	450 कि.मी.	19 से 30 सित. 2003	32 वरिष्ठ प्रभाव व 08 वरिष्ठ स्कंध
	मध्यमेश्वर	विशपुरी	478 मि.मी.	26 सित. से 07 अक्टू. 03	40 वरिष्ठ प्रभाग व 20 वरिष्ठ स्कंध
7. मध्य प्रदेश	ब्रहामंगत	होशंगाबाद	230 कि.मी.	17 से 23 अक्टू. 03	30 वरिष्ठ प्रभाग
8. पश्चिम बंगाल	फरक्का	कोलकाता	450 कि.मी.	5 से 24 मई 2003	40 वरिष्ठ प्रभाग
9. तमिलनाडु	पांडिचेरी	कोडाईकराई	436 कि.मी.	20 से 30 जून 2003	36 वरिष्ठ प्रभाग व 10 वरिष्ठ स्कंध
10. पंजाब	गोविंदसागर लेक		420 कि.मी.	08 से 19 सित. 2003	20 वरिष्ठ प्रभाग व
11. राजस्थान	जय समंद लेक		430 कि.मी.	25 अगस्त से 5 सितं 03	30 वरिष्ठ प्रभाग व
	बिलासपुर डैम		420 कि.मी.	15 से 16 सितं, 03	30 वरिष्ठ प्रभाग

युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (वाई ई पी)

13.10 इस वर्ष युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित दौर सम्पन्न हुए :-

- (क) 24 मार्च से 27 मार्च 2003 तक बांग्लादेश और 23 जुलाई से 03 अगस्त 2003 तक यू.के. में राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशक ने दौरा किया।
- (ख) 22 जुलाई से 10 अगस्त 2003 तक एक अफसर और 12 कैडेटों का यू.के. में दौरा।
- (ग) 29 सितम्बर से 08 अक्टूबर 2003 तक दो अफसरों और 10 कैडेटों का रूस में दौरा।
- (घ) 15 अक्टूबर, से 22 अक्टूबर 2003 तक एक अफसर और 6 कैडेटों का श्रीलंका में दौरा।
- (ङ) 10 नवम्बर से 16 नवम्बर 2003 तक दो अफसरों और आठ कैडेटों का भूटान में दौरा।
- (च) 17 नवम्बर से 30 नवम्बर 2003 तक दो अफसरों और 20 कैडेटों का वियतनाम में दौरा।

समाज के लिए निःस्वार्थ सेवा, श्रमप्रतिष्ठा, आत्म सहायता को महत्व, पर्यावरण संरक्षण और समाज के कमजोर वर्ग के विकास में सहायता आदि लक्ष्यों को रखते हुए एन सी सी ने सामुदायिक विकास गतिविधियाँ अपनाई।

- (छ) 4 दिसम्बर से 14 दिसम्बर 2003 तक दो अफसरों और आठ कैडेटों का कैम्प पिनेकल में भाग लेने के लिए सिंगापुर में दौरा।
- (ज) 12 फरवरी से 22 फरवरी 2004 में नेपाली एन सी सी कैम्प और आर्मी डे परेड में भाग लेने के लिए एक अफसर और दो कैडेटों का नेपाल में दौरा।
- (झ) 20 मार्च से 31 मार्च 2004 तक एक अफसर और 12 कैडेटों का बंगलादेश में दौरा।

(य.) 24 मार्च से 27 मार्च 2004 तक अपर महानिदेशक (ए) और उप महानिदेशक, पं.ह.हि.प्र. और चंडीगढ़ निदेशालय का बांग्लादेश में दौरा।

13.11 युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत आगमन दौरा : इस वर्ष युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी प्रतिनिधि मंडल द्वारा निम्नलिखित आगमन दौरों का कार्यक्रम रहा :-

- (क) 23 अक्टूबर से 09 नवम्बर 2003 तक विशाखापट्टनम में नौ सैनिक शिविर के लिए सिंगापुर से एक अफसर और 06 कैडेट आए।
- (ख) 17 नवम्बर से 28 नवम्बर 2003 तक जैसलमेर में रेगिस्तान यात्रा (डेजर्ट सफारी) के लिए सिंगापुर से एक अफसर और दो कैडेट आए।
- (ग) जनवरी में आयोजित गणतंत्र दिवस शिविर 2004 के दौरान नौ देशों से 9 अफसर और 69 कैडेट आए।
- (घ) बांग्ला देश एन सी सी से एक अफसर और आठ कैडेटों ने, एन सी सी निदेशालय उड़ीसा द्वारा 8 जनवरी से 18 जनवरी 2004 तक आयोजित ऑल इंडिया याचिंग रेगेटा में भाग लिया।

समाज सेवा और सामुदायिक विकास

13.12 समाज के लिए निःस्वार्थ सेवा, श्रमप्रतिष्ठा, आत्म सहायता को महत्व, पर्यावरण संरक्षण और समाज के कमजोर वर्ग के विकास में सहायता आदि लक्ष्यों को रखते हुए एन सी सी ने सामुदायिक विकास गतिविधियाँ अपनाई। इन गतिविधियों को, विभिन्न कार्यक्रमों जैसे प्रौढ़ शिक्षा, पौधारोपण, रक्तदान, वृद्धाश्रम में जाना, सफाई अभियान, ग्रामीण विकास और अन्य

विभिन्न सामाजिक योजनाओं के जरिए आयोजित किया जाता है। एनसीसी कैडेट निम्नलिखित सामुदायिक विकास गतिविधियों में भाग लेते हैं:-

- (क) **पौधारोपण** : एन सी सी कैडेट संबंधित राज्य विभाग के सहयोग से पौधे लगाते और उनकी देखभाल करते हैं।
- (ख) **रक्तदान** : जब भी अस्पताल रेड क्रॉस को रक्त की आवश्यकता होती है कैडेट स्वेच्छा से रक्त दान करते हैं। इस वर्ष लगभग 2,85,000 कैडेट ने रक्त दान किया।
- (ग) **वृद्धाश्रम** : एन सी सी कैडेट देश के विभिन्न वृद्धाश्रमों में नियमित रूप से जाते हैं और उनकी संरक्षा करते हैं।
- (घ) **प्रौढ़ शिक्षा** : एन सी सी कैडेट दूरस्थ क्षेत्रों, ग्रामों और अविकसित क्षेत्रों में शिक्षा पर जोर देने और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम संचालन के लिए जाते रहते हैं।
- (ङ) **सामुदायिक योजनाएं** : एन सी सी कैडेट, शहरी और ग्रामीण सामुदायिक योजनाओं में और अन्य विकास कार्यों जैसे पथ सुधार, कुओं की सफाई आदि में भाग लेते हैं।
- (च) **विपत्ति के दौरान सहायक कार्य** : एन सी सी प्राकृतिक और अन्य आपदाओं और दुर्घटनाओं के दौरान सहायक कार्यों में आगे रहती है। गत् वर्षों में बाढ़, भूकम्प चक्रवात, रेल दुर्घटनाओं आदि के दौरान एन सी सी ने बढ़-चढ़कर सहायक कार्य किए और दंगों से प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान कीं।
- (छ) **कुष्ठ रोग अभियान** : एन सी सी कैडेटों ने पूरे देश में कुष्ठ रोग अभियान आयोजित किए और ये विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों की सहायता करते हैं।
- (ज) **एड्स जागरूकता प्रोग्राम** : एन सी सी, एड्स जागरूकता प्रोग्राम में भी सक्रिय रूप से भाग लेती है। एन सी सी पूरे देश में

एड्स जागरूकता प्रोग्रामों के आयोजन में यू एन ए आई डी एस (U.N. AIDS) और डीजीएफएमएस के साथ कार्य करती है।

(झ) **कैंसर जागरूकता प्रोग्राम** : एन सी सी, विभिन्न नगरों में आयोजित कैंसर जागरूकता प्रोग्रामों में सक्रिय रूप से भाग लेती है।

राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियाँ

13.13 एन सी सी कैडेट राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित निम्नलिखित गतिविधियों में भी भाग लेते हैं :-

- (क) **जवाहर लाल टूर्नामेंट** : वर्ष 2003 में एन सी सी की चार टीमों- दो कनिष्ठ (छात्र), एक कनिष्ठ (छात्रा) और एक सब जूनियर (छात्र) ने टूर्नामेंट में भाग लिया। कर्नाटक और गोवा निदेशालय से कनिष्ठ (छात्रा) टीम ने फेयर प्ले ट्राफी जीती।
- (ख) **सुब्रोतो कप पुटबॉल टूर्नामेंट** : एनसी सी पिछले 25 वर्षों से इस टूर्नामेंट में भाग लेती रही है। 25 नवम्बर से 21 दिसम्बर 2003 में नई दिल्ली में आयोजित इस टूर्नामेंट में एन सी सी की दो टीमों कर्नाटक निदेशालय तथा पूर्वोत्तर निदेशालय से एक एक टीम ने भाग लिया।
- (ग) **ऑल इंडिया जी वी मावलंकर शूटिंग चैम्पियनशिप** : 22 से 28 अगस्त 2003 तक चेन्नई में तेरहवां ऑल इंडिया जी वी मावलंकर शूटिंग चैम्पियनशिप आयोजित की गई। इस गतिविधि में 32 एन सी सी कैडेटों (16 छात्र और 16 छात्राएं) ने भाग लिया। इस वर्ष एन सी सी कैडेटों ने चार स्वर्ण, चार रजत और चार कांस्य पदक जीते इसके अतिरिक्त आठ एन सी सी कैडेटों ने हैदराबाद में एन आर ए आई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में योग्यता प्राप्त की। चौदहवें अखिल भारतीय जी वी मावलंकर शूटिंग चैम्पियनशिप का आयोजन सितम्बर 2004 में कोयम्बटूर में किया जाएगा।

(घ) **राष्ट्रीय शूटिंग चैम्पियनशिप प्रतियोगिता** : 47वां राष्ट्रीय शूटिंग चैम्पियनशिप प्रतियोगिता (एन एस सीसी) का आयोजन हैदराबाद में 7 दिसम्बर से 17 दिसम्बर, 2003 तक किया गया था। इस गतिविधि में एन सी सी के आठ कैडेटों ने भाग लिया। कैडेटों ने सराहनीय काम किया और दो कैडेटों ने राष्ट्रीय शूटिंग ट्रायल में भाग लेने के लिए योग्यता प्राप्त की जिसका आयोजन सम्भवतः इस प्रशिक्षण वर्ष के दौरान किया जाएगा।

(ङ) **आल इंडिया एन सी सी याचिंग रिगेटा** : ऑल इंडिया एन सी सी याचिंग रिगेटा का आयोजन 20 जनवरी से 27 जनवरी 2004 तक भारतीय नौसेना पोत चिल्का में किया गया था। सभी एन सी सी निदेशालयों से 48 वरिष्ठ प्रभाग और 48 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश से भी 6 कैडेटों ने इन गतिविधियों में भाग लिया।

(च) **14वां राष्ट्रीय अन्तःराज्य क्वीकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता** : 14वां राष्ट्रीय अन्तः राज्य क्वीकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिताओं का आयोजन 23 जनवरी से 26 जनवरी 2004 तक हैदराबाद में किया गया। इस गतिविधि में आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एन सी सी निदेशालयों के कैडेटों ने भाग लिया।

(छ) **नेशनल टीम सेलिंग चैम्पियनशिप** : याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (वाई ए आई) द्वारा 2 से 8 नवम्बर 2003 तक ऋषि कोण्डा बीच विशाखापत्तनम में आयोजित किए गए नेशनल टीम सेलिंग चैम्पियनशिप-2003 में, एन सी सी टीम ने भाग लिया।

(ज) **घुड़सवारी प्रतियोगिता** : एन सी सी ने नवम्बर 2003 में चण्डीगढ़ में आयोजित शिवालिक हॉर्स शो में भाग लिया और एक स्वर्ण, एक रजत और तीन कांस्य पदक जीते। उड़ीसा निदेशालय की एन सी सी टीम ने 22 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2003 तक आयोजित

किए गए जूनियर नेशनल इक्वेस्टेरियन चैम्पियनशिप में भाग लिया और एक स्वर्ण पदक और 4,000 रुपये जीते।

स्टॉफ का प्रशिक्षण

13.14 वर्ष 2003-04 के दौरान एसोसिएटिड एन सी सी अफसर (ए एन ओ) और स्थायी अनुदेशक (पी आई) स्टॉफ के प्रशिक्षण के लिए रिक्तियों सहित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया गया है :-

(क) **ए एन ओ के लिए रिफ्रेशर**

पाठ्यक्रम : प्रतिवर्ष 1135 ए एन ओ के लिए अफसर प्रशिक्षण अकादमी (काम्पटी) में 16 पाठ्यक्रमों को संचालित किया जाता है।

(ख) **पी आई स्टॉफ के लिए ओरिएन्टेशन पाठ्यक्रम** : 2810 पीआई स्टॉफ के लिए ओ टी ए, काम्पटी में 26 पाठ्यक्रमों का संचालन।

(ग) **प्री कमीशन पाठ्यक्रम** : 500 ए एन ओ के लिए ओ टी ए, काम्पटी में चार पी आर सी एन का संचालन।

(घ) **महिला ए एन ओ के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम** : 110 महिला ए एन ओ के लिए एन सी सी, ओ टी ए ग्वालियर के लिए चार पाठ्यक्रम। वरिष्ठ और कनिष्ठ स्कंध डायरेक्ट एंटी एन सी सी 'सी' सर्टिफिकेट ए एन ओ प्रत्येक के लिए दो पाठ्यक्रम।

(ङ) **महिला ए एन ओ के लिए पी आर सी एन पाठ्यक्रम** : एन सी सी ओ टी ए ग्वालियर में ए एन ओ के लिए वरिष्ठ स्कंध के लिए दो पाठ्यक्रम और कनिष्ठ स्कंध के लिए दो पाठ्यक्रम।

(च) **नौसेना ए एन ओ के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम** : भारतीय नौसेना पोत, सिरकार्स विजाग में 1 सितम्बर से 18 सितम्बर, 2003 तक आयोजित रिफ्रेशर पाठ्यक्रम में 29 वरिष्ठ प्रभाग ए एन ओ और 82 कनिष्ठ प्रभाग ए एन ओ ने भाग लिया।

(छ) **नौसेना पी आई स्टॉफ के लिए ओरिएन्टेशन पाठ्यक्रम** : सी मैन शिप, कोच्चि में 26 अगस्त से 13 सितम्बर, 2003

तक 36 नौसेना पी आई स्टाफ ने भाग लिया।

(ज) नौसेना ए एन ओ के लिए प्री

कमिशन पाठ्यक्रम : सी मैन शिप स्कूल, कोच्चि में जुलाई से सितम्बर, 2003 तक निम्नलिखितानुसार नौसेना वरिष्ठ प्रभाग/कनिष्ठ प्रभाग ए एन ओ ने प्री-कमीशन प्रशिक्षण प्राप्त किया :-

(i) 12 वरिष्ठ प्रभाग - 14 जुलाई से 26 सितम्बर 2003

(ii) 37 वरिष्ठ प्रभाग- 18 अगस्त से 26 सितम्बर 2003

(झ) वायुसेना पी आई स्टाफ के लिए ओरिएन्टेशन पाठ्यक्रम:

40 वायुसेना पी आई स्टाफ ने ओ टी ए, काम्पटी में 12 जनवरी से 16 जनवरी 2004 और 23 फरवरी से 27 फरवरी 2004 तक के 5 दिन की अवधि के ओरिएन्टेशन पाठ्यक्रम में भाग लिया।

(य.) सिविल रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम (सिविल डिफेंस

मैनेजमेंट कोर्स): इस वर्ष राष्ट्रीय सिविल रक्षा सेना कॉलेज (एन सी डी सी), नागपुर में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कुल 27 अफसर/जेसीओ/एएनओ को नियुक्त किया गया।

(ट) ए एन ओ के लिए जीवन रक्षक

कैम्पसूल: जीवन सुरक्षा तकनीक में अनुदेशार्थ ओ टी ए काम्पटी में राष्ट्रीय लाइफ सेविंग सोसाइटी इण्डिया (आर एल एस एस), (I) पुणे द्वारा 9 जून से 12 जून 2003 तक लाइफ सेविंग कैम्पसूल का आयोजन किया गया।

अध्यापक वर्ग (फैकल्टी) सदस्य और सभी राज्य निदेशालयों से पचास चयनित ए एन ओ को प्रशिक्षित किया गया। इसी प्रकार ओ टी ए ग्वालियर में 14 नवम्बर से 17 नवम्बर 2003 तक चयनित महिला ए एन ओ के लिए

चार दिन की अवधि का कैम्पसूल आयोजित किया गया।

परिभारिकी

13.15 इस संवीक्षण अवधि के दौरान परिभारिकी क्षेत्र में निम्नलिखित सुधार किए गए:-

(क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के लिए अतिरिक्त हल्के वाहन : उत्तर पूर्वी क्षेत्र में छोटी यूनियों को 22 हल्के वाहन दिए गए। इसके अतिरिक्त, जम्मू व कश्मीर के शिक्षा मंत्री की सिफारिश के आधार पर एन सी सी निदेशालय (जम्मू व कश्मीर) को तीन अतिरिक्त हल्के वाहन दिए गए ताकि युद्ध क्षेत्रों में तैनात एन सी सी अफसरों को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

(ख) .303 ड्रिल प्रैक्टिस (डी पी)

राइफल की जगह 7.62 एम एम सर्विस राइफल प्राप्त करना: प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए राइफलों की कमी पूर्ति के लिए, पुरानी हो चुकी .303 ड्रिल प्रैक्टिस राइफलों को बदलने के लिए 7.62 एम एम वाली 18,396 राइफलें प्राप्त कर ली गई है।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता राइफल :

शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कैडेटों को प्रशिक्षित करने हेतु एन सी सी के सभी 16 राज्य निदेशालयों के प्रति निदेशालय 2 के हिसाब से बत्तीस, .22 अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता राइफलों की व्यवस्था की गई है।

13.16 जैसाकि सन् 2003 की उपलब्धियों से पता चलता है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर 1948 में अपने उद्भव से अब तक काफी उभरा है। एनडी ए/आईएमए/ओटीए पर प्रशिक्षणाधीन एनसीसी कैडेटों की संख्या तेजी से बढ़कर कुल कैडेट नफरी का लगभग 30 प्रतिशत हो गई है। आज एनसीसी अपने लक्ष्य 'एकता और अनुशासन' के साथ तेजी से भावी नेतृत्व की ओर बढ़ रही है।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय रक्षा अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षणाधीन एन सी सी कैडेटों की संख्या लगभग 30 प्रतिशत है।

विदेशों के साथ रक्षा संबंध



रूसी रक्षा मंत्री श्री सरगेई इवानोव साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में सम्मान गार्ड का निरीक्षण करते हुए।

वैश्विक सुरक्षा, राजनैतिक तथा सामरिक परिवेश में हाल ही के वर्षों में बड़े परिवर्तन आए हैं। भारत ने प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक देशों के साथ रक्षा संबंधों की व्यापक वेब का विकास किया है।

14.1 मित्र देशों के साथ गहन सुरक्षा-वार्ता तथा रक्षा सहयोग को मजबूती प्रदान करना हमारा महत्वपूर्ण ध्येय रहा है तथा यह समग्र रक्षा तथा विदेश नीतियों का एक अंग है। वैश्विक सुरक्षा, राजनैतिक तथा सामरिक परिवेश में हाल ही के वर्षों में आए बड़े परिवर्तनों से इन्हें सुदृढ़ बनाया गया है। नए और संचातिक किस्म के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष प्राथमिक खतरे के रूप में उभरने से राष्ट्रों के बीच सुरक्षा धारणाओं में बड़ा अभिसरण हुआ है तथा इससे देशों के बढ़ते हुए समूह के साथ गहन सुरक्षा तथा रक्षा से संबद्ध संपर्क, आदान-प्रदान तथा सहयोग उद्यत हुआ है। जन-संहार के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले हथियार तथा प्रौद्योगिकी के लीकेज तथा विस्तार के बारे में चिंताओं तथा यातायात, यात्रा और समुद्री मार्गों की सुरक्षा के खतरों के कारण भी देश नजदीक आए हैं तथा अपनी पारस्परिक सुरक्षा हेतु सहयोग कर रहे हैं।

14.2 भारत ने भी इन घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक देशों के साथ रक्षा संबंधों की व्यापक वेब का विकास किया है। इसने

उच्चस्तरीय रक्षा से संबद्ध यात्राओं तथा सुरक्षा चुनौतियों पर वार्ता, बंदरगाह पड़ाव आदि तथा प्रशिक्षण के आदान-प्रदान, संयुक्त अभ्यास, स्रोत, विकास, रक्षा उपस्करों का उत्पादन और विपणन तथा अन्य प्रकार के सहयोग के तौर पर रक्षा सहयोग के रूप में बढ़ी हुई रक्षा कूटनीति का रूप ले लिया है।

14.3 मार्च, 2003 से, फ्रांस (अप्रैल, 2003), जापान (मई, 2003), तनजानिया तथा सिंगापुर (अक्टूबर, 2003), मंगोलिया (नवंबर, 2003), ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका तथा सूडान (दिसंबर, 2003), रूस (जनवरी, 2004), मोजांबिक (फरवरी, 2004) तथा चीन (मार्च, 2004) के रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय यात्राओं के संबंध में भारत की यात्राएं की हैं। विदेश यात्राओं में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस की अप्रैल, 2003 में चीन, जुलाई 2003 में ब्राजील, अक्टूबर, 2003 में यूक्रेन तथा चैक गणराज्य, नवंबर, 2003 में किरगिस्तान तथा कज़किस्तान, फरवरी 2004 में दक्षिण अफ्रीका में भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका मंच में रक्षा मंत्रियों की प्रथम बैठक, प्रमुख यात्रा शामिल हैं। मई-जून, 2003 में सिंगापुर में

“सांग्रीला वार्ता” में रक्षा मंत्री के भाग लेने से उन्हें कई देशों के रक्षा मंत्रियों तथा सुरक्षा विशेषज्ञों से मिलने का अवसर मिला।

14.4 अन्य देशों के साथ-साथ पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, हंगरी तथा डिबोटी के सरकार/ राष्ट्र के प्रमुखों के उच्च स्तरीय कार्यक्रम में भी रक्षा संबंध तथा सहयोग शामिल थे तथा राष्ट्रपति की सूडान, उपराष्ट्रपति की सेसल्स तथा प्रधानमंत्री की रूस, तजाकिस्तान, तुर्की तथा थाइलैंड की उच्चस्तरीय यात्राओं में भी इन्हें शामिल किया गया था। अनेक देशों के विदेश मंत्रियों और रक्षा से संबद्ध उद्योगों से संबंधित मंत्रियों के हमारे देश तथा हमारे देश के मंत्रियों का विदेश दौरों के दौरान भी रक्षा सहयोग को शामिल किया गया। इनमें एरीट्रिया तथा अर्मीनिया (मई, 2003) तथा यूक्रेन (अगस्त, 2003) अमरीका और रूस के कांग्रेस तथा संसदीय प्रतिनिधियों के दौरे उल्लेखनीय हैं। अर्मीनिया (मई, 2003), संयुक्त अरब अमीरात

(जुलाई, 2003), सेसल्स (सितम्बर, 2003), तंजानिया, सिंगापुर तथा चैक गणराज्य (अक्टुबर, 2003), हंगरी (नवंबर 2003) तथा ब्राजील (दिसंबर, 2003) के साथ रक्षा सहयोग के संबंध में रक्षा करार अथवा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

14.5 भारत ने वर्षों से अनेक देशों से रक्षा सचिव स्तर पर मजबूत संस्थागत सुरक्षा वार्ता तथा रक्षा परामर्श तंत्र का विकास किया है। अप्रैल, 2003 तक बैठक करने वालों में भारत यू.के. रक्षा परामर्श समूह (जून, 2003), भारत-इटली संयुक्त रक्षा समिति (जुलाई, 2003) भारत-अमरीका रक्षा नीति समूह (अगस्त, 2003), प्रथम भारत-वियतनाम सुरक्षा वार्ता, रक्षा सहयोग संबंधी भारत-फ्रांस उच्च समिति (नवंबर, 2003), भारत-दक्षिण अफ्रीका संयुक्त रक्षा समिति तथा रक्षा सहयोग संबंधी भारत-इज्रायल संयुक्त-कार्यदल (दिसंबर, 2003), आदि शामिल हैं। नेपाल (अगस्त, 2003) तथा

अरब सागर में एक संयुक्त अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना तथा अमरीका नौसेना के कार्मिक



भारत ने वर्षों से अनेक देशों के साथ मजबूत संस्थागत सुरक्षा वार्ता तथा रक्षा परामर्श तन्त्र का विकास किया है।

श्रीलंका (जनवरी, 2004), से भी रक्षा सचिव स्तर के दौरें हुए। वर्ष के दौरान, रक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में आस्ट्रेलिया, जापान, नेपाल और फिलिपींस के साथ सुरक्षा वार्ता तथा इंडोनेशिया, मारीशस, म्यांमार, नाइजीरिया तथा ओमान के साथ संयुक्त आयोगों में भी भाग लिया। श्रीलंका, यूक्रेन, पोलैंड, बेलारूस, कोरिया

गणराज्य तथा मंगोलिया में रक्षा मंत्रालय के अन्य स्तरों पर रक्षा संबद्ध दौरें किए गए।

14.6 रक्षा /जनरल/संयुक्त स्टाफ अथवा सेवा प्रमुखों के स्तर के दौरें हमारे सैन्य से सैन्य स्तर के संबंधों का महत्वपूर्ण अंग है। इन दौरों से व्यवसायिक पारस्परिक कार्य तथा आदान-प्रदान संबंधी ढांचे में विस्तार हुआ है तथा पारस्परिक समझ में वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान लेसाँथो (जून, 2003), यूएई, थाइलैंड तथा अमरीका (जुलाई, 2003), यू के तथा डिबोटी (अक्टूबर, 2003), श्रीलंका (दिसंबर, 2003) तथा वियतनाम (मार्च, 2004) के रक्षा /जनरल/संयुक्त स्टाफ के प्रमुखों ने भारत का दौरा किया। जर्मन सशस्त्र सेनाओं के उप प्रमुख ने अक्टूबर, 2003 में तथा चीन के जनरल स्टाफ उप प्रमुख दिसंबर, 2003 में भारत का दौरा किया।

14.7 सेना प्रमुख स्तर की यात्राओं में रूसी सेना (अप्रैल, 2003), इज्रायल (नवंबर, 2003), श्रीलंका (दिसंबर, 2003) तथा अफगानिस्तान (जनवरी-फरवरी, 2004); के सेना अध्यक्षों, ईरान (मई, 2003), म्यांमार (सितंबर, 2003), केन्या (जनवरी, 2004), इज्रायल (फरवरी-मार्च, 2004) तथा श्रीलंका (मार्च, 2004) के वायुसेना अध्यक्षों और सिंगापुर (मार्च, 2003), यू.के. (नवंबर,

2003) तथा नाइजीरिया और केन्या (फरवरी, 2004) के नौसेना अध्यक्षों ने दिल्ली में डेफेक्सपो 2004 के संबंध में की गई यात्राएं शामिल हैं। इसके अलावा, यू एस पैसिफिक वायुसेना के कमांडर, यूएस के नौसेना ऑपरेशन के प्रमुख तथा यू एस पैसिफिक बेड़े के कमांडर ने क्रमशः मार्च-अप्रैल 2003, अक्टूबर 2003 तथा जनवरी, 2004 में भारत का दौरा किया।

14.8 भारत से, चेयरमैन, स्टाफ समिति के प्रमुख तथा नौसेना स्टाफ प्रमुख ने द्विपक्षीय यात्राओं के संबंध में जुलाई, 2003 में यूके, सितंबर, 2003 में म्यांमार, अक्टूबर, 2003 में फ्रांस, दिसंबर 2003 में वियतनाम तथा मार्च, 2004 में थाइलैंड की यात्राएं की तथा इन्होंने जून, 2003 में भारतीय नौसेना की गतिविधियों के संबंध में रूस और कनाडा तथा नवंबर, 2003 में सिंगापुर समुद्री रक्षा प्रदर्शनी आई एम डी ई एक्स में भाग लेने के लिए सिंगापुर की यात्राएं कीं। वायुसेना अध्यक्ष ने मार्च, 2003 में अल्जीरिया, जुलाई, 2003 में मालदीव, अगस्त, 2003 में दक्षिण अफ्रीका, अक्टूबर, 2003 में रूस तथा फरवरी, 2004 में बंगलादेश के द्विपक्षीय दौरें किए। उन्होंने अप्रैल, 2003 में रियो द जनेरियो में लेटिन अमेरिकन डिफेन्स प्रदर्शनी तथा वायु प्रदर्शन में भाग लिया, सितंबर, 2003 में यूएस में वैश्विक वायुसेना अध्यक्षों की कांफ्रेंस में भाग लिया तथा फरवरी, 2004 में सिंगापुर वायु प्रदर्शनी में भारतीय वायुसेना की सहभागिता की अध्यक्षता की। सेना अध्यक्ष ने मार्च, 2003 में भूटान, अप्रैल, 2003 में नेपाल, जून, 2003 में रूस और सितम्बर-अक्टूबर, 2003 में सिंगापुर तथा फिलिपींस, फरवरी, 2004 में बोतस्वाना तथा दक्षिण अफ्रीका तथा मार्च, 2004 में अमरीका की यात्राएं की। रक्षा मंत्री के साथ सह सेनाध्यक्ष ने अप्रैल, 2003 में चीन तथा जुलाई, 2003 में दक्षिण अफ्रीका और

बोतस्वाना और मार्च, 2004 में मलेशिया तथा इंडोनेशिया की यात्राएं कीं।

14.9 भारत, **संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन** तथा इससे संबंधित गतिविधियों में एक परंपरागत सहयोगी रहा है। इस समय लेबनान में यूनिफिल में 650 कार्मिकों के साथ बल कमांडर सहित भारत की प्रमुख तैनातियां वर्ष 1998 में लेबनान (यूएनआईएफआईएल), वर्ष 2001 से इथोपिया-एरिटेरिया (यूएनएमईई) तथा जुलाई, 2003 से कांगों (एमओएनयूसी) में हैं; 1500 कार्मिक यूएनएमईई के लिए इथोपिया-इरेटेरिया में हैं, जो कि इस वक्त किसी यूएनपीकेओ में अकेली सबसे बड़ी भारतीय तैनाती है; तथा भारतीय वायुसेना के 243 कार्मिक तथा 90 अन्य को एमओएनयूसी हेतु कांगों में तैनात किया गया है। जिसमें आक्रमण तथा उपयोगिता हेलिकॉप्टर यूनिटें तथा सहायक कार्मिक शामिल हैं।

14.10 कई देशों के साथ **प्रशिक्षण** सहयोग तथा सहायता का आदान-प्रदान हमारे रक्षा सहयोग की आधारशिला है। वर्ष के दौरान, सेना की विविध संस्थाओं में 2000, भारतीय नौसेना प्रशिक्षण स्थापनाओं में 343 तथा वायुसेना प्रशिक्षण संस्थाओं में 276 प्रशिक्षुओं को भर्ती किया गया। बोतस्वाना, लाओस, लेसॉथो, मारीशस, नामीबिया, सेसलस, तजाकिस्तान तथा जाम्बिया में भारतीय सशस्त्र बलों के सैन्य प्रशिक्षण दल हैं।

14.11 भारतीय शिष्ट मंडलों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और एआरएफ, अमरीका, जापान तथा अन्य सुरक्षा विचारकों द्वारा प्रायोजित तंत्रों के माध्यम से शांति आपरेशनों, विश्वासोत्पादक उपायों, आपदा प्रबंधन, खोज तथा बचाव, पायरेसी रोधी, आतंकवादी रोधी आदि जैसे

विषयों से संबंधित विविध **सुरक्षा से संबद्ध बैठकों** में भी भाग लिया है। सह-सेनाध्यक्ष ने भारतीय सेना के प्रतिनिधि के रूप में सितंबर, 2003 में पैसिफिक आर्मीज़ मैनेजमेंट सेमीनार में भाग लिया। जीओसी-इन-सी, उत्तरी कमान ने सितंबर-अक्टूबर, 2003 में आस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य कान्फ्रेंस में भाग लिया। क्वार्टर मास्टर जनरल ने दिसंबर 2003 में ओमान में दक्षिण एशिया सुरक्षा पर आईआई एसएस प्रायोजित गोष्ठी में भाग लिया। रक्षा मंत्रालय-सीआईआई द्वारा फरवरी, 2004 में आयोजित डेफएक्सपो-2004 में भी अनेक देशों के रक्षा मंत्री स्तर के 12 शिष्टमंडलों सहित 35 सरकारी/ गैर-सरकारी शिष्टमंडलों ने भाग लिया।

14.12 विदेशों के साथ हमारे रक्षा सहयोग के संबंध में मित्र देशों की सशस्त्र सेनाओं के साथ **संयुक्त अभ्यास** जैसी गतिविधियों इस वर्ष की एक उल्लेखनीय पहलू है। इन गतिविधियों में बहुआयामी वृद्धि हो रही है। जून, 2003 में भारतीय वायुसेना का अमरीका के साथ अलास्का में आयोजित कोऑपरेटिव कोप थंडर-03 बहुपक्षीय अभ्यास, तथा फरवरी, 2004 में ग्वालियर में आयोजित एक्सरसाइज कोप इंडिया-04 द्विपक्षीय डिसीमिलर एयर काम्बेट एक्सरसाइज, जुलाई-अगस्त, 2003 में तजाकिस्तान में आयोजित सेना तथा वायुसेना का संयुक्त तथा सम्मिलित अभ्यास; अप्रैल, 2003 में वायरेंग्टी, मिजोरम में सेना के नेतृत्व में अमरीका के साथ संयुक्त तथा सम्मिलित प्रति-विद्रोही अभ्यास तथा सितंबर, 2003 में लेह में हाई एल्टिट्यूड एरिया अभ्यास तथा मार्च, 2004 में रत्नागिरी में नौसेना के नेतृत्व में अमरीका की स्पेशल फोर्स के साथ संयुक्त तथा सम्मिलित अभ्यास वर्ष भर के दौरान किए गए महत्वपूर्ण संयुक्त अभ्यासों में से हैं। भारतीय नौसेना, अमरीका, फ्रांस तथा सिंगापुर के साथ संस्थागत

भारत, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन तथा इससे संबंधित गतिविधियों में एक परंपरागत सहयोगी रहा है। इस समय, भारत ने संयुक्त राष्ट्र बलों के साथ प्रमुख तैनातियां की हैं।

संयुक्त अभ्यास करती है। इस वर्ष के दौरान ओमान (अप्रैल, 2003), रूस (मई, 2003), अमरीका (अक्टूबर, 2003), फ्रांस (अगस्त, 2003), यू के (नवंबर, 2003), चीन (नवंबर, 2003) तथा सिंगापुर (मार्च, 2004) के साथ नौसेना अभ्यासों का आयोजन किया गया था। जापान और भारत के तटरक्षक बलों ने सितंबर, 2003 में सुदूर कोबे, जापान में संयुक्त अभ्यासों का आयोजन किया।

14.13 नौसेना सद्भावना यात्राएं रक्षा कूटनीति का एक परंपरागत साधन हैं। इस अवधि के दौरान सद्भावना यात्राओं के संबंध में भारतीय नौसेना की प्रमुख तैनातियों में आई एन एस शारदा की मार्च, 2003 में सेसल्स तथा मारीशस में तैनाती, ईस्टर्न बेड़ा यूनिटों की अक्टूबर, 2003 में बरूनी तथा कम्बोडिया की यात्रा, आई एन एस रणजीत तथा कुलिश की नवंबर, 2003 में पूसान तथा शंघाई की यात्रा, फूकेट, थाइलैंड (नवंबर, 2003) तथा हो ची मिन्ह सिटी (दिसंबर, 2003) में पोतों की यात्रा तथा फारस की खाड़ी (दुबई, दोहा तथा कुवैत में दिसंबर, 2003 में) तथा दक्षिणी चीन समुद्री क्षेत्रों में अन्य सद्भावना यात्राएं आदि शामिल हैं। फ्लैग अफसर तथा सी-इन-सी पूर्वी कमान ने आई एन एस रणजीत तथा कुलिश की नवंबर 2003 में इन बंदरगाहों की यात्राओं के दौरान पुसान और शंघाई की यात्रा की। भारतीय नौसेना पोतों ने सितंबर-अक्टूबर, 2003 में लैंकावी, मलेशिया में लीमा-03 प्रदर्शन में तथा नवंबर, 2003 में सिंगापुर में इंडेक्स 2003 में भाग लिया। तटरक्षक पोतों में अप्रैल, 2003 में चिटगांव, बंगलादेश, मई, 2003 में यांगून, म्यांमार, सितंबर, 2003 में मनीला, फिलिपींस तथा हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम, दिसंबर, 2003 में बेलवान, इंडोनेशिया, जनवरी, 2004 में मारीशस तथा फरवरी, 2004 में मालदीव की यात्रा की।

14.14 भारतीय नौसेना पोतों को पड़ोसी तटवर्ती देशों के लिए संयुक्त, सहकारी अथवा मैत्री सहायता हेतु भी तैनात किया गया। आई एन एस निर्देशक ने नवंबर-दिसंबर, 2003 में सेसल्स की ओर से एक जल सर्वेक्षण किया। आई एन एस शारदा को वर्ष 2003 के मध्य में मई, 20-26, 2003 के दौरान दक्षिण तथा मध्य श्रीलंका के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत मुहैया कराने के लिए गाले में तैनात किया गया था। 4-12 जुलाई, 2003 के दौरान माप्यूटों में अफ्रीकी यूनियन शिखर सम्मेलन के आयोजन के दौरान तटीय तथा समुद्रीय सुरक्षा मुहैया कराने तथा मौजांबिक नौसेना के 100 से भी अधिक कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए मोजांबिक सरकार के अनुरोध पर भारतीय नौसेना के दो पोतों-रणजीत तथा सुवर्ण को 23 जून से 15 जुलाई, 2003 तक मोजांबिक में तैनात किया गया था। एक मारीशस तटरक्षक पोत, सीजीएस विजीलेंट पोर्ट लुइस से अप्रैल, 2003 को मरम्मत हेतु खींच करके मुबई लाया गया था। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के पोतों ने मार्च, 2004 में तीसरा भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्त का आयोजन किया था। श्रीलंका, फ्रांस, थाइलैंड, इजरायल तथा अमरीका के साथ संयुक्त अभ्यास तथा गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए नौसेना से नौसेना स्तर पर बैठकों अथवा संक्रियात्मक प्रकृति की बैठकों का आयोजन किया गया।

14.15 भारतीय नौचालन प्रशिक्षण पोत, भा0नौ0पो0 तरंगिनी 23 जनवरी, 2003 को कोच्चि से शुरू करते हुए अपनी 15 माह की विश्व का चक्कर लगाने की यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच गया। भा0 नौ0 पो0 तरंगिनी की 18 से अधिक देशों के 37 बंदरगाहों तक पहुंचने वाली लगभग 35,000 समुद्री मील की यात्रा के अंत तक इसके विश्व भर में 'मित्रता



भारत के समुद्री प्रशिक्षण पोत 'भा. नौ. पो. तरंगिनी' की परिचालन यात्रा के दौरान दुनियाभर में खूब प्रशंसा हुई।

कायम करने' के प्रयास के हिस्से के रूप में आस्ट्रेलिया, मिस्र, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्पेन, ब्रिटेन तथा अमरीका सहित 13 मित्र देशों के विदेशी अधिकारी-प्रशिक्षु यात्रा में भाग लेंगे। भा0 नौ0 पो0 तरंगिनी ने अमेरिका तथा कनाडा की प्रमुख झीलों में 'टाल शिप चैलेंज सीरीज' में भी प्रशंसनीय प्रदर्शन किया। भारत के राष्ट्रपति डॉ0 अब्दुल कलाम ने भा0 नौ0 पो0 तरंगिनी की यात्रा से वापसी पर कोच्चि तट पर इसका स्वागत किया।

14.16 अमेरिका, चीन, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका एवं श्रीलंका के साथ अन्य स्तरों पर किए गए सैन्य स्तर के आदान-प्रदान उल्लेखनीय थे। अमेरिका तथा फ्रांस के साथ ये आदान-प्रदान संयुक्त अभ्यासों तथा प्रशिक्षण आदान-प्रदान के रूप में किए गए, दक्षिण अफ्रीका तथा श्रीलंका के साथ मुख्यतः प्रशिक्षण तथा अनुभवों के

आदान-प्रदान के रूप में तथा चीन के साथ ये आदान-प्रदान आपसी विश्वास बढ़ाने के महत्वपूर्ण उपाय के रूप में रहे। भारत के अलग-अलग देशों के साथ रक्षा संबंधों तथा सैन्य और सुरक्षा संबंधी आदान-प्रदान तथा सहयोग संबंधी कार्यक्रमों का 'सुरक्षा परिवेश' संबंधी अध्याय-1 पर आधारित सार इस प्रकार है।

14.17 भारत के चीन के साथ ऐतिहासिक रूप से मित्रतापूर्ण संबंधों को 1962 के चीनी आक्रमण से गहरा धक्का लगा। चीन ने भारतीय भू-क्षेत्र विशेषकर अक्साई चीन क्षेत्र में अपना कब्जा बनाया हुआ है तथा पूर्वी सैक्टरों में दावे किए हैं। 1988 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के चीन के दौर के बाद राजनीतिक, आर्थिक तथा रक्षा संबंधी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बेहतर बनाने के प्रयास पुनः शुरू हुए। मई, 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद चीन के साथ आदान-प्रदान रोक दिये गये और वर्ष

2000 में सितंबर में भारतीय नौसेना पोत के शंघाई के दौरे के साथ पुनः शुरू हुए।

14.18 रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडिस के अप्रैल, 2003 के चीन दौरे तथा प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जून, 2003 के दौरे से द्विपक्षीय तथा रक्षा संबंधों को बहुत बल मिला। रक्षा मंत्री के दौरे से आपसी समझ बेहतर हुई तथा आपसी विश्वास पैदा हुआ और इससे सैन्य प्रतिनिधिमंडलों के तेजी से आदान-प्रदान का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान संबंधों में बाधा डालने वाले प्रमुख कारणों को दूर करने, व्यापार सहयोग तथा द्विपक्षीय संबंधों को समग्र रूप से बढ़ावा देने तथा सैन्य सहयोग के क्षेत्र में एक साधारण शुरूआत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। पी एल ए वायु कमान कालेज के एक 60 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जून-जुलाई, 2003 में भारत का दौरा किया। एक प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिनिधिमंडल ने सितंबर, 2003 में भारत का दौरा किया तथा दिसंबर, 2003 में जनरल स्टाफ के उप प्रमुख ले0 जनरल वू गुआंजु के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया। भारत से जी ओ सी 4 कोर, ले0 जनरल महेन्द्र सिंह तथा एयर मार्शल जी0सी0 एस0 रजवार के नेतृत्व वाले एक अंतर-सेवा प्रशिक्षण प्रतिनिधिमंडल ने क्रमशः अक्टूबर तथा दिसंबर, 2003 में चीन का दौरा किया। नवंबर, 2003 में भारतीय नौसेना पोत भा0 नौ0 पो0 रंजीत तथा भा0 नौ0 पो0 कुलिश की यात्रा के दौरान नवंबर, 2003 में शंघाई के निकट समुद्र में प्रथम भारत-चीन नौसेना खोज एवं बचाव अभ्यास आयोजित किया गया था। चीन के रक्षा मंत्री, जनरल काओ गंगचुआं ने मार्च, 2004 के अंत में भारत का दौरा किया तथा वे अपनी इस यात्रा में पाकिस्तान तथा थाइलैंड भी गए।

14.19 भारत के भूटान के साथ ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ संबंध रहे हैं तथा ये संबंध रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में भी कायम हैं। एक भारतीय सेना प्रशिक्षण दल, रॉयल भूटानी सेना को उसकी कई प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है। सेनाध्यक्ष ने मार्च, 2003 में भूटान का दौरा किया। कुछ समय से भारत तथा भूटान-दोनों के लिए असम का संयुक्त मुक्ति मोर्चा (उल्फा), बोडो (एन डी एफ बी) तथा कामतापुर मुक्ति संगठन (के एल ओ) के आतंकवादियों के सशस्त्र शिविरों की मौजूदगी चिंता का विषय रही है तथा दोनों देश इस मुद्दे पर आपस में गहन संपर्क बनाए हुए हैं। भूटानी सरकार द्वारा इन संगठनों को भूटान की धरती से भारत विरोधी गतिविधियों को त्याग देने तथा भूटानी क्षेत्र छोड़ देने के लिए समझाने के लिए किए गए प्रयास सफल नहीं हुए। दिसंबर, 2003 में रॉयल भूटानी सेना ने अपने भू-क्षेत्र पर दावे के साथ प्रभुत्व दिखाने तथा एक अच्छे पड़ोसी होने का प्रदर्शन करने तथा भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर संवेदनशीलता दिखाने के प्रयास के रूप में शिविरों को बंद तथा ध्वस्त करने के लिए सैन्य कार्रवाई शुरू की है। भूटान में विरोधी समूहों के सैन्य ढांचे को पूरे प्रयासों सहित विघटित करने में ये संक्रियाएं सफल रही। कार्रवाई से बचने तथा सीमा पार कर भारत में घुसने का प्रयास करते हुए कई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था।

14.20 जहां तक भारत के अन्य पूर्वी पड़ोसी देशों का संबंध है, भारत के नेपाल के साथ प्रशिक्षण, उपस्कर आपूर्ति तथा सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग में पारंपरिक रूप से घनिष्ठ रक्षा संबंध कायम हैं। भारत के सेनाध्यक्ष ने अप्रैल, 2003 में नेपाल का दौरा किया। नेपाल के रक्षा सचिव

श्री मदन प्रसाद अरयाल ने अगस्त, 2003 में भारत का दौरा किया। विदेश मंत्रालय के अधीन रक्षा तथा सुरक्षा संबंधी मामलों पर बातचीत के लिए एक नए संस्थागत द्विपक्षीय मंच, द्विपक्षीय परामर्श समूह की स्थापना की गई थी तथा वर्ष 2003-04 में इसकी दो बैठकें आयोजित की गईं। भारत, नेपाल में शांति तथा आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों में उसका समर्थन कर रहा है तथा नेपाल द्वारा उसकी सुरक्षा

अमेरिका, चीन, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के साथ किए गए सैन्य स्तर के आदान-प्रदान उल्लेखनीय थे। अमेरिका तथा फ्रांस के साथ ये आदान-प्रदान संयुक्त अभ्यासों तथा प्रशिक्षण आदान-प्रदान के रूप में किए गए, दक्षिण अफ्रीका तथा श्रीलंका के साथ मुख्यतः प्रशिक्षण तथा अनुभवों के आदान-प्रदान के रूप में तथा चीन के साथ ये आदान-प्रदान आपसी विश्वास बढ़ाने के महत्वपूर्ण उपायों के रूप में रहे।

आवश्यकताओं के लिए मांगी गई किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

14.21 बंगलादेश के साथ रक्षा संबंध, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सहभागिता तथा भारतीय टटरक्षक पोतों द्वारा यात्राओं के रूप में जारी हैं। बंगलादेश के वायुसेनाध्यक्ष के 2003 के दौरों के प्रत्युत्तर में सेनाध्यक्ष ने फरवरी, 2004 में बंगलादेश का दौरा किया। म्यांमार के साथ सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश की जा रही है। भारतीय नौसेना द्वारा दिसंबर, 2002 की म्यांमार की पोर्ट काल के आधार पर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल माधवेन्द्र सिंह ने सितंबर, 2003 में एक

नौसेना पोत के दौरों के साथ अपनी यंगून यात्रा निर्धारित की। इस यात्रा के दौरान आधारभूत नौसेना अभ्यास भी किए गए।

14.22 वर्ष के दौरान श्रीलंका के साथ राजनीतिक तथा सैन्य स्तरों पर एक दूसरे की

सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर आपसी समझ-बूझ काफी बढ़ी है। भारत के वायुसेनाध्यक्ष एयर मार्शल एस0 कृष्णास्वामी ने फरवरी, 2003 में श्रीलंका दौरा किया था। उच्च स्तरीय दौरों जिसमें राजनीतिक स्तर पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का भारत दौरा तथा सैन्य स्तर पर श्रीलंका की सशस्त्र सेनाओं के कमांडर ले0 जनरल एल0पी0 बलागाले का दिसंबर, 2003 का उल्लेखनीय दौरा शामिल हैं, के दौरान श्रीलंका में सुरक्षा स्थिति तथा रक्षा संबंध विकसित करने पर बातचीत प्रमुख मुद्दे थे। आपसी हितों के संक्रियात्मक मामलों पर संक्रिया पुनरीक्षा वार्ता जैसे संस्थागत परामर्शों के माध्यम से सहयोग जारी है। जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ, दक्षिण कमान ने अक्टूबर, 2003 में श्रीलंका का दौरा किया। भारत के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ाने संबंधी अर्थोपाय पर चर्चा करने के लिए श्रीलंका के रक्षा सचिव श्री एल0 डी0 सी0 हेराथ ने जनवरी, 2004 में भारत का दौरा किया था। भारतीय सशस्त्र सेना प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे विदेशी प्रशिक्षुओं में बड़ी संख्या में श्रीलंका की सशस्त्र सेना के प्रशिक्षु हैं।

14.23 मालदीव के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग लगातार बना रहा। वायुसेनाध्यक्ष ने मालदीव की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भारतीय वायुसेना द्वारा एक रडार लगाए जाने के अवसर पर जुलाई, 2003 में मालदीव का दौरा किया। प्रशिक्षण और अन्य सहायता जारी रही।

14.24 मध्य एशियाई गणराज्य भारत के सामरिक महत्व के पड़ोस का अभिन्न अंग हैं। इस क्षेत्र की गतिविधियों का हमारे सुरक्षा हितों

पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भारत का इनके साथ गहरा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध है और सभी मध्य एशियाई राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले देशों में से भारत का पहला स्थान है। वर्ष के दौरान, भारत ने रक्षा संबंधों का विस्तार करने और प्रत्येक गणराज्य के साथ सुरक्षा संबंधी अवधारणाओं को गहराई से समझने तथा विगत में की गई पहलों को आगे बढ़ाने का कार्य जारी रखा है।

14.25 अप्रैल, 2002 में तजिकिस्तान के और फरवरी, 2003 में उजबेकिस्तान के दौरों के अनुक्रम में रक्षा मंत्री ने नवंबर, 2003 में किर्गिस्तान और कजाकिस्तान का दौरा किया जो इन देशों में भारत के किसी रक्षा मंत्री का प्रथम दौरा था। इस दौर के दौरान रक्षा उपस्कारों की आपूर्ति तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में चल रहे सहयोग की पुनरीक्षा की गई तथा जून, 2002 में प्रधानमंत्री के कजाकिस्तान दौर के दौरान हस्ताक्षरित रक्षा सहयोग करार को आगे बढ़ाने की समीक्षा की गई तथा उन्हें अभिप्रेरित तथा

विस्तारित करने संबंधी संभावनाओं का पता लगाया गया।

14.26 अप्रैल, 2002 में रक्षा मंत्री के तजाकिस्तान के दौर के दौरान हस्ताक्षर किए गए रक्षा सहयोग संबंधी करार के आधार पर तजाकिस्तान के साथ रक्षा संबंध प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास तथा तकनीकी सहायता के रूप में निरंतर बढ़ रहे हैं। हमारे बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों की अभिव्यंजना के रूप में प्रधानमंत्री ने नवंबर, 2003 में तजाकिस्तान का दौरा किया। फरवरी, 2003 में रक्षा मंत्री के उजबेकिस्तान के दौर के

दौरान प्रारंभ किए गए प्रस्तावों के आधार पर उजबेकिस्तान के साथ रक्षा संबंधों में गति आनी शुरू हुई है। रक्षा सहयोग का विस्तार करने हेतु उजबेकिस्तान के उप रक्षा मंत्री, कर्नल आर0 नियाजोव के दौर के दौरान उक्त वर्ष के लिए रक्षा सहयोग को बढ़ाने हेतु तैयार किए गए सहयोग कार्यक्रम का सैन्य और सैन्य तकनीकी स्तर पर एक दूसरे देश के दौरों के जरिए अनुसरण किया गया। उड़ान के दौरान ईंधन पुनर्भरण करने वाले दो संविदागत आई एल-78 विमानों की सुपुर्दगी से उजबेकिस्तान के साथ संबंध, प्रशिक्षण संबंध से बढ़कर अधिग्रहण तक विस्तारित हुए हैं।

14.27 फारस की खाड़ी भारत के विस्तारित एवं सामरिक महत्व के पड़ोस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ऊर्जा का स्रोत है तथा बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय इसमें रहते हैं। ओमान के साथ हमारे परंपरागत रूप से घनिष्ठ तथा ऐतिहासिक रूप से अनन्य संबंध रहे हैं और यह दोनों पक्षों के गहरे रक्षा संबंधों के प्रति जाहिर इच्छा के प्रतीक हैं। रक्षा मंत्री ने अक्टूबर, 2002 में ओमान का दौरा किया था। पहले की तरह इस वर्ष के दौरान इस तरह के सहयोग के प्रमुख हिस्से के रूप में प्रशिक्षण, संयुक्त नौसेना अभ्यास और पोतों का आना-जाना बना रहा। अप्रैल, 2003 में भारत के पश्चिमी तट से दूर भारत-ओमान संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया था। सितंबर, 2003 में दोनों देशों विदेश मंत्रालयों के कार्यालयों के बीच हुए विचार-विमर्श में रक्षा सहयोग इसका एक प्रमुख हिस्सा था। वायुसेनाध्यक्ष ने जनवरी, 2004 में ओमान का दौरा किया। डा0 हसन रुहानी के फरवरी, 2004 में भारत के दौर के साथ ईरानी इस्लामी गणतंत्र की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव के स्तर पर सुरक्षा संबंधी बातचीत जारी रही।

मध्य एशियाई गणराज्य भारत के सामरिक महत्व के पड़ोस का अभिन्न अंग हैं। इस क्षेत्र की गतिविधियों का हमारे सुरक्षा हितों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भारत का इनके साथ गहरा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध है।

दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों की सामरिक अवस्थिति के कारण रक्षा एवं सुरक्षा मामलों पर गहन सुरक्षा वार्ता एवं सहयोग इन देशों के साथ भारत के संबंधों का एक महत्वपूर्ण अंग है।

14.28 संयुक्त अरब अमीरात के साथ रक्षा संबंधी विचार-विमर्श एक स्वागत योग्य घटना थी। संयुक्त अरब अमीरात के एक नौसेना पोत ने मार्च, 2003 में कोच्ची का दौरा किया। भारतीय रक्षा उद्यमों और भारत के एक नौसेना पोत भा0नौ0पो0 मुंबई ने मार्च, 2003 में अबूधाबी में आयोजित आईडेक्स रक्षा प्रदर्शनी में भाग लिया था। विदेश मंत्रालय के निमंत्रण पर जून-

जुलाई, 2003 में भारत के दौरे पर आए संयुक्त अरब अमीरात के सशस्त्र बलों के सेनाध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जैयद अल नहयान के साथ रक्षा सहयोग संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। वायुसेनाध्यक्ष के जनवरी, 2004 में संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाने से भारत और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेनाओं के बीच प्रशिक्षण संबंधी सहयोग की संभावना बनी है।

14.29 भारत की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिए रक्षा उपस्करों पर जोर देते हुए, भारत और इजराइल के बीच रक्षा संबंध और सहयोग का विविधीकरण हो रहा है और संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। इस तरह के सहयोग को संस्थागत रूप देने के लिए रक्षा सहयोग संबंधी भारत-इजराइल संयुक्त कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक भारत में दिसंबर, 2003 में आयोजित की गई थी। इजराइली उप रक्षा मंत्री श्री जीयर बोइम की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने डेफएक्सपो 2004 रक्षा उद्योग प्रदर्शनी में इजराइल का अच्छा प्रतिनिधित्व किया। रक्षा उद्योगों और सशस्त्र बलों के बीच अन्य प्रकार के संपर्क भी जारी रहे।

14.30 दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की सामरिक अवस्थिति, इस क्षेत्र में कट्टरवादियों

की गतिविधियों तथा आतंकवाद से उत्पन्न चुनौतियों तथा भारत की 'पूर्व की ओर देखो' की विदेश नीति के परिणामस्वरूप रक्षा एवं सुरक्षा मामलों पर और गहन सुरक्षा वार्ता एवं सहयोग इन देशों के साथ भारत के संबंधों का एक महत्वपूर्ण अंग है। आशियान देशों के साथ भारत का बढ़ता संबंध आशियान क्षेत्रीय फोरम के ढांचे में हो रही सुरक्षा वार्ता, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग करारों, एक दूसरे देशों के यहां दौरो, इस क्षेत्र में सिंगापुर, लाओस, वियतनाम, थाइलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया तथा फिलीपीन्स जैसे देशों की बढ़ती संख्या के साथ संयुक्त अभ्यासों तथा गश्त लगाने सहित संयुक्त गतिविधियों से परिलक्षित होता है। भारत ने आशियान क्षेत्रीय फोरम के सदस्य देशों के राष्ट्रीय रक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के प्रमुखों की 7वीं बैठक आयोजित की।

14.31 भारत और सिंगापुर ने अपनी सुरक्षा वार्ता और रक्षा सहयोग के स्तर में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी की है। रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नांडिस ने लंदन के अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान द्वारा जून, 2003 में सिंगापुर में आयोजित एशियाई सुरक्षा संगोष्ठी, 'शांगरी-ला-डायलॉग' में भाग लिया। सिंगापुर के नये रक्षा मंत्री रियर एडमिरल टिओ ची हेन की भारत यात्रा, जो सिंगापुर के किसी रक्षा मंत्री की पहली भारत यात्रा थी, के दौरान अक्टूबर, 2003 में एक रक्षा सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए। सेनाध्यक्ष श्री एन सी विज ने सितंबर, 2003 में सिंगापुर की सद्भावना यात्रा की। भारतीय नौसेना के दो पोतों-भा0नौ0पो0 ब्रह्मपुत्र तथा किर्च ने सिंगापुर में नवंबर, 2003 में इमडेक्स 2003 में भाग लिया। नौसेनाध्यक्ष एडमिरल माधवेन्द्र सिंह भी इस आयोजन में शामिल हुए। वायुसेनाध्यक्ष एयर मार्शल एस0 कृष्णास्वामी के नेतृत्व में 'सूर्य किरण' हवाई-करतब दल तथा 'सारंग'

उन्नत हल्का हेलिकॉप्टर प्रदर्शनी दल के जरिए फरवरी, 2004 में 12वीं एशियाई एरोस्पेस 2004 प्रदर्शनी तथा संगोष्ठी में मजबूत वायुसेना की भागीदारी दर्ज की। सिंगापुर की वायुसेना द्वारा भी सक्रियात्मक स्तर पर इसी स्तर के दौर किए गए। हाल ही में भारत-सिंगापुर की नौसेना का संयुक्त वार्षिक अभ्यास मार्च, 2004 में कोच्ची के पास किया गया। रक्षा सचिव श्री अजय प्रसाद तथा सिंगापुर के स्थायी रक्षा सचिव श्री पीटर हो ने मार्च, 2004 में सिंगापुर में आयोजित आरंभिक रक्षा नीति वार्ता की अध्यक्षता की।

14.32 आशियान के अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है। इस वर्ष के दौरान भारत से वियतनाम और वियतनाम से भारत के बीच कई महत्वपूर्ण दौरे किए गए। वियतनाम की नौसेना और वहां के रक्षा उद्योग के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल अगस्त, 2003 में भारत आए। सी जी एस संग्राम ने सितंबर-अक्टूबर, 2003 में हो ची मिन्ह शहर का दौरा किया। वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल नगुयेन हुई ह्यू, उप रक्षा मंत्री ने नवंबर, 2003 में भारत में आयोजित प्रथम भारत-वियतनाम सुरक्षा वार्ता में वियतनाम का प्रतिनिधित्व किया। इसके तत्काल बाद सेनाध्यक्षों की समिति के अध्यक्ष तथा नौसेनाध्यक्ष एडमिरल माधवेन्द्र सिंह दिसंबर, 2003 में वियतनाम गए। इस अवसर पर भारतीय नौसेना पोत मगर की यात्रा के दौरान वियतनाम की नौसेना को नौसेना के कई हिस्से-पुर्जे उपहार स्वरूप भेंट किए गए। वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल फुंग क्वांग थान्ह, उप रक्षा मंत्री तथा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मार्च, 2004 में भारत आए।

14.33 फिलीपीन्स के रक्षा मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) एंग्लो रेइस के फरवरी, 2002 तथा

फिलीपीन्स के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल डिवोनिसियो आर सांटीआगो के अगस्त, 2002 में भारत का दौरा करने से भारत और फिलीपीन्स के बीच रक्षा संपर्क तथा आदान-प्रदान को गति मिली। सेनाध्यक्ष ने अक्टूबर, 2003 में फिलीपीन्स का दौरा किया। फिलीपीन्स से होकर गुजरने वाले भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक बल के पोतों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आसूचनाओं का आदान-प्रदान अब और नियमित रूप से हो रहा है। विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में मार्च, 2003 में मनीला, फिलीपीन्स में आयोजित सुरक्षा वार्ता जिसमें रक्षा मंत्रालय ने भाग लिया था, के दौरान और रक्षा सहयोग की संभावना का पता लगाया गया।

14.34 जोगजकार्ता, इंडोनेशिया में अगस्त-सितंबर, 2003 में भारत के विदेश मंत्री श्री यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में आयोजित भारत-इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की पहली बैठक में इंडोनेशिया के साथ रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। तटरक्षक बल के दो पोतों वराहा तथा कनकलता बरुआ ने दिसंबर, 2003 में बेलावन, इंडोनेशिया की यात्रा की। डब्ल्यू0 आर0 अरगावा, उप नौसेना प्रमुख ने डेफएक्सपो 2004 में इंडोनेशिया का प्रतिनिधित्व किया। महीने भर चलने वाले भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्ती के तीसरे 'इंडिनडोकोरपट' का आयोजन 5 मार्च, 2004 से भारत-इंडोनेशिया की समुद्री सीमा पर किया गया।

14.35 भारत के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा अन्य आशियान देशों का दौरा किए जाने तथा इन देशों के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों द्वारा भारत का दौरा किए जाने एवं भारत के पोतों द्वारा थाइलैंड की यात्रा किए जाने में वृद्धि हुई है। थाई सशस्त्र सेना के सुप्रीम कमांडर, जनरल

सुरायध चुलानोंट जुलाई, 2003 में भारत आए। भारतीय नौसेना पोत त्रिंकट तरासा तथा एल सी यू 38 ने नवंबर, 2003 में फुकेट की यात्रा की। भारत तथा थाई नौसेना के कार्यकारी समूह ने साझा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा की संयुक्त रूप से गश्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर चर्चा करने हेतु बैठक की। नौसेनाध्यक्ष मार्च, 2004 में थाइलैंड गए। मलेशिया ने वायुसेना से संबद्ध प्रशिक्षण एवं उपस्करों तथा अपने सशस्त्र बलों के लिए चिकित्सा प्रशिक्षण तथा सेनाओं में सहयोग बढ़ाने में रुचि दिखाई। भा0 नौ0 पो0 दिल्ली तथा कोरा ने सितंबर-अक्टूबर, 2003 में लंगकावी, मलेशिया में आयोजित लीमा-03 प्रदर्शनी में भाग लिया। प्रधानमंत्री वाजपेयी की नवंबर, 2002 में लाओस की यात्रा के दौरान भारत और लाओस के बीच रक्षा सहयोग संबंधी करार पर हुए हस्ताक्षर के अनुसरण में रक्षा सचिव श्री सुबीर दत्ता द्वारा मार्च, 2003 में लाओस की यात्रा की गई जिससे लाओस की सशस्त्र सेना के सैन्य प्रशिक्षण के स्तर में वृद्धि हुई।

14.36 आतंकवाद, भारी तबाही के हथियारों के प्रसार तथा एशिया के समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा से उत्पन्न साझा सुरक्षा चुनौतियों के एहसास के आधार पर वर्ष 2003-2004 के दौरान पूर्वी एशिया/प्रशांत क्षेत्र के देशों जैसे जापान, मंगोलिया, कोरिया गणराज्य तथा आस्ट्रेलिया के साथ संपर्क बढ़ा। हिंद महासागर के समुद्री क्षेत्रों में, विशेषकर समुद्री डकैती और अंतरदेशीय अपराधों से समुद्री क्षेत्रों की रक्षा तथा सुरक्षा में साझा हित देखते हुए पिछले वर्ष उच्च-स्तरीय यात्राओं, ए आर एफ

के ढांचे के भीतर आयोजित वार्ता और जापानी समुद्री सीमा संबंधी अन्य पहलों की वजह से भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच व्यापक वार्ता हुई। इन वार्ता, यात्राओं तथा अन्य संबंधों से रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में आपसी घनिष्ठता, एक दूसरे के लिए सद्भाव का स्तर बढ़ा है। जापानी रक्षा एजेन्सी के महानिदेशक श्री शिंगेरू इशीबा ने मई, 2003 में रक्षा मंत्री से वार्ता के लिए भारत का दौरा किया। जापानी रक्षा एजेन्सी के नीति और कार्यक्रम प्रभाग के प्रमुख मेजर जनरल तोशीरो मियाशिता ने अक्टूबर, 2003 में भारत का दौरा किया। जापानी समुद्री रक्षा एजेन्सी के जहाजों और भारतीय नौसेना के जहाजों ने नवंबर, 2003 में कोच्चि दौरे के दौरान बुनियादी अभ्यास किया।

14.37 मंगोलिया और कोरिया गणराज्य के साथ रक्षा संबंधों के विकास की शुरुआत की गई। मंगोलिया के रक्षा मंत्री श्री जुगडरडीमिड गुरेगचा ने नवंबर, 2003 में भारत का दौरा करने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। एक रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सितंबर-अक्टूबर, 2003 में मंगोलिया और कोरिया गणराज्य का भी दौरा किया। दो भारतीय नौसेना पोत अक्टूबर, 2003 में कोरिया गणराज्य स्थित पूसान गए। फरवरी, 2004 में डेफएक्सपो 2004 में कोरिया गणराज्य के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।

14.38 आस्ट्रेलिया के साथ रक्षा संबंध और उच्च स्तर पर 2001 से फिर शुरू किया गया बातचीत का सिलसिला, विशेष रूप से जून, 2002 और 2003 में सिंगापुर में एशिया सुरक्षा सम्मेलन में रक्षा मंत्री की आस्ट्रेलियन रक्षा मंत्री के साथ बैठक, आस्ट्रेलिया के रक्षा सचिव के अगस्त, 2002 में भारत के दौरे, नवंबर, 2002 में भारतीय नौसेना अध्यक्ष के आस्ट्रेलिया के दौरे

साझा सुरक्षा चुनौतियों के एहसास के आधार पर वर्ष 2003-04 के दौरान पूर्वी एशिया/प्रशांत क्षेत्र के देशों जैसे जापान, मंगोलिया, कोरिया गणराज्य तथा आस्ट्रेलिया के साथ संपर्क बढ़ा है।

और मार्च, 2003 में केनबरा में हुई पिछली बैठक में भारत-आस्ट्रेलिया सामरिक महत्व की वार्ता में रक्षा प्रतिनिधियों की सहभागिता से जारी रहा। तीसरी भारत-आस्ट्रेलिया सामरिक नीति वार्ता विदेश मंत्रालय के अंतर्गत मार्च, 2003 में नई दिल्ली में हुई थी और रक्षा संबंध और सहयोग के लिए भविष्य के लिए दौरे तथा कार्यक्रमों के लिए खाका तैयार किया गया था।

14.39 भारत-रूस सामरिक संबंध प्रधानमंत्री वाजपेयी और राष्ट्रपति पुतिन के स्तर पर हुई चार बैठकों में दृष्टिगोचर हुए। दोनों देशों के बीच वार्षिक शिखर बैठकों की भी परंपरा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का 11 से 13 नवंबर, 2003 तक का रूस का द्विपक्षीय दौरा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, गैर-कानूनी स्वापक औषधि व्यवसाय, उग्रवाद, विकासात्मक और पर्यावरणीय चुनौतियों जैसी 21वीं सदी की चुनौतियों तथा खतरों की पहचान करते हुए तथा द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने एवं बहुपक्षीयतावाद व संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को सुदृढ़ बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए विश्व सुरक्षा और स्थिरता की वैश्विक चुनौतियों और खतरों पर घोषणा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के प्रमुखों के स्तर पर एक जोरदार सुरक्षा संवाद, आतंकवाद और अफगानिस्तान जैसी विशिष्ट चुनौतियों से निपटने के लिए मैकेनिज्म, रक्षा औद्योगिक सहयोग (सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतर सरकारी आयोग) के लिए एकमात्र मंत्री-स्तरीय मैकेनिज्म और भारतीय सेना, नौसेना तथा वायुसेना के प्लेटफार्मों का अधिकांश हिस्सा सोवियत/रूसी मूल का होना शामिल है।

14.40 रूसी रक्षा मंत्री, सेर्गेई बी इवानोव की जनवरी, 2004 में भारत की यात्रा और डेक-आधारित वाहक विमान सहित विमान वाहक, 'एडमिरल गोर्शकोव' की पुनर्सजा तथा अधिग्रहण के लिए नई संविदाओं पर हस्ताक्षर

किए जाने से उच्च स्तरीय रक्षा संबंधी दौरों और उन्नत रक्षा अधिग्रहण की परंपरा जारी रखी गई। सेनाध्यक्ष ने जून, 2003 में और वायुसेनाध्यक्ष ने अक्टूबर, 2003 में रूस का दौरा किया। टी-90 टैंकों और सुखोई 30 एम के आई के लिए अधिप्राप्ति संबंधी चालू संविदाओं से संबंधित आपूर्ति तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जारी रहे। जून, 2003 में नौसेनाध्यक्ष ने रूसी नौसेना गोदीबाड़ों में निर्मित 3 नए फ्रिगेटों में से पहले, भा0नौ0पो0 तलवार के जलावतरण समारोह की अध्यक्षता की। ब्रह्मोस क्रूज प्रक्षेपास्त्र के संयुक्त विकास संबंधी प्रगति अत्यंत उत्साहवर्धक थी।

14.41 केन्द्रीय और पूर्वी यूरोप के देश रक्षा उद्योग के क्षेत्र में परंपरागत साझेदार रहे हैं। यूरोप में राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के संदर्भ में इस संबंध को अद्यतन करने के लिए अक्टूबर, 2003 में रक्षा मंत्री ने यूक्रेन और चैक गणतंत्र की यात्रा की। चैक गणतंत्र के साथ एक रक्षा सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत से विशेषज्ञ स्तर के प्रतिनिधिमंडलों ने यूक्रेन (जुलाई, 2003), चैक गणतंत्र (अक्टूबर, 2003) और बेलारूस तथा पोलैंड (मार्च, 2004) में प्लेटफार्मों, उपस्करों, प्रणालियों, अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों और ओवरहालिंग के स्रोतों के लिए संभावनाओं की खोज करने के लिए इन देशों की यात्रा की। पोलिश गणतंत्र के राष्ट्रीय रक्षा के प्रथम उप मंत्री श्री जेनूस जेमके ने फरवरी, 2004 में डेफेक्सपो में पोलैंड का प्रतिनिधित्व किया। हंगरी के साथ रक्षा सहयोग के एक करार पर भी नवंबर, 2003 में हंगरी के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। अर्मेनिया के उप विदेश मंत्री श्री तातौल मारगेरियन ने मई, 2003 में अपनी भारत यात्रा के दौरान भारत और अर्मेनिया के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

14.42 भारत पश्चिमी यूरोप में अपने प्रधान संभाषियों के साथ तथा प्रशिक्षण आदान-प्रदान, संयुक्त अभ्यास तथा रक्षा अधिप्राप्ति, उत्पादन तथा अनुसंधान एवं विकास सहित व्यापक गतिविधियों से युक्त पारस्परिक रूप से लाभदायी रक्षा संबंधों के संबंध में सामरिक तथा सुरक्षा वार्ता को लेकर सक्रिय रहा है। फ्रांस, यू.के., इटली तथा जर्मनी के साथ रक्षा सहयोग हेतु संस्थागत तंत्र मौजूद है। उपस्कर तथा प्रौद्योगिकी की आपूर्ति में दीर्घावधि स्थायित्व पर विशेष जोर दिया गया था तथा इस बात पर भी जोर दिया गया था कि 'क्रेता-विक्रेता' वाले संबंध को बदलकर इसे डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास तथा उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग के आधार पर इसे भागीदार के रूप में इस ढंग से स्थापित किया जाए कि इन देशों के साथ हमारी रक्षा वार्ता में पारस्परिक लाभ हेतु इष्टतम कार्य अनुपूरक शामिल हों।

14.43 फ्रांस के रक्षा मंत्री श्री मिशेल एलायट-मैरी ने अप्रैल, 2003 में भारत की यात्रा की। मई, 2003 में गोवा से लगे हुए समुद्री क्षेत्र में एक संयुक्त नौसेना अभ्यास 'वरुण' का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान फ्रांस के



अक्टूबर, 2003 में रॉयल एयर फोर्स रेड एरोज एरोबेटिक टीम में हिन्दन हवाई अड्डे पर संयुक्त अभ्यास किया।

नौसेना प्रमुख मौजूद थे। इसके बाद फरवरी, 2003 में आगरा में एक बड़ा संयुक्त वायु अभ्यास- 'गरुड़' का आयोजन किया जिसमें फ्रांस के वायुसेना अध्यक्ष भी मौजूद थे। फ्रांस के जनरल स्टाफ स्कूल के 90 सदस्यों वाले एक शिष्टमंडल ने मई, 2003 में भारत की यात्रा की। रक्षा पर भारत-फ्रांस उच्च समिति की छठी बैठक नवंबर, 2003 में दिल्ली में आयोजित की गई।

14.44 भारत-यू.के. के रक्षा परामर्श समूह की सातवीं बैठक जून, 2003 में लंदन में हुई। ब्रिटिश रक्षा स्टाफ प्रमुख, जनरल सर माइकल वाकर ने सितंबर, 2003 में भारत का दौरा किया। यू.के. के प्रथम समुद्र लार्ड सर एलन वेस्ट ने राजकुमार चार्ल्स के साथ नवंबर, 2003 में भारत की यात्रा की। भारत के रक्षा सचिव ने नवंबर, 2003 में यू.के. का दौरा किया। रक्षा संबंधों को भारी प्रोत्साहन देते हुए यू.के. से 66 हॉक उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान खरीदने के लिए मार्च, 2004 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यू.के. के रक्षा अधिप्राप्ति राज्य मंत्री लार्ड बैच के नेतृत्व में यू.के. के एक बड़े शिष्टमंडल ने डेफएक्सपो 2004 का दौरा किया।

14.45 रक्षा उपस्करों से संबद्ध मामलों पर भारत-इटली संयुक्त कार्य दल की प्रथम बैठक अप्रैल, 2003 में दिल्ली में हुई। इसके बाद भारत की ओर से रक्षा सचिव तथा इटली के रक्षा मंत्रालय की ओर से रक्षा तथा युद्ध-सामग्री डायरेक्टर के महासचिव के स्तर की संयुक्त रक्षा समिति की नियमित बैठक जुलाई, 2003 में हुई। इटली के उप रक्षा मंत्री श्री साल्वेटर सिकू, ने डेफएक्सपो इंडिया 2004 के लिए फरवरी, 2003 में भारत की यात्रा की। जर्मनी जैसे अन्य पश्चिम यूरोपीय देशों के साथ भी रक्षा संबंधों में प्रगाढ़ता आई है। भारत-जर्मन स्टाफ वार्ता के



प्रति विद्रोही एवं जंगल युद्ध पद्धति स्कूल, वारियनगेट में हुए भारत-अमरीकी संयुक्त अभ्यास के दौरान भारत अमरीकी सैन्य टुकड़ियाँ 'भाई-भाई' की तरह गश्त लगाते हुए।

तृतीय दौर की बैठक 27 से 29 अक्टूबर, 2003 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की गई। स्वीडिश आर्मी के इंस्पेक्टर जनरल, मेजर जनरल अल्फ सैंडक्वीस्ट ने डेफेक्सपो 2004 के अवसर पर भारत की यात्रा की।

14.46 9/11 की घटना के बाद भारत-अमरीका संबंधों में एक बड़ा बदलाव आया है। यह संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों तथा आतंकवाद, जनसंहारी हथियारों का प्रसार, हिंद-महासागर में समुद्री मार्गों की सुरक्षा तथा एशिया में शांति और स्थायित्व से संबंधित सुरक्षा चिंताओं के अभिसरण और कार्यान्वयन से प्रेरित है। भारत और अमरीका द्वारा नवंबर, 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा राष्ट्रपति

बुश द्वारा रेखांकित लक्ष्य को सामरिक रूप प्रदान करने के लिए द्विपक्षीय संबंधों में बदलाव लाने का सतत् प्रयास जारी रखा गया। भारत और अमरीका ने वैश्विक तथा क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर नियमित रूप से उच्च स्तरीय परामर्श किया था। भारत ने निकट और दूर के पड़ोसियों के संबंध में संस्थागत वार्ता जारी रखी। भारत और अमरीका के संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति में अमरीकी राष्ट्रपति बुश तथा भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने 12-13 जनवरी, 2004 को सिविलियन परमाणु, सिविलियन अंतरिक्ष तथा दोहरे इस्तेमाल के सामान तथा प्रौद्योगिकी तथा प्रक्षेपास्त्र रक्षा पर विस्तृत वार्ता के लिए कदम उठाने की घोषणा की। यद्यपि प्रसार मसलों पर मतभेदों को पूर्णतया सुलझाया नहीं जा सकता, फिर भी, सुरक्षा तथा सामरिक मुद्दों पर पारस्परिक समझ में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इराक में लड़ाई के संबंध में अपने-अपने रुख में अंतर तथा भारत का इराक में सेना न भेजने के निर्णय का भारत-अमरीका संबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

14.47 दोनों सरकारों ने रक्षा सहयोग के क्षेत्र में विस्तार के लिए गति बनाए रखी। रक्षा नीति दल अगस्त, 2003 में वाशिंगटन में मिले। वायुसेना, नौसेना तथा सेना के कार्यकारी संचालन दल क्रमशः जुलाई, नवंबर तथा दिसंबर, 2003 में मिले। रक्षा अनुसंधान एवं विकास सूचना के आदान-प्रदान को सुकर बनाने से संबंधित एक मास्टर सूचना आदान-प्रदान करार पर फरवरी, 2004 में अमरीका के राज्य सचिव, श्री डोनाल्ड रम्सफील्ड तथा रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नांडिस ने हस्ताक्षर किए। एक वरिष्ठ रक्षा प्रौद्योगिकी-सुरक्षा दल फरवरी, 2004 में

वाशिंगटन में मिला। अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर संयुक्त अमरीकी दल की 6वीं बैठक मार्च, 2004 में दिल्ली में हुई। दोनों देशों के प्रशिक्षण संबंधी आदान-प्रदान में वृद्धि हुई तथा भारत और अमरीका में जटिल तथा अत्याधुनिक संयुक्त अभ्यासों का संचालन किया गया। अमरीकी विशेष आपरेशन कमान पैसिफिक ने अप्रैल 2003 में वायरेंगटे, मिजोरम में प्रति विद्रोह तथा जंगल युद्ध पद्धति अभ्यासों में भाग लिया। भारतीय और अमरीकी सेनाओं ने जून-जुलाई, 2003 में गुआम में और सितंबर, 2003 में लेह, जम्मू-कश्मीर में युद्धाभ्यासों में भाग लिया। भारतीय वायुसेना ने जून 2003 में अलास्का में कोआपरोटिव कोप थंडर 03-3 परिवहन विमानों के साथ बहुपक्षीय वायु अभ्यासों में भाग लिया। अमरीकी तथा भारतीय वायु सेनाओं ने अपने लड़ाकू विमानों के साथ फरवरी, 2004 में ग्वालियर में द्विपक्षीय डिसीमिलर एयर कम्बैट एक्सरसाइज में भी भाग लिया।

14.48 उपनिवेशवाद तथा रंगभेद के विरुद्ध भारत के रुख तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका से जुड़े देशों सहित अफ्रीकी महाद्वीप में ऐसे बहुत से देश हैं जिनके साथ भारत के गहरे ऐतिहासिक तथा राजनैतिक संबंध हैं। दक्षिणी तथा पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र के देशों के साथ भारत के रक्षा प्रशिक्षण तथा सैन्य प्रशिक्षण स्थापनाओं के गहरे संबंध हैं। यद्यपि उत्तरी अफ्रीका के देशों के साथ रक्षा सहयोग अभी तक विरल तथा उनकी क्षमता से नीचे रहे हैं, इसके बावजूद, अरब दुनिया में आमतौर पर कुछ प्रशिक्षण संबंधी आदान-प्रदान हुए हैं। भारत, अफ्रीका में इथोपिया तथा इरिट्रिया तथा कांगो में शांति मिशनों के लिए सैनिक मुहैया

कराता रहा है। मारीशस तथा नामीबिया में हेलिकॉप्टर प्रशिक्षण टुकड़ियों सहित अफ्रीका में भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल की सबसे बड़ा दल तैनात है। अफ्रीका के 12 देशों के प्रतिनिधियों ने डेफएक्सपो 2004 में भाग लिया था।

14.49 रक्षा उपस्करों के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता तथा प्रशिक्षण और व्यावसायिक आदान-प्रदानों के रूप में भारत के दक्षिण अफ्रीका के साथ महत्वपूर्ण रक्षा संबंध रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, श्री थाबोम्बेकी की भारत में अक्टूबर, 2003 में सरकारी यात्रा के दौरान उनके शिष्टमंडल में दक्षिण अफ्रीकी रक्षा मंत्री, श्री एम.जी.पी. लेकोटा भी शामिल थे। भारत-दक्षिण अफ्रीका रक्षा समिति की चौथी बैठक दिसंबर, 2003 में दिल्ली में आयोजित की गई थी। रक्षा आपूर्ति संबंधी अंतर-सरकारी करार पर हस्ताक्षर करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के रक्षा मंत्री लेकोटा ने दिसंबर, 2003 में पुनः भारत का दौरा किया। दक्षिण अफ्रीका और भारत के रक्षा मंत्री एक बार फिर प्रिटोरिया में रक्षा मंत्रियों की आई बी एस ए फोरम की बैठक के प्रसंग में फरवरी, 2004 में मिले। वायुसेनाध्यक्ष ने अगस्त, 2003 में और सेनाध्यक्ष ने फरवरी, 2004 में दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। सहसेनाध्यक्ष ने पहले जून, 2003 में यात्रा की थी। दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीकी सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रोमानो ने मार्च, 2003 में भारत का दौरा किया था। उसके बाद नौसेना प्रशिक्षण प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई, 2003 में और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय रक्षा सेना कमान एवं प्रबंध प्रणाली के प्रमुख मेजर जनरल ए सी हरिबैस और दक्षिणी अफ्रीकी सशस्त्र सेना के महानिरीक्षक मेजर जनरल वी आई रामलखन ने

नवंबर, 2003 में यात्रा की। सेनाध्यक्ष और सहसेनाध्यक्ष ने भी बोत्स्वाना की यात्रा की जहां भारत का एक प्रशिक्षण दल है।

14.50 तंजानिया के रक्षा मंत्री फिलमन एम0 सारुंगी और सूडान के रक्षा मंत्री मेजर जनरल बकरी हसन सालिह ने अक्टूबर, 2003 में भारत की यात्रा की और मोजांबिक के रक्षा मंत्री टोबियस जैकिम दाई ने रक्षा प्रदर्शनी के दौरान फरवरी, 2004 में यात्रा की। तंजानिया के रक्षा मंत्री की यात्रा के दौरान तंजानिया के साथ रक्षा सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तंजानिया रक्षा सेनाओं के प्रमुख जनरल जी एम वैतारा ने रक्षा प्रदर्शनी 2004 में भाग लिया। तंजानिया के प्रतिनिधिमंडल ने भी रक्षा अनुसंधान एवं उद्योग के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित अध्ययन करने और संबंध विकसित करने के लिए भारत का दौरा किया। भारतीय नौसेना ने जुलाई, 2003 में मापुतो में अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन के दौरान तटीय सुरक्षा के लिए मोजांबिक सरकार के अनुरोध पर मोजांबिक में दो पोत तैनात किए। पोतों ने तैनाती के दौरान मोजांबिक नौसेना के लिए पोत पर प्रशिक्षण प्रदान किया।

14.51 भारत के दीर्घकालिक रक्षा संबंधों को सूडान के रक्षा मंत्री की यात्रा के साथ तरोताजा किया गया जिससे रक्षा उद्योगों सहित रक्षा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का रास्ता खुला। इसी तरह जिबाउटी के राष्ट्रपति महामहिम इस्माइल ओमर गुलेह की यात्रा के बाद रक्षा सेना प्रमुख जनरल फाथी अहमद हुसैन की अक्टूबर, 2003 में यात्रा से जिबाउटी के साथ

रक्षा संबंध, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के रास्ते खुले। इन पहलों को आगे बढ़ाया जाना है।

14.52 **मॉरिशस** के साथ भारत के पारंपरिक संबंध जनवरी, 2003 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से मजबूत हुए और फरवरी, 2003 में नौसेनाध्यक्ष की मॉरिशस यात्रा रक्षा पूर्तियां, मॉरिशस नौसेना जलयानों और विमानों के लिए तकनीकी सहायता, तटरक्षक संबंधी सहयोग, प्रशिक्षण कार्यकलाप आदि के रूप में जारी है। मॉरिशस तटरक्षक पोत, सी जी एस विजिलेंट और एक हेलीकॉप्टर की मरम्मत भारत में की गई थी। हिन्द महासागर में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कार्मिक भी सेसल्स के सुरक्षा बलों को महत्वपूर्ण प्रशिक्षण देते हैं। उप राष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत ने सितंबर, 2003 में सेसल्स की यात्रा की जिससे संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का अवसर मिला।

14.53 जैसाकि उपर्युक्त से देखा जा सकता है, दुनिया के देशों के साथ भारत के रक्षा सहयोग की संलग्नता वर्ष 2003-04 में बहुत अधिक बढ़ी और बहुविध हुई है। भागीदारों के साथ रक्षा सहयोग को सामरिक, सुरक्षा, राजनीतिक और वाणिज्यिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया गया था। दुनिया के देशों की नजर में भारत इस क्षेत्र और इससे बाहर शांति, सहिष्णुता और स्थायित्व की अवधारणा को परिलक्षित करता है। रक्षा संबंध और सहयोग शांति के हित में हमारे बाह्य और द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण पहलू रहेगा।

समारोह, अकादमिक तथा साहसिक क्रियाकलाप



नई दिल्ली में गणतन्त्र दिवस परेड के दौरान मार्च पास्ट

रक्षा मंत्रालय स्वायत्त संस्थाओं के माध्यम से अकादमिक और साहसिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देता है।

15.1 रक्षा मंत्रालय स्वायत्त संस्थानों को नियमित रूप से आर्थिक सहायता देकर अकादमिक तथा साहसिक दोनों प्रकार के कार्यकलापों को प्रोत्साहन देता है। ये संस्थाएं हैं:-

- (i) रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली;
- (ii) दार्जिलिंग और उत्तरकाशी के पर्वतारोहण संस्थान ; और
- (iii) अरू, कश्मीर में जवाहर पर्वतारोहण एवं शीत क्रीड़ा संस्थान ।

15.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इन संस्थानों के महत्वपूर्ण कार्यकलाप आगे के अनुच्छेदों में उल्लिखित किए जा रहे हैं।

रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान

15.3 रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित समस्याओं और रक्षा उपायों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य के लिए नवंबर, 1965 में की गई थी। पिछले वर्षों में इस संस्थान ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर

नीति से संबंधित अधिकारिक अध्ययन करवाकर एक प्रमुख अनुसंधान संस्था के रूप में विकास किया है। यह संस्थान समय-समय पर यथा संशोधित सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम- 1860 (पंजाब संशोधन अधिनियम 1957) के अंतर्गत एक पंजीकृत निकाय है तथा संस्थान के सदस्यों द्वारा चुनी गई एक कार्यकारी परिषद द्वारा संचालित किया जाता है। यह संस्थान राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्याओं में रुचि रखने वाले राजनीतिक नेताओं, शोध अध्येताओं, मीडिया, जनता तथा सैन्य अफसरों और अन्य के लिए खुला है।

15.4 **अनुसंधान संकाय :** इस संस्थान में 50 से भी अधिक अध्येताओं का एक सुअर्ह और बहु-विषयक अनुसंधान संकाय है। ये अध्येता अकादमियों, रक्षा सेनाओं, अर्द्ध सैनिक संगठनों और सिविल सेवाओं से लिए गए हैं। इस समय 2002-03 फैलोशिप कार्यक्रम के तहत 16 अनुसंधानकर्ता हैं, जो अलग-अलग अनुसंधान परियोजनाओं में कार्यरत हैं। उनके सामूहिक प्रयासों से हमारे वर्तमान और भावी सुरक्षा परिवेश को प्रभावित करने वाले विभिन्न

क्षेत्रों, देशों और मुद्दों का एक मुकम्मल और कमोबेश भारत-केंद्रित आकलन सुनिश्चित होता है। यह संस्था विदेशी अध्येताओं को उनके अनुसंधान के लिए भी सुविधाएं देता है। अध्येताओं के अनुसंधान कार्य की गुणवत्ता को समृद्ध बनाने के लिए रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान ने विश्वभर के ऐसे ही संस्थानों के साथ द्विपक्षीय संबंध बनाए हुए हैं।

15.5 कार्य-कलाप : संस्थान ने बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जैसे 27 से 29 जनवरी, 2004 तक 'संयुक्त राष्ट्र संघ, बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा' पर छठा एशियाई सुरक्षा सम्मेलन। इन सम्मेलनों में एशियाई देशों और बड़ी शक्तियों के नीति निर्धारकों और अभिमत बनाने वालों सहित विदेशी सहभागियों ने भाग लिया था। तीसरा भारत मध्य एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान और सह-प्रायोजक के रूप में सामरिक एवं क्षेत्रीय अध्ययन संस्थान द्वारा ताशकंद में 6 से 8 नवंबर, 2003 के दौरान आयोजित किया गया था। संस्थान ने विजिटिंग अध्येताओं, राजनयिकों और विदेशी शिष्ट मंडलों/दलों के साथ 55 गोल मेज विचार-विमर्श किए।

15.6 द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विचार-विमर्श: संस्थान के जापान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स जापान, एमिरेट्स सेंटर फॉर

स्ट्रेटिजिक स्टडीज एंड रिसर्च (संयुक्त राज्य अमीरात), साउथ अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज (दक्षिण अफ्रीका), इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटिजिक रिलेशंस (फ्रांस), इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल स्ट्रेटिजिक स्टडीज (संयुक्त राज्य अमेरिका), बांग्ला

देश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटिजिक स्टडीज बांग्ला देश, (बांग्ला देश), इंस्टीट्यूट ऑफ पोलिटिकल एंड इंटरनेशनल स्टडीज ईरान, बेगिन सादात सेंटर फॉर स्ट्रेटिजिक स्टडीज (इस्त्राइल), कजाखस्तान इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटिजिक स्टडीज (कजाखस्तान) और काउंसिल फार सिक्वोरिटी कोआपरेशन इन द एशिया पेसिफिक के साथ द्विपक्षीय संबंध हैं और इसने इनके साथ बहुपक्षीय विचार-विमर्श किए हैं।

15.7 शोध अभिमुखीकरण : संकाय की शोध सामग्री मुख्यतया संस्थान के जर्नल 'सामरिक' विश्लेषण में अथवा प्रबंधों और पुस्तकों के रूप में प्रकाशित की जाती है। शोधकर्ता अक्सर अपने पेपर विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में प्रस्तुत करते हैं और विदेशी जर्नलों एवं प्रकाशनों में लेखों व अध्यायों का योगदान भी करते हैं। इसके अलावा, भारतीय रक्षा अध्ययन संस्थान, 'स्ट्रेटिजिक डाइजेस्ट' भी प्रकाशित करता है जिसमें नाभिकीय और निरस्त्रीकरण मुद्दों, सैन्य सिद्धांतों, शस्त्र हस्तांतरण और प्रौद्योगिकी विकास पर खुले स्रोतों से प्राप्त सूचना का मासिक संकलन होता है। बहुत से संस्थाओं और भारत के कई विश्वविद्यालयों के रक्षा विभागों द्वारा इसे उपयोगी पाया गया है।

15.8 वर्ष 2003 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें :- रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान द्वारा समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रकाशित पुस्तकों के शीर्षक 'इराक वार 2003: राइज ऑफ दि न्यू यूनिलेटरलिज्म', 'जिहादीज इन जम्मू एंड कश्मीर: ए पोर्ट्रेट गैलरी' और 'नेवीज ऑफ साउथ एशिया' हैं।

15.9 प्रशिक्षण कार्यक्रम : शोध परियोजनाओं के अलावा, यह संस्थान भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, सशस्त्र सेनाओं और अर्द्ध-सैनिक बलों से लिए गए

रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी समारोह का अध्ययन तथा अनुसंधान प्रारम्भ करता है।

सरकारी अफसरों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी लगा हुआ है। वर्ष के दौरान रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान द्वारा तीन प्रशिक्षण कैम्पसूल संचालित किए गए। देश-भर की विभिन्न प्रशिक्षण स्थापनाओं और विश्वविद्यालयों में संकाय सदस्यों को अक्सर अतिथि वक्ताओं के रूप में आमंत्रित किया गया।

15.10 सूचना संसाधन : यह संस्थान अपने सूचना संसाधन प्रभाग, जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा रणनीति के विषयों पर बड़ा सूचना संसाधन आधार है, का निरंतर स्तरोन्नयन कर रहा है। इसके पास 48,273 पुस्तकों का संग्रह और बहुत-से सीडी-आर.ओ.एम. डाटाबेस हैं। इसके अलावा, मुद्रित रूप में और इलैक्ट्रॉनिक/ऑनलाइन-रूपांतरों के रूप में 300 से भी अधिक प्रचलित जर्नल भी प्राप्त किए जाते हैं। पूर्वोक्त तिमाही जर्नल 'सामरिक विश्लेषण' और मासिक संकलन 'स्ट्रेटेजिक डाइजेस्ट' के अलावा, भारतीय रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान 'करंट जर्नल कंटेंट्स' नाम का बुलेटिन भी प्रकाशित करता है जिसमें पुस्तकालय में प्राप्त लगभग 140 प्रमुख जर्नलों की विषय-वस्तु की सूची दी जाती है। इस संस्थान की एक वेबसाइट (address: <http://www.idsa-india.org>) भी है। नए कार्यकलापों के साथ



हिन्दुस्तान पर्वतारोहण संस्थान भिन्न-भिन्न बाधाओं को पार करने के लिए दक्षता प्रदान करता है।

ही मौजूदा कार्यकलापों की प्रगति इस साइट पर सूचित की जाती है।

पर्वतारोहण संस्थान

15.11 रक्षा मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर तीन पर्वतारोहण संस्थान - पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरांचल में उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान तथा जम्मू-कश्मीर में अरु स्थित जवाहर पर्वतारोहण संस्थान एवं शीत क्रीड़ा संस्थान (इस समय जम्मू-कश्मीर में पहलगाम में अवस्थित) चलाता है। संस्थान पर होने वाले व्यय को सम्मत फंडिंग पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आपस में बांटा जाता है। ये संस्थान निजी पंजीकृत सोसाइटियों के रूप में चलाए जाते हैं और इन्हें स्वायत्त निकायों का दर्जा दिया गया है। रक्षा मंत्री इन संस्थानों के अध्यक्ष हैं। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री संस्थान के उपाध्यक्ष हैं। इन संस्थानों का प्रशासन पृथक कार्यकारी परिषदों द्वारा चलाया जाता है जिनमें आम सभा द्वारा चुने गए सदस्य, दान-दाताओं और/या संस्थान के उद्देश्य को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों में से नामित सदस्य तथा केन्द्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार का एक-एक प्रतिनिधि इन संस्थानों के सचिव के रूप में कार्य करता है।

15.12 हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग की स्थापना 14 नवंबर, 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा सर एडमंड हिलेरी के साथ तेजजिंग नोर्गे के 29 मई, 1953 को माउंट एवरेस्ट के ऐतिहासिक आरोहण की स्मृति में की गई थी। इस संस्थान की स्थापना से भारत में एक खेल के रूप में पर्वतारोहण को बढ़ावा मिला। पर्वतारोहण को और अधिक बढ़ावा देने और युवाओं में साहसिक भावना उत्पन्न करने के लिए अक्टूबर,

1965 में उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और अक्टूबर, 1983 में अरू, जम्मू-कश्मीर में जवाहर लाल पर्वतारोहण व शीत क्रीड़ा संस्थान की स्थापना की गई थी। घाटी में फैली अशांति के कारण, विद्यार्थी प्रशिक्षण के लिए अरू नहीं आना चाहते थे। तदनुसार, इस संस्थान को अगस्त, 1990 से अस्थायी रूप से जम्मू की ओर अवस्थित बनिहाल के बटोट में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में कुछ प्रतिकूल रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए, इस संस्थान द्वारा आयोजित नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अप्रैल, 1996 से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। यह संस्थान इस समय तदर्थ आधार पर कुछ पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस संस्थान का मुख्यालय अक्टूबर, 2003 से अब पहलगाम में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

15.13 इन पर्वतारोहण संस्थानों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

- (क) पर्वतारोहण तथा चट्टानों पर चढ़ने की तकनीकों के विषय में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण देना;
- (ख) पर्वतों तथा अन्वेषण में रुचि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना; और
- (ग) शीत क्रीड़ाओं के प्रति प्रोत्साहित करना तथा उनका प्रशिक्षण देना।

15.14 ये पर्वतारोहण संस्थान आधारभूत और उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम, अनुदेश पद्धति पाठ्यक्रम, खोज व बचाव पाठ्यक्रम और साहसिक क्रियाकलाप संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं। सभी संस्थानों में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण, उनकी अवधि सहभागियों की आयु सीमा और ग्रेडिंग पद्धति एक जैसी है। जिस समय संस्थानों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कम होती है उस समय संस्थान देश में फैले पर्वतारोहण क्लबों/संगठनों के अनुरोध पर चट्टानों पर चढ़ाई करने संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए अपने

अनुदेशकों को वहां भेजते हैं। अनुदेशक विभिन्न अभियानों में भी भाग लेते हैं।

15.15 इन पाठ्यक्रमों के लिए देश के सभी भागों से प्रशिक्षणार्थी आते हैं। इनमें सेना, वायुसेना, नौसेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट और प्राइवेट विद्यार्थी शामिल होते हैं। इन पाठ्यक्रमों में विदेशियों को भी शामिल होने की अनुमति दी जाती है। इस वर्ष मार्च, 2004 तक इन संस्थानों ने निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं:-

	हिमालय पर्वतारोहण संस्थान	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान
आधारभूत	07	05
उन्नत	04	03
साहसिक	06	05
अनुदेश पद्धति	01	01
खोज व बचाव	-	01

15.16 इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित छात्रों की संख्या इस प्रकार है:-

प्रशिक्षित छात्रों की संख्या	पुरुष	महिला
आधारभूत	495	138
उन्नत	154	37
साहसिक	274	140
अनुदेश पद्धति पाठ्यक्रम	18	07
खोज व बचाव	11	04

15.17 हिमालय पर्वतारोहण संस्थान ने पांच विशेष साहसिक और चार रॉक क्लाइम्बिंग पाठ्यक्रम भी आयोजित किए, जिनमें 229 पुरुषों और 44 महिलाओं को इस अवधि के दौरान प्रशिक्षण दिया गया। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने विभिन्न संगठनों के लिए कई विशेष पाठ्यक्रम भी आयोजित किए, जिनमें विदेशियों सहित 312 पुरुषों और 118 महिलाओं को वर्ष के दौरान प्रशिक्षण दिया गया। जवाहर पर्वतारोहण संस्थान ने इस अवधि के दौरान



उदीयमान पर्वतारोही रस्सी के सहारे पहाड़ से उतरते हुए

आयोजित किए गए विभिन्न तदर्थ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में कुल 10755 पुरुषों और महिलाओं को प्रशिक्षित किया है।

15.18 दार्जिलिंग और उत्तरकाशी स्थित संस्थानों के पास भारतीय पर्वतारोहण अभियानों को नाममात्र के भाड़े पर देने के लिए पर्वतारोहण उपस्करों के पृथक भंडार है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक कृत्रिम दीवार निर्माणाधीन है। इससे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि होगी।

15.19 हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग ने वर्ष 1953 में माउंट एवरेस्ट पर प्रथम सफल आरोहण की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए अप्रैल-मई, 2003 के दौरान नार्थ रिज (तिब्बत) की ओर से माउंट एवरेस्ट पर एक अभियान भेजा। इस अभियान का नेतृत्व हिमालय

पर्वतारोहण संस्थान के प्रधानाचार्य, कर्नल विजय सिंह द्वारा किया गया। हालांकि सभी सदस्य नार्थ कोल तक पहुंच गए थे लेकिन गरिमा का क्षण 21 मई, 2003 को 12.30 बजे आया, जब दो सदस्य नामतः श्री कुशांग शेरपा और श्री नाद्रे शेरपा चोटी पर चढ़ गए।

समारोह, सम्मान व पुरस्कार

15.20 रक्षा मंत्रालय, गणतंत्र दिवस परेड, समापन समारोह, शहीद दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय समारोहों के आयोजन के लिए उत्तरदायी है। वीरता तथा विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए जाने के लिए राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोहों का आयोजन भी रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति सचिवालय के साथ मिलकर किया जाता है। वर्ष 2003-04 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए।

स्वतंत्रता दिवस

15.21 15 अगस्त, 2003 को प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं तथा दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए सम्मान गारद का निरीक्षण करने के पश्चात सेना बैड द्वारा बजाए गए राष्ट्रीय गान के साथ लाल किले के परकोटे पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इसके उपरांत प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाए गए देशभक्ति के गीतों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ तथा दिल्ली के स्कूली बच्चों और एनसीसी के कैडेटों के राष्ट्रगान और गुब्बारे छोड़े जाने के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ।

15.22 निम्नलिखित वीरता पुरस्कारों की घोषणा स्वतंत्रता दिवस, 2003 को की गई थी:-

अशोक चक्र	1	(मरणोपरांत)
कीर्ति चक्र	7	(6 मरणोपरांत)
शौर्य चक्र	37	(18 मरणोपरांत)
सेना मेडल (जी)का बार	7	(1 मरणोपरांत)
सेना मेडल (जी)	202	(27 मरणोपरांत)
नौसेना मेडल (जी)	3	
विशेषोल्लेख पत्र	18	

अमर जवान समारोह

गणतंत्र दिवस परेड, समापन समारोह, शहीद दिवस और स्वतंत्रता दिवस देश के प्रमुख राष्ट्रीय समारोह हैं।

15.23 अमर जवान समारोह, 2004 प्रधानमंत्री द्वारा उन वीरों के बलिदान की स्मृति में श्रद्धांजलि प्रदान करने के लिए 26 जनवरी, 2004 को इंडिया गेट की गुंबद के नीचे स्थित अमर जवान स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान कुर्बान की।

गणतंत्र दिवस परेड 2004

15.24 राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज के फहराने के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ हुआ। सेना बैंडों द्वारा राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद राष्ट्रपति की अंगरक्षक टुकड़ी ने राष्ट्रीय सलामी दी। राजपथ पर संक्षिप्त अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति ने शहीदों के निकटतम संबंधियों को मरणोपरांत दो अशोक चक्र प्रदान किए। इस अवसर पर ब्राजील के राष्ट्रपति, महामहिम श्री लुईज इनासियो लूला डा सिल्वा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

15.25 सेना की 61 कैवलरी और ए एस सी कैवलरी की अश्वारोही टुकड़ियों ने परेड का नेतृत्व किया। उनके पीछे टी-90 और मुख्य युद्धक टैंक-अर्जुन टैंक की यंत्रीकृत टुकड़ियां पृथ्वी और अग्नि-II प्रक्षेपास्त्र, उपग्रह संचार वाहन, सेनाओं की मार्च करती हुई टुकड़ियां, और बैंड, अर्धसैन्य बल, दिल्ली पुलिस, त्वरित पुलिस बल और राष्ट्रीय कैडेट कोर थे। पायलट रहित विमान 'लक्ष्य', ओ एस ए वायु समाघात वाहन, इन्द्र-II रडार, वायुसेना की वाहन टुकड़ी के हिस्से थे। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के उपस्कर दस्ते में अग्नि-I, आकाश, ब्रह्मोस जैसे प्रक्षेपास्त्र, बहुनाल रॉकेट प्रणाली 'पिनाका' और संचार प्रणाली 'संयुक्त', शामिल थे। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित हाथियों पर सवार बच्चे, झांकियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां परेड के अन्य आकर्षण थे। इन झांकियों और बच्चों की परेड ने राष्ट्र की सांस्कृतिक विविधता और पृथक-पृथक क्षेत्रों में देश में हुई प्रगति की झलक प्रस्तुत की। सीमा सुरक्षा बल के साहसिक मोटर साइकिल प्रदर्शन और तत्पश्चात भारतीय वायुसेना के वायुयानों की सलामी से परेड का समापन हुआ।

15.26 गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता व विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित पुरस्कारों की घोषणा की गई :-

वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार	कुल	मरणोपरांत
अशोक चक्र	1	1
परम विशिष्ट सेवा मेडल	29	-
कीर्ति चक्र	2	1
उत्तम युद्ध सेवा मेडल	5	-
अति विशिष्ट सेवा मेडल का बार	3	-
अति विशिष्ट सेवा मेडल	48	-
शौर्य चक्र का बार	1	1
शौर्य चक्र	30	14
युद्ध सेवा मेडल	13	-
सेना मेडल (वीरता) का बार	4	-
सेना मेडल/ नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल (वीरता)	123	25
सेना मेडल /नौसेना मेडल, वायु सेना मेडल (कर्तव्यपरायणता)	73	3
विशिष्ट सेवा मेडल का बार	3	-
विशिष्ट सेवा मेडल	119	1

उपर्युक्त के अतिरिक्त, गणतंत्र दिवस पर 20 विशेषोल्लेख-पत्र पुरस्कारों की घोषणा की गई थी।

15.27 **समापन समारोह** : 29 जनवरी, 2004 को विजय चौक पर आयोजित समापन समारोह के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह में तीनों सेनाओं के बैंडों ने भाग लिया। इस समारोह के समापन पर राष्ट्रपति भवन, नार्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और संसद भवन रोशनी से जगमगा उठे।

15.28 **शहीदी दिवस समारोह** : 30 जनवरी, 2004 को राष्ट्रपति ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने और उनके कुछ मंत्रिमंडल सहयोगियों तथा लोकसभा अध्यक्ष ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। इसके उपरांत राष्ट्रपिता की स्मृति में 1100 बजे दो मिनट का मौन रखा गया।

राजभाषा प्रभाग

15.29 **कार्य एवं उनका निष्पादन** : रक्षा

मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग का मुख्य कार्य केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति को लागू करना तथा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित करना है। यह प्रभाग रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न अंतर-सेवा संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों तथा देशभर में फैले सभी रक्षा कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी कार्यों की मॉनीटरिंग की निगरानी करता है।

15.30 **लक्ष्यों का निर्धारण तथा उनकी प्राप्ति** : वर्ष के दौरान किए गए उपाय :

(1) रक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समितियों का पुनर्गठन- एक रक्षा विभाग तथा रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के लिए और दूसरी रक्षा उत्पादन विभाग के लिए और समय-समय पर उनकी बैठकों का आयोजन तथा बैठकों में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करना;

(2) संयुक्त सचिव स्तर की अध्यक्षता वाली



राजघाट पर शहीद दिवस समारोह

दो विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की तिमाही बैठकों का आयोजन करना, जिनमें तीनों सेना मुख्यालयों और दिल्ली स्थित विभिन्न अंतर-सेवा सगठनों के प्रतिनिधि बतौर सदस्य शामिल होते हैं;

(3) राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा मंत्रालय के कामकाज में राजभाषा का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों, प्रभागों तथा अनुभागों से प्राप्त सामग्री का अनुवाद करना;

(4) हिंदी कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित करके और राजभाषा विभाग द्वारा तैयार की गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू करके हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना; और

(5) गृह मंत्रालय की हिंदी शिक्षण योजना

के माध्यम से अधिकारियों / कर्मचारियों को हिंदी, हिंदी आशुलिपि तथा हिंदी टंकण के प्रशिक्षणार्थ नामित करना ।

15.31 वर्ष के दौरान राजभाषा प्रभाग ने हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया, मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों का राजभाषायी निरीक्षण किया, हिंदी, हिंदी आशुलिपि तथा हिंदी टंकण पाठ्यक्रमों के लिए 50 अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित किया और हिंदी सलाहकार समितियों तथा विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का आयोजन किया। मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी टिप्पण और प्रारूपण में प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

15.32 **अनुवाद :** वर्ष के दौरान रक्षा मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों की हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी, अनुवाद संबंधी

आवश्यकताओं को भी राजभाषा प्रभाग द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस प्रभाग में अनुवाद के लिए प्राप्त सामग्री में सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, संकल्प, मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव, लोक लेखा समिति, गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस तथा अलंकरण समारोह से संबंधित दस्तावेज, लेखा-परीक्षा पैराग्राफ, परामर्शदात्री समिति तथा रक्षा स्थायी समिति के लिए अपेक्षित सामग्री, वार्षिक रिपोर्ट, संसद में रखे जाने वाले कागजात और विशिष्ट व्यक्तियों से संबंधित पत्र शामिल थे।

15.33 **हिंदी पखवाड़ा :** दिनांक 01 से 15 सितंबर, 2003 तक रक्षा मंत्रालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें बड़ी संख्या में अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों को नकद पुरस्कार एवं उपहार प्रदान किए गए। विभिन्न रक्षा उपक्रमों, अंतर-सेवा संगठनों और देश भर में स्थित कार्यालयों में भी इसी प्रकार के हिंदी पखवाड़ों का आयोजन किया गया।

15.34 **मॉनीटरिंग/निरीक्षण:** रक्षा मंत्रालय (मुख्यालय), में विभिन्न राजभाषायी गतिविधियों के संचालन के साथ-साथ मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले तीनों सेना मुख्यालयों, अंतर-सेवा संगठनों, रक्षा उपक्रमों एवं देशभर में फैले अन्य

रक्षा कार्यालयों में ऐसी गतिविधियों की मॉनीटरिंग भी इस प्रभाग द्वारा ही की गई। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों के भी निरीक्षण किए गए।

15.35 **संसदीय राजभाषा समिति द्वारा विभिन्न रक्षा संगठनों के निरीक्षण :** रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति ने रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले देश-भर में फैले कई कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण किया। इस प्रयोजनार्थ समिति ने दिल्ली, गाजियाबाद, विशाखापत्तनम, बेंगलूर, मैसूर, वेलिंगटन, मुम्बई, कोलकाता, गंगटोक, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी स्थित विभिन्न रक्षा कार्यालयों का चयन किया। उक्त समिति की निरीक्षण बैठकों के लिए राजभाषा प्रभाग द्वारा संबंधित कार्यालयों की ओर से समुचित सहयोग की व्यवस्था की गई। इन निरीक्षण बैठकों में राजभाषा का कार्य देखने वाले संयुक्त सचिवों एवं निदेशक (राजभाषा) ने मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया। उक्त बैठकों में उठाए गए विषयों/लिए गए निर्णयों पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करवाई गई तथा ऐसे निरीक्षणों के दौरान समिति को दिए गए आश्वासनों को समय पर पूरे किए जाने के लिए संबंधित कार्यालयों को अनुदेश जारी किए गए।

सतर्कता यूनिटों के कार्यकलाप

16.1 रक्षा मंत्रालय में सतर्कता प्रभाग इस मंत्रालय में कार्यरत सभी समूह 'क' सिविलियन अधिकारियों से संबद्ध सतर्कता मामलों पर कार्रवाई करता है। प्रशासकीय सुविधा के नजरिए से रक्षा विभाग और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन से संबद्ध सतर्कता कार्य एक अन्य मुख्य सतर्कता अधिकारी और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग से संबद्ध सतर्कता कार्य एक अन्य मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किए जाते हैं। सतर्कता प्रभाग सतर्कता संबंधी सभी मामलों पर कार्य करता है और मंत्रालय/विभाग एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। सतर्कता प्रभाग संवेदनशील स्थानों का नियमित और आकस्मिक निरीक्षण करने, प्रक्रियाओं की पुनरीक्षा और सुचारु संचालन करने तथा भ्रष्टाचार रोकने के प्रत्युपाय करने के लिए उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री के कार्यालय और रक्षा मंत्री के शिकायत बॉक्स के माध्यम से प्राप्त हुई शिकायतों पर भी सतर्कता प्रभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

लोक शिकायतों का निवारण

16.2 रक्षा मंत्रालय से संबद्ध सभी लोक शिकायतें प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत

विभाग के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग से प्राप्त होती हैं। प्रार्थी से शिकायतें सीधे भी ली जाती हैं। इन शिकायतों की पाक्षिक आधार पर पुनरीक्षा की जाती है। रक्षा मंत्रालय के विभिन्न अधीनस्थ संगठनों के सतर्कता अधिकारियों के नाम रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

16.3 केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2003 तक रक्षा मंत्रालय, सभी सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापनाओं और संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता सप्ताह मनाया गया था।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग

16.4 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बेंगलूर स्थित वैमानिकी विकास स्थापना में एक कार्यशाला का आयोजन करके सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2003 मनाया गया। इसमें सतर्कता अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और दक्षिण क्षेत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

रक्षा मंत्रालय से संबद्ध सभी लोक शिकायतें, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग से प्राप्त होती हैं और प्रार्थी से शिकायतें सीधे भी ली जाती हैं।

रक्षा उत्पादन विभाग

16.5 **आयुध निर्माणियां :** आयुध निर्माणी संगठन ने अपनी सभी यूनिटों में सतर्कता कार्यकलाप को प्राथमिकता दी है। कारपोरेट स्तर पर एक मुख्य सतर्कता अधिकारी और दो समूह सतर्कता अधिकारियों को कानपुर और आवडी, चेन्नई में तैनात किया गया है। इसके अलावा, प्रत्येक निर्माणी में सतर्कता निरीक्षण करने, निवारक सतर्कता उपाय करने और महाप्रबंधकों की सहायता करने और उन्हें सलाह देने और मुख्य सतर्कता अधिकारी के साथ सहयोगी के रूप में

कार्य करने के लिए अंशकालिक सतर्कता अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

16.6 **हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड :** वर्ष 2002-03 के दौरान सभी विभागों को शामिल करके एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई थी जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है। कुल मिलाकर 1939 औचक्क/नेमी निरीक्षण किए गए थे और 165 सतर्कता मामले दर्ज किए गए थे। 236 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उनमें से 192 की जांच शुरू की गई।

16.7 सतर्कता नियमपुस्तक प्रकाशित की गई और पत्रिका “मार्गदर्शन” जारी की गई थी। नए भर्ती किए गए 36 सतर्कता कर्मचारियों के लिए मार्च 2003 में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, बेंगलूर में अत्यंत प्रभावी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था।

16.8 **भारत इलैक्ट्रॉनिक लिमिटेड :** प्रक्रियाओं को सरल बनाकर निवारक सतर्कता को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए थे। कार्य संविदा, प्रशासन और कार्य संविदाओं की ऑनलाइन टेंडरिंग के लिए

वेबसाइट का प्रयोग जैसी विभिन्न प्रक्रियागत नियम पुस्तकें तैयार/जारी की गई हैं।

16.9 **भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड :** कंपनी में एक पूर्ण-कालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की सभी विनिर्माण यूनिटों में 31 अक्टूबर, 2003 से 6 नवंबर, 2003 के बीच एक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया था।

16.10 **माझगांव डॉक लिमिटेड :** नवंबर, 2003 में माझगांव डॉक लिमिटेड में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इसमें एक सतर्कता प्रदर्शनी, ‘सतर्कता जागरूकता’ पर नारा प्रतियोगिता और ‘भ्रष्टाचार-राष्ट्र के लिए चुनौती’ नामक विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

16.11 **गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड :** गार्डनरीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने अपनी विभिन्न निविदाओं और खरीदारियों से संबंधित फाइलों का नियमित /आकस्मिक निरीक्षण किया है ताकि अनियमितताओं का पता लग सके।

16.12 गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स ने खरीद नियम पुस्तिका के साथ-साथ एक कार्मिक नियम-पुस्तिका भी प्रकाशित की है। एक कंप्यूटरीकृत विक्रेता पंजीकरण एकक की स्थापना की गई है ताकि काली सूची के लिए संशोधित प्रणाली, माप के उचित पैमाने का अधिष्ठापन, गुणता आश्वासन विभाग के साथ नियमित परस्पर संपर्क हो और साफ-सुथरी छवि के अफसरों को संवेदनशील पदों का प्रभारी अधिकारी बनाया जाना सुनिश्चित हो सके। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2002 में मुख्य सतर्कता आयोग द्वारा प्रकाशित ‘प्रोबिटी पर्सपेक्शन इंटेक्स-मेटा पर्सपेक्शन’ के 1 से 10 के अंकमान में गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को 10 अंक प्रदान किए गए हैं।

महिलाओं का सशक्तकरण एवं कल्याण



प्रशिक्षणाधीन महिला अफसर

सशस्त्र सेनाओं की विभिन्न अयोधी शाखाओं में महिलाओं की भर्ती से उनके लिए व्यापक भूमिका की परिकल्पना की गई है।

17.1 राष्ट्रीय रक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका में क्रमिक रूप से वृद्धि हो रही है। रक्षा उत्पादन यूनियों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और सशस्त्र सेनाओं में डाक्टर और नर्सिंग अफसर के रूप में महिलाएं नियोजित हैं। सशस्त्र सेनाओं की विभिन्न अयोधी शाखाओं जैसे कि संभारिकी और विधिक आदि में महिलाओं की भर्ती से उनके लिए व्यापक भूमिका की परिकल्पना की गई है।

17.2 सशस्त्र सेनाओं की अयोधी शाखाओं में अफसरों के रूप में महिलाओं को शामिल करने के वास्ते महिला विशेष भर्ती योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में कार्रवाई में मारे गए सैन्य अफसरों की पत्नियों को भी शामिल किया गया है। पात्र महिलाओं को सेना, नौसेना और वायुसेना की विभिन्न शाखाओं में अल्प सेवा कमीशन पर अफसर के रूप में भर्ती किया जाता है।

17.3 महिला विशेष भर्ती योजना (अफसर) के माध्यम से विभिन्न शाखाओं/सेवाओं में पता लगाई गई कुछ रिक्तियों में भारतीय सेना में महिला उम्मीदवारों को भर्ती किया जा सकता

है। सितंबर 2003 से वार्षिक भर्ती 150 उम्मीदवारों की है। वर्तमान में लगभग 760 महिला अफसर भारतीय सेना में सेवारत हैं। हाल ही में सरकार ने उनके कार्यकाल को अधिकतम 14 वर्षों तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

17.4 भारतीय नौसेना ने महिलाओं की पहली भर्ती वर्ष 1992 में की थी। अभी कुल 179 (58 चिकित्सा अफसरों सहित) महिला अफसर नौसेना की विभिन्न यूनियों में कार्यरत हैं। इन अफसरों को मुख्य धारा में सम्मिलित कर लिया गया है और उनकी भावी पदोन्नति, प्रशिक्षण तथा कैरियर प्रोन्नति उनके पुरुष सह-कर्मियों के समरूप है।

17.5 भारतीय वायुसेना की उड़ान तकनीकी और गैर-तकनीकी शाखाओं में अल्पकालीन सेवा कमीशन (एसएससी) के रूप में महिलाओं की भर्ती वर्ष 1992 में आरंभ हुई थी। इस समय भारतीय वायुसेना में 423 महिला अफसर हैं। सरकार ने योग्यता के आधार पर सभी महिला अफसरों के लिए अल्पकालीन सेवा कमीशन का दूसरा कार्यकाल बढ़ाकर 15 वर्ष तक किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है।



अफसर प्रशिक्षण अकादमी की कमीशनिंग परेड में महिला अफसर

17.6 तटरक्षक में महिला अफसरों की नियुक्ति तटरक्षक मुख्यालय और क्षेत्रीय अफसरों के विभिन्न जिला मुख्यालयों में की जाती है। वे संभारिकी अफसरों, इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग (ई डी पी) अफसरों के कार्य करती हैं और अपने पुरुष सहकर्मी अफसरों के समान अन्य विभिन्न कार्य करती हैं। इस समय तटरक्षक पोतों पर महिला अफसरों की नियुक्ति नहीं की जाती है।

17.7 रक्षा मंत्रालय ने महिलाओं के लिए उपयुक्त कार्य का माहौल और कार्य करने की समुचित परिस्थितियां मुहैया कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्रालय में कार्मिक शक्ति/मानव संसाधन विकास से संबंधित नीतियों में लिंग के आधार पर कोई अंतर/भेदभाव नहीं किया जाता।

17.8 कामकाजी महिलाओं को कार्य-स्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों को सशस्त्र सेनाओं,

अंतर-सेवा संगठनों, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और रक्षा प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं में कार्यान्वित किया जा रहा है। महिला कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों के निवारण और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए मुख्यालय और यूनिट स्तर पर “शिकायत समितियों” का गठन किया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न नियमों और विनियमों में संशोधन किया गया है।

17.9 रक्षा मंत्रालय में महिला एकक द्वारा समस्त देश में फैले 23 नोडल महिला एककों की सहायता से राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशा-निर्देश भी लागू किए जा रहे हैं।

17.10 रक्षा मंत्रालय में सैन्य कार्मिकों की विधवाओं के लिए विशेष पेंशन योजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत युद्ध/युद्ध समान संक्रियाओं/प्रतिविद्रोही संक्रियाओं/सशस्त्र शत्रुओं के साथ हुई घटनाओं अथवा सैन्य सेवा परिस्थितियों की

वजह से हुई या बढ़ी परिस्थितियों की स्थिति में मारे जाने की स्थिति में उदारीकृत परिवार पेंशन/ सामान्य परिवार पेंशन/विशेष परिवार पेंशन उनका पुनर्विवाह होने के बावजूद दी जाती है बशर्ते कुछ शर्तें पूरी की जाएं।

17.11 सिविलियन रक्षा कर्मचारियों के लिए योजनाएं :

- (i) सेना की निचली विरचनाओं में महिला सिविलियन कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी कार्य करने के लिए सैन्य यूनिटों /स्थापनाओं में महिला एककों की स्थापना की गई है जिनमें महिला राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बड़ी संख्या में महिलाएं हैं।
- (ii) यूनिट स्तर पर महिला एकक महिला कर्मचारियों के विकास कार्यों के साथ-साथ कर्मचारियों के परिवार की महिला सदस्यों के विकास कार्य करते हैं। अधिकांश सैन्य यूनिटों में कॉमन रूम, शिशुगृह, महिला शौचालयों का प्रबंध-कार्य महिला सफाई कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।
- (iii) यूनिट स्तरों पर महिला एकक के कार्यों की निगरानी कमान मुख्यालय स्तर के साथ-साथ सेना मुख्यालय स्तर पर की जाती है। कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए निवारक व्यवस्था विद्यमान है।
- (iv) अधिकांश सैन्य यूनिटों में कर्मचारियों के परिवार की महिला सदस्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए रोजगार सहायता, बालिकाओं की अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा, परिवार नियोजन सहायता, खेलकूद और मनोरंजन सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं।

17.12 सिपाही की मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता :

- (i) किसी सिपाही की मृत्यु होने पर उसके

निकटतम संबंधी को सेना केन्द्रीय कल्याण कोष (ए सी डब्ल्यू एफ) से 30,000/- रुपये और आर्मी वाइज्वेल्फेयर एसोसिएशन कोष से 5,000/- रुपये की धनराशि तत्काल दी जाती है। अपने पति की मृत्यु होने के कारण उसकी पत्नी इस अनुदान से शुरूआती समस्याओं का समाधान कर पाती है। यदि दिवंगत सिपाही की पत्नी और उसके ससुराल वालों के बीच अनुदान के संबंध में कोई विवाद हो तो भी ए सी डब्ल्यू एफ से धनराशि केवल दिवंगत सिपाही की पत्नी को ही दी जाती है।

(ii) यदि किसी अफसर /अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिक का विवाह हो जाता है तो उसकी पत्नी स्वतः ही उसकी निकटतम संबंधी हो जाती है चाहे उस सिपाही ने इस आशय की औपचारिक जानकारी न दी हो।

17.13 वित्तीय सहायता-15 अगस्त 1947 से 30 अप्रैल, 1999 तक के विघातक युद्ध

हताहत : कल्याणकारी उपायों के एक हिस्से के रूप में 15 अगस्त 1947 से 30 अप्रैल 1999 तक की अवधि के दौरान सभी युद्ध हताहतों के निकटतम संबंधियों को राष्ट्रीय रक्षा कोष और सेना केन्द्रीय कल्याण कोष से 50,000/- रुपये दिए जा रहे हैं। विधवा के पुनर्विवाह कर लिए जाने के बावजूद वह इस अनुदान को प्राप्त करने की पात्र है। युद्ध विधवाओं को कृषि आधारित उद्यमों/डेरी विकास के लिए 25,000/- रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए 30,000/- रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

17.14 **बच्चों के लिए छात्रवृत्ति :** युद्ध विधवाओं के बच्चे पढ़ाई की पूरी फीस और अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं। सेवा के दौरान दिवंगत सैनिकों की विधवाओं के



वायुसेना की एक महिला पायलट

बच्चों को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार शिक्षा छात्रवृत्तियां दी जाती हैं: (क) कक्षा 1 से कक्षा 12-तक 5,000/- रुपये प्रतिवर्ष (ख) स्नातक-10,000/- रुपये प्रतिवर्ष; (ग) स्नातकोत्तर-15,000/- रुपये प्रतिवर्ष (घ) व्यावसायिक पाठ्यक्रम-शिक्षण शुल्क और 5,000/- रुपये प्रतिवर्ष अधिकतम 40,000/-रुपये तक।

17.15 **निधन अनुदान :** दिवंगत भूतपूर्व सैनिकों (अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों को ही) के निकटतम संबंधियों को संबद्ध अभिलेख कार्यालयों के माध्यम से 2,000/- का निधन अनुदान दिया जाता है। 01 अगस्त 2004 से यह अनुदान बढ़ाकर 3,000/- रुपये किया जा रहा है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

17.16 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में भी महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। योग्य महिला वैज्ञानिक तथा तकनीकी अधिकारी एवं स्टाफ विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। बहुत सी महिला वैज्ञानिक विभिन्न रक्षा प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं में महत्वपूर्ण रक्षा डिवीजनों के प्रमुख के रूप में कार्य कर रही हैं।

रक्षा उत्पादन विभाग

17.17 लोक उद्यम स्थायी समिति (स्कोप) के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा

उपक्रमों में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के एक पृथक फोरम (डब्ल्यू आई पी एस)की स्थापना की गई है ताकि महिला कर्मचारियों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में और उसके आसपास महिलाओं के स्तर में सुधार करने में उत्प्रेरक भूमिका में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों की सहायता की जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों ने कामकाजी महिलाओं के वास्ते कुछ सुविधाओं जैसे कि उनकी संतान के लिए शिशु गृहों (क्रेच), उनके लिए दोपहर के भोजन और विश्राम कक्षों तथा शिकायत एककों का प्रावधान किया है।

17.18 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:-

(i) **हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड:**

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार महिला कार्मिकों की संख्या 1661 थी। काफी संख्या में महिला कार्मिक पर्यवेक्षी और कार्यपालक श्रेणियों में हैं।

(ii) **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड :**

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अपनी सारी इकाइयों में काफी संख्या में महिला कर्मचारियों को तैनात करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक असेम्बली कार्य में उच्च स्तर की परिशुद्धता की आवश्यकता है और आमतौर पर इस तरह की मांगों को पूरा करने के लिए महिलाओं को माहिर माना जाता है।

(iii) **भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड :**

प्रत्येक इकाई से एक महिला कर्मचारी को शामिल करके कारपोरेट कार्यालय में एक महिला प्रकोष्ठ गठित किया गया है। इस प्रकोष्ठ को महिला कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण



विदेश में सेवारत महिला अफसर - यूनीफिल लेबनान के साथ एक महिला डॉक्टर

करने तथा आवश्यक सुझाव/सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है। इन डिवीजनों में महिला कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है। 31 अगस्त, 2003 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 75 महिला अधिकारी और 234 महिला कर्मचारी कार्य कर रही हैं।

(iv) **माझगांव डाक लिमिटेड** : महिला कर्मचारियों की हैसियत तथा उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए एक अर्थपूर्ण नीति तैयार करने की दृष्टि से महिला कर्मचारियों के प्रोफाइल के बारे में विस्तृत सूचना एकत्र करने के लिए एक डाटाबेस तैयार किया गया है। माझगांव डाक लिमिटेड में महिला कर्मचारियों

के विकास संबंधी उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक वरिष्ठ प्रबंधक और महिला कर्मचारियों को शामिल करके एक महिला प्रकोष्ठ गठित किया गया है।

(v) **भारत डायनामिक्स लिमिटेड** : कंपनी में 36 कार्यपालक तथा 178 गैर-कार्यपालक महिला कर्मचारी हैं। महिला कर्मचारियों को आंतरिक एवं बाह्य-दोनों प्रकार के विभिन्न प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मनोनीत किया जाता है। महिलाएं चयन और समितियों भर्ती/पदोन्नति बोर्ड में भी भाग लेती हैं।

आयुध निर्माणियां

17.19 आयुध निर्माणी संगठन के विभिन्न कार्यकलापों में महिलाओं को सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से भागीदारी दी जाती है। इस समय कई वरिष्ठ महिला अधिकारी संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रही हैं। कई आयुध निर्माणियों में महिलाएं शॉप फ्लोर स्तर पर अत्याधुनिक सी एन सी मशीनों सहित मशीनों का संचालन भी करती हैं। आयुध निर्माणी देहू रोड का प्रभार एक महिला महाप्रबंधक के हाथ में है।



महिला अफसरों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण

रक्षा मंत्रालय के विभागों के कार्यों की सूची

क. रक्षा विभाग

1. भारत और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा करना, इसमें रक्षात्मक तैयारियां तथा ऐसे सभी काम आते हैं जो युद्ध के समय युद्ध को ठीक ढंग से चलाने तथा युद्ध के बाद सेना को कारगर ढंग से विसंगठित करने के लिए आवश्यक हैं।
2. संघ की सशस्त्र सेनाएं अर्थात् सेना, नौसेना, वायु सेना।
3. रक्षा मंत्रालय के समेकित मुख्यालय जिनमें सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय और रक्षा सेवा मुख्यालय भी शामिल हैं।
4. सेना, नौसेना और वायुसेना के रिजर्व।
5. प्रादेशिक सेना।
6. राष्ट्रीय कैडेट कोर।
7. सेना, नौसेना, वायुसेना और आयुध निर्माणियों से संबंधित कार्य।
8. रिमाउंट, वेटरनरी और फार्म संगठन।
9. कैंटीन स्टोर विभाग (भारत)।
10. रक्षा प्राक्कलनों से वेतनभोगी सिविलियन सेवाएं।
11. हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेवीगेशनल चार्ट बनाना।
12. छावनियों के निर्माण, छावनी क्षेत्रों की हदबंदी और कुछ क्षेत्रों को उसकी सीमा से बाहर निकालना, ऐसे क्षेत्रों के स्थानीय स्वायत्त शासन, ऐसे क्षेत्रों में छावनी बोर्डों का गठन तथा प्राधिकारी और उनकी शक्तियां तथा उनमें आवास संबंधी विनियमन (इसमें किराया नियंत्रण भी शामिल है)।
13. रक्षा प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, अभिरक्षा और उसकी वापसी, अनधिकृत कब्जा करने वालों को रक्षा भूमि और संपत्ति से बेदखल करना।
14. भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित मामले, इनमें पेंशनभोगी भी शामिल हैं।
15. रक्षा लेखा विभाग।
16. निम्नलिखित का प्रशासन :-
(i) सेना के वास्ते पेंशन विनियम 1961 (भाग 1 और 2);
(ii) वायुसेना के वास्ते पेंशन विनियम, 1961 (भाग 1 और 2);
(iii) नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964 और
(iv) सशस्त्र सैन्य कार्मिकों को हताहत पेंशनरी अवाडों के हकदारी विनियम, 1982
17. खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग) को जिस खाद्य सामग्री की खरीद का काम सौंपा गया है उसे छोड़कर, सेना की जरूरतों की पूर्ति के लिए खाद्य सामग्री की खरीद और उसका निपटान।
18. तटरक्षक संगठन से संबंधित सभी मामले, जिनमें निम्नांकित भी शामिल हैं :-
(i) तेल बिखराव के खिलाफ समुद्री क्षेत्रों की निगरानी;
(ii) बंदरगाहों के पानी और अपतटीय पर्यवेक्षण और उत्पादन प्लेटफार्मों, तटीय रिफाइनरियों और अनुषंगी सुविधाओं जैसे कि सिंगल बॉय मूरिंग (एस बी एम), कूड तेल टर्मिनलों (सी ओ टी) और पाइपलाइनों के 500 मीटर के भीतर के सिवाए विभिन्न समुद्री

क्षेत्रों में तेल बिखरने से बचाना।

(iii) तटीय तथा विभिन्न समुद्री क्षेत्रों के समुद्री पर्यावरण में तेल प्रदूषण को दूर करने के लिए केन्द्रीय समन्वय एजेंसी।

(iv) तेल बिखराव विनाश हेतु राष्ट्रीय आकस्मिकता योजना का कार्यान्वयन, और

(v) तेल बिखराव संरक्षण और नियंत्रण, देश में जलपोतों और अपतटीय प्लेटफार्मों का निरीक्षण कार्य करना, इसमें वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1985 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बंदरगाहों की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र शामिल नहीं है।

19. देश में गोताखोरी और संबंधित कार्य-कलापों से संबद्ध मामले।

20. रक्षा मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित अंतर सेवा संगठन कार्य करते हैं :

- (i) सेना इंजीनियरी सेवा
- (ii) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा
- (iii) रक्षा संपदा महानिदेशालय
- (iv) मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय
- (v) जन संपर्क निदेशालय
- (vi) सेना क्रय संगठन
- (vii) सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड
- (viii) सैन्य खेलकूद नियंत्रण बोर्ड
- (ix) सेना चित्र प्रभाग
- (x) विदेशी भाषा विद्यालय
- (xi) इतिहास प्रभाग
- (xii) राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय
- (xiii) रक्षा प्रबंध महाविद्यालय
- (xiv) रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय

ख. रक्षा उत्पादन

1. आयुध निर्माणी बोर्ड और आयुध निर्माण्यां
2. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
3. भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

4. माझगांव डॉक लिमिटेड
5. गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
6. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
7. भारत डायनामिक्स लिमिटेड
8. मिश्र धातु निगम लिमिटेड
9. भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड
10. तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) निदेशालय सहित गुणता आश्वासन महानिदेशालय
11. मानकीकरण निदेशालय सहित रक्षा उपस्करों और भंडारों का मानकीकरण
12. वैमानिक उद्योग का विकास और नागर विमानन विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग से संबंधित प्रयोक्ताओं को छोड़कर अन्य प्रयोक्ताओं के कामकाज में समन्वय
13. रक्षा प्रयोजन के लिए आवश्यक वस्तुओं का देशीकरण, विकास और उत्पादन।
14. मात्र रक्षा सेवाओं के लिए सामान की खरीद।
15. रक्षा उत्पादन में रक्षा निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

ग. रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही प्रगति का राष्ट्रीय सुरक्षा पर होने वाले प्रभाव का जायजा लेकर रक्षा मंत्री को उसकी जानकारी और सलाह देना।
2. हथियारों, हथियार-प्लेटफार्मों, सैन्य संक्रियाओं, निगरानी, सहायता संभारिकी आदि से संबंधित सभी वैज्ञानिक पहलुओं के संबंध में और संघर्ष के सभी संभावित क्षेत्रों में रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं और अंतरसेवा संगठनों को सलाह देना।
3. ऐसी प्रौद्योगिकियों, जिनका भारत को

निर्यात विदेशी सरकारों के राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी नियंत्रण का विषय है, के अर्जन के बारे में विदेशी सरकारों के साथ समझौता प्रलेखों से संबद्ध सभी मामलों पर रक्षा मंत्रालय की नोडल समन्वय एजेंसी के रूप में विदेश मंत्रालय की सहमति लेकर कार्य करना।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा डिजाइन, विकास परीक्षण और मूल्यांकन संबंधी कार्यक्रम तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना।

5. विभाग की एजेंसियों, प्रयोगशालाओं, स्थापनाओं, रेंजो, सुविधाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का निर्देशन और प्रशासन।

6. वैमानिकी विकास एजेंसी।

7. सैन्य विमानों, उनके उपकरणों तथा भंडार के डिजाइन, उड़ान योग्यता के अभिप्रमाणन संबंधी सभी मामले।

8. संसाधन जुटाने के लिए विभाग के कार्यकलापों से तैयार प्रौद्योगिकियों के संरक्षण और हस्तांतरण से संबंधित सभी मामले।

9. रक्षा मंत्रालय द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी शस्त्र प्रणालियों और तत्संबंधी प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण और मूल्यांकन के कार्यों में भाग लेना तथा वैज्ञानिक विश्लेषण में सहायता करना।

10. उत्पादन यूनितों और उद्यमों द्वारा सशस्त्र सेनाओं के लिए उपस्कर और भंडारों के विनिर्माण या विनिर्माण के प्रस्तावों के लिए प्रौद्योगिकी के आयात के प्रौद्योगिकीय तथा बौद्धिक संपदा संबंधी पहलुओं पर सलाह देना।

11. पेटेंट अधिनियम 1970 (1970 का 39) की धारा 35 के अंतर्गत प्राप्त मामलों पर कार्रवाई करना।

12. राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं पर विज्ञान तथा टेक्नॉलॉजी

संबंधी अध्ययन और जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों, संस्थानों तथा निगमित निकायों को वित्तीय तथा अन्य सामग्री संबंधी सहायता देना।

13. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विदेश मंत्रालय के परामर्श से निम्नलिखित मामलों सहित राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबद्ध मामले :-

(i) अन्य देशों और अंतःसरकारी एजेंसियों के अनुसंधान संगठनों से संबंधित मामले, विशेष रूप से जो अन्य कार्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय पहलुओं से संबंधित हैं।

(ii) इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी-विदों को प्रशिक्षण और विदेशी छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए विदेश स्थित विश्वविद्यालयों, शैक्षिक और अनुसंधान-उन्मुख संस्थाओं के साथ व्यवस्था करना।

14. विभाग के बजट से निर्माण कार्य करना तथा भूमि खरीदना।

15. विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिकों से संबंधित सभी मामले।

16. इस विभाग के बजट में डेबिट योग्य सभी प्रकार के भंडारों, उपकरणों और सेवाओं का अर्जन।

17. विभाग से संबंधित वित्तीय मंजूरियां।

18. राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय पहलुओं को प्रभावित करने वाले कार्यकलापों से संबंधित भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, एजेंसी के साथ समझौता अथवा व्यवस्था करके इस विभाग को सौंपे गए, इस विभाग द्वारा स्वीकार किए गए कोई भी अन्य कार्य।

घ रक्षा (वित्त) प्रभाग

1. सभी रक्षा मामलों की वित्त संबंधी जांच करना।
2. रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय के विभिन्न अधिकारियों को वित्तीय सलाह देना।
3. रक्षा मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग के रूप में कार्य करना।
4. व्यय संबंधी सभी योजनाओं/प्रस्तावों को तैयार करना और उनके कार्यान्वयन में सहायता करना।
5. रक्षा योजनाएं तैयार करके उनके कार्यान्वयन में सहायता करना।
6. रक्षा बजट और रक्षा सेवाओं के लिए प्राक्कलन तैयार करना और बजट के अनुरूप योजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखना।
7. बजट बनाने के बाद यह सुनिश्चित करना कि व्यय न तो बहुत हो और न ही अनपेक्षित रूप से अधिक हो।
8. सशस्त्र सेना मुख्यालयों की शाखाओं के अध्यक्षों को अपने वित्तीय दायित्व का निर्वाह करने के लिए सलाह देना।
9. रक्षा सेवाओं के लिए लेखा प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।
10. रक्षा सेवाओं के लिए विनियोजन लेखा तैयार करना।
11. रक्षा लेखा महानियंत्रक के माध्यम से रक्षा व्यय भुगतानों और आंतरिक लेखापरीक्षा के दायित्व का निर्वाह करना।

1 अप्रैल, 2003 से रक्षा मंत्रालय में मंत्री, सेनाध्यक्ष और सचिव

रक्षा मंत्री

श्री जार्ज फर्नांडिस
श्री प्रणव मुखर्जी

15 अक्टूबर, 2001 से 22 मई, 2004 तक
23 मई, 2004 से आगे

रक्षा राज्य मंत्री

श्री चमन लाल गुप्ता

1 जुलाई, 2002 से 22 मई 2004 तक

रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री

प्रो. ओ. राजगोपाल
श्री बी. के. हांडिक

29 जनवरी, 2003 से 22 मई, 2004 तक
23 मई, 2004 से आगे

रक्षा सचिव

श्री सुबीर दत्ता
30 जून, 2002 से 4 जुलाई, 2003 तक

सेनाध्यक्ष

जनरल एन सी विज
पीवीएसएम यूवाईएसएम, एवीएसएम एडीसी
1 जनवरी, 2002 से आगे

श्री अजय प्रसाद
14 जुलाई, 2003 से 30 जून 2004 तक
श्री अजय विक्रम सिंह
1 जुलाई, 2004 से आगे

नौसेनाध्यक्ष

एडमिरल माधवेन्द्र सिंह
पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी
30 दिसंबर, 2001 से 31 जुलाई, 2004 तक

सचिव रक्षा उत्पादन

श्री एन.एस. सिसौदिया
1 अक्टूबर, 2002 से 7 जुलाई, 2003 तक
सुश्री उमा पिल्लै
9 जुलाई 2003 से 1 अगस्त, 2004 तक

एडमिरल अरुण प्रकाश

पी वी एस एम, ए वी एस एम, वी आर सी
वी एस एम, ए डी सी
31 जुलाई, 2004 से आगे

श्री शेखर दत्त

2 अगस्त, 2004 से आगे

वायुसेनाध्यक्ष

एयर चीफ मार्शल एस. कृष्णास्वामी
पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम एड बार,
एडीसी
31 दिसंबर, 2001 से आगे

सचिव रक्षा अनुसंधान एवं विकास तथा
रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार

डॉ. वी. के. आत्रे
29 दिसंबर, 1999 से 31 अगस्त, 2004 तक
श्री एम नटराजन
1 सितम्बर, 2004 से आगे

सचिव (रक्षा वित्त)

श्री विश्वजीत बैनर्जी
1 अगस्त, 2002 से 31 अक्टूबर 2003 तक
वित्तीय सलाहकार (रक्षा वित्त)

सुश्री सोमी टंडन
31 अक्टूबर, 2003 से 9 अगस्त, 2004 तक

सचिव (रक्षा वित्त)

सुश्री सोमी टंडन
10 अगस्त, 2004 से आगे

रक्षा मंत्रालय के कार्यकरण पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की नवीनतम रिपोर्ट का सारांश

रक्षा विभाग

रक्षा भूमि का उपयोग : रक्षा मंत्रालय में 4.47 लाख एकड़ भूमि का स्वामित्व निहित है, जो सशस्त्र सेनाओं और रक्षा संगठनों के कब्जे, नियंत्रण एवं प्रबंधन के अंतर्गत है। अन्य श्रेणियों की रक्षा भूमि का प्रबंधन रक्षा संपदा विभाग, और छावनी बोर्डों में निहित है। रक्षा भूमि के उपयोग संबंधी एक समीक्षा की गई थी और लेखा-परीक्षा में देखी गई प्रमुख विशेषताओं से यह उजागर हुआ कि :-

दो कमानों में रक्षा भूमि पर लोक निधि से निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पट्टे से प्राप्त कुल 1.71 करोड़ रुपये के राजस्व का विनियोजन लोक निधि के स्थान पर अनियमित रूप से रेजिमेंटल निधि में किया गया था।

सेना पत्नी कल्याण संघ के कब्जे में कोलकाता में रक्षा भूमि और भवन, पुणे में एक निजी इंजीनियरी कालेज और मुंबई में जवाहर प्रशिक्षण पोत, जिनके संबंध में पट्टा अनुबंध नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप कुल 3.58 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ।

दो निजी क्लबों, एक टी एस्टेट, कई प्राइवेट पार्टियों और एक सार्वजनिक उद्यम के कब्जे में 510.20 एकड़ रक्षा भूमि के पट्टों का नवीनीकरण न किए जाने के परिणामस्वरूप 63.56 करोड़ रु. का किराया बकाया रह गया। कोलकाता स्थित क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, मुंबई स्थित प्रौद्योगिकी संस्थान, कपूरथला स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल और रांची स्थित दो स्कूलों में कब्जे में कुल 64.685 एकड़ भूमि थी, जिसके लिए वे या तो कोई भी किराया

नहीं दे रहे थे या अनपयुक्त दरों पर किराया दे रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप 11.45 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ।

इन नियमों का उल्लंघन करते हुए जिनमें यह प्रावधान किया गया है कि प्राइवेट पार्टियों को वाणिज्यिक और लाभकारी उद्देश्यों के लिए पट्टे पर दी गई भूमि का किराया उनकी बाजार कीमत पर आधारित होना चाहिए, अलग-अलग अवसरों पर अलग-अलग तरीके अपनाकर किराए ऐसे स्तरों पर नियत किए गए थे जो बाजार मूल्यों को नहीं दर्शाते।

(2003 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 2)

थलसेना और आयुध निर्माणियां

बकाया अग्रिम की वसूली न होना : एक कंपनी, जिसे थलसेना के लिए रेडियो ट्रक प्रणाली की आपूर्ति का कार्य सौंपा गया था, द्वारा प्रस्तुत बैंक गारण्टियों का सुपुर्दगी की अवधि के विस्तार के साथ-साथ विस्तार सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरूप 1.75 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हो सकी क्योंकि फर्म इस बीच बंद कर दी गई थी।

(2003 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 4)

थलसेना और आयुध निर्माणियां

दोषपूर्ण गोलाबारूद के निर्माण पर निष्क्रिय निवेश : आयुध निर्माणी, खमरिया ने एक टैंक के लिए दोषपूर्ण गोला-बारूद का निर्माण किया, जिससे पांच सेना कमानों में इसका भंडार इकट्ठा हो गया और इनके निर्माण पर किया गया 607.43 करोड़ रुपये का निवेश अनुत्पादक सिद्ध हुआ।

(2003 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 8)

थलसेना और आयुध निर्माणियां

ग्रेनेडों के स्टॉक का संग्रहण : मेल खाते धात्विक डेटोनेटर्स के अभाव में विभिन्न गोला बारूद डिपुओं में 8.94 करोड़ रुपये मूल्य के बड़ी संख्या में ग्रेनेडों का कोई उपयोग नहीं हुआ है। इन धात्विक डेटोनेटर्स के उत्पादन पर 22.08 करोड़ रुपये का निवेश व्यर्थ गया।

(2003 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 9)

थलसेना और आयुध निर्माणियां

लेखापरीक्षा के बताने पर की गई वसूली :

विद्युत उपभोग पर छूट प्राप्त करने में विफलता, व्यक्तिगत हकदारियों को विनियमित करने में गलतियों तथा राजस्व वसूलियों के रेजिमेंटल निधियों में गलत विनियोजन के संबंध में लेखा परीक्षा के बताने पर कुल 1.56 करोड़ रुपये की धनराशि वसूल की गई।

(2003 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 11)

थलसेना और आयुध निर्माणियां

कार्मिकों की अनियमित भर्ती : भर्ती पर रोक लगाने के सरकारी आदेशों के सम्प्रेषण में विलंब के परिणामस्वरूप सेना इंजीनियरी सेवा द्वारा 1505 कार्मिकों की अनियमित भर्ती की गई, जिसमें उनके वेतन और भर्ती पर 12.65 करोड़ रुपये का व्यय अतंर्ग्रस्त था।

(2003 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 14)

थलसेना और आयुध निर्माणियां

रिहायशी आवास के निर्माण पर अनुत्पादक

व्यय : एक फर्म जिसे आवास निर्माण कार्य सौंपा गया था, को सभी बाधाओं से मुक्त, सक्रियात्मक रूप से आवश्यक निर्माण स्थल सौंपने में हुए विलंब के परिणामस्वरूप 6.94 करोड़ रुपये के निवेश के बाद भी कार्य पूरा नहीं हुआ और संविदा को अंततः रद्द करना पड़ा।

(2003 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 15)

थलसेना और आयुध निर्माणियां

एक अपूर्ण योजना पर अनुत्पादक निवेश :

सीवेज पाइप बिछाए जाने वाले स्थान पर गैरिजन इंजीनियर द्वारा अपर्याप्त मृदा सर्वेक्षणों और जांच के परिणामस्वरूप, 5.36 करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बाद भी इस योजना का कार्य-निष्पादन 7 वर्ष से भी अधिक समय तक रुका रहा। इसकी अनुमानित लागत 1.59 करोड़ रुपये और बढ़ गई और अनावश्यक पंचाट कार्यवाही भी करनी पड़ी

(2003 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 16)

थलसेना और आयुध निर्माणियां

टिप्परों का अधिक प्रावधान : सीमा सड़क विकास मंडल टिप्परों के सप्लाई आर्डर की आवश्यकता के अनुरूप संशोधित करने में विफल रहा और उन्हें 3 अन्य परियोजनाओं के लिए भेजे जाने के उनके परवर्ती निर्णय के परिणामस्वरूप 6.74 करोड़ मूल्य के 98 टिप्परों का अधिक प्रावधान किया गया।

(2003 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 24)

थलसेना और आयुध निर्माणियां

सीमा पर एक सड़क के निर्माण पर परिहार्य

व्यय : सीमा सड़क महानिदेशालय और संबंधित मुख्य इंजीनियर, सीमा पर एक सड़क के निर्माण को निलंबित करने में विफल रहे और उन्होंने अतिरिक्त निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी जिसकी सेना को अब कोई आवश्यकता नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप 1.74 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

(2003 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 25)

थलसेना और आयुध निर्माणियां

लेजर गाइडेंस किटों की अधिप्राप्ति : लक्ष्यों पर प्रभावी बमबारी के लिए आवश्यक लेजर गाइडेंस किटों के युद्ध व्ययन रिजर्व के कम स्तर पर पहुंच जाने से वायुसेना को उनका एकल

विक्रेता से सामान्य से ऊँची कीमत पर आपात्किक क्रय करना पड़ा जिससे 36.39 करोड़ रुपये का अनुमानित अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके अलावा सम्बद्ध भेदक बमों की अधिप्राप्ति में विलंब होने के कारण बमों की सुपुर्दगी दिए जाने तक कितों की शेल लाइफ काफी कम बचेगी।

(2003 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 2)

वायुसेना और नौसेना

बमों और उनके घटकों की बेमेल अधिप्राप्ति :

एक विशेष प्रकार के बम और उससे संबंधित टेल यूनिट्स की अधिप्राप्ति पर कुल 117.28 करोड़ रुपये के व्यय के बावजूद काफी समय बीत जाने के बाद भी संगत और आवश्यक फ्यूज उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। पर्याप्त भंडारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बम और उसके अभिन्न हिस्से-पुर्जों की साथ-साथ अधिप्राप्ति में विफलता से वैकल्पिक अंतरिम प्रबंध करने पड़े जो अपेक्षाकृत कम प्रभावी और विश्वसनीय थे।

(2003 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 8)

वायुसेना और नौसेना

ग्राउंड पावर यूनिटों की अधिप्राप्ति पर

अतिरिक्त परिहार्य व्यय : आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत की पहचान करने और उसे मान्यता देने के बावजूद भारतीय वायुसेना के वायुयानों के लिए ग्राउंड पावर यूनिटों की उस विक्रेता से अधिप्राप्ति जारी रखी गई जो कि इन यूनिटों की पहले ही सप्लाई कर रहा था, के परिणामस्वरूप ये यूनिटें ऊँची कीमतों पर अधिप्राप्त की गईं जिन पर 3.30 करोड़ रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(2003 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 10)

वायुसेना और नौसेना

अनुपयुक्त वाहनों की अधिप्राप्ति : क्रांतिक

संचार उपस्करों के कंटेनराइजेशन हेतु अधिप्राप्त वाहनों की उपयुक्तता के उचित मूल्यांकन में वायुसेना की विफलता के कारण वैकल्पिक वाहनों का अतिरिक्त क्रय और 2.70 करोड़ रुपये लागत के अनुपयुक्त वाहनों का दूसरी इकाइयों में अंतरण जरूरी हो गया। इससे संचार उपस्करों की प्रचालनात्मक गतिशीलता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(2003 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 12)

वायुसेना और नौसेना

असावधानी के कारण मरम्मत पर व्यय : एक

विशेष प्रकार के वायुयान में फिट किए गए एयरो-इंजनों में सही पुनः पातक ईंधन नियंत्रण यूनिटें संस्थापित करने में विफल रहने से वायुसेना कार्मिकों की असावधानी के परिणामस्वरूप ऐसे दो वायुयानों को क्षति पहुंची जिससे 1.88 करोड़ रुपये की लागत पर उनकी मरम्मत की जरूरत पड़ी।

(2003 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 14)

वायुसेना और नौसेना

लेखापरीक्षा के बताने पर की गई वसूली :

दो शिपयार्डों और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को गलत भुगतानों और नेवल हाइड्रोग्राफिक्स आफिस के रक्षा सिविलियनों को अधिक भुगतान के लिए 12.85 करोड़ रुपये की वसूलियां की गईं।

(2003 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 16 और 19)

वायुसेना और नौसेना

सोनोबॉय प्रोसेसिंग तथा कंट्रोल सिस्टमों की

अधिप्राप्ति : पनडुब्बियों से संबंधित आंकड़ों के संसाधन के लिए 9.27 करोड़ रुपये की लागत पर देश में ही विकसित सोनोबॉय प्रोसेसिंग तथा कंट्रोल सिस्टम की प्रभावकारिता और स्वीकार्यता अभी अंतिम रूप से सिद्ध की जानी थी ताकि

नौसेना की सक्रियात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इसका अनुमोदन और नियमित उत्पादन शुरू किया जा सके।

(2003 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 17)

वायुसेना और नौसेना

नौसेना के एक पोत के रिफिट पर अतिरिक्त परिहार्य व्यय : निविदा की स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए एक नौसेना पोत के रिफिट से संबंधित संविदा एक ऐसी फर्म को दी गई जिसकी निविदा न्यूनतम नहीं थी और न ही उसका प्रस्ताव सर्वरूपेण सम्पूर्ण था। यह प्रथम-दृष्टया पक्षपातपूर्ण था और इसके परिणामस्वरूप 1.42 करोड़ रुपये का अनुमानित अतिरिक्त व्यय किया गया।

(2003 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 17)

वायुसेना और नौसेना

रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग

मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी : अंबरनाथ स्थित मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी टी-72 टैंकों/पैदल सेना समाघात वाहनों, ट्रकों और हथियारों से संबंधित मदों, मशीन टूल्स और विविध मदों के उत्पादन के लिए विनिर्दिष्ट फैक्टरी के कार्यनिष्पादन की लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा से निम्नलिखित में कई कमियां उजागर हुई :-
उत्पादन में उपलब्ध श्रम घंटों का इष्टतम से कम उपयोग (शस्त्र मदें : 40 से 66% टैंकों और वाहनों के संघटक : 24 से 65% और मशीन टूल्स विविध मदें 41 से 83%),
तुल्य जनशक्ति के अभाव में मशीन घंटों का अत्यंत अल्प उपयोग।

फैक्टरी ने 0.73 करोड़ रुपये का कार्य, व्यापार द्वारा पूर्ण कराया हालांकि उसके पास इस कार्य को कराने की क्षमता थी।

उपलब्ध श्रम घंटों का उपयोग न किए जाने के

बावजूद फैक्टरी में कार्मिकों को समयोपरि कार्य के लिए तैनात किया गया जिसके लिए 8.91 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

सजातीय फैक्टरियों के लिए 6.74 करोड़ रुपये की घटिया मशीनों का उत्पादन किया गया जिससे उनका उपयोग नहीं किया गया। सिविल व्यापार के संबंध में लक्ष्य प्राप्त करने में 32 से 86% की कमी आई।

(2003 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 28)

थलसेना और आयुध निर्माणियां

गोलों का दोषपूर्ण निर्माण : आयुध निर्माणी, चांदा द्वारा निर्मित 7.18 करोड़ रुपये के गोला बारूद के नामजूर लॉट, उनका दोष-सुधार किए बिना, 7 वर्ष से भी अधिक समय तक भंडार में पड़े रहे। वर्ष 2000-2001 के दौरान 10.89 करोड़ रुपये मूल्य के गोले भी नामजूर कर दिए गए थे, जिनका अविलंब दोष-सुधार किए जाने की आवश्यकता थी।

(2003 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 30)

थलसेना और आयुध निर्माणियां

दोषपूर्ण मार्ग निर्देशक उपकरण की अधिप्राप्ति पर व्यर्थ निवेश : आयुध निर्माणी मेढक एक मार्ग निर्देशक उपकरण की आयात संविदा के भंडारण, परिवहन और प्रचलनात्मक आवश्यकता का पालन करने में असफल रही। इस उपकरण का वारंटी अवधि के भीतर दोष-सुधार नहीं किया गया जिससे 2.54 करोड़ रुपये का अनुत्पादक निवेश हुआ।

(2003 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 32)

थलसेना और आयुध निर्माणियां

दोषयुक्त ट्रैक संयोजन की अधिप्राप्ति :

पायलट नमूनों की स्वीकार्यता सुनिश्चित करने से पूर्व ही टैंकों के लिए 1.33 करोड़ रुपये मूल्य के ट्रैक संयोजनों के नवनिर्माण के लिए बड़ी

मात्रा में उत्पादन की स्वीकृति के जारी करने के परिणामस्वरूप उन्हें अस्वीकार करना पड़ा। उनका बदला जाना संदिग्ध है।

(2003 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 33)

थलसेना और आयुध निर्माणियां

भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड और इसकी नियंत्रित कंपनी विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अस्वीकार्य मदों को परिलब्धियों के भाग के रूप में शामिल किया और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अनुग्रह अनुदान के भुगतान के लिए गलत फार्मूले का प्रयोग किया। इससे 1992-93 से 2001-02 तक 13.52 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(2003 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 8.2.1)

(वाणिज्यिक)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग

डायरेक्शनल सोलिडिफिकेशन फरनेस का परिहार्य आयात : रक्षा धातुकर्मीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने यह जानते हुए कि मौजूदा पुरानी फरनेस संबंधी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अपेक्षित प्रयासों की तुलना में नए फरनेस पर प्रौद्योगिकी का विकास करने में कठिनाई होगी, तो भी 96.17 लाख रुपये की एक फरनेस आयात की, जिससे परिहार्य व्यय हुआ।

(2003 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 22)

थलसेना और आयुध निर्माणियां

दोषपूर्ण उपस्कर की अधिप्राप्ति : संचार में गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपस्कर वायुसेना के लिए 4.47 करोड़ रुपये की लागत से खरीदे गए थे जिनका चार वर्ष से भी

अधिक समय तक उपयोग नहीं किया गया क्योंकि गुणात्मक आवश्यकताओं के हवाले के बिना ही किए गए मूल्यांकन परीक्षणों के दौरान कई कमियां पाई गई थीं उन्हें विनिर्माता को वापस भेजना पड़ा।

(2003 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 11)

वायुसेना और नौसेना

अंडरवाटर ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम की स्थापना में विलंब : समुद्री तल से आंकड़े एकत्र करके उनका अध्ययन करने के लिए एक मरीन अकॉउस्टिक रिसर्च शिप पर संस्थापित किए जाने के लिए वर्ष 1992 में अधिप्राप्त एक अंडरवाटर ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम एक दशक के उपरांत भी स्थापित तथा चालू नहीं किया गया, जिससे अधिप्राप्त करने का उद्देश्य विफल हो गया और 0.78 करोड़ रुपये का निवेश भी निरर्थक रहा।

(2003 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 21)

वायुसेना और नौसेना

तारपीडो परीक्षण सुविधाओं की स्थापना : रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की एक प्रयोगशाला द्वारा सुरक्षित पानी में विकासात्मक तारपीडो के परीक्षण की सुविधा द्वारा प्रत्याशित लाभ, कुल 7.96 करोड़ रु. के निवेश और 12 वर्ष से भी अधिक समय के पश्चात भी प्राप्त नहीं हुए थे तथा संबंधित प्रयोगशाला अपनी परीक्षण आवश्यकताओं के लिए नौसेना और विदेशी रेंजों पर निर्भर कर रही है।

(2003 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 22)

वायुसेना और नौसेना

